

आपस्तम्बधर्मसूत्र का समानात्मक अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी० फिल० उपाधि के लिए
प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

अनुसन्धान
हर्षवर्द्धन मिश्र

निर्देशक
डा० सुरेशचन्द्र श्रीबास्तव
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
संस्कृत विभाग, इ० वि० वि०



संस्कृत-वेदान्
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
१९६२

किंचित्प्रास्ताविकम्

विश्व वाद्यमय में संस्कृत साहित्य की प्राचीनता एवं विशालता कभी भी विवादास्पद नहीं रही है। विशाल संस्कृत वाद्यमय के कई पक्ष ऐसे भी हैं जो विव्दवज्ञानों के मध्य में चर्चा के विषय तो सर्वदा रहे हैं किन्तु जनसामान्य में लोकप्रिय नहीं हो सके। वैदिक साहित्य में परिणात काल में सम्बन्धित सूत्र साहित्य भी उन्हीं पक्षों में से एक है। सूत्रसाहित्य में भी धर्मसूत्रों का अपना विशिष्ट स्थान है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला स्नातकोत्तरोत्तराध्दृशंस्कृतम् में दर्शन वर्ग का विद्यार्थी होने के कारण मुझे पूर्वमीमांसा पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ महर्षि जैमिनि के "अथातो धर्मज्ञासा" सूत्र के पढ़ने के अनन्तर ही मेरे मन में धर्म के स्वरूप की जिज्ञासा उत्पन्न हुई।

धर्मसूत्र मनुष्य की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक स्थिति के काचरण का प्रतिपादन करता है, व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, वैपाक्तिक और पारिलौकिक सभी पक्षों पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से विचार करता है। धर्मसूत्र की दृष्टि सुख-दुःख सम्पर्कित तथा विषित्त पर भी है। यह व्यक्ति के लिए कर्तव्यों की दिशा देता है, जीवन के लक्ष्यों को प्रदर्शित करता तथा मनुष्य की शक्तियों और उनके अनुसार दायित्ववोध का महनीय कार्य करता है।

गुरुजनों की प्रेरणा से जब मेरी प्रवृत्ति शोध कार्य में हुई तो मुझे "आपस्तम्ब धर्मसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन" विषय पर शोध कार्य सम्पादित करने का अवसर मिला ।

प्रकृत शोध प्रबन्ध में मेरा लक्ष्य यही है कि धर्मशास्त्रीय विचारों के व्यापक वोध में कुछ योगदान कर सकूँ । प्राचीन मान्यताओं का अध्ययन कर उनकी युगसापेक्ष व्याख्या करने से ही हमारी अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है । अतीत के ऐतिहासिक अध्ययन का यह अर्थ कदाचित् नहीं है कि परिवर्तन के पहिए को पीछे ढुमाने का निष्फल प्रयत्न किया जाय । अपितु परम्परागत धर्मशास्त्रीय सिध्दान्तों की उण्ठोगिता उनके उत्तम पहलू एवं नैतिकता के जीवनदर्शन को समझने एवं व्यवहार में अनुदित करने में ही निहित है ।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के सूत्रधार पदवाक्य प्रमाणज्ञ विव्दद्वरेण्य परम श्रद्धेय गुरुकर्य प्रो० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव जी, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हैं। जिन्होंने अपने अत्यधिक व्यस्त समय में से मेरे लिए समय निकाल कर मेरे इस कार्य को सरल एवं दीप्तपूर्ण बना दिया। आपके अमूल्य निर्देशन का ही परिणाम है कि मैं प्रकृत शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर सका। उन पूज्यपाद के प्रति किन शब्दों में कृतज्ञता जापित करुं भावातिरेक में शब्दों एवं भावों की अभिव्यक्ति अवहङ्ग

सी प्रतीत होती है । तथापि उनके पुत्रवत् वात्सल्य एवं परिवत्र ज्ञान दान का स्मरण कर, धन्य हूँ ।

मैं परमादरणीय व्याकरण एवम् दर्शन के लब्धप्रतिष्ठ विव्वदान् डा० राम किशोर शास्त्री जी प्राध्यापक, सस्कृत विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चरणों में नत हूँ जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझावों को देकर मेरे प्रतीत अपने वात्सल्य भाव को प्रकट किया है ।

किसी भी व्यक्ति के जीवन में सर्वाधिक योगदान उसके मातापिता का होता है । इस सर्वस्वीकृत मान्यता का मैं भी अपवाद नहीं हूँ । अर्ज मैं प्रकृत शोध प्रबन्ध प्रस्तुत कर पा रहा हूँ, यह वस्तुतः मेरे पूज्यपाद पिता डा० वेदपति मिश्र एवम् पूजनीया माता श्रीमती सिया मिश्रा के सहज-स्नेह का ही परिणाम है । इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की औपचारिकता का निवाह इसके निस्सीम गौरव एवम् सहजता का विघातक होगा ।

श्रद्धदेय डा० ब्रजनाथ सिंह यादव जी, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, प्राचीन इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति मै कृतज्ञता से श्रद्धावनत हूँ, जिन्होंने शोध कार्य में आने वाली अनेक समस्याओं का समाधान किया एवं अपने पुस्तकालय में से दुर्लभ पुस्तकों की यथेच्छ

सुविधा प्रदान की ।

अग्रज डा० राम सेवक दुबे जी के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने समय- समय पर प्रोत्साहन देकर मुझे अपने शोध कार्य से निरन्तर गतिशील रखा ।

इसके अतिरिक्त संस्कृत किमाण के शोध छात्रबद्य श्री रवि राज प्रताप मल्ल, श्री अरविन्द मिश्र तथा श्री जय शकर मिश्र एवं श्री प्रभाकर मिश्र का आभारी हूँ जिन्होंने अपने अनुज्ञत्व का सम्यकस्थेण निर्वाह किया है । यही नहीं, शोध कार्य को निर्विघ्न सम्पादित करने में मेरी अद्वितीया सहजा कुमारी राज्यश्री भी सर्वथा धन्यवादार्ह है, जिसे ज्ञापित किये विना मैं अपने को अनृण नहीं मान सकता ।

मैं उन समस्त परोक्ष- अपरोक्ष मनीषियों के प्रति भी मैं ऋणी एवं कृतज्ञ हूँ, जिनके ग्रन्थों का इस शोध प्रबन्ध में यथोष्ट अनुशीलन स्वं अनुसरण किया गया है ।

अन्त में, शोध प्रबन्ध को श्री ब्रूतापूर्वक सुन्दर, स्पष्ट और यथासम्भव शुद्ध टड़कणा कार्य हेतु श्री कमलेश यादव को धन्यवाद देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ।

सूत्र शैली विशिष्ट तकनी की पारिभाषिक शब्दावली के कारण
दुर्ल होती है। मैंने गुरुकृपा एवम् अध्यवसाय के बल पर यथाशक्य आपस्तम्भ
धर्मसूत्र का समीक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। मेरा यह प्रयत्न
विवेचज्जनों को कितना संतुष्ट कर सकेगा । इस अतिष्ठन को सुधीजनों के आर
छोड़ते हुए मैं प्रकृत शोध पुबन्ध को नीरक्षीर विवेक हेतु प्रस्तुत करने का कर्तव्य
निभा रहा हूँ।

विजयादशमी 6 अक्टूबर, 1992

विदुषावशंवद
दत्तव्यपत्तिग्रह
॥ हर्षवर्धन मिश्र ॥
शोधच्छात्र
संस्कृत विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद ।

विष्णुकृष्णिका

प्रथम अध्याय

विष्णु

पृष्ठ संख्या

वैदिक वाङ्मय में सूत्र साहित्य का परिचय

1-46

कल्पसूत्र के भेद

श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, शुल्वसूत्र, धर्मसूत्र

धर्मसूत्रों का रचनाकाल एवं उनकी संख्या

द्वितीय अध्याय

व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व

47-70

आपस्तम्ब कल्प के रचयिता का निर्धारण,

आपस्तम्ब धर्मसूत्र का काल, आपस्तम्ब का जन्मस्थान,

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के उपलब्ध संस्करण, आपस्तम्ब

धर्मसूत्र में सूत्रों की पुनरावृत्ति, आपस्तम्ब धर्मसूत्र

में उद्धृत एवं उल्लिखित साहित्य

तृतीय अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में प्रतिपादित धर्म का स्वरूप विवेचन

71-82

वर्णव्यवस्था

वर्ण व्यवस्था का स्वरूप, वर्णों के कर्त्तव्य,

अयोग्यताएँ एव विशेषाधिकार, शूद्र की स्थिति,

वर्णसंकर जातियों का वर्णन

संस्कार

उपनयन, समावर्तन, विवाह

समाज में स्त्रियों की स्थिति

शिक्षा का स्वरूप

शिक्षा का प्रारम्भ, आचार्य की योग्यता

स्त्री कर्त्तव्य, शिष्य के कर्त्तव्य और आचार,

गुरु शिष्य सम्बन्ध, आचार्य की आय, विद्यार्थी

के प्रकार, अनुशासनहीन छात्र के प्रति आचार्य

का व्यवहार, अनध्यायों का विवरण

भोजन- पान

भोजन विधि, मासभक्षण, दुर्गथ प्रयोग, शाकभाजी

का प्रयोग, वर्जित पक्व पदार्थ, त्याज्य भोजन,

विविहित भोजन एवं

भोज्यान्न, भोजन

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णित धार्मिक स्थिति

181-247

आश्रम

ब्रह्मचर्याश्रम

ब्रह्मचारियों के प्रकार, ब्रह्मचारियों की
वेशभूषा, ब्रह्मचारियों का जीवन, ब्रह्मचारियों
के धर्म

गृहस्थाश्रम

गृहस्थाश्रम के कर्म एवं दायित्व

वानप्रस्थाश्रम

वानप्रस्था के नियम एवं कर्तव्य

सन्यासाश्रम

प्रायश्चित्त

अभिशस्त का प्रायश्चित्त, गुस्तल्पग का

प्रायश्चित्त, सुरापान का प्रायश्चित्त,

स्तेन का प्रायश्चित्त, शूद्रवध का प्राय-

श्चित्त शूद्रवधवत् प्रायश्चित्त, अवकीणीं

का प्रायश्चित्त, अभङ्ग भङ्गणा प्रायश्चित्त,

पतित सावित्रीक का प्रायश्चित्त, अन्य प्रायश्चित्त

षष्ठ अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र मे आये हुये दार्शनिक विचार

248-267

विषय प्रवेश, आत्मतत्त्व का स्वरूप, आत्मतत्त्व की
व्यापकता, आत्मतत्त्व के लक्षण आत्मतत्त्व के ज्ञान
का महत्त्व, स्वर्ग एवं मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष का
स्वरूप, मोक्षप्राप्ति के उपाय, आध्यात्मिक योग ,
आध्यात्मिक योग के साधन, उपसंहार

सप्तम अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र मे चिह्नित राजनैतिक एवं आर्थिक विचार

268-309

राजनीतिकीविचार

राजा- राजा के कर्त्तव्य तथा उत्तरदायित्व,
अमात्य, पुरोहित, सभा का स्वरूप, न्याय व्यवस्था,
दण्ड व्यवस्था - आपराधिक विधि, व्यावहारिक
विधि

आर्थिक विचार

व्यवसाय, कृषि, भूमि व्यवस्था, पशुपालन, आय के
साधन, व्यापार, विनियम, व्याज, रहन-बन्धक

अष्टम अध्याय

उपसहार

310-325

सहायक ग्रन्थ सूची

326-329

सकेत-गूची

अ०वे०	-	अर्पवेद
आ०गृ०सू०	-	आपस्तम्बगृह्यसूत्र
आ०ध०सू०	-	आपस्तम्बधर्मसूत्र
आ०श०गृ०सू०	-	आश्वलायनगृह्यसूत्र
उ०स्मृ०	-	उशनस स्मृति
ऋ०	-	ऋग्वेद
ऐ०आ०	-	ऐतरेयारण्यक
ऐ०ब्र०	-	ऐतरेय ब्राह्मण
कौ०	-	कौटिलीय अर्पशास्त्र
का०म०	-	कामन्दकीय नीतिसार
गौ०ध०सू०	-	गौतम धर्मसूत्र
छ०उ०प०	-	छान्दोग्योपनिषद्
तै०उ०	-	तैत्तिरीयोपनिषद्
न०स्मृ०	-	नारद स्मृति
तै०ब्र०	-	तैत्तिरीय ब्राह्मण
पू०मा०सू०	-	पूर्वमीमांसासूत्र
बृ०उ०	-	बृहदारण्यकोपनिषद्
बौ०ध०सू०	-	बौद्धायन धर्मसूत्र
भौ० शु०	-	भविष्यपुराण
म॒त्स्य०	-	मत्स्यपुराण
मनु०	-	मनुस्मृति

या०	-	गाजवल्क्य स्मृति
वसिष्ठ०	-	वसिष्ठधर्मसूत्र
विष्णु०	-	विष्णुधर्मसूत्र
शतपथ०	-	शतपथब्राह्मण
शख०	-	शखस्मृति
हिरण्य०	-	हिरण्यकेशगृह्यसूत्र

xx
X
X पृथ्वी अध्याय
X
X वैदिक वाहू.मय में सूत्र साहित्य का परिचय
X
X
X

पृथ्म अध्याय

सूत्र साहित्य भारतीय वाइ मय का एक अनूठा वर्ग है और यह अपनी विशिष्ट शैली के कारण अन्य सभी प्रकारों के रचनाओं से अभिन्न है। वैदिक साहित्य में सूत्रों का काल अध्ययन और चिन्तन की परम्परा का प्रतिनिधि है। भारतीय मनीषियों के लिए अपनी समृद्ध गरमदरा, आचार, व्यवहार एवं कर्मकाण्ड से सबैधित ज्ञान को सतत रखना एक समस्या थी, क्योंकि लेखन के अभाव में लुप्त होने की सम्भावना अधिक थी तथा वृहद् मन्त्रों को कण्ठस्थ रखना स्वर्वं शुद्धता को बनाये रखना भी असम्भव था। अतएव इन कठिनाइयों के निराकरण स्वरूप सूत्र साहित्य की स्थापना की गई।

सूत्र का अर्थ है धारा और सूत्रों में छोटे, वृस्त, अर्धगर्भित वाक्यों को मानो एक छागे में पिरोकर रखा जाता है। वस्तुत इस प्रकार की रचनाओं में यथा सम्भव धोड़े से शब्दों में सिधान्त को व्यक्त करना ही रचयिता का उद्देश्य होता है। सूत्र साहित्य के सन्दर्भ में अनेक आलोचनाएँ प्राप्त होती हैं कि इन रचनाओं में अनिवार्य या अर्थ के विकास की कोई सम्भावनाये हैं, रचना की जटिलता इसकी सरलता को लुप्त कर देती है। तथा ये अत्यधिक

मीरस है। इस सबध में यह कहा जा सकता है कि सूत्रों को व्यवस्थित रूप में संक्षिप्त शैली में प्रस्तुत किया जाता है जिससे उसे याद किया जा सके, भले ही स्पष्टता और बोधगम्यता का बलिदान करना पड़े। व्याकरण पतञ्जलि का यह वर्णन प्राय उद्घृत किया जाता है कि "सूत्रकार आधी मात्रा की बचत घर उतना ही आनन्दित होता है जितना बुत्तजन्म घर "।

सूत्र रखना आौ की शैली के विषय में जितनी आतोचना क्यों न हो, इस विषय में दो घत नहीं हो सकते कि मात्रिक उपदेश के समय इनकी संक्षिप्त शैली एक आवश्यकता बन गयी है और इनकी विशिष्ट शैली के कारण ही इनमें से अधिकांश को रक्षा हसे सकी, अन्यथा लेखन के अभाव में इनका सर्वपा लोघ हो हो गया होता। इसके अतिरिक्त प्राचीन व्याकरण के नियमों को अनुण्ड बनाये रखने में सूत्र शैली एक महत्वपूर्ण कारक बनी अन्यथा व्याकरण शब्दी नियमों के ज्ञान के अभाव में वैदिक साहित्य का अर्पणोद असम्भव था।

<p>वस्तुतः सूत्र साहित्य में के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया है। वे शताब्दियों के विन्तन, मनन और अध्ययन के वरिपास हैं और उन्हें जो सब प्राप्त हुआ है</p>	<p>अनेक शताब्दियों</p>
--	------------------------

वह भी अनेक शतार्थियों की अनवरत परम्परा का परिपाम ह ।

सूत्र साहित्य में कल्पसूत्र प्राचीन भारतीय सांख्यिक इतिहास के नान ले लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हे । जल्य को वेदाङ्ग के अन्तर्गत रखा गया है । रणव्यूह के अनुसार शिखा, कल्पो, नाकरण निरुत्त इन्द्रो ज्योतिषम् ये वेदाङ्ग है । आपस्तम्भ ने इन्हे इस क्रम में गिनाया है + "धड़गो वेद । इन्द्रङ्कल्पोऽ व्याकरण ज्योतिषं निरक्तं शीक्षा इन्द्रोविचितिरिति ॥ १२/४/८/१०-११॥

कल्प सबसे पूर्ण वेदाङ्ग है, इसके अन्तर्गत सूत्रों का विशाल भण्डार समाहित है । 'कल्प' का अर्थ हे वेद में विहित कर्मों का क्रमपूर्वक न्यूनस्थित कल्पना करने वाला शास्त्र 'कल्पो वेद विहितानां कर्मणामानुपूर्वेषा कल्पना-शास्त्रम्' । फलत यज्ञ यागादि का विवाहोपनयनादि कर्मों का विशेष प्रतिपादन वैदिक ग्रन्थों में लिया गया है । उन्हाँ का क्रमबद्ध वर्णन करने वाले सूत्र- ग्रन्थों का सामान्य अभिधान कल्प ह । कल्पसूत्र अपने विषय प्रतिपादनों में ब्राह्मण तथा

। . विष्णुमित्र- ऋवेद-प्रतिशार्य की वर्गदत्त वृत्ति ष० । ३

आरण्यक के साथ साक्षात् सम्बद्ध है। ऐतरेक आरण्यक में ऐसे सन्दर्भ हैं जो कि शुद्ध रूप से सूत्र ही है परम्परा से भी लगके पृष्ठेता सूत्रकार आश्वलायन और शौनकी भाने जाते हैं। तथा इन्हे ईश्वरीय ज्ञान वृक्ष भी नहीं माना जाता। उक्त के अतिरिक्त सामदेव साहित्य से कुछ ग्रन्थ से हैं जिन्हे भ्रमवश ब्राह्मण नाम दिया गया है वस्तुतः वे सूत्र हैं।

ब्राह्मण-युग के पृभावानुसार यज्ञ ही वैदिक आर्यों का व्रधान धार्मिक कृत्य था, परन्तु उसके बहुत ही विस्तृत होने से याग विधान के नियमों को लक्षण तथा व्यवस्थित रूप में ऋत्वजों के व्यावहारिक उच्योग के लिए प्रतिष्ठादक ग्रन्थों की आवश्यकता ब्रूतीत होने लगी और इसी की वृद्धि के लिए कल्पसूत्रों का निर्माण वृत्येक शाखा में सम्बन्ध हुआ।

कल्प सूत्र के महत्व के विषय से मैक्समूलर¹ ने ठीक लिखा है "कल्पसूत्रों का वैदिक साहित्य के इतिहास में अनेक कारणों से महत्व है वे न केवल साहित्य के एक नये युग के घौतक हैं और भारत के साहित्यिक संघ धार्मिक जीवन के एक नये वृयोजन के सूचक हैं अधितु उन्होंने

1. मैक्समूलर- हिस्ट्री आंड एशियन-ट्रांस्कूल लिटरेचर पृ० 166

अनेक ब्राह्मणों के लोष में योग दिया, जितना अब केवल नाम ही जात है "।

कुमारिल ने भी कल्पसूत्र में महत्व के विषय में कहा है --

वेदादृतेऽपि कुर्वन्ति कल्पे कर्माणि याज्ञिकाः ।

न तु कल्पैर्विना केविन्मन्त्र ब्राह्मण मात्रकात् ॥

कल्पसूत्रों के महत्व के कारण ही इनके रचयिता स्वयं नयी शाखाओं के संस्थापक बन गये और उनकी शाखा में उनके सूत्र का ही पुधान स्थान हो गया तथा ब्राह्मण और वेद का महत्व कुछ सीमा तक कम हो गया ।

कल्पसूत्र मुख्यत चार प्रकार के हैं :-

१। १ श्रौतसूत्र- जिनमें श्रौत अभिम्न से होने वाले बड़े यज्ञों का विवेचन किया गया है ।

२। २ गृह्यसूत्र- गृह्य अभिम्न से होने वाले धरेलू यज्ञ का, उच्चन्यन विवाह आदि अंस्कारों का विवेचन करने वाले सूत्र ।

३। ३ धर्मसूत्र- चारों आश्रमों, चारों बर्षों तथा उनके धार्मिक आचारों का तथा राजा के कर्त्तव्यों का वर्णन करने वाले सूत्र ।

४४५ शूल्वसूत्र- यज्ञ में वेदि आदि के निर्माण विधि का वर्णन करने वाले सूत्र ।

श्रौतसूत्र

श्रौतसूत्र का मुख्य विषय श्रुति- प्रतिपादित महत्वर्थीय यज्ञों का क्रमबद्ध वर्णन है । इन यागों के नाम हैं - दर्श, पूर्णामास, षिण्ठ-षित्यज्ञ, आग्नेयपोषिष्ट, चातुर्मास्य, निरुट- षशु, सोमयाग सत्र, गवामयन, वाजपेय, राजसूय, सौत्रावणी अश्वमेघ, षुरुषमेघ, एकाध्याग, अहीन इत्यादि स्वयं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों, विशिष्टनिषेधों का वर्णन भी श्रौत सूत्र में प्राप्त होता है । अतएव श्रौतसूत्र का स्वरूप कर्मकाण्डीय है ।

ऋग्वेद से संबंधित श्रौतसूत्र- ऋग्वेद से संबंधित दो श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं । ११४ आश्वलायन तथा ४२४ शाह०खायन ।

शाह०खायन श्रौतसूत्र की रचना सुशक्त शाह०खायन ने की है वर्तमान में इसके १४ अध्याय उपलब्ध हैं । शाह०खायन ब्राह्मण ग्रन्थों में सम्बद्ध यह श्रौतसूत्र विषय तथा शैली की दृष्टिसे प्राचीनतर ग्रन्तीत होता है । शाह०खायन श्रौतसूत्र में कौशीतकि ब्राह्मण के अनेक

विषय ग्रहण किये गये हैं।

आश्वलायन श्रौतसूत्र में 12 अध्याय हैं जो दो शतक धूर्व शतक एवं उत्तर शतक में विभक्त हैं प्रसिद्ध है कि आश्वलायन द्विष्ठ शौनक द्विष्ठ के शिष्य थे तथा ऐतरेक द्विष्ठ आरण्यक के अन्तिम दो अध्यायों को गुरु और शिष्य ने मिलकर बनाया था।

सामवेद से संबंधित 4 श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं १३ आर्ष्य श्रौतसूत्र
१२ लाट्यायन श्रौतसूत्र १३ द्राह्यायण श्रौतसूत्र १४ जैमिनीय श्रौतसूत्र।

आर्ष्य श्रौतसूत्र अष्टने रचिता के नाम वर मशक श्रौतसूत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। लाट्यायन श्रौतसूत्र १८/९/१४ में मशक गार्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें साम गानों का तत्त्व विविध अनुष्ठानों में विनियोग का विवरण है। तथा यह ष चीक्ष द्राह्मण के योगक्रम का अनुसरण करता है। तथा इससे स्वष्टि सम्बद्ध है।

लाट्यायन श्रौतसूत्र में 10 प्रष्ठाठक है लाट्यायन श्रौतसूत्र सामवेद से संबंधित मुख्य श्रौतसूत्र है। इस सूत्र में लाट्यायन ने न केवल अष्टने वेद एवं चरण से संबंधित शिक्षा एवं कर्मकाण्डीय वरम्बरा का

उल्लेख किया है अग्रिमु अन्व केदों से सम्बन्धित कर्मकाण्डीय शिक्षा एवं परम्पराओं का उल्लेख किया है । लात्यायन श्रौतसूत्र वंचविश ब्राह्मण से सम्बन्धित है । तथा अनेक स्थलों पर उसने वंचविश ब्राह्मण से सम्बन्धित मन्त्रों को उद्घृत किया है । इसका सम्बन्ध कौथुमशाखा से है ।

द्राह्याध्यप श्रौतसूत्र रापायनीय शाऊा से सम्बन्धित है तथा जैमिनीय श्रौतसूत्र का सम्बन्ध जैमिनी शाखा से है । जैमिनीय श्रौतसूत्र सबसे छोटा श्रौतसूत्र है एवं उसमें केवल 26 खण्डका या उण्ड हैं जिनमें से अधिकाशा अत्यधिक छोटे हैं ।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित स्कमात्र कात्यायन श्रौतसूत्र प्राप्त होता है जो वरिमाण में वर्याच्च बड़ा है, इसमें 26 अध्याय हैं । इसकी पृष्ठाली शतषथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट प्रयोगक्रम के अनुसार है । 2-18 अध्याय शतषथ ब्राह्मण के खण्ड 1-9 पर आधारित है एवं कात्यायन श्रौतसूत्र के अध्याय मुख्यतः एवं वर्विश ब्राह्मण के 16-25 अध्याय पर आधारित है । इस प्रकार हम देखते हैं कि कात्यायन ने अपने कृत्य को ब्राह्मणिक एवं पूर्ण बनाने के लिये यथासम्भव उपलब्ध सामग्री का प्रयोग करने का प्रयास किया है ।

कात्यायन श्रौतसूत्र के प्रथम अध्याय में दस कण्डकाएँ हैं जिनमें

याग सम्बन्धी विविध विषयों का विवेचन है इदतोष सब तृतीय अध्याय में आठ आठ कण्ठकाएँ हैं जिनमें आन्युषस्थान, अग्नहोत्र पिण्डपितृ यज्ञ दाक्षायण, आग्रायण आदि विषय वर्णित हैं। ए चम अध्याय में चातुर्मास्य और मित्रविद इष्ट का विधिरूपक वर्णित है। षष्ठ अध्याय में निरुट पशुबन्ध का वर्णान है। सप्तम से दशम अध्याय तक अग्नष्टोम याग का विस्तृत विवेचन है। एकादश अध्याय में ब्रह्मा नामक शृंतितज के कार्य एवं उच्योग वर्णित है। द्वादश अध्याय में द्वादशाह, ऋयोदश में गवामयन, चतुर्दश में वाजेय, पञ्चदश में राजसूय षोडश से अष्टादश तक अग्नवयन, एकोनविश में शौत्रामणी तथा विशति अध्याय में अश्वमेघ, एकविश में गुरुमेघ, सर्वमेघ तथा वित्तुमेघ का विधिवत् विवेचन है बाइससे से चौबोसबे अध्याय तक एकाहअहीन ओर सत्र से सम्बन्धित विषय वर्णित हैं। चौबोसबे में व्रायश्चिप्त तथा छब्बीसबे में ग्रुवर्य याग का विवरण वर्णित है।

कृष्णाषुर्वेद से सम्बन्धित छ श्रौतसूत्र उल्लङ्घ है।^[3] बौद्धायन १२ आष्टरबूहिरण्यकेशी १५ वैरवानस १५ भारवदाष और १६ मानव श्रौतसूत्र। इनमें से मानव श्रौतसूत्र का सम्बन्ध मैत्रामणी सहिता से

तथा शेष का सम्बन्ध तैत्तिरीय सहिता से है ।

बौद्धायन श्रौतसूत्र का सम्पादन हाँग कैलेण्डर ने किया है तथा गोक्कुन्द स्वामी दे भाष्ट दे साथ यह मैसूर से श्री व्रकाशित हुआ है । इसमें चौदह भाग है ।

आपस्तरब कल्पसूत्र तीस प्रश्नों में विभक्त है । इसमें चाच विभाग है- श्रौतसूत्र, गृह्यसूत्र, गृह्यमन्त्र, धर्मसूत्र और शुल्वसूत्र । सायण से अवाचीन यात्रिक विव्वान- चौण्डपावार्य ने व्रियोग रत्नमाला में आपस्तम्बकल्प सूत्र के विषय में लिखा है -

त्रिशत्प्रश्नात्मक सूत्रमापस्तम्बमुनीरितम् ।

श्रौतगाहस्मार्तकर्त्त वोधक्यं तत्रष चमि ॥

आपस्तम्ब कल्प के प्रथम तेहस प्रश्न श्रौतसूत्र है, 24वाँ प्रश्न उरभाषा है, 25 तथा 26 प्रश्नों में गृह्यमन्त्र कथित है । 27वाँ प्रश्न गृह्यसूत्र है । 28 तथा 29 प्रश्न धर्मसूत्र है तथा अन्तिम 30वाँ प्रश्न शुल्व सूत्र है ।

23 प्रश्नवर्णन्त श्रौतभाग की मुख्य विषय सूची इस बिकार है -

- १।१ तीन श्रुत्यों में - दर्शपूर्णमास यज्ञ
- १।२ चतुर्थ श्रुत्यों में - याजमान
- १।३ पचम श्रुत्यों में - अग्न्याधेय, बुनराधान
- १।४ षष्ठ श्रुत्यों में - अग्निहोत्र
- १।५ सप्तम श्रुत्यों में - निरट्यशुब्दन्ध
- १।६ अष्टम श्रुत्यों में - वैशवदेव, बस्याप्रधास, साक्षेत्र, शुनासीरीय और चातुर्वासियत्
- १।७ दश से व्यादश श्रुत्यों में - अग्निष्टोम
- १।८ ऋयोदश श्रुत्यों में - मध्यदिन और तृतीय सवन
- १।९ चतुर्दश श्रुत्यों में - उक्त्य, षोडशी, आप्तोर्यामि और अतिरात्र
- १।१० एवं चदश श्रुत्यों में - श्रवण्य
- १।११ इष्टोङ्का और सप्तदश में - अग्निचयन
- १।१२ अष्टादश में - वाज्वेय और राजसूय
- १।१३ उन्नीसवें श्रुत्यों में - सौत्रामणी और विश्विष्ट
- १।१४ इक्कीसवें श्रुत्यों में - अर्वमेध, बुद्धमेध और सर्वमेध
- १।१५ इक्कीसवें श्रुत्यों में - व्यादशाह, गवामयन
- १।१६ बाईसवें श्रुत्यों में - अहीन और सब
- १।१७ तेर्वेसवें श्रुत्यों में - सत्र

हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र आषस्तम्ब की अपेक्षा जर्बाचीन माना जाता है इसीलिए इसकी रचना आषस्तम्ब श्रौतसूत्र के आधार पर किञ्चेष्टः प्रतीत होती है । इसे सत्याबाद श्रौतसूत्र भी बताते हैं । इस कल्पसूत्र में अठारह अध्याय है जो नानाविध यज्ञीय विधानों से सम्बन्धित है ।

बैखानस श्रौतसूत्र, बैखानस कल्पसूत्र के ब्रह्म 12-32 के अन्तर्गत है । ब्रह्म 1-8 में गृह्यसूत्र है, ब्रह्म 8-10 में धर्मसूत्र और ब्रह्म 11 में ब्रवरसूत्र है । इन सूत्रों की विषय वस्तु के निर्धारण सुं आषस से आये उद्धरणों से यह अनुमानित होता है कि यह सम्पूर्ण कल्पसूत्र एक ही लेखक की रचना है ।

बैखानस श्रौतसूत्र में अनेक बातें आषस्तम्ब, बौद्धायन और हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के आधार पर प्रतीत होती है ।

भारव्दाज श्रौतसूत्र के बर्तमान में 15 ब्रह्म ही उल्लब्ध है । तथा अनेक महत्वपूर्ण यागमों का वर्णन उल्लब्ध नहीं है यथा-अश्वमेध, राजसूय और बाजारेय । भारव्दाज श्रौतसूत्र के आन्तरिक साक्षणों से यह ध्वनित होता है कि इसमें ब्रूलत । अनेक ब्रह्म थे क्योंकि भारव्दाज

हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र आषस्तम्ब की अपेक्षा जर्बाचीन माना जाता है इसीलिए इसकी रचना आषस्तम्ब श्रौतसूत्र के आधार पर किशेष्ठः प्रतीत होती है । इसे सत्याधाद् श्रौतसूत्र भी भवते हैं । इस कल्पसूत्र में अठारह अध्याय है जो नानाविध यज्ञीय विधानों से सम्बन्धित है ।

बैरवहन्स श्रौतसूत्र, बैखानस कल्पसूत्र के पृश्न 12-32 के अन्तर्गत हैं । पृश्न 1-8 में गृह्यसूत्र है, पृश्न 8-10 में धर्मसूत्र और पृश्न 11 में ब्रह्मसूत्र हैं । इन सूत्रों की विषय वस्तु के निर्धारण सब आषस से आये उध्दरणों से यह अनुभावित होता है कि यह सम्पूर्ण कल्पसूत्र एक ही लेखक की रचना है ।

बैखानस श्रौतसूत्र में अनेक बातें आषस्तम्ब, बौद्धायन और हिरण्यकेशी श्रौतसूत्र के आधार पर प्रतीत होती हैं ।

भारव्दाज श्रौतसूत्र के बर्तमान में 15 पृश्न ही उल्लिख्य हैं । तथा अनेक महत्वपूर्ण यागमों का वर्णन उल्लिख्य नहीं है यथा-अश्वमेध, राजसूय और बाजमेध । भारव्दाज श्रौतसूत्र के आन्तरिक साक्षों से यह ध्वनित होता है कि इसमें ब्रूलत । अनेक पृश्न ऐ क्योंकि भारव्दाज

श्रौतसूत्र ४/२६/१२५ में कहा गया है कि सोम याग से सम्बन्धित अनेक कृत्यों का वर्णन राजसूय के वर्णन के समय कर दिया गया है।

मानव श्रौतसूत्र कृष्णायजुर्वेद की वैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध है। इसमें चाच अध्याय है और कृत्येक अध्याय खण्डों में विभक्त है। पृथम अध्याय में आठ खण्ड हैं जिनमें दर्शकौर्पित्वास, विष्टिष्टित्यज्ञ, अन्याधान अग्निहोत्र, आग्यण, अन्युपस्थान, बुनराधान, चातुर्मास्य, वित्यज्ञ वशुबन्ध, वच्चसावत्सारिक आदि विषयों का प्रतिकादन है। द्वितीय अध्याय के पांच खण्डों में अग्निष्ठोम का विष्ट वर्णन है। तृतीय अध्याय के आठ खण्डों में प्रायशिच्छत, चतुर्थ अध्याय के आठ खण्डों में कुवर्ण और वच्चम अध्याय के दो खण्डों में इष्ट का वर्णन है। इसकी शैली वर्णनात्मक है और कृष्णायजुर्वेद के ब्राह्मणभाग के समान है। अन्तर केवल इतना ही है कि इसमें केवल प्रयोग विधि का ही वर्णन है, आध्यानादि का विवरण नहीं है।

अधर्ववेद से सम्बन्धित श्रौतसूत्र बेतान श्रौतसूत्र है। इस श्रौतसूत्र में आठ अध्याय है जो ४३ कण्ठका में विभक्त हैं। यह श्रौतसूत्र न तो ध्रावीन और न ही मौलिक माना जाता है क्योंकि इतीत होता है कि यह किसी अर्वब्रह्मीय शाखा का श्रौतसूत्र का चिसका उद्देश्य

श्रौत वर्मवरा से अपने शिष्यों को अवगत कराना। बैतान नाम से भी यह सिद्ध होता है। बैतान का अर्थ है त्रिविधि अभिसम्बन्धी ग्रन्थ।

बैतान श्रौतसूत्र अनेक स्थलों पर गोपय ब्राह्मण का अनुसरण करता है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि यज्ञ यागादि विधानों को श्रौत-सूत्रों में प्रस्तुत किया गया है।

गृह्यसूत्र

गृह्यसूत्रों में मुख्यतः उन याज्ञिक कर्मों और लंस्कारों का वर्णन है जिनका सम्बन्ध मुख्यतः गृहस्थ से है। इनमें गर्भाधान से लेकर मृत्यु-पर्यन्त और मृत्यु के बाद किये जाने वाले लंस्कारों तथा अनुष्ठान विधियों का विवरण प्राप्त होना है। उक्त के अद्वितीयता अनेक सामाजिक प्रथाओं और रीचित रिवाजों के भी वर्णन गृह्यसूत्रों में प्राप्त होते हैं। वैद्य-व्यायज, श्राद्धकर्म तथा अभिचारिक क्रियाओं के भी वर्णन है।

इस प्रकार गृह्यसूत्रों में एक और तो हिन्दू जीवन में गृहस्थ के व्यक्तिगत जीवन के लंस्कारों का विवेचन मुख्य रूप से हुआ है किन्तु

1. पथा बैश्रो 7/12-24= गोब्रां 1/3/12, बैश्रो 8/8=गो

इनके साथ प्रात एवं सायकाल की दैनिक आहुतियों का प्रतिमाल
किये जाने वाले बलिकर्मों का प्रतिदिन की बलियों का बर्णन है ।
इनके साथ ही वार्षिक कर्मों के विवेचन को भी गृह्यसूत्रों में स्थान मिला ।
इस प्रकार के कर्म है --रूपबलि, पृष्ठी पर शयन का आरम्भ, नये अन्नों
के प्रयोग के समय किये जाने वाले कर्म, अष्टका कर्म तथा पितृकर्म ।

वार्षिक कर्मों के अतिरिक्त कुछ ऐसी क्रियाओं का विवेचन भी
गृह्यसूत्रों में हुआ है जिनका जीवन के साधनों से तात्पर्य है जैसे घर
बनाने के लिए भूमि का चुनाव, घर बनाने की विधि, स्तम्भ रखने की
विधि, स्नाध्याय के आरम्भ की क्रिया ।

इन क्रियाओं के अतिरिक्त अन्त्येष्टि और पितृकर्म की
क्रियाओं के साथ साथ अभिवारिक क्रियाओं का भी बर्णन गृह्यसूत्रों
में मिलता है । जैसे पुत्र या पत्नी को रोग होने पर किये जाने वाले
अभिवार, पत्नी को परपुरकगामिनी होने से बचाने के लिए अभिवार ।

प्रायशिचत्त्वों का भी बर्णन प्राप्त होता है एवं छोटे-छोटे
विभिन्न या अबसर पर किये जाने वाले अभिमन्त्रण का भी बीच-बीच
में उल्लेख है ।

इस प्रकार गृह्यसूत्रों के विषयों को हम इन बगों के अन्तर्गत

रह रकते हैं -

४। ५ जीवन से सम्बद्ध संस्कार ।

६२। दैनिक जीवन के होमकर्म तथा अन्न की बीति ।

६३। मासिक पर्वों पर किये जाने वाले कर्म ।

६४। बार्षिक कर्म ।

६५। जीवन से सम्बद्ध कर्म ।

६६। श्रौतकर्म ।

६७। आभिचारिक कर्म ।

६८। प्रायोश्चत्त के कर्म ।

६९। अभिमन्त्रण के निर्देश ।

ऋग्वेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र - ऋग्वेद से सम्बद्ध प्रकाशित गृह्यसूत्र निम्न हैं -

१। २ शाखायन गृह्यसूत्र

१२। ३ कौशितकि गृह्यसूत्र

१३। ४ आशवलायन गृह्यसूत्र

शांखायन गृह्यसूत्र - शाखायन गृह्यसूत्र ऋग्वेद की शांखायन शाखा से सम्बन्धित है। वर्तमान में शाखायन गृह्यसूत्र में 6 अध्याय हैं। जिनमें से ५वाँ सब छठा अध्याय वाद का माना जाता है क्योंकि शांखायन

गृह्णसूत्र के व्याख्याकार नारायण ने शांखायन गृह्णसूत्र के पाचवें अध्याय को परिशिष्ट कहा है¹।

इस गृह्णसूत्र की रचना सुयज्ञ ने की है। इस सम्बन्ध में ओल्डन-बर्ग ने नारायण की एक कारिका² उद्धृत की है जिसके स्पष्ट होता है कि शांखायन गृह्णसूत्र के रचनाकार सुयज्ञ है।

इसके प्रथम अध्याय में गर्भाधानादि संस्कारों सुवं पार्बणा का वर्णन है। चित्तीय अध्याय में उपनयन एवं ब्रह्मचर्य आश्रम का विवरण है। तृतीय में स्नान, गृहनिर्माण, मृहप्रबेश, बृषोत्सर्ग आग्रहायणी और अठटका का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में श्राद्ध श्रावणी, आश्वयुजी और चैत्री का उल्लेख है। पञ्चम और षष्ठ में प्रायशिचत्तों का वर्णन है।

1. अथ परिशिष्टाख्य प्रचमोऽध्याय आरभ्यते ।

- नारायण की व्याख्या सहित शांखायन
गृह्णसूत्र पृ० 210

2. अत्रारणा प्रदात यदर्थर्यु कुरते कवचित् ।

महं तन्न सुयज्ञस्य मधित सोऽत्र नेच्छति ॥

- स०बु०आ०ई०भाग 29 पृ०-३

कौषितकि गृह्यसूत्र - कौषितकि गृह्यसूत्र ऋग्वेद की कौषीतक शाखा से सम्बन्धित है। प्राय शाखायन और कौषीतक शाखा को एक ही माना जाता रहा है, किन्तु शाखायन शाखा के गृह्यसूत्र के अतिरिक्त कौषीतक शाखा का भी गृह्यसूत्र उपलब्ध है। यद्यपि दोनों के विषय विवेक में समानता मिलती है तथापि दोनों सर्वथा भिन्न हैं।

कौषितकि गृह्यसूत्र में 5 अध्याय हैं। इसके रचयिता शास्त्रभव्य माने गये हैं अतएव इस आधार पर इस गृह्यसूत्र को शास्त्रभव्यगृह्यसूत्र भी कहा जाता है।

आश्वलायन गृह्यसूत्र - ऋग्वेद की आश्वलायन शाखा से स्रावण्ड इस गृह्यसूत्र में चार अध्याय हैं, जिनका विमाजन कई उण्डों में किया गया है।

आश्वलायन इस गृह्यसूत्र के रचयिता माने जाते हैं। परम्परा के अनुसार आश्वलायन, शौनक के शिष्य थे जिन्होंने अन्य रचनाओं के अतिरिक्त प्रथम कल्पसूत्र की रचना की। परन्तु जब आश्वलायन ने सूत्र रचना की तथा शौनक को सुनाया तब शौनक ने अपने सूत्र को नष्ट कर दिया तथा घोषित किया कि उस वैदिक शाखा के शिष्य आश्वलायन

के सूत्र को स्वीकारेगे । ।

उक्त के अतिरिक्त हम आश्वलायन गृह्यसूत्र में नम शौनकाय का त्वा शौनक के मत का उदधरण पाते हैं² ।

उक्त से यह स्पष्ट है कि आश्वलायन, शौनक के शिष्य थे।

आश्वलायन गृह्यसूत्र के पृथम अध्याय में विवाह, पार्वण, पशुयज्ञ चैत्ययज्ञ, गर्भाधानादि लक्षारों का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में श्रावणी, आश्वयुजी, आग्रहाश्चणी, अष्टका, गृहनिमणि और गृह प्रक्षेप का वर्णन है। तृतीय अध्याय में बेदाध्ययन के नियम एवं श्रावणी का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में अन्त्येष्टि और श्राद्ध का विवेचन है। इस पर जपन्तस्वामी, देवस्वामी, नाराश्चण एवं हरदत्त की व्याख्या, बृत्त सब भाष्य है।

1. शौनकस्य त्रु शिष्योऽभूद् भगवानाश्वलायन । स तस्माच्छ्रूत-सर्वज्ञसूत्रं कृत्वा न्यजेयत ॥। प्रबोधपरिशुद्धर्य शौनकस्य प्रियं त्विति । सहस्राष्ट्रं स्वकृतं सूत्रं ब्राह्मण-सन्निभम् ॥। शिष्याश्वलायनप्रीत्यै शौनकेन विष्णाटितम् । उक्तं तत्तद्वकृतं सूत्रमस्य बेदस्य वास्तिवित्तम् ॥। व्यादशाध्यायकं सूत्रं वतुष्कं गृह्यमेव च चितुर्थारण्यकं चेति हयाश्वलायनसूत्रकम् ॥। षड्गुरशिष्यस्य ।

—मैक्षमूलर, दिस्त्री आफ संस्कृत लिटरेचर पृ० 120 मे उद्धृत

2. नोधरेत् पृथमं पात्रं पितृणामव्यंषातितम् । आबृतास्तत्र तिष्ठन्ति पितरं शौनको ब्रवीत् । ।

सामवेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र - सामवेद से सम्बन्धित निम्न ग्रह्यसूत्र

इह समय उपलब्ध है -

१। ३ गोभिलगृह्यसूत्र

२। ४ खंदिर गृह्यसूत्र

३। जैमिनीय गृह्यसूत्र

गोभिलगृह्यसूत्र - सामवेद से सबृद्ध गृह्यसूत्रों में गोभिलगृह्यसूत्र प्रमुख यह सामवेद की कौथुमशाखा से सबृद्ध है । इसमें सामवेद और मन्त्र-ब्राह्मण के ऊँचों के उद्धरण है । इसमें चार प्रपाठक है । पृथम प्रपाठक में ब्रह्मयज्ञ, दर्शपूर्णामासादि आ वर्णन है । द्वितीय में विवाह तथा गर्भाधानादि स्त्रीरों का विवेदन है । तृतीय में ब्रह्मचर्य गोपालन, गोयज्ञ, अश्वयज्ञ, श्रावणी आदि का वर्णन है । चतुर्थ में अष्टका, गैंह निर्माणादि विधियों का वर्णन है ।

खंदिरगृह्यसूत्र - खंदिर गृह्यसूत्र राणाप्रनीय शाखा से सम्बन्ध है । यह गोभिल गृह्यसूत्र से मिलता जुलता है । ओल्डवर्ग के अनुसार यह गोभिल गृह्यसूत्र का अंकित स्त्रीरण छुतीत होता है ।

जैमिनीय गृह्यसूत्र - यह गृह्यसूत्र शामवेद की जैमिनीय शाखा से सम्बद्ध है। यह गृह्यसूत्र दो खण्डों - पूर्व इवं उत्तर में विभक्त है। प्रथम खण्ड में 24 कण्ठिकाये हैं और द्वितीय खण्ड में 9 कण्ठिकाये हैं इसमें शामवेद के अनुसार ही मन्त्रों के उद्धरण हैं। इसे डा० कैलेण्ड ने सुवोधिनी टीका और विस्तृत भूमिका के साथ 1922 में लाहौर से प्रकाशित किया है।

कृष्ण गुरुर्वेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र - कृष्णगुरुर्वेद के नाम गृह्यसूत्र है -

- १।१ बौद्धायन गृह्यसूत्र,
- १२।१ आपस्तम्ब गृह्यसूत्र,
- १३।१ भारव्दाज गृह्यसूत्र,
- १४।१ हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र,
- १५।१ वैर्णानस गृह्यसूत्र,
- १६।१ काठक गृह्यसूत्र,
- १७।१ बाराहगृह्यसूत्र,
- १८।१ मानव गृह्यसूत्र,
- १९।१ बाधूत गृह्यसूत्र,

बौद्धायन गृह्यसूत्र - बौद्धायन गृह्यसूत्र कल्पसूत्र का ही एक भाग है इसमें चार श्लोक हैं, किन्तु वैश्वम भारतीय हिंस्करण से 4 के स्थान पर 9

प्रश्न मिलते हैं। इसके रचयिता बौद्धाघन रुद्धि थे। यह मैसूर गवर्नमेण्ट ऑफिसन-टल लाइब्रेरी संस्कृत सीरिज से, 1920 ई० में गोविन्द स्वामी के भाष्य के साथ प्रकाशित है।

आपस्तम्ब गृह्यसूत्र - आपस्तम्ब उत्पादन का 27वा प्रश्न गृह्यसूत्र है। यह ४ पटलों में विभक्त है तथा इन पटलों के अन्तर्गत २३ उण्ड हैं। आपस्तम्ब गृह्यसूत्र का प्रथम स्त्रास्करण जर्मन विव्दान, विण्टरनित्स ने 1887 में विपना से प्रकाशित कराया। जर्मनी के ही डा० ओल्डेनबर्ग ने सेक्रेट बुक्स आ॒ष दी ईस्ट ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित कराया। हरदत्त की अनाकुला वृत्ति और लुदर्शनावार्य की तात्पर्य दर्शन टीका के साथ 1928 ई० में आपस्तम्ब गृह्यसूत्र का संस्करण चौलम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस में प्रकाशित हुआ।

भारव्दाज गृह्यसूत्र - कृष्णयजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा का गृह्यसूत्र भारव्दाज गृह्यसूत्र है। यह लाइब्रेरी के डा० सातोमन व्दारा 1913ई० में प्रकाशित हुआ। इस गृह्य सूत्र में तीन प्रश्न हैं।

हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र - कृष्ण चर्जुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र भी सम्बन्धित है। हिरण्यकेशी कल्यसूत्र का उन्नीखबाँ और बीखबाँ अध्याय हिरण्यकेशी गृह्यसूत्र है। इसको सत्याबाद गृह्यसूत्र

भी कहते हैं। इसका प्रथम संस्करण डा० क्रिष्णे ने विद्यना से निकाला था और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी सेक्रेट बुक्स आफ दी ईस्ट ग्रन्थमाला में हुआ है एवं मातृदन्त की व्याख्या एवं परिशिष्ट के साथ १८८७ ई० में प्रकाशित हुआ।

बैद्यानन्द गृह्यसूत्र - यह भी तैत्तिरीय शास्त्र से सम्बद्ध है। यह परबर्तीषुग की रचना मानी गई है क्योंकि इस गृह्यसूत्र के अन्तर्गत ऐसे विषयों का समावेश है जो परिशिष्ट के अन्तर्गत आते हैं। डा० कैलेण्डर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया है।

काठक गृह्यसूत्र.— काठक गृह्यसूत्र कठशास्त्र से स्पष्टतत अपना सम्बन्ध रखता है। इसे लौगानिक गृह्यसूत्र भी कहते हैं। इसमें दो प्रकार के विभाग मिलते हैं— एक विभाग के अनुसार इसमें आरम्भ से लेकर अन्त तक ७३ कण्ठिकाएँ हैं, दूसरे प्रकार में इसमें पांच अध्याय हैं। इसी अंचाध्यायी विभाग के कारण इसका लोकप्रिय नाम गृह्य वंचिका है। इसकी तीन टीकाये उपलब्ध हैं। इन तीन टीकाओं के सारांश के साथ डा० कैलेण्डर ने इसका संस्करण लाहौर से प्रकाशित कराया था।

बाराहगृह्यसूत्र — बाराहगृह्यसूत्र मैत्रायणी शास्त्र से सम्बद्ध है। इस गृह्यसूत्र से केवल आधे गृह्यकृत्यों का वर्णन है तथा इसका बहुत

हा तीर्ण मानवगृह्यसूत्र तथा काठक गृह्यसूत्र के सामान है ।

बाधूल गृह्यसूत्र .- बाधूल गृह्यसूत्र का रचयिता अग्निवेश है अत इसे अग्निवेश गृह्यसूत्र भी कहते है यह कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा से सम्बद्ध है । भाषा, शैली और विषय वयन के आधार पर यह अन्य गृह्य सूत्रों से भिन्न है ।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र :- शुक्ल यजुर्वेद का एक मात्र प्रकाशित गृह्यसूत्र पारस्कर गृह्यसूत्र है । यह कातीय गृह्यसूत्र भी कहताता है । इसमें तीन काण्ड हैं । प्रथम काण्ड में आवस्थ्य ऋग्मि का आधान तथा गर्भधारण से आरम्भ कर अनन्त्राशन तक का वर्णन है । द्वितीय काण्ड से चूडाकरप, उपनयन, समाचर्तन, षष्ठ्यमहायज्ञ, श्रवणाकर्म, सीताकर्म का विवरण है । अन्तम काण्ड में श्राद्ध, अवकीर्ण प्राप्तिशिवत्त की विधियों का वर्णन है । इस गृह्यसूत्र की कई व्याख्याप्रे हुई है । इसके बांच व्याख्याकार हैं कर्म, ज्यराम, हीरहर, गदाधर तथा विश्वनाथ पावो भाष्यों के साथ इसका एक संस्करण १९१७ ८० में गुजराती बोले बद्वी से प्रकाशित है ।

अर्धवेद से सम्बन्धित गृह्यसूत्र:- अर्धवेद से सम्बद्ध केवल कौशिक

गृह्यसूत्र उपलब्ध है । यह शौनक शाखा से सम्बद्ध है । इसमें १४ अध्याय है । इस गृह्यसूत्र की दो व्याख्याएँ उपलब्ध होती है ।

जिनके लेखक हारित और केराव है । इसमें प्राचीन काल के जादू की अनेक क्रियाओं का बर्णन है एवं बैधक शास्त्र के विषयों पर भी इस गृह्यसूत्र से छकाश पड़ता है । इसका संस्करण ब्लूमफील्ड ने 1890 में अमेरिका से प्रकाशित कराया । ब्लूमफील्ड के अनुसार यह गृह्यसूत्र दो प्रकार के सूत्रों - गृह्यसूत्रों एवं अर्थसूत्रों का मिश्रण है यह ज्ञान इसके सूत्रों की शैली विषयबस्तु के आधार पर ज्ञात होती है । ।

शुल्ब सूत्र

शुल्बसूत्र कल्पसूत्र का प्रमुख ओग है । शुल्ब शब्द का अर्थ है- रज्जु अर्थात् रज्जु के ढारा माधी गई बैदि की रचना । शुल्बसूत्र का धृतिपाद है । यह भारतीय ज्योतिर्मिति शास्त्र का सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है । शुल्बसूत्रों में ज्योतिर्मिति का सम्पूर्ण विषय रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज बृत्तादि प्रमेय आदि का बर्णन प्राप्त होता है ।

सिद्धान्त की दृष्टिंष्ट से जो प्रत्येक बैदिक शास्त्र का अपना विशिष्ट शुल्बसूत्र होता है, वरन्तु व्यवहारत । ऐसी बात नहीं है सम्भूति केवल युजुर्बेद

से सम्बद्ध शुल्ब सूत्र मिलते हैं ।

शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध केवल कार्याधन शुल्ब सूत्र उपलब्ध है । इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग में लात किणिङ्काएँ और नष्टवे सूत्र हैं । इसमें वेदियों की रचना के लिए आवश्यक रेखा गणितीय तथ्य, वेदियों का स्थानक्रम तथा उनके परिमाण का पूर्ण वर्णन प्राप्त होता है । द्वितीय भाग इलोकात्मक है इसमें 40 या 48 इलोक मिलते हैं । यहाँ नायने वाली रञ्जु का वेदिनिर्माता के गुणों एवं कर्तव्यों का वर्णन है तथा साथ ही प्रथम भाग में वर्णित रचना पद्धति का भी विवरण प्राप्त होता है । इसके ऊपर दो ठीकायें उपलब्ध होती हैं -

३। ३ महीधर ३२३ राम या रामताजपेय

कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध छ. शुल्ब सूत्र उपलब्ध है- बौद्धायन, आषस्तम्ब मानव, मैत्रायणीय, बाराह और वाधूल । इनके अतिरिक्त आषस्तम्ब शुल्ब ३।।/।।। ठीका में कर्णीवन्द स्वामी ने यशक शुल्ब तथा हिरण्यकेशी-शुल्ब का उल्लेख किया है जो आज कल उपलब्ध नहीं है ।

बौद्धायन शुल्ब सूत्र इन उपलब्ध शुल्ब सूत्रों में सबसे बड़ा तथा सम्भवत तब्से वृत्तीन शुल्ब सूत्र है । इसके तीन परिच्छेद हैं । प्रथम परिच्छेद

में । । ६ द्वितीय में ८६ तथा तृतीय में ३२३ सूत्र हैं । इसके प्रथम परिच्छेद में मगलाचरण के अनन्तर शुल्ब में प्रयुक्त विविध मानों, यज्ञवेदियों के निर्माण के लिए रेखागणित सम्बन्धी तथ्य एवं वेदियों के स्थान एवं आकार का वर्णन है । द्वितीय परिच्छेद में ८६ सूत्र हैं, जिनमें वेदियों के निर्माण के नियम एवं मन्त्रों व्यारा निर्मित वेदि के बर्णन प्राप्त होते हैं । तृतीय परिच्छेद में ३२३ सूत्र हैं । इनमें काम्य दृष्टियों के । ७ प्रभेदों के लिए वेदि के निर्माण का विशद विवरण है । डॉ घीबो ने अप्रोजी अनुवाद के साथ इसका प्रकाशन किया है । इसके प्रमुख ठीकाकार व्यारकानाथ यज्ञा एवं बेकटेश्वर दीक्षित हैं ।

आपस्तम्ब शुल्बसूत्र आपस्तम्ब कल्प का अन्तिम और तीसवां प्रश्न है । इसमें ६ घटल, २। अध्याय तथा २२३ सूत्र हैं । प्रथम घटल में वेदियों को रचना के आधारभूत रेखागणितीय सिद्धान्तों का निर्वयन है । द्वितीय घटल में वेदि के क्रमिक स्थान तथा उनके सूत्रों का वर्णन है । अन्त तम चार घटलों में काम्य दृष्टि के लिए आवश्यक विभिन्न वेदियों के आकार प्रकार का विशद विवेचन है । इसके ऊपर- १। ५ कषर्दिस्वामी १२५ करविन्द स्वामी ३५५ रुन्दर-राज ४५ गोपाल की ठीकाये उपलब्ध हैं ।

इसके अतिरिक्त मानव शुल्बसूत्र भी उपलब्ध होता है जो गथ तथा गथ ले मिश्रि त छोटा ग्रन्थ है इसमें अनेक नवीन वेदियों का वर्णन मिलता है जो षूर्वोक्त ग्रन्थों ले नहीं मिलता । इसमें तुष्णि चिति नामक प्रसिद्ध वेदि

का वर्णन है ।

उत्तर के अतिरिक्त मैत्रायणीय और बाराह शुल्ब सूत्र भी प्राप्त होते हैं । मैत्रायणीय शुल्ब सूत्रस्यबाराह शुल्ब सूत्र, मानव शुल्ब सूत्र के ही समान हैं । इनमें विषय की समानता के साथ- साथ इलोक्षन की समानता भी प्राप्त होती है । सम्भवत् कृष्णायजुङ् से सम्बद्ध होने के कारण इन तीनों में समानता है ।

धर्मसूत्र

धर्मसूत्र वैदिक साहित्य के एक महत्वपूर्ण औंग हैं ज्योंकि धर्मसूत्र साम्राजिक जीवन के नियमों, रीति रिवाजों, धार्मिक क्रिया क्रापों आचार विचारों सम्बंधित राजाओं के कर्तव्यों का विवेचन करते हैं । भारतीय कानून के ये आदिग्रन्थ हैं । इनमें बणाश्रमधर्म, यारों बणों के आचार एवं कर्तव्य, प्रजा के साधराजा का व्यवहार, ऋषीशिवत्त विधान, व्यवहारनिस्पत्ता आदि विषयों का विस्तृत विवेचन है । राज्य व्यवस्था कर विधान, दाय भाग, स्त्रीधन, उत्तराधिकार दण्ड व्यवस्था आदि धर्मसूत्रों के मुख्य विषय हैं । इनके अतिरिक्त खानपान की व्यवस्था, आत्मा का स्वरूप, पुनर्जन्म का सिद्धान्त का विवेचन भी धर्मसूत्रों में प्राप्त होता है । लौकिक आचार सम्बंधित व्यवहार की सामग्री भी इसमें वर्णित भाग में है ।

धर्मसूत्रों का रचनाकाल

धर्मसूत्रों के रचनाकाल के सन्दर्भ में विभिन्न मत प्राप्त होते हैं।

कठिपय उल्लेखों से ऐसा प्रतीत होता है कि श्रौत एवं गृह्यसूत्रों से पहले धर्मसूत्र विषयमान थे। श्रौतसूत्र में छज्जोपबीत धारणा की विधि नहीं बतायी गयी है और इसका स्वेच्छा किया गया है कि यह विधि धर्मसूत्र से जात है। इसी प्रकार मुख्यविधि हृत्याचान्तः और सन्ध्यावन्दन के नियमों के जात होने का स्केत्र है। परन्तु ये तर्क निर्बल हैं।

निरुक्त ३/४/५६ से प्रकट होता है कि यास्क से पहले पुत्री के रिक्धाधिकार के ब्रह्मन पर विवाद उत्थन हुए थे। इस सन्दर्भ में यास्क ने वैदिक मन्त्र को ज्वलित किया है और स्क ऐसे इलोक का निर्देश किया है जिसे धर्मशास्त्रीय ग्रन्थों का पहले विषयमान होना स्वष्ट है।

इस तर्क के आलोक से श्रीकाण्ठो ने निष्कर्ष निकाला कि "धर्मशास्त्र यास्क के षूर्व उपस्थित थे, कम से कम ६००-३०० के षूर्व तो बे थे ही और इसा षूर्व की द्वितीय शताब्दी में बे मानव आचार के लिये सबसे बड़े ब्रह्माण माने जाते थे।"²

1. तदेतादृक् इलोकाम्यामभ्युक्तम् । अद्गादिशगात्मभवीति स जीव शरद शतम् ।
अब्लेषेण पुत्राणां दायो भवति धर्मत । मिथुनानां विसर्गदो मनु
स्वायम्भुवोऽब्रवीत् ।

2. धर्मशास्त्र का इतिहास ४० ९

₹०४० 600-300 के पूर्व धर्मशास्त्रों की उपस्थिति इस तर्क से पुष्ट हो जाती है कि धर्मसूत्रों में श्रावीनतम् धर्मसूत्र गौतम, बौधायन एव आषस्तम्ब धर्मसूत्रों में धर्मशास्त्र और धर्मशास्त्रकारों का बहुश उल्लेख हुआ है। उदाहरणार्थ मनु के मत का नामत उल्लेख हुआ है¹। इसी श्रुकार राजा के व्यवहार के साधन बताते रमय कहा गया है कि राजा के व्यवहार के साधन हैं- बेद धर्मशास्त्र, वेदाण, उषवेद और बुराण²।

एवं गौतम ने कई स्तोत्र एवं दूसरे आचार्यों के प्रतों का निर्देश एके एवं आचार्यों कहकर किया है³।

गौतम धर्मसूत्र के अतिरिक्त अन्य धर्मसूत्रों में भी धर्मशास्त्रकारों के उल्लेख श्राप्त होते हैं। आषस्तम्ब धर्मसूत्र में भी कण्ब, काण्ब, कुधिक, कुत्स, कौत्स, बुष्करसादि, बाष्यायिण, श्रेतकेतु, हारीत आदि ऋषियों के नाम आते हैं।

बौधायन ने भी धर्मशास्त्र शब्द का श्रयोग किया है⁴।

1. त्तीणा श्रुभान्यनिर्देशपान्मनु० गो०४०३०० ३/३/७
2. तस्य च व्यवहारो बेदो धर्मशास्त्राराय गा न्युषबेदा बुराणम् गौ०४०३०० २/२/१९
3. गौ०४०३०० १/२/१५, १/३/३५, १/४/१८
4. तदेतद्धर्मशास्त्रं ना भक्ताय ना शुत्राय ना शिष्याय ना लंबत्सरो चिताय दथात् ४/५/९

उक्त के अतिरिक्त वह जलि ने 'धर्मशास्त्र च तथा' संबंधित ने भी बूर्जमीमांसा # ६/७/६ में शुद्धाञ्जा धर्मशास्त्रत्वात् कहकर धर्मशास्त्रों के अस्तित्व को स्वीकारा है ।

उक्त के अतिरिक्त इत्यावीन धर्मसूत्रों गौतम, बौद्धायन संबंधित आषस्तम्ब में अष्टाषणनीय शब्दों का प्रयोग प्राप्त होता है इससे सिध्द होता है कि ये धर्मसूत्र पाणिनि से वूर्जवर्ती थे । पाणिनि का समय छाती वालुदेवशरण अग्रवाल ने छाँगबी शतों ₹०५० के मध्य माना है । आषस्तम्ब धर्मसूत्र संबंधित गौतम धर्मसूत्र में निश्चित स्पष्ट से उनेक वर्णों का अन्तर रहा होगा ऐसा उनमें बर्णित सामाजिक स्थिति के अध्ययन हेतु यता यता है । अतः सब गौतम बौद्धायन इत्यादि धर्मसूत्रों की ऊपरी समय हीमा ८०० ₹० के आस पास रखना जरूरी न होगा ।

बिहारी धर्मसूत्र ने म्लेच्छभाषा के शिक्षण का निषेध किया है- न म्लेच्छभाषा शिक्षेत ६/४। इससे भावित होता है कि यूनानानियों का सम्पर्क जब भारत से हुआ, उस समय वे बिधमान थे। यूनानी भाषा से संस्कृत को श्रेष्ठ ठहराने का प्रयोजन और क्या हो सकता है । इस प्रमाण से इस धर्मशास्त्र का समय ₹०५० ३०० के आस पास रखा जा सकता है ।

याज्ञबलक्य ने 20 धर्मवक्ताओं के नाम दिये हैं। याज्ञबलक्य का समय 100 ईशु 0 से 300 ईशु माना गया है। अतएव धर्मसूत्र की निवली समय सीमा 200 ईशु 0 तक मानी जा सकती है।

गौतम धर्मसूत्र

उष्णवध धर्मसूत्रों में गौतम धर्मसूत्र प्राचीनतम माना जाता है। इसकी प्राचीनता के कई श्रमाण हैं। यद्यपि गौतम धर्मसूत्र में कोई श्रमाण ऐसा प्राप्त नहीं होता कि जिससे उसकी चेतिथि निश्चित की जा सके। अपितु आन्तरिक सबं बाह्य श्रमाणों के आधार पर हम उसकी केवल उपरी सबं निवली समय सीमा ही निर्धारित कर सकते हैं। सर्ववृथम गौतम धर्मसूत्र कारबेदाग बुराण, उष्णनिषद, बेद, बेदान्त आदि से अनभिज्ञ न थे इनका हबाला गौतम धर्मसूत्र में कई जगह मिलता है। यथा "उष्ण निषदो बेदान्तं सर्वच्छन्दः स शहिता मधुन्यघम-
र्णाम्भर्बशिरो रुद्रा बुरुषसूक्त राजतरौहिणो सामनी बृद्धुधन्तरे बुरुषगतिर्षहा-
नाम्यो महाबैराजं महादिवाक्षीर्त्य ज्येष्ठसाम्नामन्यतमद् बीहष्टवमानं कूष्मा-
णडानि वावमान्य सावित्री चेति वावमाननानि" 2 ।

१. मन्बत्रिविष्णुहारीतयाज्ञबलक्योशनोऽहिग्रा ।
यमाहस्तम्बस्तर्ता । कात्यायनबृहस्पती ॥
पराश्ररव्यासशङ्खलिखिता दक्षगौतमौ ।
शातात्मो बीसष्ठिच धर्मशास्त्रशुयोजका ॥

ब्राह्मण का उल्लेख ब्राह्म होता है -

लोकवेदवेदाङ् गवित् ।

वा को वा क्येति हास्यराणकुशल २

अन्य धर्मचार्यों में केवल मनु के मत का उल्लेख महापातकों का वर्णन करते समय गौतम ने किया है ।

" त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्यनु " ३

इसके आधार पर कहा जा सकता है कि गौतम धर्मसूत्र का ब्राह्मण मनुस्मृति के बश्चात् हुआ परन्तु मनुस्मृति के आन्तरिक ब्राह्मण के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में उपलब्ध मनुस्मृति वह मनुस्मृति नहीं है जिसका उल्लेख गौतम ने किया है क्योंकि मनुस्मृति ४३/१५४ में गौतम का उल्लेख किया गया है और उन्हें उत्तम का ब्रुत्र बताया गया है ।

गौतम धर्मसूत्र ४१/४/१७६ में यज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है जिससे वह भासित होता है कि गौतम धर्मसूत्र सिकन्दर के आक्रमण की तिथि अर्थात्

1. गौ०ध०२० १/८/५

2. बही १/८/६

3. बही ३/३/७

326 ई०ष० के बाद की रचना है पर अब यह बात स्वष्ट हो चुकी है कि यबनों से इस देश के लोगों का परिचय 1000 ई०ष० से ही था।

सिकन्दर का आक्रमण 326 ई०ष० से हुआ किन्तु प्लेटे के ४७९ ई०ष० में युध्म में भारतीय कौजे डेरियल की लेना की अंग थी। इतना ही नहीं सिकन्दर के आक्रमण से शताब्दियों बहले आर्यों को शक इतीर्धियन् मद या मदग्रीमी इसै, अस्र या अर्द्ध इतीर्धियन् वारसीक और खल्लब इतीर्धियन् जात थे।

जहाँ तक गौतम के काल का ब्रह्मन है यह विवादास्पद है किन्तु निम्न तर्कों के आधार पर उसके ब्राह्मणन काल का अन्दाज लगाया जा सकता है।

इ। इ। गौतम का सर्वभूम उल्लेख बौधायन धर्मसूत्र में मिलता है। यहाँ तक कि गौतम धर्मसूत्र का उन्नीसवा अध्याय विना परिवर्तित स्वर में बौधायन धर्मसूत्र में मिलता है और दोनों के बहुत से सूत्र एक दूसरे से मिलते जुलते हैं—पथा बौधायन ३/१०

उक्तो बृद्धिर्वश्वाश्वर्थमधर्मश्व ॥१॥
अथ खल्वर्णं पुराणो याप्येन कर्मणा ॥२॥
तत्र ब्राह्मश्वत्तं कुर्वन्न कुर्वादिति ॥३॥
न हि कर्म धीयते इति ॥५॥

गौतम ३/।

उक्तो बृद्धिर्वश्वाश्वर्थमधर्मश्व ।
अथ खल्वर्णं पुराणो याप्येन कर्मणा
तिष्ठते--- ॥२॥
तत्र ब्राह्मश्वत्तं कुर्वन्न कुर्वादिति
मीमांसन्ते ॥३॥
न हि कर्म धीयते इति ॥५॥

इसी त्रिकार बौद्धायन ने गौतम के सूत्रों को ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया तथा समूचा अध्याय उद्घृत कर दिया है। इसके अतिरिक्त बौद्धायन धर्मसूत्र के 1/3/24-34 तक के सूत्रों से भिलते जुलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि बौद्धायन धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र के बाद के समय की रचना है। डा० काणो ने बौद्धायन का समय 500-200 ई०पू० माना है। अत इससे गौतम की नियती समयसीमा निर्धारित होती है।

४२६ बसिष्ठ धर्मसूत्र में भी गौतम धर्मसूत्र से सामग्री ली गयी है जिससे वह अनुशासन किया जाता है कि यह गौतम के बाद की रचना है। बसिष्ठ धर्मसूत्र में दो स्थानों 4/34 एवं 4/36 में गौतम का उल्लेख है एवं गौतम धर्मसूत्र का उन्नीहबाँ अध्याय अल्पविरर्वर्तित रूप में बसिष्ठ धर्मसूत्र में शिलता है। इसके अतिरिक्त बसिष्ठ धर्मसूत्र के कई सूत्र गौतम धर्मसूत्रों में आये हुए सूत्रों के समान हैं। अत बसिष्ठ धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र से बाद की रचना है। बसिष्ठ ने अपने धर्मसूत्र में म्लेच्छ भाषा के शिष्टप का निषेध किया है "न म्लेच्छभाषां शिष्टेत ॥६/४॥" इससे स्पष्ट होता है इस धर्मशास्त्र का समय ई०पू० 300 के आस पास रखा जा सकता है। अतएव उक्त से स्पष्ट है कि गौतम धर्मसूत्र 300 ई०पू० से बहले की रचना है एवं गौतम धर्मसूत्र में कई एक अवाणिनीष रूप आये जाते हैं, जिनका व्याविशात के स्थान पर व्याविशते आया है।

सबं गौतम धर्मसूत्र मे ब्राह्मणवाद वर बुद्ध अभ्यार उनके अनुयायीयों
व्वारा किये गये धार्मिक आशेषों की ओर कोई सकेत नहो मिलता ।

उक्त श्रमाणों से स्पष्ट है कि गौतम धर्मसूत्र ₹०५० 400-600 के बहले
रवा जा चुका था । कुमारिल भट्ट के अनुसार गौतम धर्मसूत्र का सम्बन्ध साम्बेद
से था । । गौतम का साम्बेद से सम्बन्ध आन्तरिक श्रमाणों से भी पुष्ट होता
है । गौतम धर्मसूत्र के अध्याय 26 के सूत्र शब्दशः साम्बेद के साम्बिधान ब्राह्मण
से उद्घृत किये गये हैं सबं गौतम धर्मसूत्र मे १/५२५ मे वाच व्याहृतिया साम से
उद्घृत की गयी है ।

सबं चरणाव्यूह १३/१४ की टीका से पता चलता है कि गौतम साम-
वेद की रापायनीय शाखा के नौ उष्णिभागों मे से एक उष्णिभाग के आचार्य
शाखाकार थे । सबं साम्बेद के गोभिलगृह्यसूत्र ने भी गौतम को श्रमाण स्वरूप
माना है एब साम्बेद के लाट्यायन श्रौतसूत्र तथा द्राह्यायण श्रौतसूत्र १/४/१७,
१/३/१५५ मे गौतम का उल्लेख मिलता है । उक्त श्रमाणों से स्पष्ट है कि
गौतम धर्मसूत्र का साम्बेद के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था ।

गौतम धर्मसूत्र का कई बार विकाशन हुआ है । डॉस्टेनजलर ने इसका
सम्बादन दि इंस्टीट्यूट्स आफ गौतम नाम से लन्दन से 1876 मे किया और
१० तन्त्रबार्तिक इवनारस संस्करण ५ पृ० १७९

कलकर्ता है जी 1876 में आनन्दाश्रम संस्करण जिसकी हरदत्त की टीका है । प्रकाशित हुआ । इसका एक संस्करण बैंगुर से भी निकला जिसमें व्रस्करी का भाष्य है एवं गौतम धर्मसूत्र का औपची अनुबाद व्युहलको मूलिका के साथ सेक्रेड बुक्स आक दी ईस्ट लीरीज की दूसरी जिल्द में प्रकाशित है । । इसके अतिरिक्त कुछ अन्य टीकाकारों का भी उल्लेख बाया जाता है । हारता मे अनिस्थद्द ने जो अद्भुत सागर के लेखक बगराज बल्तालसेन के पुर थे, लिखा है कि असहाय ने गौतम धर्मसूत्र पर एक भाष्य लिखा है एवं याज्ञवल्यस्त्रुति के टीकाकार विश्व रमने भी पहीं बात कही है² ।

बौधायन धर्मसूत्र

बौधायन धर्मसूत्र के रचयिता के विषय मे यह उल्लेखनीय है कि स्वयं इस धर्मसूत्र मे बौधायन के नाम का कई स्थानों पर उल्लेख हुआ है³ । तथा बौधायन धर्मसूत्र मे एक स्थल पर भगवान विशेषण का प्रयोग बौधायन के लिये हुआ है⁴ । एवं एक स्थल पर ४२/९/१४५ कण्ब बौधायन का नामोल्लेख भी हुआ है । इससे स्पष्ट है कि बौधायन धर्मसूत्र की रचना के बहले कण्ब बौधायन नाम

1. काणो- धर्मशास्त्र का इतिहास शू० १०

2. काणो- धर्मशास्त्र का इतिहास शू० ६६

3. बौ०ध०शू० १/५/१३, १/६/१६, ३/५/८

4. बौ०ध०शू० ३/६/२०

के आवार्त हो वुके थे । अतएव धर्मसूत्र में बौधायन के अनेकश. नामोल्लेख होने से
यह भासित होता है कि इस धर्मसूत्र का रचिता कण्ठ बौधायन का वशज था ।
गोविन्द स्वामी ने श्री बौधायन जो काङ्क्षायन कहा है । ।

गौतम धर्मसूत्र के बाद की रचना बौधायन धर्मसूत्र को बाना गया है
क्योंकि इस धर्मसूत्र में दो बार गौतम का नामोल्लेख है । पृथक्त उत्तर और
दक्षिण की बृथाअर्थे के सन्दर्भ में गौतम के इस बत को उद्घृत किया गया है कि
देश में ब्रह्मलन के आधार पर निष्प्रभाणिक नहीं होते² । एव आषत्काल
के सन्दर्भ में गौतम के बत का उल्लेख किया गया है³ । उक्त के आधार पर हम
बौधायन की ऊरी सीमा निर्धारित कर सकते हैं । जहाँ तक नियती समय सीमा
का ब्रह्म है उसका निर्धारण निम्न तर्कों के आधार पर किया जा सकता है ।

बौधायन धर्मसूत्र में बाणिणि के नियमों का परिवालन हर स्थान पर
नहीं किया गया है । स्वं इस सूत्र का ब्रह्माव आपस्तम्ब धर्मसूत्र पर बड़ा है जो
इसके बाद की रचना बानी जाती है स्वं जिसका समय 600 ई० थ० से 300 ई०
थ० बाना जाता है ।

1. बौ०ध०सू० 1/5/13 पर गोविन्द स्वामी की टीका

2. बौ०ध०सू० 1/2/7

3. बौ०ध०सू० 2/5/17

व्यूहतर ने बौधायन धर्मसूत्र को आशस्तम्ब की अपेक्षा लगभग 200 वर्ष पहले का माना है। इस प्रकार सामान्यतः बौधायन धर्मसूत्र का लम्बय 500-200 ई०स० माना गया है।

बौधायन कहाँ के निवासी थे इस सम्बन्ध में भौतिक नहीं है। व्यूहतर¹ ने निम्न तकाँ के आधार वर दक्षिण भारत का माना है।

१। १ बौधायनोप्र ब्राह्मण दक्षिण भारत में पाये जाते हैं।

२। २ बौधायन ने समुद्रयात्रा सब समुद्र व्यापार वर लगने बाले कर का उल्लेख किया है²।

३। ३ बौधायन ने समुद्र लघान को बतनीय कर्म माना है जिन्हें उत्तर के लोग करते हैं³।

ठा० काणो का विचार है कि "बौधायन ने दक्षिणाधय के लोगों को शिश्रित जातियों में दिया है, अत वे दक्षिणी नहीं हो सकते, क्योंकि वे अपने को नीच जाति में बर्यों रखते" परन्तु यह वह सभी चीज़ नहीं है अचितु बौधायन दक्षिण भारतीय थे क्योंकि दक्षिण भारत के अनेक राजाओं ने बौधायनीय शाखा में ब्राह्मणों के नाम कई दान वत्र लिख दिए हैं। इसले बौधायनीयों

1. सेक्रेट बुक्स आफ दी ईस्ट छण्ड 14 षृष्ठ 13

2. बौ०ध०स० 1/18/13

का दीक्षिण मारतीष होना सिध्द होता है एवं बौधाग्न ने तैत्तिरीय आरण्यक के आध्र वाठ का ही उच्योग किया है ।

सर्वप्रथम 1884ई0 में डा० हूल्श ने लिविंग में बौधाग्न धर्मसूत्र प्रकाशित किया । आनन्दाश्रम स्नृति संग्रह । मैदूर संस्करण 1907 में छपा । इस संस्करण में गोविन्द स्वामी की विवरण नामक टीका सम्बिष्ट है एवं इसका अग्रेजी अनुबाद भूमिका के साथ व्यूहलर ने किया है जो सेक्रेट बुक आंक दी ईस्ट सीरिज के भाग 14 में प्रकाशित है ।

हिरण्यकेशि धर्मसूत्र

हिरण्यकेशि धर्मसूत्र हिरण्यकेशि कल्प का 26बाँ एवं 27बा० पृश्न है । आषस्तम्ब धर्मसूत्र से अनेकों सूत्र ज्यों के त्यों हिरण्यकेशि ने अपने धर्मसूत्र में ग्रहण कर लिये है । अत यह स्वतन्त्र सूत्र ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता ।

डा० काणो के अनुसार¹ "हिरण्यकेशियों का सम्बन्ध तैत्तिरीय शाखा के खाण्डिकेय भाग के चरण से है । इनकी शाखा आषस्तरबीय शाखा के बाद की है । चरणाब्दूह के भाष्य में उद्धृत महार्णव के अनुसार हिरण्यकेशी लोग सह्य वर्षत तथा वरशुराम क्षेत्र (अर्थात् कोंकणात्) के निकट के सुदृश्यतट से दीक्षण

षष्ठिकम् दिशा में पाये जाते थे । आज के रत्नागिरि जिले के बहुत से ब्राह्मण अपने को हिरण्यकेशी कहते हैं ।"

परन्तु हिरण्यकेशि सूत्र में दक्षिण भारत के सम्बन्ध में कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है अपितु हिरण्यकेशि गृ०गू० ने सीमन्तोनयन सस्कार के सन्दर्भ में गंगा का उल्लेख किया है ।

बौद्ध धर्मसूत्र

मनु इंब याजवल्यम् ने बौद्ध धर्मसूत्र का धर्म ब्राह्मण ज्ञाना है और स्मृति-कार स्वं टीकाकारों ने बहुधा इस धर्मसूत्र से धर्म के सन्दर्भ में उद्धरण दिये हैं ।

गौतम, बौद्धाधन स्वं आवस्तम्ब की शखला में यह धर्मसूत्र एक बाद की कठी है क्योंकि बौद्ध धर्मसूत्र ने अपने से दूर रखे गये उक्त धर्मसूत्रों से अनेक सामग्रिया ग्रहण की है ।

यह धर्मसूत्र अनेक तत्त्वों का संग्रह है । वैदिक सहिताओं के अलावा ब्राह्मणा आरण्यक उपनिषद् स्वं बेदाह्नगों से उद्धरण लिये हैं एवं व्याकरण, ज्योतिष, आचार एवं व्यवहार का अद्भुत सम्बन्ध इस सूत्रग्रन्थ में है ।

१. सोम एवं नो राजे व्याहुर्ब्रह्मणीः शुभाः ।

बिवृत्तवक्त्रा आसीनास्तीरे तुम्लं गंगे ॥ दिग्ग० २/१/३

कुषारिल के बनानुसार बौद्ध धर्मसूत्र का अध्ययन विशेषत ऋग्वेद
अनुसार
के विद्यार्थी किया करते थे । काणों के मूलत बौद्ध धर्मसूत्र एक स्वतन्त्र रचना
थी कालान्तर में ऋग्वेद के विद्यार्थीयों ने उसको अपना लिया क्योंकि ऋग्वेद के
श्रोत
केवल आशबलाधन एवं गृह्यसूत्र मिलते हैं ।

बौद्ध धर्मसूत्र में गौतम धर्मसूत्र से साक्षात् ली गयी है । इसमें दो
स्थानों 4/34 एवं 4/36 में गौतम धर्मसूत्र का उद्धरण है । इसके अन्तिरिक्षित
गौतम धर्मसूत्र का उन्नीसवाँ अध्याय बौद्ध धर्मसूत्र में बाहसबे अध्याय के रूप
में आता है । इससे यह सिध्द होता है कि बौद्ध धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र से बाद
का है ।

इसी प्रकार बौद्ध धर्मसूत्र आशबलाधन, शाखाधन श्रौतसूत्र एवं वार-
स्कर गृह्यसूत्र के बाद की रचना सिध्द होती है कि ऋणोंकि उक्त रचनाओं के
बहुत से सूत्र बौद्ध धर्मसूत्र में प्राप्त होते हैं ।

एवं बौद्ध ने अपने धर्मसूत्र में म्लेच्छ भाषा के शिष्टण का निषेध
किया है— न म्लेच्छभाषा शिष्टेत ॥6/41॥ इससे जात होता है कि यूनानी आङ्ग-
भण के बाद यूनानियों का सम्बर्क जब भारत से हुआ, उस समय ने बिल्लान घे
अत एव उनका समय ₹०३०० ३०० के आस पास रखा जा सकता है ।

विष्णु धर्मसूत्र

विष्णु धर्मसूत्र में 100 अध्याय हैं। यह धर्मसूत्र वरमदेव व्यारा पृष्ठीत माना गया है जब कि यह बात अन्य धर्मसूत्र के साथ नहीं जायी जाती है। यह धर्मसूत्र यजुर्वेद की कठ शाखा से सम्बन्धित है।

विष्णु धर्मसूत्र का काल निर्धारण अत्यन्त दुर्लभ कार्य। यह महत्वपूर्ण है कि मनुस्मृति और इस धर्मसूत्र में 160 स्पति बिल्कुल समान हैं। इसलिए कुछ विवरण यह मानते हैं कि मनुस्मृति से अनेक उदधरण विष्णु ने लिये हैं। इसी प्रकार विष्णु धर्मसूत्र के बहुत से सूत्र याज्ञवल्क्यस्मृति के समान हैं। इस सम्बन्ध में ३० जाती का भ्रत है कि विष्णु से याज्ञवल्क्य ने शरीर विज्ञान सीखा, किन्तु सच्चाई यह है कि वरक एवं सुश्रुत वहले ही शरीर शास्त्र पर अवना ग्रन्थ लिख दिये थे। सम्भव हो सकता है इन दोनों ने वरक एवं सुश्रुत सहिता से शरीर विज्ञान सम्बन्धी सूत्र उद्घृत किये हों। बस्तुत यह मनु एवं याज्ञवल्क्य के बाद की रचना है क्योंकि विष्णु धर्मसूत्र के बहुत से अध्याय यथा तृतोऽस्त्र एवं चतुर्थ से मनु एवं याज्ञवल्क्य से प्रियते प्रियदान्त के सूत्र निकाल दिये जायें तो विष्णु धर्मसूत्र के इन अध्यायों में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं रह जायेगी।

विष्णु धर्मसूत्र की वैज्ञानिक नामक टीका जिसके लेखक नन्द बीणिडत है एकमात्र ज्ञात टीका है। भरन्तु काणो ने भ्रत व्यक्त किया है कि कदाचित्

को बातें सरस्यती इतिहास ने कई बार उधृत की है । ।

अन्य लघु धर्मसूत्र

१। हारीत धर्मसूत्र - धर्मसूत्रों की पद्मपरा में हारीत का नाम प्रमुख धर्मशास्त्र-कारों के साथ आदर घूर्वक लिया जाता है । बौधायन, आषस्तम्ब सब वैसिंठ औरे लक्रकारों ने भी हारीत के सूत्रों को प्रमाण स्वरूप उद्दृतिकिया है २ ।

तारोत धर्मसूत्र पूरा नहीं प्राप्त है फिर भी इसकी प्राची-नता एवं विशिष्टता का अभास इससे भी ल जाता है । कुमारिता ने तन्त्र-बार्दिद वे गौतम के साथ हारीत की गणना की है । इससे लगता है कि यह प्रमुख धर्मसूत्र रहा होगा ।

हारीत धर्मसूत्र में कफेल्ल नामक कश्मीरी शब्द आया है जिस आधार पर हारीत को कश्मीरवासी माना जाता है ३ । डा० षी०बी०काण्डे ने अपने धर्मशास्त्र के इतिहास में लिखा है कि एक हस्तलिखित प्रति हारीत धर्मसूत्र की

1. काण्डे- धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 30

2. धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 25

3. वालझृप्यट -नालिका-गौतीक-शिगु-सुलुक-बार्ताक-भूस्तुण-कफेल्ल भाष-मसूर-कुतलबणानि च श्र अ॒दे न दथात् इहारीतइह वर हेत्रादि का वर्णन है-कफेल्ल

नासिक निलामी स्वर्गो बाभनशास्त्री इस्तापुरकर को मिली थी जो अभी तक
उकाश में नहाँ आई है ।

हारीत को कृष्ण यजुर्वेद का सूत्रकार माना जाता है, किन्तु
उन्होंने सभी वेदों से उद्दरण लिये हैं । इससे ज्ञात होता है कि वे विष्वी
एक वेद से सम्बन्धित नहीं थे ।

हारीत धर्मसूत्र में गध के अनुष्टुप् एव त्रिष्टुप् छन्द का प्रयोग है ।
इसका रचनाकाल 500 ई० दू० से 300 ई० दू० माना गया है ।

बैखानक धर्मप्रश्न

महादेव ने सत्याबाद-श्रौतसूत्र पर लिखित अपनी बैज्यन्ती नामक
व्याख्या में कृष्ण यजुर्वेद के ४० श्रौतसूत्रों के अन्तर्गत बैखानक की चर्चा की है।
अन्य धर्मसूत्रों में बैखानक शब्द बान्धुस्थ के लिए आया है² । किन्तु यतु के

1. डा० काणे धर्मशास्त्र का इतिहास पृष्ठ 25

2. ब्रह्मचारी गृहस्थोऽभिखानक ५३०८०८० ३/२/१६

अनुसार बैखानक वह है जो बैखानक शास्त्र का नाने वाला हो। इस धर्मसूत्र में तीन प्रश्न हैं एवं 4। अध्याय हैं। प्रथम प्रश्न में चारों वर्णों, चारों आश्रम और ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ के कर्तव्य विषय हैं। दूसरे प्रश्न में वानप्रस्थ आश्रम का विस्तार वूर्बक वर्णन है। तीसरे प्रश्न में गृहस्थ एवं सन्यासी के जात्यार नियम विषय होते हैं।

उक्त धर्मसूत्रों के अद्वितीयता अत्रि, उशना, कण्ठ एवं काण्ठ, कश्यप, गार्घ्य, च्यवन, जातकर्णी, देवत, ऐठनसि, बुध, बृहस्पति, भरव्याज एवं शात्रात्र के धर्म सूत्रकार के रूप में उल्लेख छाप्त होता है।

१. बैखानकते स्थित । शु 6/2।

ॐ विद्वतीय अध्याय
व्यक्तित्वं एवं कर्तृत्वं

त्रिंदीय अध्याय

आषस्तम्ब धर्मसूत्र का सम्बन्ध कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाड़ा से है। आषस्तम्बीय कल्पसूत्रों के समग्र सकलन में तीक्ष्ण प्रश्न है। प्रश्न । से 24 तक श्रौतसूत्र, प्रश्न 25 में परिभाषा। प्रश्न 26 में गृह्यसूत्र के मन्त्र प्रश्न 27 में गृह्यसूत्र एवं प्रश्न 28-29 में धर्मसूत्र एवं प्रश्न 30 में शूलसूत्र है।

शूल यजुर्वेद से सम्बद्ध चरणाव्यूह के अनुसार आषस्तम्ब शाखा खाणिङ्कीय शाखा वी वाच शाखाओं में से एक थी -तत्र खाणिङ्केया नाम षष्ठ्यमेदा भवन्ति कालेता, हैरण्यकेशी, भारच्छाजी, आषस्तम्बी चृचरण व्यूह है।

अब आषस्तम्ब धर्मसूत्र पर विवार करने से पहले यह प्रश्न उठता है कि क्या आषस्तम्ब के नाम से उल्लिख्य श्रौत, गृह्य तथा धर्मसूत्रों का रचयिता एक ही व्यक्ति है। इस विषेष पर वाश्चात्य लेखकों ने भ्रष्ट सब भ्रामक कथनायें की हैं जो गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र एवं धर्मसूत्र आदि के रचयिताओं को घृणक - घृणक आचार्य जानते थे। उनके मत में आषस्तम्बाचार्य, सम्पूर्ण कल्पसूत्र के रचयिता नहीं हैं। वश्चात्यों के ये मत श्रद्धेय सबं विश्वसनीय नहीं हैं। अधिकु आषस्तम्ब सम्पूर्ण कल्प के रचयिता हैं। इसकी गुणित में निम्न तर्क

दिये जा सकते हैं -

॥१९॥ गृह्यसूत्रो में सामान्यत आने वाले अनेक विषय जापस्तम्ब
गृह्यसूत्र में संश्लिष्ट रूप से आये हैं एवं अनेक विषयों को छोड़ दिया गया है ।

॥२४॥ धर्मसूत्र में अनेक स्थलों पर यथोक्तव्, यथोक्तवेशम्, यथाभुरस्तात्
आदि शब्दों का प्रयोग गृह्यसूत्र को सन्दर्भित करता है ।

।०॥१॥ अग्निविध्वा वरिसत्त्वं लभिध आदध्यात्त्वायप्रातर्पथोवदेशम्

- आठ०स० १/१५/१६

॥२॥ उभयत वरिष्वेचनं यथा बुरस्तात्

- आठ०स० २/२/३/१७

॥३॥ सत्रावृत्तं चेदाचार्योऽभ्यागच्छेत्तवनिमुखोऽभ्यागम्य तस्योषसङ् गृह्य न

बीभत्तवान उदकमुषस्मृशेत् बुरस्कृत्वोषस्थाप्य यथोवदेश बूजते

- आठ०स० २/२/५/४

॥४॥ अपाप्नुदाहरन्त

- आठ०स० २/७/१७/७

३५ इसी कारण गृह्यसूत्र, धर्मसूत्र को अनेक स्थलों पर सन्दर्भित करता है। यथा मासिक श्राद्ध के सम्बन्ध में गृह्यसूत्र ४८/२१/११ में आया है— "मासिक श्राद्धस्यावरमध्ये यथोद्देश काला ॥" अर्थात् मासिक श्राद्धकर्म के लिए उत्तराखण्ड में जैसा विधान किया गया है उसके अनुसार समय होता है। अर्तु गृह्यसूत्र में मासिक श्राद्ध के विधान का कोई उल्लेख नहीं मिलता अपितु धर्मसूत्र ४२/७/१६/४-२२ में उक्त कथित मासिक श्राद्धकर्म के सम्बन्ध में विस्तृत विधान मिलता है।

३६ गृह्यसूत्र तथा आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक सूत्र अध्यरशा एक है यथा आषस्तम्ब धर्मसूत्र ४१/१/२/३८ में ब्रह्मचारी के दण्ड का वर्णन "वालाशो दण्डो ब्राह्मणस्य नैयग्रोधस्कन्धजोडबाह्यग्रो राजन्यस्य बादर औदुम्बरो वा बैश्यम्य बहक्षो दण्ड इत्यबर्णशिंयोगेनैक उषदिशन्ति ॥" मिलता है। यह सूत्र आषस्तम्ब गृह्यसूत्र में अध्यरशा, वर्णित है। इसों कारण आषस्तम्ब धर्मसूत्र के अनेक सूत्र ४१/१/१/८, १/१/४/१४ का आषस्तम्ब गृह्य सूत्र के सूत्रों से हान्त है।

३७ आषस्तम्ब ने अपने गृह्यसूत्र में उच्चनष्टन के सम्बन्ध में केवल मुख्य मुख्य बातें कहीं हैं जब कि उच्चनष्टन गृह्यसूत्रों का एक मुख्य वर्ष्य विषय है।

परन्तु आषस्तम्ब अद्वे धर्मसूत्र में उक्तव्यन की विस्तृत विवेकना प्रस्तुत करते हैं ।

४६५ इसी प्रकार श्रौतसूत्रों सबं धर्मसूत्र में भी अनेक समानता है ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र २/२/५/१७ सब आषस्तम्ब श्रौतसूत्र ८/४/६ अधिरश्च एक है ।

अतएव उक्त तर्कों के आधार पर यह बधन कि सम्पूर्ण आषस्तम्ब कल्प के रचयिता एक ही व्यक्ति है अहंगत न होगा ।

आषस्तम्बधर्मसूत्र का काल - आषस्तम्ब सूत्र का बास्तीवक काल निष्ठा एक दुर्लभ कार्ब है परन्तु हम उसकी ऊपरी सबं नितली समय सीमा निर्धारित कर सकते हैं । आषस्तम्ब के समय निर्धारण में निम्न तर्क प्रस्तुत है जिनवे आलोक में एक छोटी समय सीमा निर्धारित की जा सकती है ।

४।५ आषस्तम्ब, गौतम धर्मसूत्र के बाद की रचना है । ऐसा आषस्तम्ब के आन्तरिक साक्षर से स्वच्छ है । वर्धीष आषस्तम्ब ने गौतम का चाहत उल्लेख नहीं किया है तथाच गौतम के भूत की ओर संकेत कई स्थानों पर किया गया है वथा गौतम धर्मसूत्र ४/२/१५ में कहा गया है "प्रागुक्तवात्कामवार कामवादः कामभक्षः ।" किन्तु आषस्तम्ब इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि "श्रुतिर्हि बलीवस्वानुषानिकदाचारात्" इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब धर्मसूत्र के

कई सूत्र गौतम धर्मसूत्र से शिलते जुलते हैं यथा—

आषस्तम्ब धर्मसूत्र

(गौतम धर्मसूत्र)

काषायायौ चैके वस्त्रमुषदिशन्ति ॥

काषायमच्यैके ॥

- 1/1/2/41

- 1/2/19

दृष्टो धर्मव्यतिक्रमसाहस च पूर्वभाष ॥

दृष्टो धर्मव्यतिक्रम साहसं चमहताम् ।

- 2/6/13/7

- 1/1/3

बत्सतन्तीं च नोषरि गच्छेत् ॥

नोषरि बत्सतन्तों गच्छेत् ॥

- 1/11/31/15

- 1/9/52

ज्वलितां वा सूर्य वरिष्ठबज्य समाप्नुयात् ॥ सूर्या वा श्रूत्येऽज्ज्वलन्तीम् ॥

- 1/9/24/2

- 2/5/9

अतएव गौतम धर्मसूत्र के बाद की रचना आषस्तम्ब धर्मसूत्र है गौतम धर्मसूत्र का रचना काल 600-400 ई०पू० ज्ञाना जाता है¹ ।

इसी प्रकार बौधाग्न धर्मसूत्र भी आषस्तम्ब से पूर्ववर्ती है इसका ज्ञाना यह है कि आषस्तम्ब ने बौधाग्न के कई अतों की आलोचना की

1. डॉकाणे- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग । पृ० 13

है एवं आषस्तम्ब व्यारा उष्णिदिष्ट विवार बौद्धायन ने लिंगारों की अषेषा
अर्वाचीन और विकसित हैं। उदाहरणार्थ शुत्र के उत्तराधिकार के विषय में
बौद्धायन ने जो भृत व्यक्त किये हैं उसकी आलोचना आषस्तम्ब ने की है नियोग
के सम्बन्ध में भी आषस्तम्ब का भृत बौद्धायन ली अषेषा विकसित है क्योंकि
बौद्धायन नियोग की अनुमति देते हैं।। परन्तु आषस्तम्ब इस पृथा का विरोध
करते हैं।

एवं आषस्तम्ब धर्मशूत्र एवं बौद्धायन धर्मशूत्र के अनेक शूत्रों में समानता
है।

नाप्सु श्लघ्नानस्सनावात्- बौ०४०३००- १/२/३/४०

नाप्सुश्लाघ्नान् स्नायाधिदि स्नायाददण्डवत् प्लबेत्॥

- आ०४०३०० १/१/२/३०

क्रिष्णेवदिति हारीतो दधिधानीसधर्मा. स्त्रियस्स्वर्यो हि

दधिधान्यामहायत य आतच्च नन्यति न तच्छष्टा

धर्मकृत्वोऽव्युष-योजवन्ति॥ बौ०४०३०० २*१/२/११

क्रिष्णेतदिति हारीतो। दधिधानीसधर्मा स्त्रीभवति ॥

-आ०४०३०० १/१/२९/१३-१३

अतएव बौद्धायन धर्मसूत्र के बाद की रचना आपस्तम्ब धर्मसूत्र है ।

डा०काणो ने बौद्धायन धर्मसूत्र का समय 500 ई०पू० से 200 ई० पू० माना है ।

आपस्तम्ब पूर्वमीमांसासूत्र से परिचित थे । मीमांस के बहुत से पारिभाषिक शब्द एवं सिध्दान्त इस धर्मसूत्र में पाये जाते हैं अतएव पूर्व मीमांसा आपस्तम्ब धर्मसूत्र से पहले की रचना है ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक अपाणानीय प्रयोग प्राप्त होते हैं त्रिपा पाणिनि के विदादि गणपाठ ५४/१/१०४३ में आपस्तम्ब का नामोल्लेख प्राप्त होता है जिसके आधार पर यह मत प्रमाणित होता है कि आपस्तम्ब वाणिनि से पूर्ववर्ती थे । पाणिनि का समय डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाचवीं शताब्दी ई०पू० के मध्य माना है इससे यह स्पष्ट है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र 500 ई०पू० के पूर्व अस्तित्व में था ।

एवं आपस्तम्ब धर्मसूत्र में इवेतकेतु का उल्लेख अबरा के उदाहरण के स्थ में किया गया है² । इससे प्रतीत होता है कि वे आपस्तम्ब से बहुत

1. डा० काणो धर्मशास्त्र का इतिहास पृ० 16

2. तस्मादृष्ट्यो वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात् । यथा इवेतकेतु ॥

पहले के नहो है ।

भारत ने अस्तिरिक्त आषस्तम्ब धर्मसूत्र में बौद्धधर्म का कोई उल्लेख नहो प्राप्त होता है । अत इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना असुविधा नहीं होगा जि यह भारत में बौद्ध धर्म का परिवर्त्तन होने से पूर्व की रचना है ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में यज्ञो, कम्बोजो, शकों वहतवा आदे गुणों जाक्षणा के बाद, भारत के सम्बर्क में आने वाली जातियों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । इससे यह निष्कर्ष निकालना समीचीन होगा कि यह 300 ई० ई० से पहले की रचना है ।

याज्ञबल्क्यस्मृति ४।१/४५ में आषस्तम्ब को धर्मशास्त्रकारों में गिनाया गया है । याज्ञबल्क्यस्मृति की एवीय सोमा चिदतीष शत्राव्दी ३००० वर्षों की गयी है ।

अतएव उक्त चिदेचन के आधार पर आषस्तम्ब धर्मसूत्र की सम्बलीया

१. डॉलक्ष्मी दत्त ठाकुर प्रमुख स्मृतियों का अध्ययन- ३० 32

600 ई० बू० से 300 ई० बानना असंगत नहो होगा ।

आपस्तम्ब का जन्मस्थान.— जन्मस्थान के सम्बन्ध में वर्तीय नहों हे । ब्रूहत्तर ने आपस्तम्ब जो आँधृदेशीय माना हे । इस लक्ष्म के प्रवाण मे वे निम्न तर्क देते हे —

१। ३ चरजात्यूह में महार्जब नाम की रचना से उद्गृत वधौ के अनुसार आपस्तम्ब शाङ्का नर्दा के दक्षिण मे व्रचिति थी—

नर्दादक्षिणो भागे आपस्तम्बाशबनानी ।

राणाप्तिनी विष्णु च प्रशकन्यादिभागिन ॥

माध्यन्दिनी शाह. ऊयनी कौपुमी शौनकी तथा ।

उक्त के अतिरिक्त महार्जब मे आपस्तम्बीय शाङ्का को स्पष्टत आँधृदेशोघ बताणा गया हे —

आन्ध्रादिदीक्षिणा गेषीगोदासागर आवधि ।

यजुर्वेदस्तु तैत्तिर्या आपस्तम्बी व्रतिष्ठिता ॥

४२५ आषस्तम्ब के धर्मसूत्र में¹ श्राद्ध के प्रकरण में व्राह्मणों के हाथ में जल गिराने वी पृथा उत्तर के लोगों ने प्रवत्तित है, कहा गया है ।

परन्तु उक्त तकों के आधार वर आषस्तम्ब का आन्ध्रदेशीय होना सिद्ध नहीं होता है अपितु तन्त्रकाता में आन्ध्र जनघट में आषस्तम्ब शाढ़ा प्रवत्तित थी केवल यही त्र्य प्रहार्णव से ज्ञात होता है ।

जहा तक उदीय शब्द का व्यूत्त है व्यूत्तहर ने इसका अर्थ नर्वदा के उत्तर के स्थ ऐं किया है परन्तु इसका कोई सबल व्राह्मण नहीं है । अपितु अमरकोशकार ४२/१६-७४ के अनुसार उदीय भूमि शराबतों नदी के उत्तर पश्चिम में स्थित थी । इसन्नी पुष्टि काशिका वृत्ति से भी होती है² ।

१. उदी वृत्तिस्त्वासनगतानां हस्तेषुदमात्रानवन् ॥

- आ०ध०४०४० २/७/१७/१७

२. प्रागुदं वौ बिभजते हंस श्वीरोदके यथा ।

विदुषां शब्दसिद्धर्थ सा न पातु शराबती ॥

-का०व० १/१/७५

इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शराबती के आधार पर उदीच्य शब्द का अर्थ निर्धारण किया जा सकता है । डा० जासुदेव शरण अग्रबाल ने शराबती का तादात्म्य दृष्टव्यती के साथ किया है जो आजकल दग्धर या चित्ताग नदी हो सकती है जो बजाब के अंतराला जिले से बहती है ।

अतएव यह कहना कि आपस्तम्ब आधुरेशोध थे सगत नहीं है अवितु आपस्तम्ब गृह्यसूत्र से यह ज्ञात होता है कि आपस्तम्ब का जन्म स्थान तुगन्धर जन्मद था यद्योऽपि गृह्य सूत्र में आपस्तम्ब ने निम्न इतोक इटा है -

यौगन्धरिरित्पेब नो राजा शाल्बी रबादिषु ।

निवृत्तचक्रा आसीनास्तीरेण यशुनेतब ॥

अर्थात् हे यशुने । यौगन्धरि हमारा राजा है, ऐसा गीत बिशाल श्वेत्र इचक्रै बाली शाल्बीस्त्रया यशुना के तट पर बैठकर गाती थी ।

प्राचीनकाल में शाल्ब जन्मद के 6 अब्यव थे² उदरबुर, तिलखल बद्रकार तुगन्धर, भूलिंग और झरदण्ड ।

1. डा० अग्रबाल जापिनिकालीन भारतवर्ष पृ० 32

2. उद्मवरास्त्रलखला बद्रकारा तुगन्धरा । * काशिका 4/1/173

महाभारत से विदित होता है कि युगन्धर श्रेष्ठ राज्य था और उन्होंने बाणव्यवध के साथ युद्ध में भाग लिया था । वैगस्थनीज् ने युगन्धर का गन्दरितन नाम से उल्लेख किया है जो भद्रकारो इषारिभद्रक = वासिबोध्राण् के साथी थे । इन्हीं द्रुभद्रक या वरिभद्रक जनवद में किसी वन्दुकेतु राजा के घरां वैगस्थनीज रहा था । युगन्धरों ने द्रुभद्रकों के साथ विकन्दर से युद्ध किया था । ये सभी बर्तवान वजाब और हरियाणा द्रुदेश के अन्तर्गत हैं ।

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि आषस्तम्ब का सम्बन्ध उत्तर भारत से था न कि आध्र द्रुदेश से ।

1. द्रष्टव्य- भारतवर्ष का बहूद इतिहास भाग 2 पृ० 182

तथा वाणिनिरालीन भारतवर्ष पृ० 71-74

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के उपलब्ध संस्करण :-

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र के दो संस्करण उपलब्ध हैं एक ब्यूहतर व्दारा
सेक्युड ब्रूस आँफ दी ईस्ट भाग 2 में अग्रेजी अनुवाद के साथ तथा दूसरा हरदत्त
की उज्ज्बला बृत्ति के साथ बनारस संस्कारित है। दोनों के सूत्रों की संख्या
में अनेक कठिनाइयाँ और विभेद हैं। तथा -

पृष्ठ-।

कठिनाइया संख्या	व्यूहतर सूत्र सं०	बनारस संस्करण सूत्र सं०
1	36	37
2	41	41
3	45	45
4	29	29
5	26	26
6	38	37
7	31	31
8	30	31
9	28	28

<u>कपिंडका</u> <u>रु०</u>	<u>व्यूलहर</u> <u>रु० रु०</u>	<u>बनारस सस्करण</u> <u>रु० रु०</u>
10	30	30
11	38	34
12	15	15
13	22	22
14	31	28
15	26	23
16	33	33
17	39	39
18	33	33
19	15	15
20	16	16
21	20	20
22	8	8
23	6	14
24	25	26
25	13	14
26	14	15

कपिडका	ब्यूलहर	बनारस संस्करण
ल०	ल०० ल०	ल०० ल०
27	11	11
28	21	21
29	18	18
30	23	26
31	23	27
32	29	29

त्रृश्न-2

1	23	23
2	9	11
3	23	23
4	27	28
5	19	18
6	20	20
7	17	17
8	24	14
9	13	13

<u>क्षिण्डका</u>	<u>व्यूलहर</u>	<u>बनारस सस्करण</u>
<u>₹०</u>	<u>₹०८०</u>	<u>₹०८०</u>
10	16	17
11	20	20
12	23	23
13	12	12
14	20	20
15	25	25
16	28	27
17	25	24
18	19	20
19	20	16
20	23	23
21	21	20
22	24	24
23	12	12
24	14	17
25	15	15

कण्ठका स०	बूतहर स०	बनारस स्करण स०
26	24	24
27	21	21
28	13	14
29	15	16

इस प्रकार हम देखते हैं कि 35 कण्ठकाओं में सूत्र संख्या वे कोई अन्तर नहीं है जब कि 26 कण्ठकाओं में सूत्र संख्या भिन्न है ।

— — —

कण्ठका त०	बूलहर त०	बनारस स्करण त०
26	24	24
27	21	21
28	13	14
29	15	16

इह प्रकार हम देखते हैं कि 35 कण्ठकाओं में सूत्र संख्या में काई अन्तर नहीं है जब कि 26 कण्ठकाओं में सूत्र संख्या भिन्न है।

— — —

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में सूत्रों का बुनरावृत्ति -

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अधोलिखित सूत्रों की बुनरावृत्ति हुई है ।

<u>सूत्र</u>	<u>बुनरावृत्ति सू०स०के रूप में</u>
अथाऽध्याप्य ॥ १/१/१/३१	१/१/२/५
श्रोष्य च सनागमे ॥ १/२/५/१४	१/४/१४/८
मनसा चाऽनध्याये ॥ १/२/५/२५	१/३/११/२४
स्वैरिकर्मसु च ॥ १/२/८/४	१/३/११/१०
तच्छास्त्रैर्बिष्णुतीष्ठदग् ॥ १/४/१३/२१	२/६/१४/१०
किञ्चिरित्येके ॥ १/५/१६/४	१/५/१६/६
यच्चाऽन्यत वरिचक्षतो ॥ १/५/१७/२७	१/११/३२/२९
नाऽत्थन्तमन्बवस्थेत ॥ १/६/१८/७	१/७/२१/३
एवमुभौलोकानभिजयति ॥ १/७/२०/९	२/८/२०/२३
क्षिञ्चैतदिति हारीत ॥ १/१०/२८/१६	१/१०/२९/१२
अतएव ब्रह्मर्यावान् वृच्छेति ॥ २/९/२१/८	२/९/२१/१९
ततोऽमूलै ष्टै षणैस्तृणैरिति वर्त रेत ॥ अन्नत. ब्रृबृत्तानि ॥ २/९/२२/२-५	२/९/२३/२
ततोऽमो बामुमाकाशमित्वमिनिश्चयेत ॥ तेषामुत्तर उत्तरस्संयोगः ष्टतो विशिष्ट ॥	

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में उद्घृत एव उल्लिखित साहित्य .- आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पूर्ववर्ती व्यापक साहित्य के उल्लेख या उध्दरण मिलते हैं । यद्यपि शूग्वेद और सामवेद से उद्घृत मन्त्रों की स्थ्या अत्यत्य है तथापि सभी वेदों के मन्त्र इस धर्म सूत्र में उद्घृत या निर्दिष्ट हैं । जहाँ तक शूग्वेद एवं सामवेद के उध्दरणों का सम्बन्ध है निम्न उदाहरण दृष्टव्य है :-

सप्तमिः पावमानीभिर्दयान्ति यच्च दूरक् इत्येताभिर्यजुष्पवित्रेण
सामपवित्रेणाऽऽहि. परसेनेति ॥

त्रिमधुस्त्रसुपणा इत्याचेतश्चतुर्मधं प चाग्रिग्येष्ठसामिको
वेदाध्याध्यनूवानषुत्र. श्रोत्रिय इत्येते श्राद्धे भुञ्जाना .

यह कितापाकना भवन्ति ॥²

अर्केद का आर्थर्वण वेद नाम से उल्लेख है-

आर्थर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युष्पदिशन्ति ॥³

1. अ०ध००३० 1/1/2/2

2. वही 2/7/17/22

3. वही 2/11/29/12

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब के तैत्तिरीयचरण का आवार्य होने के कारण, तैत्तिरीय संहिता के अनेक मन्त्रों को आपस्तम्ब ने उद्घृत किया है। यथा-आपस्तम्ब धर्म के सूत्र 1/2/2/2, 2/6/14/11, 1/9/26/7 क्रमशः तैत्तिरीय संहिता के सूत्र 1/2/1, 3/9/4, 2/5/2 पर आधारित है।

तैत्तिरीय ब्राह्मण और आरण्यक के मन्त्रों को भी उद्घृत किया गया है। यथा 2/2/3/16, 2/2/4/1-9।

वाजसनेयचरण आपस्तम्ब का प्रतिबद्धन्दी था, अत आपस्तम्ब ने वाजसनेयों के मतों के उधरण दिए हैं। वाजसनेयी ब्राह्मण का निम्न उधरण दृष्टव्य है— अपापि वाजसनेयिब्राह्मणम् ब्रम्हयज्ञो ह वा एष यत्स्वाध्यायस्त-
स्यैते वषट्कारा यत्स्तनयति यद्धिदयोतते यदवस्फूर्जति यद्दातो
वायति । तस्मात् स्तनयति विद्योतमानेऽवस्फूर्जति वाते वा
वायत्यधीयीतैव वषट्काराणामच्छम्बद्कारायेति¹ ॥

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में उषनिषदों का भी उल्लेख प्राप्त होता है—
सर्वविद्यानामप्युपनिषदामुष्टाकृत्या नध्यपनं तदहृ² ॥

1. आ०ध०सू० 1/4/12/3

2 वही 2/2/5/1

आपस्तम्ब ने निम्न आचार्यों का अपने धर्मसूत्र में स्मरण किया है- काण्व ॥1/6/19/7॥, कण्व ॥1/6/19/3॥, कुत्स ॥1/6/19/7॥, कौत्स ॥1/6/19/4॥, पुष्करसदि ॥1/10/28/1॥, 1/6/19/7 ॥, वाच्यर्थिणी ॥1/6/19/5॥, हारीत ॥1/4/14/11॥, इवेतकेतु ॥1/2/5/6॥, मनु ॥2/6/14/11॥, प्रजापति ॥2/10/24/7॥ ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में निम्न ग्रन्थों का भी उल्लेख प्राप्त होता है- ब्राह्मण ॥1/2/7/7, 1/2/7/11, 1/3/10/8, 1/4/12/1, 1/4/12/13, 1/5/17/28, 1/6/18/26, 1/7/20/11, 2/7/17/11, 2/3/7/11, 2/3/7/15, 2/6/13/5॥, पुराण ॥1/6/19/13, 1/10/29/7, 2/9/22/24, 2/9/23/3॥, भविष्यत्पुराण का नामता उल्लेख है और उसके इलाके धर्म सूत्र ॥2/9/24/6॥ में उदाहृत है-

अथ पुराणे इलाकालुदाहरति-

अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजानेष्विर ऋषयः।

दक्षिणोना र्यम्णः पन्थानं ते इमशानानिभेजिरे ।

अष्टाशीतिसहस्राणि ये प्रजा नेष्विर ऋषय ।।

उत्तरेणाऽर्यम्णः पन्थानं तेऽमृतत्वं हि कल्पते ॥

"बुनस्सर्गं बीजार्था भवन्तीति भविष्यत्पुराणे"

इसी प्रकार उपनिषदों का भी उल्लेख इस सूत्र में मिलता है-

"सर्वविद्यानामप्युपनिषद्मुपाकृत्या नध्ययनं तदह " २/२/५/। अध्यात्मपटल की अधिकाँश सामग्री उपनिषदों से गृहीत है । और वेद के छः अङ्गों के विषय में भी आषस्तम्ब को निश्चित रूप से ज्ञान है २/४/८/।१०-।। "बड़हङ्गो वेद ।" "छन्दःकत्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं शीक्षा छन्दोविचितिरिति" ।

इसके अतिरिक्त निम्न पथ महाभारत, अनुशासनपर्व का आषस्तम्ब ने धर्मसूत्र ४/२/७/८/ में ऊढ़ाहृत किया है-

सम्भोजनी नाम पिशाचभिक्षा नसा पितृन् गच्छतिनो ध देवान् ।
इहैव सा वरति क्षीणापुण्या शालान्तरे गौरिव नष्टवत्सा ॥

आषस्तम्ब धर्मसूत्र के अध्यात्मपटल में आत्मा के स्वरूप घर जिस प्रकार विचार किया गया है उससे सामान्यता. यह धारणा भी बनती है कि आषस्तम्ब वेदान्त दर्शनपद्धति से भी परिचित थे ।

किन्तु सबसे अधिक उल्लेखनीय है आषस्तम्ब का षूर्वमीमांसा और न्याय के सिधान्तों से सम्बन्ध उल्लेख । इन सूत्रों में न्यायविदः या न्याय-वित्सम्पः प्रयोग द्रष्टव्य है -

अह गाना तु प्रधानैरव्यपदेश इति न्यायवित्समयः

2/4/8/13

अपार्थि नित्यानुवादमीर्विधिमाहुन्यर्थिवद् ।

2/6/14/13

इस अंशों से मिलते- जुलते सूत्र जैमिनि के पूर्वमीमांसा सूत्रों में भी मिलते हैं,
उदाहरणार्थ--

अर्थवादो वा विधिशेषत्वात्तस्मान्नित्यानुवादः

पूर्वोसू० 6/7/30

इसी प्रकार इन दो उदाहरणों की समानता भी द्रष्टव्य है--

तस्यां क्र्यशब्दः संस्तुतिमात्रम् धर्मार्थिद्	क्र्यस्य धर्ममात्रत्वम् पूर्वोसू०
सम्बन्धः। आ०४०सू० 2/6/13/11	6x१/15
विष्णां प्रत्यनध्याय . श्रूते न कर्मयोगे	विष्णां प्रति विधानावदा सर्वकालं प्रयोग
मन्त्रापाम् । वही । 4/12/9	स्यात्कर्मार्थत्वात्प्रयोगस्य । 3/3/19
श्रुतिहिं बलीयस्यानुमानिकादाचारात्	विरोध स्वनपेक्ष्यं स्यादसति हयनुमानम्
वही । । । 4/8	यस्मिन्प्रीतिः पुरुषस्य तस्य लिप्सार्थ-
यत्र तु प्रीत्युपलभित् . प्रवृत्तिर्न तत्र	लक्षणाविभक्तत्वात्
शास्त्रमिति	

इन समानताओं के आधार पर डॉ काठो ने यह मत प्रस्तुत

किया है कि आपस्तम्ब जैमिनि के मीमांसासूत्र से परिचित थे । सभव है कि वे जिस मीमांसासूत्र से परिचित थे वह उस समय तक वर्तमान रूप न प्राप्त कर सका हो ।

उक्त के अतिरिक्त पूर्वकार्त्ति धर्मचार्यों के मतों का उल्लेख आपस्तम्ब ने एके शब्द के प्रयोग व्यारा किया है इस सम्बन्ध में निम्न सूत्र दृष्टव्य हैं -

1/1/2/41, 1/1/4/17, 1/2/5/22, 1/2/6/4, 1/2/6/33,
1/2/7/21, 1/2/8/7, 1/3/9/3.10.24, 1/3/10/7.12, 1/3/11/3.22.24,
1/4/13/14, 1/4/14/21, 1/5/13/19, 1/5/16/4.6.13 1/6/18/3 ,
1/7/21/10.8, 1/11/30/1.3, 2/3/6/8.9.11, 2/5/12/15.23 ,
2/6/14/6.9, 2/6/15/10, 2/7/17/14, 2/9/21/12, 2/9/22/6.15,
2/9/23/18, 2/11/29/16

स्वं अपाङ्गुदाह रन्ति शब्द का प्रयोग भी निम्न सूत्रों से प्राप्त होता है -

2/6/19/15. 1/9/25/10. 1/21/30/26. 1/11/32/23

इस प्रकार हम देखते हैं कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र.पूर्वकार्त्ति साहित्य के अनेक उद्दरण्ठों स्वं उल्लेखों से संबंधित है ।

तृतीय अध्याय
धर्म का स्वरूप

तृतीय अध्याय

भारतीय संस्कृति का मूलाधार धर्मजो भारतीयों के वैयक्तिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में पूर्णत्व से प्रतिबिम्बित है । अब यहाँ यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह धर्म क्या है ।

धर्म शब्द धृ धारणे धातु से मनुष्यत्वय लगाने से बनता है । विद्वान् इसकी व्युत्पत्ति तीन ढंग से करते हैं ।

१। २। श्रियते लोकः अनेन, अर्पात् धर्म वह है जिससे लोक का धारणा किया जाय ।

३। ४। धरति धारयति वा लोकम् अर्पात् धर्म वह है जो लोकार को धारणा करे ।

५। ६। श्रियते लोक यात्रा निर्वाहार्थ य. सः धर्मः अर्पात् धर्म वह है जिसे लोक्यात्रा निर्वाहार्थ सभी धारणा करे ।

इस घुकार 'धर्म' शब्द अपने शब्द का परिचय स्वयं देता है । फिर भी विविध शास्त्रों में इसकी वृश्चिकता विभाषाये जायी जाती है ।

ऋग्वेद की श्वाओं में 'धर्म' शब्द प्रक्षेपण या इंजा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। प्रायः यह शब्द 'धर्मन्' है और इसका प्रयोग नवुसकलिग में हुआ है। बहुत कम श्वाओं में पुलिङ्ग रूप में धर्मशब्द प्रयुक्त है।

अधिकतर वैदिक साहित्य में धर्म का अर्थ है- धार्मिक विधि, धार्मिक क्रिया, निश्चित्त नियम, आचरण नियम जैसा कि इन प्रयोगों से स्पष्ट है-

॥१॥ आ प्रा रजासि दिव्यानि धार्थिवा इलोक देवः,
कृषुते स्वाय धर्मणो² ।

उक्त स्थल पर धर्म अलौकिक शक्ति का बोधक है।

॥२॥ अचित्ती यत्र व धर्मा युयोषिम मा
नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः³।

1. धर्मन् शब्द का प्रयोग निम्नलिखित स्थलों पर हुआ है- ऋग्वेद- 1/22/18, 1/16/4, 43,50, 3/3/1, 3/17/1, 3/60/6, 5/26/6, 5/63/7, 5/72/2, अर्घवेद में 14/1/5। वाजसनेयि सहिता में 10/29 इत्यादि।
-दृष्टव्य गौडिय धर्मसूत्र की भूमिका पृ० 15

2. ऋ० वे० 4/53/3

3. वही 7/89/5

यहाँ धर्म नियम या व्यवस्था का बोतक है । इससे आचरण सम्बन्धी नियम की घोटित होता है ।

अर्पवेद में धर्म शब्द का प्रयोग धार्मिक संस्कारों से अर्जित गुण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है¹ ।

उषनिष्ठ साहित्य में वैदिक अर्थों के अतिरिक्त धर्म शब्द वर्णार्थम् धर्म के अर्थ में प्रयुक्त हुआ और इस शब्द से आश्रम के आधार स्वं नियमों का बोध होने लगा । यह तत्य छान्दोग्योषनिष्ठसे सिद्ध होता है² । ऐतरेय ब्राह्मण में धर्म शब्द समस्त धार्मिक कर्तव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है³ ।

१. श्वी सत्यं तथो राष्ट्रे श्रमोर्धर्मन्तर्कर्म च ।

भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मी बलं जले ॥

-अर्थ ११/९/१४

२. त्रयोर्धर्मस्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति पृथमस्तप एवेति विळतीयो ब्रह्मचार्याचार्य कुलवासी तृतीयोऽत्यन्तभात्मानमाचार्य कुलेऽवसादयन् । सर्व एते षुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसास्थोऽमृत त्वमेति ॥

-छठो उ २/२३/१

३. धर्मस्य गोप्ता जनीति तमश्युत्कृष्णमेविविदभि वेद्यन्नेतयर्चार्मिम् मन्त्रयेत् ॥
-ऐतीय ४/१७

कालक्रम से धर्मन् शब्द का अर्थ व्यापक होता गया एवं आर्य

जाति के आचार विचार का धीरचायक बन गया। मानव जीवन के लिए कोई अधिकार, कर्तव्य हो, अनुशासन एवं आचरण सहिता हो, समस्त नैतिक कार्य धर्म के अर्थ में समाहित हो गये। अमरकोषकार की दृष्टि में धर्म शब्द के अनेक अर्थ हैं— स्याधर्मम् स्त्रियां पुण्य श्रेयसी सुकृतंवृष्टः धर्मस्तु तद्विदधिः धर्मा. पुण्य-मन्यायस्क्रावाचारसोभवा ।

निरुक्त ने धर्म शब्द का अर्थ 'नियम' बतलाया है। कणाद ने धर्म को स्वष्टि करते हुए कहा है कि जिसके द्वारा लोकिक सुख और अंतिम लक्ष्य की सिध्द हो सके वही धर्म है¹।

उक्त के अतिरिक्त मीमांसा सूत्रकार महर्षि जैमिनि ने धर्म की व्याख्या करते हुए वेदविहित व्रेक लक्षणों को धर्म के रूप में स्वीकार किया है²।

श्रीमद्भागवतकार के अनुसार वेद ने जो नियम बनाया है वही धर्म है, उसके विवरीत अर्थ है ।

1. यतोऽभ्युदय नि श्रेयससिधिः स धर्मः॥

2. चोदना लक्षणो धो धर्मः॥

उक्त के अतिरिक्त हमारे शास्त्रकारों ने बार-बार उद्घोषित किया है कि "यागादिरेव धर्मः", "वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदपर्यां धर्मां", "श्रुति पृष्ठाण्को धर्म.", "श्रुति स्मृति विहितो धर्मः" ।

अतएव इस त्रिकार मारतीय धर्म का मूल वेद स्मृति को ही माना जाता है । इनके आधार पर जो आचरण आचरित होते हैं, वे ही धर्म हैं ।

आषस्तम्ब ने भी इसी अर्थ में धर्म को लिया है । उनके अनुसार धर्म को जानने वाले, वेद का र्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का पृष्ठाण है¹ । इससे यह भासित होता है कि आषस्तम्ब ने यद्यपि धर्म का मूल पृष्ठाण वेद को ही माना है तथापि उसके साथ ही धर्मज्ञों की संविदा या सहमति व्याख्या की गई आचार व्यवस्था को मुख्य रूप से पृष्ठाण माना है परन्तु इसके साथ ही आषस्तम्ब ने आचार के सम्बन्ध में सदैव विवेक से काम लेने की सलाह दी है क्योंकि महान् पुरुषों में भी कई दुर्बलताएँ होती हैं । पूर्वजों या ऋषियों के कर्मों में धर्म उल्लंघन तथा साहस कर्म का उदाहरण देखने को मिलता है किन्तु उनमें अधिक तेज होने के कारण उनका कर्म वाष्कर्म नहीं होता है परन्तु सामान्य मनुष्य के तेज का अभाव होता है इसीलिए सामान्य मनुष्य को उनके उदाहरण का अनुकरण नहीं करना चाहिए । उनका अनुकरण करने से

1. धर्मज्ञ समय पृष्ठाणम्, वेदाश्रव ॥

मनुष्य पात्र का भागी होता है। अतः सदैव धर्म के सम्बन्ध में स्वविवेक का आश्रय लेना आवश्यक है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म के सम्बन्ध में आपस्तम्ब का विचार अधिक आधुनिक और व्यावहारिक है उनकी दृष्टिमें वेद, सृति का अन्धानुकरण आचरण मात्र धर्म नहीं अपितु स्वविवेक का आश्रय लेकर उसके षड्ग एवं विवक्षण घर सम्यक् लेणा विचार करना ही धर्म है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्रमें धर्म के उद्देश्य घर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि धर्म का आचरण केवल सांसारिक उद्देश्य से अर्थात् यश, लाभ, सम्मान के लिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब धर्म का आचरण इस ध्येय से किया जाता है तब वह फल देने के समय निष्पत्त हो जाता है। जिस प्रकार पल के लिए आम का बेड़ लगाया जाता है किन्तु उससे छाया और सुगन्धि भी प्राप्त होती है, इसी प्रकार धर्म का आचरण करने घर लौकिक फल भी गौण स्वरूप से उत्पन्न

१०. दृष्टो धर्मव्यतिक्रम स्साहसं च षूर्वेषाम् । तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न
विष्टते । तदन्वीक्ष्य प्रयुज्जानस्सीदत्यवर ॥

-आ०ध०सू० 2/6/13/7-9

20. वही 1/7/21/1-3

होते हैं। अतएव यदि उक्त प्रकार धर्म का आचरण करने पर लौकिक फल उत्पन्न हो जाते हैं तो सूत्रकार का मन्तव्य है कि इस प्रकार के उत्पन्न लौकिक फल, यश, लाभ, सम्मान आदि को गौण रूप में ही स्वीकार करना चाहिए प्रमुख फल के रूप में नहीं। अपितु प्रमुख फल तो आत्मा का साक्षात्कार है।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब का कथन है कि यदि धर्मों के आचरण से लौकिक फल नहीं उत्पन्न होते तो भी धर्म की हानि नहीं होती अपितु धर्म का आचरण धर्म के लिए करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब की दृष्टि में यदि व्यक्ति अपने आचरण में तत्पर रहता है और उसे यश लाभ, सम्मान इत्यादि लौकिक फल प्राप्त नहीं होते हैं तो यह नहीं समझा जा सकता है कि वह अपने धर्म में निष्ठ नहीं है।

आपस्तम्ब ने अपने धर्मसूत्र में धर्म का आडम्बर करने वालों से सतर्क और सावधान किया है। उनका कथन है कि दुष्टों, शठों, नास्तिक, वेदज्ञानहीन व्यक्तियों के वचनों से कुपित नहीं होना चाहिए और उनके धोखे में नहीं घडना चाहिए¹।

1. अनसूयुर्द्ध्युलम्भः स्यात् कुहक्षाठनास्तिकबालवादेषु ॥

इसके अतिरिक्त आपस्तम्भ धर्म एवं अधर्म के पार्थक्य में स्वविवेक पर जोर देते हैं क्योंकि उनके अनुसार धर्म अधर्म स्वयं आकर इस ब्रुकार नहीं कहते हैं कि हम यहाँ हैं अर्पात् धर्म और अधर्म अपना परिचय स्वयं नहीं देते धर्म एवं देवता गन्धर्व और पितृगण भी यह नहीं बताते कि यह धर्म और यह अधर्म तथा धर्म और अधर्म का स्वस्य प्रत्यक्ष आदि से नहीं जाना जाता¹ है।

अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि धर्म एवं अधर्म में पार्थक्य कैसे सम्भव है जिसके आधार पर कष्ट आवरण करने वालों के वक्तों से बचा जासके। इसका समाधान करते हुए आपस्तम्भ का कथन है कि जिस कार्य को आर्य लोग उत्तम कहते हैं, वह धर्म है और जिस कार्य की निन्दा करते हैं वह अर्थ है²।

१. न धर्माधर्मो चरत 'आवं स्व' इति, न देवगन्धर्वा न पितर इत्याचक्तेऽयं धर्मोऽयमधर्म, इति ॥

-आ०८०८० 1/7/2016

२. यथा त्वार्या क्रियमाणं प्रशंसन्त स धर्मो, यं गर्हन्ते सोऽधर्म ॥

-वही 1/7/2017

इससे स्पष्ट है कि आर्य लोगों की दृष्टि में जो उत्तम आचरण है वे धर्म है तथा जिन आचरणों की वे निन्दा करते हैं वह अधर्म है ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म उस आचार को माना गया है, जिसे सभी स्थानों पर विनयशील वृद्ध, जितेन्द्रिय, लोभहीन, दम्भहीन आयो व्दारा एकमत से स्वीकार किया गया हो¹ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आपस्तम्ब की दृष्टि में धर्म की आधार शिला आचार है ।

भारतीय संस्कृत का मूल आधार आचार ही माना गया है । आचार के आधार पर ही हिन्दू समाज का निर्माण हुआ था और जब तक व्यावहारिक जीवन में इस आधार को प्राधान्य मिला तब तक समुन्नति तथा समृद्धि का समय बना रहा । वस्तुतः सम्मान दीर्घ जीवन एव सुख का कारण आचार ही है । इसी कारण हमारे धर्मशास्त्र बार-बार आचारबान् बने रहने की शिक्षा देते हैं² ।

१. सर्वजनपदेष्वेकान्तसमाहितमार्यणां वृत्तां सम्यग्वितानां वृद्धानामात्मवतामलोकुषानामदामिभकानां वृत्तसादृश्यं भजेत ॥

-आ०ध०सू० 1/7/2018

२. आचारो भूति जनन आचारः कीर्ति वर्धन । आचाराद् वर्धते ह्यायुराचारो हन्त्य लक्षणम् ॥

शृंखियों की वाणी से यह सिध्द है कि आचार हमारी स्वाभाविक शक्ति का सम्बर्धन करता है । सदाचार से पुष्ट शरीर की प्राप्ति होती है बुध्दि का संमार्जन होता है । चित्त की विनियोग का निवारण होता है । मनु का कथन है कि-

सर्वलक्षणाही नोऽपि यः सदाचारवान् नरः ।

श्रद्धानो न सूयश्च शतं वषाणि जीवित ॥

- मनु० स्म० 4/158

आचारात्मन्ते ह्यायुराचारादीप्सता । प्रजा० ।

आचाराधनमक्षेयमाचारो हन्त्यलक्षणम् ॥

- मनु० स्म० 4/156

वस्तुतः इसी कारण "आचारः परमोर्धर्म ॥" व०ध० स० 6/1

कहा गया है ।

इसी कारण से आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया गया है और सूत्रकार ने कहा है कि क्रोध, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, द्रोह, अत्य भाषण, अतिभोजन, दूसरे पर मिथ्या दोष रोषण, दूसरे के गुणों से जलना, काम, व्यदेश, इन्द्रियों को वश में न रखना, मन को समाहित न करना

प्राणियों को विनाश करने वाले दोष हैं और इन दोषों को दूर करने के लिये योग को माध्यम बताया है तथा क्रोधहीनता, हर्ष का अभाव रोष न करना, अलोभ, मोह का अभाव दम्भ का न होना, प्रेह न करना, सत्य वचन भोजन में स्थम, पर-दोष कथन से विमुख होना, असूया का अभाव, स्वार्थहीन उदारता, दान आदि न लेना, सरलता, कोमलता भावावेगों का शमन, इन्द्रियों को वश में करना, सभी प्राणियों के साथ प्रेम आत्मा के चिन्तन में मन को समाहित करना, आर्यों के नियम के अनुसार आचरण, क्रूरता के त्याग, सन्तोष को श्रेष्ठ आचरण बताया है तथा कहा है कि जो व्यक्ति इन उक्त सद्व्यवहरणों का शास्त्रोक्त विधि से आचरण करता है वह विश्वात्मा को प्राप्त करता है¹।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आपस्तम्ब ने आचरण को ही परम-लक्ष्य ह्रौद्धृ का साधन माना है। यही कारण है कि उनके धर्मसूत्र में सदाचार पर अत्यधिक जोर दिया गया है।

पाप और प्रायशिचत्त की धारणा के पीछे भी आचार के अतिरिक्त क्या हो सकता है? समाज में जीने और दूसरों को जीने देने का मन्त्र ही

इस लोक मे कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है । हमारे धर्मसूत्र मे व्यक्ति को पर्याप्त महत्व मिला है । किन्तु इस महत्व की शर्त यह है कि वह आचार या धर्म का पालन करे यदि वह आचार का उल्लंघन करता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मुक्ति मिल सकती है, जब वह प्रायशिचत्त करे, अर्थात् पाप गम्भीर हो तो जीवन का अन्त कर दे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा। प्रायशिचत्त के पीछे सूत्रकार की यह भावना है कि तप, उपवास, होम, धर्म मे आस्था उत्पन्न करके पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देता है ।

वस्तुतः आधस्तम्ब ने प्रत्येक प्रसंग मे आचरण की शुद्धता पर जोर दिया है जैसा कि हम आश्रम व्यवस्था के वर्णन एवं वर्णों के कर्तव्यों के प्रसंग मे देखें ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आधस्तम्ब धर्मसूत्र मे धर्म का स्वरूप कोरा आदर्शवादी नहीं है बल्कि नैतिकता, सद्हवारिता, ज्ञानता और बौद्धिकता का समन्वय है ।

चतुर्थ अध्याय
सामाजिक जीवन

चतुर्थ अध्याय

वर्णवाचस्पति

प्रारंभो शाश्वते इति राज देव अंगिरस्था ॥ दृश्यन्तु र्म स्थान

हे, तो राजाभिक विजयाग्र १८० वरे हैं गले के अंदर लिखा है, अलवा
है। चर्णवाचस्पति ने लाभा नामका सातोंको ने साध जो परित्यजने
अंतिम लक्षण १८०, अपिष्ठ देहु दिला है जो देवि जनुजा उनके पर्णगत और
जो जनुराज के स्वरूप निर्विण में ज्ञान दर्शन्तु गोग रहा राजा है।
— यहाँ वर्णों की जागीत जने एकानुकूल चर्णों के साथा उर्मे संपर्कान
जानारण न जिरण रहे हैं। फिर तो त्वे चर्ण राजा ऐता भिक्षिक के
मार्ग उर्म निर्विन्द्रिय रोकत निर्विगोऽग्नार रोकता है अथा चर्ण उर्म के आधार
उर्म भैषिक इस बाबौस्थान निष्ठाओं का द्रुतात्म उर्मे वह अनाधिक धारा १८१
उर्म लग्न ग्रामिण लग्न मार्ग ज्ञान । उर्मी उर्म अग्नार होकर वह अमानन्द
न जनुमूलि करता है। उनए उमुदाग स्वाध और वैश्वे निर्विण तथा अनु-
वदान में बर्ण वाचस्पति का योगदान अनात्म अस्मामय है। चर्ण वाचस्पति
के अम्बन्ध में तान मत पुकालित है। अथम के अनुसार लेखत जन्म हो बर्ण का
निर्धारित है। विद्वतोप्र मनानुपार उर्म से दी बर्ण का निर्विरण रोना
जातिए अर्थात् जिस किसी वाक्ति में जिस बर्ण के गुण उर्म होंगे वह उसी
बर्ण का माना जाय। तृतीय मत दोनों स्थितियों को आवश्यक मानता है।
इसके अनुसार जन्म भी उसी बर्ण में होना याहहए तथा उसो बर्ण के अनुसार
गुण और उर्म होने चाहिए।

तेत एवं अस्तम्ब वर्षायुक्त रूप है जो स्तम्ब ने उर्ध्वा रूप
पार इन्द्र गो दाता है । इसे राष्ट्र शोषण दिक् अस्तम्ब तुम्हें
कहीं लास्था उद्धरण की दाता था, जो दुजा है उर्ध्वा रूप है
जोने आता "उर्ध्वा" यह प्रसन्ना रूप है जो भी यह की दाता । अस्तम्ब
उर्ध्वायमात्रा दा ठोरना रुप रूप है जो राष्ट्र दिक् अस्तम्ब दे द्युर्घार
दिकि देव उर्ध्वायमात्रे है गो ब्राह्मण रूप दा रुपा रुपा है जो रुपा दा
उर्ध्वायमात्र रुपा होता है जो लेद ब्राह्मणा दा द्वता रुपा ॥²

यथोऽपि अपरस्तम्ब वर्षायुक्त³ रूपा रूप है त्वर्द्वार्म का युष्ठान
करने ने शुद्धादि उर्ध्वा यज्ञे के दूर्ब-दूर्द्वार्म दो रूप दर्शते हैं । यहां पर
यह शून्य स्थान शिक्षक रूप है उत्पन्न होता है जो यज्ञे के दूर्ब-दूर्द्वार्म को
कल शून्य रूप है ७ अस्तम्ब का प्रवाधान अपरस्तम्ब ने "जातिष्ठिरवृत्ततौ"
रहता हिता है अर्थात् जन्मान्तर में इसका अर्थ यह दुआ कि शून्य इसी जन्म

1. वहारो वर्णा ब्राह्मणश्चित्रिगवेषशूद्धा । नेष्ठा दूर्ब दूर्द्वार्म यन्मतरक्षेगान् ॥
—अ०५०४०३० १/१/१४-५

2. ब्राह्मणमात्रै च ॥

—बही 1/9/24/7

3. धर्मवर्ष्या जघन्दो वर्णा दूर्ब दूर्ब वर्षमिष्ठते जातिष्ठिरवृत्ततौ ॥

—बही 2/5/11/10

ने इस शारीर है । ने वर्त्तन की वरता हुआ ऐरादि वर्णों को , तप्त
हो जर चाहा है । तो यदि उह इह जन्म पे । ने वर्त्तन लम्बों का स्मित्ता
निर्वाह करे तो जन्मान्तर से ऐराज हो जाता है । उस जाति मे भी उने यह
ग निर्वाह करता हुआ उन जन्मान्तर मे ऐराज हो जाता है, और उस जन्म
मे भी आस्तम्ब अने वर्त्तन का जाति जरता हुआ अते जन्म में ग्राहणात्मको
, तप्त हो जाता है । इसके विषयीत आस्तम्ब के जुसार वर्क्ष का आवरण करने वार
शेष वर्ण के लाभित अते जन्म पे उत्तरोन्तर अने हे ली वर्ण मे उत्तरन्त
होते हैं ।

इससे यह भासित होता है आस्तम्ब वर्ण का आधार कर्म भी
पानने थे । रन्तु आस्तम्ब धर्मसूत्र मे अनेक स्थलों पर जन्म के आधार वर वर्ण-
किम्भे वैरलीभित होता है । इसके अतिरिक्त वर्णविर्वर्तन कितने जन्म जन्मा-
न्तरों मे होता है, इस बिषय मे आस्तम्ब सर्वथा मौन है एवं आस्तम्ब धर्मसूत्र
के जन्मदर कर्म के आधार वर जात्पुत्रकर्म और यात्पुत्रकर्म का एक भी उदाहरण
उपलब्ध नहीं होता है । इससे यह निष्कर्ष निकाता असगत नहीं होगा कि
। ० अर्थवर्णया शूर्वो वर्णो जन्म्यं जघन्यं वर्णमाषधते जातिविरचृत्तौ ॥

आश्वस्तम्ब ने रार्ट्टाम्स्या एवं आधार मात्र जन्म दाना है चक्र दस विक्रितना पर ब्राह्मण क्षत्रिय ऐसा और शुद्धि के कर्तव्यों एवं अधिकारों एवं उर्जनि तित्रा है ।

जपारों के कर्त्तव्य, यज्ञोऽन्तराः एव चित्तोऽपीधिकार - आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में जपारों
के कर्त्तव्यों एवं विशेषाधिकारों के विषय में विशिष्ट वर्णन मिलता है ।

आश्वस्तम्ब ने जपान, यज्ञ करना एवं दान देना, ब्राह्मण, क्षत्रिय
एवं वैद्य के लिये गात्राक कर्त्तव्य माने हैं । उपर्युक्त, उत्तराधिकार तथा उत्तरा
यज्ञ करना, दान देना तथा दान लेना, अथ या उत्तराधिकार तथा उत्तरा
जपारों को बीनना आश्वस्तम्ब के अनुसार ब्राह्मण के धर्मसम्मत कर्म
है¹ । क्षत्रिय के कर्म विवेपन में क्षत्रिय के लिये जपान, यज्ञ करना, दान देना,
उत्तराधिकार तथा उत्तरा जपारों में अन्न के कणारों को बीनना, दण्ड देना एवं
शुद्ध करना, आश्वस्तम्ब ने धर्मसम्मत कर्म माने हैं² । उक्त के अतिरिक्त अव्ययन,
यज्ञ करना, दान देना, उत्तराधिकार तथा उत्तरा जपारों में अन्न के कणारों का बीनना

1. स्वकर्म ब्राह्मणस्ताऽध्ययनमध्याष्ठन् यज्ञो याजनं दानं, अतिग्रहण दायाद्य
स्तिष्ठते ॥

देनी अनुमालन तथा व्यापार गे और जा दर्म जलाना है।

उक्त चिकित्सा रे स्थान रे फि ज्ञान रना, प्रकरण करना, इन देना,
उत्तराधिकार तथा लेनो मे अन के जाँचों जा दानना चिकित्सा ने धर्म
पर्वतीय आ चर्चा है। फिरनु उपाधन, इन राना, इन लेना ब्राह्मणों
के एस गुद्ध रहना इस घण्ठ टेना धर्मियों के तथा दृष्टिप शुभान आवार हैंगो
के विवेकाधिकार है।

अध्यात्म - आपस्तम्भ ने इस ब्राह्मणों का विवेकाधिकार माना है²

रन्तु उन्होंने ब्राह्मण ऋत्र को वार्तित तल में धर्मिय ग्रा लैट ले लिया व्याप
जो वनुगति दी है³। इससे यह विवित होता है कि धर्मिय पर्यं बैरय आचार्य

1. धर्मियन्दैग्रास्य दण्डुधनर्ष कृषिगोरक्षगविणजाऽधिकम्।।

-AT060600 2/5/10/8

2. ब्राह्मण आचार्य स्मरते तु।।

-बही 2/2/4/25

3. आचार्दि ब्राह्मणेन राजन्ये बैरये बाऽध्ययनम्।।

-बही 2/2/4/26

गा तार्गिक भी थे १८८५ से लोपान्तर निम्न श्रियों के अन्दे । वह डर
चा है स्पष्ट है कि अवस्था ने ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने जो धर्मिय दा देन
गुरु के जिस गा रहा है उस तल गुरु के अन्दे- निटे अन्दे तो तुम्हारा दा है
इस एक बर उन्होंने शिष्या रहे । १८८८ अप्रैल के लोकार्थ उसे ने ब्रितिया गा
त्तेय गुरु के अगे बलने का चिह्न दिया है । ने दो निषेध गौतम मनु के भी
प्रे प्राप्ति ३ ।

आश्रम ने १८८८ अप्रैल अंग्रेजीरक्षा इस्त देना एवं आन लेता
भी ब्राह्मण के चिह्नस्मृत र्म नाने । अधिक गा अस्तम्ब ने अन्दे र्म में
वर्तमान लान लार्ड 'ब्राह्मण' , अक्षिय इ हैरदा के दो लान लो गी अनुनादि
हो है ३ । अन्दु गा स्तम्ब ने गा अन्त के लान अन्दे र्म में वर्तमान शुकु का
अन्न भोजन लतारा है ४ । इन्दे प्रत अक्षिय होता है कि यदि ब्राह्मण अप-
निताल में है तो ऐसा शुकु तो स्वर्म का ताल लरता है से लानग्रहण दिया

1. अनुगमन य अरनार् । तत अर्द्ध ब्राह्मण इवाऽग्रे गतौ स्पात् ॥

-गा०४०४०४० 2/2/4/27-28

2. गा०४०४०४० ७४१/३, मनु०४०४० १०/२, २/२४।

3. लर्ववर्णानां स्वर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यं शुद्धर्जमित्येके ।

-गा०४०४०४० १/६/१८/१३

4. तस्याऽपि यमोऽपनतस्य ॥

-बही

१/६/१८/१४

प्रत सन्ता है ।

इसे उत्तरित आस्तम्ब ने सभा पुण्य जागरण - तो वाचिकामें, दानशील व्यक्ति को दान लेने की अनुमति दी है । यहाँ यह गुणवत्त्व है कि पुण्य जागरण न तात्पर्य, एवं एक र्धा जा स्थार्थ में नर्तमान दोना है ।

आस्तम्ब धर्मरूप के पत से उक्त दान विना माने मिले तो इसके कारण नहीं परन्तु नाहुए भवे या वह आर्थ करने जाले व्यक्ति न्तारा किया गया है । परन्तु आधस्तम्ब ने इस लम्बन्ध में नहुए गतिजन्ध लगाया है कि इस प्रत्यार के दान की घोषणा रिते हो इस विकित्सक, बहेलिया, शत्यकृत्त, बाशित कुराटा स्त्री और नामुमक व्यारा देय दान जस्याकार न देना चाहिए² । उक्त से पत चबनित दोता है कि समाज में बरेलिया, कुराटा स्त्री, पौड़ भाट करने वालों की सामाजिक विस्थिति अनान्त हेय थी तभी तो जहा नाहुए, कर्म करने वालों जा अन्न भोज्य जताया है वही उक्त व्यक्तिमें का अन्न भोज्य रहा है ।

1. पुण्य वीत गौत्सु । य कौशिवद्वयादिति बाब्यादिण ॥

- शा०ध०३०० । १६/१९/१४-५

2. निकित्सकस्य मृग्योशशत्यकृन्तस्य बाशिन । कुलटायाष्वज्ञङ्गकस्य व तेषामन्नमनाध्य ॥

- बही । १६/१९/१४-१५

जाएस्टम्ब धर्मदूत्र ने दान देना हात लगाकर कृपा माना है ज्या
जाएस्टम्ब ने वारस्था दा हे ३-४-५-६-७-८-९-१० तिथियाँ, दिवाह,
गज, माता ज्या दिनों के भरणा बोधणा का वचा, उद्धरन आदि के लिये
दान मागे तो तान लगा देना चाहिहए। परन्तु उन्होंने तान किए के ऊपर
ग्रन्तिबन्ध या जगाना था ज्या लिया है तो उन्होंने जाकिलों श्रीकिंशु वर्ण
बोधणा करना उन्ना दिशिष्ट उत्तरदीयित्व दैशु नकिरों एवं दासों की क्रिन्ता
न तरके अनिधियों दो भोजन बाट देना अनुचित है²।

जाएस्टम्ब के अनुसार सभी प्रकार के दानों में सब इसों दोता है
श्रेष्ठत वैदिय शज्जों को छोड़कर, जिनमें वैदिक उद्दिनों के अनुसार कृत्य दिये
जाते हैं^४, सभी प्रजार के दानों में दीक्षणा देना भी अनिवार्य है^३।

१. मिश्यणे निमित्तमाचार्यों विवारो यज्ञो माताजित्रोर्बुभूष्मार्डिर्वत्तश्च नियम
विलोप ॥

-AT0४०८० 2/5/10/1

२. AT0४०८० 2/4/9/10-12 द्रष्टव्य, बौ४०८० 2/3/19,
या४० 2/175, मनु 11/9-10
३. यथाशुक्ति विहारे । ये नित्या भाँक्तकास्तेषामनुष्ठरोधेत् संविभागो विवित ॥

-AT0४०८० 2/4/9/9-10

—०—, गौरोहिता र्ती-त्राव दृग्भिर्याँ रगो ब्राह्मणो वी र्ती—
॒ शास्त्र नहीं आ । — चतुर्व्याधि के जैव योगन दृग्भिर्याँ वे दृग्भिर्—
ज्ञ र्ती स्वप्न भा-र्ती थे। ओरतम्ब ने इस सम्बन्ध के लाला की डा

र्तीन र्ती रे दृग्भिर्याँ तो उजारह है त्रा-र्ता । गौतम
इ वैधान ने ब्राह्मणों को आचार ऐ व्यक्तिगति र्ती जो नवति तो
रूप रक्षा प्राप्ति न र्ती है फिर त्रावा के लिए भी ब्राह्मण तो रातुप
नहीं ब्रह्मण वरना त्रावी^१। इससे यह सचेत दो-ता ह एक अस्तम ब्राह्मण
बारा आत्मास्थिति में भो छिक्का दृग्भिर्याँ र्ती के र्ती नहीं है रक्षा
नवय ब्राह्मण व्यक्तिगति र्ती थे क्योंकि आस्तम ने एक स्थल पर^३
व्यक्तिय र्ती करने लाले ब्राह्मण- एत्र का उल्लेख फिरा है ।

१. गौ०४०४०० १/२५, जौ०५०४०० २/२/३०

२. यो हिंसार्थभिकृतं हन्ति भन्तुरेव मन्यु स्वशीत न तर्स्मन् दोष
इति पुराणो ॥

-अ०४०४०० १/१०/२९/७

३. शिवत्रिशणितिष्ठ. परतल्लगाम्यापुरीयषुक्रशुद्गोत्तनो ब्राह्मणामितोते
थाध्दे मुञ्जाना षक्तिदृष्ट्या भवित्वा ।

- बही २/७/१७/२१

ज्ञानी भ्रातृपण दृष्टि कर सकते थे । पर्वा आच्छ जाहिना में हम सम्बन्ध में इतना नहीं है । अद्वितीय नववेद¹ में ब्राह्मण को दृष्टि नहीं है । उ-
न्न ननु {10/93/84} है । १५/१०/। ने दृष्टि कर्म हे ब्राह्मण को दृष्टि
रखने तो गलार दी है । यह तक प्रारम्भ असूल तो तन है उपरे ब्राह्मण
व्यापा दृष्टि निवेद न उल्लेख नहीं प्राप्त होता है अपितु एक मूल² हे स्त्रा
उत्तरित मूल, उत्तर तो देव के विद्युत गो धर्मसम्मत माना है जिसे उचिन्त
होता है कि प्रारम्भ को शैक्षिक से ब्राह्मण च्यारा दृष्टि कर्म बर्ज्य न था ।

उक्ता के अधिकार उपर्याप्त व्याप्ति व्यापारा ब्राह्मण ने आषत्काल
में व्यापार एव गाणिङ्ग की अनुमति दुष्टान की है परन्तु उस्तु विकृय के
सम्बन्ध में अनेक निपत्ति दुष्टान हे । उन्नर्ने स्पष्ट रूप से उल्लेख दिया है कि
ब्राह्मण आषत्तित के समां में उन्हीं बस्तुओं का व्याधार करे जिनका विकृय
प्ररना दिल्हित है । जिसस्तुओं का कृप दियु विद्वित नहीं है उनका व्या-
पार न लरे³ ।

1. शुग्रेद- 10/34/13

2. अङ्गीतमपयैर्व्यवहरेत ॥

-आ०४०९०९० । ७/२०/१६

3. आवदि व्यवहरेत व्यव्यानामषण्यानि व्युदस्यन्*।

- बही । ७/२०/११

आस्तम्ब ने इस सम्बन्ध ने देसी दूरों¹, हे लिना छिप
इत्यर्थ के रिए निविज है पथा- मनुजा द्विवार, द्वारा, रम, रग, सुगन्धि,
नन, रमहा, मो, राउ, यह, लिना ना अन्नत्वात्, उमोर जठी ईकेनिलद्व
हुई असुरों विज्ञव, शराव या दुराहीर, मरिया, पान्ध, चौस, आध
और अच्छे लम्भ जरने के जारण चाधि, द्रश्वा और लादि के फिरने को जारा¹
इन्हों अपनी विविध आस्तम्ब ने वित्त पर चावल के बिक्रम की विशेष दृष्टि देने वाला
हो है²। ऐ निगम गौतम १७/८-१४५ मनु १०/१२६ बौद्धाणि १२/१/७७-८
में भी आने जाते हैं।

बिनिमय के विषय पर भी आस्तम्ब ने उपर्युक्त निगमों के समान
नियम जाये हैं एं वीर्जित अस्तुओं का बिनिमय भी वीर्जित माना गा है³
किन्तु आस्तम्ब ने इस सम्बन्ध में यह विशेष दृष्टि भी दी है यथा अन से
अन का मनुष्यों से मनुष्यों का रसो हे रसो का गन्धों से गन्धों का, बिधा
से बिधा ला⁴। इसो प्रकार कुछ जलट केर एवं नयी अस्तुओं को समिलित

1. मनुष्यान् रसान् व्यान् ग-पानन्नं चर्म गबा बशां इलेष्मोदके तोकमीकण्वे
धिष्पलीमरोवे धान्य मासमागुध सुकृताश्च च ॥

- आ०४०४०४० 1/7/20/12

2. तिलतण्डुलांस्त्वेव धान्यस्य विशेषेण न बिक्रोणीयात् ॥

- बही 1/7/20/13

3. अविहितश्चैतेषां मिथो बिनिमय ॥

- बही 1/7/20/14

उसके अन्तर्गत ने वा निम्न दिलेहै ।।

उम्र के प्रतिरक्षणों स्वास्थ्य ने जो विश्वास हुओं को दिलगे
उसका न गया तो इस रात्रि तिन दो और मूँज बल्दप धार, मूल, त्त्व,
दृष्टि और जट गा दिलसे छैठ-छैठ कर देई उसको जस्तु न जाना गया
हो तो श्राद्धमण ने दिक्षा देने ने अनुत्ति नहीं है² ।

उस दिलेन रे इस घट है तो आस्थ्य ने श्राद्धमण ने दिलेन
आवश्यकता ने बैरा वृत्ति को अनुग्रहित हो रखा हुआ दृष्टिदेन एवं कार्य
श्राद्धमणों के लिए रुचिमर नहीं इथा श्राद्धमण ने दोष वाचनवृत्ति
हुलम दोते दो रख श्राद्ध ने व्यापार का वरिलाग भर देते³ ।

1. गोत्तम 7/16-21, मनु 10/94 बैस्तु 2/37-39

2. तृणकाष्ठैरीष्कृतै ॥

-आ०ध०सू० 1/7/21/2

3. आ०ध०सू० 1/7/21/3-5, शृष्टव्य गौ० 7/22-23, मनु सू० 10/104

आरत्मब र्घूके निवेदन से ज्ञान होता है । आरत्मब ने भा
त्राहमणों को वैदिक दाता में तो पांच उत्तम आरम्भ स्वारूप तो है ।

आरत्मब ने ब्राह्मण जो इबका गुरु माना है और उसे यह १८-
व जन्म हे दिया है । उनकी हृषीके ने १० वर्ष को उत्तमा ताजा ब्राह्मण
१०० वर्ष पाले अनिय से अधिक सम्पादनीय है ।

आपस्तम्ब ने ग्रन्थहत्ता जो ग्रन्थों तर्फ माना है² एवं कि अन्ता
नणों जो हजा नहायातकों को शेणी में नहा मानी ते ।

उत्तर के विविध व्रात्मण तो अपराधों के विरुद्धामस्वलङ्घा अन्य
नणों की ज्ञेया अवधि का उल्लेख । अस्तम्ब धर्म शूल में मिलता है । अप
नवी हृषीके के विस्तो शुरुज ता वय नरने एवं चोरी, नूमि एवं गुरुर्क कथा
नरने एवं शुद्ध की गुरुर्क सम्मित्ता का अध्यरण किया जाना नामित्या
ग्रन्थ एवं न देना । अपने विन्दु धोद एवं ब्राह्मण के एवं रात्रि ताजा

१० कुञ्जलमलरबगसै व्यस्य बा तृच्छेत् ॥

-आठ०००- १/४/१४/२३

२०. स्तेयमार्मिशास्त्वं बुरुषबधो ब्रह्मोज्जं गर्भशात्तं मातु वितुरीरति योगि-
सम्बन्धे सहायत्ये स्त्रीगमनं शुराषानमसंयोगस्योग ॥

- बही । १/७/२१/८

मिला पाया जो उर्जा थी तो वह उठो दायरे लाया गया है, जो नहीं चल
सकता है।

ब्राह्मण अनुकूल था² आ श्रावण जो उल्लेख मार्ग से उत्तरे
जाने पर राजा ने बैक, सुख्ता, राज थो³, बहो दार गौतम ५६/८१-२२
दौमा० पर्व ० १२/३/५७ के गा है।

कला री गा श्रावण जो शी ग, नी ग रुद्ध के बोधवृत्त
स्त्रामिक चारामि दरक्का, राज था। ऐसे श्रावण जो इत्या
करना है तो इसे उत्तरामिक उल्लेख दोता था अनु ब्राह्मण जो रत्या शिरी
न्य रुद्ध के बोधवृत्त के बारा जी जाने है तो ऐसे बोधवृत्त के निमे । ए-
स्तम्ब ने श्रावण दिशा - फि, नह रुद्ध में जाकर दोनों पद्मों के बीच छरा हो

१. शुरुवात्ये स्तो भूम्यादान इति स्वान्दादाय वर्ण्य । चक्रुनिरोपस्त्वेतेषु
ब्राह्मणस्य ॥

-३०४०५० २/१०/२७/१६-१७

२. एक श्रोत्रिय ॥

- बही २/१०/२६/१०

३. राज श्रव्या ब्राह्मणोनाऽक्षमेत्य ॥

- बही २/५/११/५

जाए जहाँ सैनिक उसका बध करें तो ऐसा जवराधी पाप से मुक्त होगा ।

उक्त के अतिरिक्त ब्राह्मण के लिये अन्य वर्णों की अवेक्षा द्वारा-
इच्छित की जवाधी भी कम भी । यथा ब्राह्मण के लिये पर स्त्री से मैयुन
करने पर अन्य वर्णों के व्यक्ति के लिये विवित बारह वर्षों के प्रार्थीश्चत्त
के स्थान पर केवल उन वर्षों के प्रार्थीश्चत्त का उल्लेख है² ।

उक्त के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं होगा कि
समाज में ब्राह्मण को सर्वामुख स्थान द्वाप्त था तथा अनेक विशेषाधिकार
द्वाप्त थे परन्तु इतना तब होते हुए भी आपस्तम्ब की दृष्टि से उक्त विशेष-
ाधिकार केवल योग्य ब्राह्मण के लिये है तभी तो एक स्थान पर उन्होंने कहा
है कि जो ब्राह्मण बेदाध्यवन से सम्पन्न न हो उसे बैठने का स्थान, बल तथा
अन्न देना चाहिए किन्तु उसके आने पर उठकर उसके पृति सम्मान न
प्रदर्शित किया जाए³ ।

1. पृथमं वर्णं परिहाप्य पृथमं वर्णं हृत्वा सह.ग्रामं गृत्वा वित्तिष्ठत
तत्रैवं हन्तु.॥

- वा०४०३०० 1/9/25/12

2. सवर्णाद्विमन्यवृद्धिर्वर्णां सकृत्सन्निधाते पापः पततीत्पुण्डिशीन्ति ।

- वही 2/10/27/11

शुद्ध की स्थिति - धर्मसूत्रों का अबलोकन करते समय वर्णाचारस्था के सम्बन्ध में जो बात सबसे अधिक सटकने वाली है वह है शुद्ध के द्वारा उनका अन्याय और भ्रत्यर्जना से भरा हुआ दृष्टिकोण। वैदिक काल से ही शुद्ध इच्छानुसार गीर्ठा और मारा जाने वाला तथा केवल सेवा वृत्ति में नियुक्त विषय जाने वाला बताया गया है। उसके बीच की वह नगण्य स्थिति धर्मसूत्रों में और भी अधिक तुच्छ बन जाती है और वह अपने समूचे अधिकारों से जीवित कर दिया जाता है और अन्य वर्णों की सेवा ही उसका धर्म घोषित कर दिया गया। इसमें भी वैदिक की शुद्धज्ञा से वैत्तिक की शुद्धज्ञा और उसकी अवेदा ब्राह्मण की शुद्धज्ञा शुद्ध के लिये अङ्गिक तुष्टि देने वाली बतायी गयी है^२।

धर्मशास्त्र गुग में वेदों का अध्ययन शुद्धों के लिये नियमित हो गया था जब वैदिक गुग में उसको वह अधिकार प्राप्त था। यद्युर्बद वाच-सनेशी^३ संहिता में आता है- प्रभु कहते हैं कि मेरे भक्तों। तुम ऐसा मार्ग एकड़ों जिससे मेरी वह वैत्तिक तत्त्वाणि वेदवाणी मनुष्यमात्र तक पहुंचे।

1. शुद्धज्ञा शुद्धसेतरेभ्य वर्णानाम् ॥

- आ०४०४० - १/१/१७

2. वृद्धिसम् वृद्धिर्भव वर्णे निरप्रेक्ष्य भूमः ॥

- वही १/१/१८

3. यदु० इ० २६/२

ब्राह्मण, क्षीत्रिय, शूदू, वैश तुम्हारे अनें और परामे सब तक जहुंचे । इस त्रुकार हम देखते हैं कि यहाँ पर बेदों के अध्ययन का अधिकार विशिष्ट रूप से शूदूओं को दिया गया है ।

आषस्तम्ब के अनुसार शूदू को बेदाध्ययन का अधिकार नहीं था वस्तुत उनकी दृष्टि में बेदाध्ययन का अधिकार उनको ही प्राप्त था जिनका उच्चनवन संस्कार हो चुका हो । उन्होंने स्वाष्टः शूदू के लिये उच्चनवन संस्कार का निषेध किया है¹ । इतना ही नहीं आषस्तम्ब ने शूदू की सीन्निधि में अध्ययन का निषेध किया है और शूदू को इमशानवत् कहकर उनको नीन्दत ठहराया है² ।

उक्त के अतीरक्त आषस्तम्ब ने शूदू के लिये आग्न आधान का निषेध किया है³ । इससे स्वाष्ट होता है कि शूदू वैदिक बज नहीं कर सकते थे।

शूदूओं के अवराध करने पर अन्य वर्ण के व्याकृतयङ्गों की अवेक्षा अधिक दण्ड

1. अशुद्धाणामदुष्टकर्मणामुषाङ्गं बेदाध्ययनमग्न्याधेऽक्षवीन्त च कर्मणि ॥

-आ०४० शू० 1/1/1/6

2. इमशानवच्छुदूर्वैततौ ॥

- वही 1/3/9/9

3. - वही 1/1/1/6

दिवा जाता था¹। जहाँ शुद्ध बर्ण के मुख्य व्यारा अन्य बर्ण की स्त्री से मैथुन करने पर मृत्युदण्ड का विधान था वहाँ अन्य बर्ण के मुख्य व्यारा शुद्ध बर्ण की स्त्री से मैथुन करने पर केवल देश निकाला का विधान था²।

इतना ही नहीं शुद्ध जीवन नगण्य माना जाता था जहाँ ध्रुत्रिय हत्या पर 1000 गांवों व बैल का दान एवं बैश्व हत्या पर 100 गांवों तथा बैल के दान का विधान था वहाँ शुद्ध की हत्या का ग्रावीश्चत्त था केवल 10 गांवों तथा बैल का दान³। इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब ने शुद्ध के जीवन को शुद्ध नाशिकों के जीवन के तुल्य स्वीकारा है। तथा आपस्तम्ब का कथन है कैक कौआ, गिर-गिर, मोर, चक्रबाक, हंस, कुत्ता आदि के मारने पर शुद्ध के बध के समान ग्रावीश्चत्त करना चाहिए⁴।

1. मुख्यस्तेषु भूम्यादान इति स्वान्वादाय वधः। चक्रनिरोधस्त्वेतेषु ग्रावीश्चास्य ॥

- आ०४०३० 2/10/27/16-17

2. निष्पारम्भणो हि वर्द्धिवान्मुद्य एवमारम्भणादपत्वात् । नाश्य ग्रावीश्शुद्धायाम् ॥

- वही 2/10/27/7-8

3. ध्रुत्रियं हत्या गवां सहस्रं वैर्यात्मार्थं दयात्। शतं वैश्वे । दश शूद्रे । शक्त्राद्वाद्वाधिकः सर्वत्र ग्रावीश्चत्तार्थः ॥

- वही 1/9/24/1-4

4. आ०४०३० 1/9/25/14 एवं 1/9/26/1

उक्त के अतिरिक्त प्रथम तीन बर्णों के गुणावान व्यक्ति की निनदा करने वा उसको अपशब्द कहने पर आषस्तम्ब ने भीम का टने का उल्लेख किया है¹। आषस्तम्ब ने कहा है कि जो शुद्ध अन्य बर्णों के इस्तें के साथ वात्तरालाल में, पार्ग में, चलने में शब्दवा पर बैठने के आसन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार करे उसे छण्डे से भी टने का इण्ठ दिवा जाना चाहिए²। उक्त से स्पष्ट होता है कि समाज में शुद्ध की स्थिति अत्यधिक दबनीय हो गई थी।

इतना सब होते हुए भी आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक स्थलों पर शुद्ध के गृहित उदारता सँबंध मानवता के दर्शन होते हैं। आषस्तम्ब धर्मसूत्र³ का कहना है कि ब्राह्मण को अपवित्र शुद्ध के ठदारा लावा हुआ भोग्न नहीं करना चाहिए परन्तु साथ ही वह शुद्ध को आने उच्च बर्ण के स्वामी के खिए किसी

१. चिह्नाच्छेदार्थ शुद्धस्वास्य धार्मिकमाक्रोशतः॥

- आ०५०३० २/१०/२७/१४

२. बाचि पौधि शब्दवामासन इति समोभवतो दण्डाडनम् ॥

- बही २०००/२७/१५

३. अप्रवतेन तु शुद्धेणाऽपहृतममोज्जम् ॥

- बही १/५/१६/२२

त्रैबीर्णिक आर्य की अधिकता में उसकी देख रेख में भोजन बनाने की भी अनुमति देता है तथा उस समय उसके लिये विहित आचमन के स्थान पर उसी प्रकार के आचमन का विधान था जिसके लिए वे वह वैश्वदेव पर भोजन बना रहा है¹।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने शुद्ध का अन्न भोजन बताया है वही वह धर्म की प्राचीनता के लिए जातिरित हो²। इतना ही नहीं आपस्तम्ब धर्मसूत्र³ ने ब्रह्मचारी को अष्टात्र और अभिशस्त इउष्टात्त्वी इ को छोड़कर सभी बणों के व्यक्तियों के घरों से भिक्षा माँगने की अनुमति दी है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र⁴ कहता है वे कुछ आचारों के अनुसार अतिथि के घरों को दो शुद्धों को धोना चाहिए । इनमें से एक शुद्ध तो उसके घरों को धोने और दूसरा शुद्ध उसके घरों पर चानी डाले ।

1. गार्वाधीनिष्ठता वा शुद्धास्त्वस्कर्त्तारः स्तुः । तेषां स एवाऽस्त्रमनकल्पः ॥

- अठ०४०४०४० 2/2/3/4-5

2. तस्याऽपि धर्मो षनस्तस्य ॥

- वही 1/6/18/14

3. तर्व साभ्याहरन् गुरवे सार्वं प्रातरमत्रेण भिक्षाचर्च वरेदिभृष्माणोऽन्वत्राऽवश्यक्त्रोऽभिशस्ताच्य ॥

- वही 1/1/3/25

4 - वही 2/3/6/9-10

उक्त से प्रतीत होता है आषस्तम्ब के समय ब्राह्मण को शुद्ध के भी घर में बने हुए भोजन को ग्रहण करने की अनुमति थी और वह ब्राह्मण के घर रसोइया भी हो सकता था और ब्राह्मण को स्वर्ण करने के विषय में शुद्ध को किसी त्रुकार का निषेध नहीं था।

इतना ही नहीं एक स्पृश पर¹ आषस्तम्ब धर्मसूत्र कहता है कि जो विद्या स्त्रियों और शुद्धों की होती है वही विद्या की अन्तिम सीमा है। उसका ज्ञान ब्राप्त करने पर ही सभी विद्यायां का ज्ञान पूरा होता है तथा स्त्रियों और शुद्धों की विद्याएँ अधर्वनेद के ज्ञान का परीक्षण बंझ होती हैं।

इस त्रुकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आषस्तम्ब की दृष्टि में शुद्ध धृणित न था कितना की परमतर्ता तुग में होता गया।

बर्णसंकरः— बर्णसंकर या संकर एक ऐसा शब्द है जो वासितयां और उपजातियां के लिए धर्मशास्त्रों में खुलकर प्रयुक्त हुआ है। मनुस्मृति² में बहुवचन

1. सा निष्ठा या विद्या स्त्रीमु शुद्धेषु च। आपर्वणस्य वेदस्य शेष इत्युपदिशीन्त॥

में प्रयुक्त बर्णासंकर शब्द मिश्रण भावितव्यों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । कन्तु मन् १०/४० तथा ५/८९३ में संकर शब्द मिश्रण वा बर्णों के मिश्रण वा बर्णों के मिश्रण अर्थ में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है । गौतम^१ ने संकर शब्द का प्रयोग किया है और कहा है कि दोनों इब्राहिमण और राजन्दृष्ट गुण इगुणाओं का एकत्र हो वा धर्मालन् निर्भर करते हैं । मिताक्षराइत्याच्च० १/९६३ ने अनुलोम संप्रतिताम् तन्त्रोन्नों के लिए बर्णासंकर शब्द का प्रयोग किया है ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र ने भी बर्णासंकर भावितव्यों का उल्लेख किया है जो निम्नवत् है । आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अनुलोम भावित के रूप में केवल उग्र का उल्लेख प्राप्त होता है ।

॥१॥ उग्रः— आषस्तम्ब धर्मसूत्र में एक स्पृश पर आवा है कि आचार्य के आषद्यस्त होने की अवस्था में शब्द "उग्र" के बद्धां से दीक्षणा ले सकता है तथा इन भी प्राप्त कर सकता^२ बरन्तु आषस्तम्ब ने "उग्र" की उपास्ति के सम्बन्ध

१. गौ० ध०३०० ८/३

२. निष्प्रगते त्वाचार्य उग्रतः शुद्धतो वात्सवरेत् ।

में कुछ नहीं कहा है। व्याख्याकार हरदत्त के अनुसार^१ वैश शुद्ध और शूद्धा स्त्री से उत्पन्न सन्तान उग्र कहलाती है। बौधायन धर्मसूत्र^१ का भी यही मत है। गौतम धर्मसूत्र^२ के अनुसार वैश से शूद्धा स्त्री में उत्पन्न होने वाली सन्तान उग्र कहलाती है तथा इसको "दौष्ट्यन्त" नाम दिया है। साथ ही कुछ आचारों के मत का उल्लेख से इसको यक्ष इगौ०ध०सू० 4/17 भी कहा है।

सहवादिखण्ड संख्या ३५३ में शूद्धकमसाक में उग्र को राजपूत तथा बातिविवेक में शब्द उत्पन्न कहा गया है^३। मनु^४ के अनुसार उग्र बाति के व्यक्तियों की शारीरिक चेष्टावें तथा बाणी व्यापार कूर होते हैं एवं इसका व्यवसाय विलो-

1. बौ० ध० सू० 1/9/4

2. गौ०ध० सू० 4/14

3. डा० काणो- ध० शा० का इ०१० । पृष्ठ 127

4. मनु सू० 10/9, 10/49-50

रहने वाले वाणियों को बकड़ा और इनको मारना तथा इसका निवास चैत्यबृक्ष के नीचे, श्रमशान पर्वत और बनों के बास है। किन्तु अस्तु¹ ने इसको ब्राह्मण के संसर्ग से झुटा स्त्री में उत्पन्न सन्तान कहा है तथा वह राजा के दण्ड को धारण करने वाला, अवराधियों को दिये गये दण्ड को क्रियात्मक स्वर्ग में भीरणा त करने वाला बतलाया है।

जहाँ तक ब्रूतिलोभ वाणियों का वर्णन है आषस्तम्ब ने केवल चण्डाल, बौल्कस और बैण का नामना निर्देश किया है²।

इक हृ चाण्डाल- आषस्तम्ब के अनुसार चोर तथा वातकी ब्राह्मण नरक में अनेक वातनाओं को भ्रोग कर इस जन्म में चाण्डाल बैद्य होता है। इस पर व्याख्याकार हरदत्त ने चाण्डाल की उत्पीत शूद्र शुरू और ब्राह्मणी स्त्री से मानी है। उही मत गौतम द्यं बौधाग्न का है³।

विष्णु धर्मसूत्र⁴ के अनुसार चाण्डाल मृत्युदण्ड ब्राप्त अवराधियों को मारकर अपनी जीविका निर्बाहि करता है तथा इनका निवास ग्राम के बाहर और इनके बस्त्र मृत व्यक्तियों के बस्त्र होते हैं। मनु॥10/12॥ ने इसको मनुष्यों

1. उ०स्म० ५।

2. स्तेनोऽभिशस्तो ब्राह्मणो राज्ञो वैश्वो वा परीस्मल्लकैव्यीरिषिते निरवे वृत्ते वायते चण्डालो ब्राह्मणः पौल्को राज्ञो वैणो वैश्वः॥ -बा०ध०द० 2X8X2/6

3. गौ०ध०द० 4/15-16, बौ०ध०द० 1/9/9

अधम कहा है । बाज़०॥१/९३॥ और स्मृत्वर्धसार के अनुसार चाण्डाल सर्वधर्मबीहृष्टकृत है अर्थात् वह चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण के धर्मों को करने का अधिकारी नहीं है । जावङ्ग ॥स्त्रीशुंह ॥८॥ ने इसको चाँचल कहा है । संक्षेप में कहा था उक्ता है कि चाण्डाल शूद्र की ब्रेणी में भी नहीं आता थी तथा इसकी स्थिति शूद्र से भी निकृष्ट थी । इसीलिए आपस्तम्ब^१ ने चाण्डाल को कुर्तारों और कौबों की ब्रेणी में रखा है ।

ख० पौलक्ष - आपस्तम्ब^१ के अनुसार वोर तथा वातकी धनिया परतोक से अपने वाकों के पक्ष भोगने के बाद 'पौलक्ष' वाति में उत्थन्न होते हैं । व्याख्याकार हरदत्त के अनुसार वह शूद्र शुरुष से धनिया स्त्री में उत्थन्न सन्ताति है^२ परन्तु बोधाग्न धर्मसूत्र^३ के अनुसार निषाद ॥ब्राह्मण शुरुष + शूद्र स्त्री ॥शुरुष और वैश्या स्त्री में उत्थन्न सन्तान 'शुलक्ष' कहलाती है परन्तु अन्य सूत्र में उन्होने निषाद और शूद्रा स्त्री के लंसर्ग से उत्थन्न माना है । विष्णु धर्मसूत्र^४ के अनुसार वह वैश्य शुरुष से धनिया स्त्री में उत्थन्न सन्तान है और इसकी वृत्ति

1. ब्रा०ध० शू० 2X2X2/6

2. शुआत्वधनियादां वातः शुलक्षः - हरदत्त सूत्र 2/1/2/6 की व्याख्या

3. बौ०ध० शू० 1/8/11 सं 1/9/13

4. वि०ध० शू० 16/5

शिकार करना है । मनु¹ ने निषाद से शूद्रा स्त्री में उत्पन्न हुए को पुल्कस कहा है एवं इसका व्यवसाय बिल में रहने वाले सर्व, नकुल और गोधा आदिवों को बकड़ा और मारना है ।

ग्रंथ बैण .-- आषस्तम्ब² के अनुसार चोर तथा चातकी बैश्य वरलोक में अपने पातों के कल को भोगने के बाद फलों के नष्ट होने पर बैण चाति से उत्पन्न होते हैं । व्याख्याकार हरदत्त ने शूद्र और बैश्य की सन्तान बैण कही है । मनु³ एवं बौद्धाबन के अनुसार यह बैदेहक [बैश्य शुद्र + ब्राह्मण स्त्री] शुद्र से अभ्यष्ठ [ब्राह्मण शुद्र + बैश्य स्त्री] में उत्पन्न होने वाली सन्तान है । तथा इसका व्यवसाय बाध अन्त्रों का बचाना है । कुल्चक [मनु 4/2/5] ने बाँस को काढने के छदारा अनी आशीषिका चलाने वाले को बैण कहा है ।

उक्त श्रीतिसोभ्य चातिवों का नामना निर्देश के अतिरिक्त एक स्थल पर आषस्तम्ब धर्मसूत्र में आया है कि ब्राह्मणों के ग्राम के अन्दर बाने पर उस दिन अनध्याय रखना चाहिए⁴ । व्याख्याकार हरदत्त ने उग्र निषादादि

1. मनु० स्म० 10/49, 10/18

2. बा०ध०स० 2/1/2/6

3. मनु० स्म० 10/9, 10/49-50

4. तदहरागतेषु च ग्राह्यं बाल्येषु ॥

को बाह्य कहा है। विष्णु धर्मसूत्र में बाह्य शब्द का अर्थ प्रतिलोमण किए गया है। बाह्य की उत्तरित्त के विषय में मनु² का वर्णन है कि जिस प्रकार शुद्ध ब्राह्मणी में बाह्य वाति के चण्डाल को उत्थन्न करता है, उसी प्रकार ब्राह्यचाण्डालादि वातुर्बर्ण में चाण्डालादिकों से भी बाह्यतर वाति के व्यक्तियों को उत्थन्न करते हैं। इस प्रकार इन बाह्यों की संख्या 60 प्रति-पादित की है।

१० बाह्याः उग्निशादादयः - आठ०सू० १/३/९/१८ पर हरदत्त की
फि खण्ड।।

२० विष्ण० १०/३०-३।

संस्कार

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में स्वर्तत्र रूप से केवल उच्नयन, समावर्त्तन एवं विवाह संस्कारों का ही उल्लेख किया गया है।

इकट्ठा उच्नयन:- उच्नयन का मौलिक अर्थ है आचार्य के व्दारा बालक का छात्र के रूप में ग्रहण किया जाना वह हिरण्यकेशि गृह्यसूत्र के निम्न कथन से स्पष्ट होता है "तब गुह बच्चों से वह कहलाता है मैं ब्रह्मर्थ को प्राप्त हो जाऊँ , मुझे इसके पास ले चलिए। सविता देवता व्दारा प्रेरित ब्रह्मचारी होने दौड़िए।"

अतः अन्य शब्दों में विधार्थी के आचार्य के व्दारा ब्रह्मविद्या की शिक्षा देने के लिए स्वीकार किये जाने की विधि उच्नयन संस्कार है।

उच्नयन के सम्बन्ध में आषस्तम्ब का कथन है कि उच्नयन एक संस्कार है, जो उसके लिए किया जाता है जो विद्या हीख्ना चाहता है, वह ऐसा संस्कार है जो विद्या हीख्ने वाले को गायत्री मन्त्र चिन्हाकर किया जाता है²। इससे

1. अपैनमभिव्याहारयति "ब्रह्मवर्षामागामुष मा नवस्व ब्रह्मचारी भवानि देवेन सवित्रा प्रसूतः"। इति॥ ५०४० १/५/२

2. उच्नयनं विधार्थस्व शुद्धितस्तंस्कारः॥। सर्वेष्यो वे वेदेभ्यस्ताविच्छनुच्यत इति हि ब्राह्मणम्॥

स्वष्ट है कि उचनयन प्रमुखतया गायत्री उपदेश है । गायत्री उपदेश ब्रेद अध्ययन के लिए ग्रन्थधिक आवश्यक धा इसीलिए आषस्तम्ब ने ओकार को सर्वा का छदार माना है तथा ब्रेद का अध्ययन इसी ओकार शब्द से आरम्भ करने का उत्तेजित किया है¹। इस कथन से यह स्वष्ट होता है कि आषस्तम्ब की दृष्टिमें ब्रेदाध्ययन के अधिकारी वे ही व्यक्ति हैं जिनका उचनयन संस्कार होता है । उन्होने शूदुवर्ण तथा दुष्टकर्म करने वालों को छोड़कर शेष व्यक्तियों के लिए उचनयन का विधान किया है²। इससे ध्वनित होता है कि शूदुवर्ण के व्यक्ति का उचनयन संस्कार हो ही नहीं सकता तथा अन्व तीन वर्णों के व्यक्ति जो दुष्टकर्मरत हैं वे भी उचनयन संस्कार के अधिकारी नहीं हैं ।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने "उचनयनं विद्यार्थस्व" ॥११११९॥ कहा है इससे यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं है कि आषस्तम्ब ने केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए उचनयन की व्यवस्था की है जो विद्याग्रहण के अभिलाषी हैं । इस प्रकार आषस्तम्ब ने शूदुवर्ण, दुष्टकर्म करने वाले एवं विद्याग्रहण की

१. ओऽकारस्सर्वाध्यक्षार तस्माद्व्रह्माऽध्येष्यमाण एतदादि प्रतिष्ठेत ॥

-आ०५०६० १४/१३/६

२. शूदुवर्णामदुष्टकर्मणामुवाचतं ब्रेदाध्ययनमग्न्याधेयं प्रलब्धित च कर्माणि ॥

- बही १४/११/६

अभिलाङ्घा से रहित व्यक्तियों के लिए उपनयन का निषेध किया है परन्तु

मैत्रसूलर! ने 'संस्कार गवाचित' में उद्घृत आषस्तम्ब के सूत्र 'अथ शुद्धाणामुपानयनम् । आषस्तम्ब ॥' के आधार पर वह सिद्ध किया है कि आषस्तम्ब के अनुसार शुद्धों को भी उपनयन का अधिकार है, किन्तु मैत्रसूलर की वह धारणा गलत है क्योंकि आषस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार बेदाध्यवन का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो । आषस्तम्ब धर्मसूत्र १/३/९/९ में शूद को इमशानबद् लम्जा गया है तथा इमशान में बेदाध्यवन वर्णित माना है । अतएव विस व्यक्ति के समीक्ष बेदाध्यवन नहीं किया जा सकता है वह व्यक्ति स्वयं कैसे बेदाध्यवन का अधिकारी हो सकता है ?

उपनयन संस्कार के पश्चात् द्राचीनकाल में बालक का ब्रह्मचर्यांश्रिम वीन द्रारम्भ होता था द्राचीन काल में आचार्यों की धारणा थी कि विद्यार्थी को पूर्णार्थ से जब तक अपना नहीं करा लिया जाता तब तक उसे लमीचीन विद्यि से शिक्षा नहीं दी जा सकती । अतएव इसी धारणा के अनुसार संस्कार में आचार्य उस विद्यार्थी को एक नया जन्म देता है । विद्यार्थी आचार्य का शुत्र हो जाता है ।

पूत्र काने की प्रक्रिया का वर्णन अर्थवेद में इस प्रकार मिलता है "उषनयन करते हुए आचार्य ब्रह्मचारी को गर्भ में प्रतिष्ठित करता है तीन दिन तक उदर से उत्का बोधण करता है। उसके उत्कन्न होने पर देवता उसे देखने आते हैं"। "

अतः उक्त से ध्वनित होता है कि आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान शरीर देता था। यही भावना आषस्तम्ब धर्मसूत्र में दृष्टिगोचर होती है आषस्तम्ब धर्मसूत्र² का कथन है कि आचार्य उपनीत बालक को विद्या से उत्कन्न करता है। विद्या से उत्कन्न होने वाले जन्म श्रेष्ठ होता है तथा उषनयन से ही पार्मिक कृत्य करने का अधिकार आरम्भ होता है।

यही कारण है कि आषस्तम्ब ने उषनयन संस्कार सम्बन्ध करने वाले आचार्य की बोधता पर विशेष बल दिवा तथा अषेष्ठा की है कि आचार्य ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जिसका जन्म वेदविद्याध्ययन की अविच्छिन्न वरम्बरा वाले के कुल में हुआ हो तथा वह सामहित इनिषिष्ट कर्मों से विरत

1. आचार्य उषनयमानो ब्रह्मचारीर्णा कुण्ठुते गर्भमन्तः।
तं रात्रीस्तस्त्र उदरे विभीति तं जातं द्रष्टुमभिसंबन्धित देवाः॥

-अर्थवेद 11/5/3

2. आ०४०३० 1/1/16-17, 2/6/15/23-25

तथा अधिक कर्मों में प्रन लगाने बाताहै हो¹। इयोंकि वहि उक्त गुणों से रहित आचार्य के छदारा उपनयन कराया जाता है तो आषस्तम्ब की दृष्टि में उपनील व्यक्ति अन्धकार से निकल कर अन्धकार में ही ब्रविष्ट होता है²।

आषस्तम्ब ने उपनयन के लिए दो श्रकार की आयु नित्य एवं काम्ब का उल्लेख किया है। आषस्तम्ब ने ब्राह्मण, ब्रत्रिय एवं बैश्य के लिए उपनयन हेतु निस्त्र आयु क्रमशः गर्भ में आठवें वर्ष में, गर्भ के चारहवें वर्ष में तथा बैश्य की गर्भ के बारहवें वर्ष में मानी³ है एवं काम्ब आयु का उल्लेख निम्नबत् किया है—
 ब्रह्मवर्चस की कामना रखने वाले का सातवें वर्ष में, दीर्घबीबन की इच्छा वाले का आठवें वर्ष में, तेज की कामना से नवे वर्ष में, अन्न की अभिलाषा वाले को दसवें वर्ष में, इन्द्रियशक्ति चाहने वाले को चाहरवें वर्ष में और पशुसम्बन्धित के अभिलाषी का बाहरवें वर्ष में उपनयन किया जाना चाहिए³।

1. स्मन्नभिजनविद्यासमुदेतै समाहितं संस्कर्तास्मीप्लेत् ॥

—आ०ध०३० 1/1/1/12

2. - बही 1/1/1/11

3. - बही 1/1/1/19

4. अथ काम्बानि । सप्तमे ब्रह्मवर्चसकामम् । अष्टम आयुष्टामम् ।

नवमे तेष्टकामम् । दशमेऽन्नायकामम् । एकादश इन्द्रियकामम् ।

छदादशे पशुकामम् ॥

— बही 1/1/1/20-26

आषस्तम्ब ने ११/१/१९५ में स्वष्ट सम से कहा है कि उक्त आयु की गणना ग्रन्थित्रय से होगी, न कि बालक के जन्म से ।

इसी प्रकार गौतम एवं विश्वामित्र ने उपनयन के लिए नित्य एवं काम्य आयु का उल्लेख किया है वरन्तु बौद्धायन धर्म सूत्र में केवल नित्य आयु का ही उल्लेख है, काम्य आयु का नहीं¹ ।

आषस्तम्ब के अनुसार यदि उक्त उपनयन की अवस्था में किन्हीं कारणों से बालक का उपनयन संस्कार नहीं हो सकता है तो ब्राह्मण बालक के लिए १६ वर्ष, ऋत्रिव के लिए बाइस वर्ष तथा बैश्य के लिए चौबीस वर्ष की आयु उपनयन के लिए अन्तिम अवधि है²। इस समयावधि के भीतर उपनयन संस्कार न कराने वाला व्यक्ति वित्त सामिक्रिय कहलाता है तथा समाज में वह विगर्हित

1. बौ०४०३०० १/२/८-१०, गौ०४०३०० १/६-८, १२

2. आचो छाद्ब्राह्मणस्यानात्तद्य आव्दाविंशात्वत्रियस्याऽऽचतुर्विंशात्वदैश्यस्य वर्त्तु लम्पर्पः स्याधानि वक्ष्यामः॥

हो जाता है¹। अतएव आषस्तम्ब ने ऐसे व्यक्ति के हिलये केदाध्ययन का निषेध किया है तथा यज्ञो में जाने सबं वित्त सामिक्रिक व्यक्तियों के साथ सामाजिक सम्बन्ध यथा मिलने छुलने, मोजन और विवाह वा वर्जन किया है² परन्तु आषस्तम्ब ने इन वित्तसामिक्रियों के लिये ग्रायशिचत्त का विवाहन किया है जिसको कर लेने पर वे उपनयन संस्कार के अधिकारी हो सकते थे³।

उपनयन के लिये बण्डानुसार भिन्न-भिन्न समय का उल्लेख धर्मसूत्र में प्राप्त होता है। यथा वसन्त ऋतु में ब्राह्मण, श्रीष्म में श्रीत्रिय, शरद ऋतु में वैश्य का उपनयन किया जाना चाहिए⁴।

1. अत उद्दर्बं त्रयोऽप्येते यथा कालमसंस्कृताः।

सामिक्रियतां ब्रात्या भवन्त्यार्यविगर्हिताः॥

- मनु०सू० 2/39

2. तेषामभ्यागमत्वं भोक्त्वा लभिति च वर्षयेत्तेषामिच्छतां
ग्रायशिचत्तं व्यादशक्षर्णिण त्रैविष्कं ब्रह्मवर्य वरेदपोषनयत्
तत उदकोषस्वर्णं वावमान्यादिभिः॥

- आ०ध०सू० 1/1/2/6

3. आ०ध०सू० 1/1/2/5-11, 1/1/1/28-37

4. - वही 1/1/1/19

उच्चनयन विधि का उल्लेख आषस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त नहीं होता है ।

सम्भवतः इसका का रण यह है कि आषस्तम्ब ने अनें गृह्यसूत्र में इसका विषद् बर्णन किया है ।

इष्टै समावर्तनः- समावर्तन का शाब्दिक अर्थ है, गुरुगृह से बेदाध्ययन के अनन्तर गृह को लौटना इसे स्नान भी कहा जाता है क्योंकि स्नान, समावर्तन हङ्सकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तथा यह इस बात का घौतक है कि छात्र ने विद्यासागर को बार कर लिया । आषस्तम्ब धर्मसूत्र ॥1/2/7/15 एवं ३।५ में समावर्तन शब्द का प्रयोग प्राप्त होता है ।

सूत्रकारों ने बेदाध्यानोपरान्त ब्रह्मचारी के लिये समावर्तन हङ्सकार के प्रतीक रूप में स्नान किया का बर्णन किया है । इस स्नान के पश्चात्, स्नान किया हुआ व्यक्ति स्नातक कहलाता था । आषस्तम्ब धर्मसूत्र में स्नातक की तीन कोटियों का उल्लेख प्राप्त होता है² । ॥१॥ विद्यास्नातक- विद्या स्नातक वह व्यक्ति कहलाता था जिसने बेदाध्ययन समाप्त कर लिया हो, किन्तु ब्रूत न किये

1: आषस्तम्ब गृह्य सूत्र चतुर्थ पट्ट ।

2: विद्या स्नातीत्वेके । तथा ब्रतेनाऽष्टावत्पारिंशत्परीमाणेन । विद्या ब्रतेन वेत्प्रेके ॥

हो । १ ब्रतस्नातक- जिसने ब्रत कर लिये हो किन्तु बेदाध्ययन समाप्त न किया हो, वह ब्रत स्नातक कहा जाता है- इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब ने कहा है कि अडतालीस वर्ष तक ब्रह्मचर्य वालन कर स्नान करना चाहिए² २ विवाहब्रत स्नातक- ब्रह्मचर्य स्नातक वह कहलाता था जिसने ब्रत स्वं बेदाध्ययन दोनों की परिसमाप्त कर ली हो ।

इस द्रुकार समावर्तन हङ्सकार गुरु गृह्य से शिष्य की बाष्पती का यौतक है, इससे स्वष्ट होता है कि समावर्तन हङ्सकार नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, के लिए नहीं होता था, जो गुरु गृह में रहकर जीवन वर्षन्त अध्ययनरत रहता था । बस्तुतः समावर्तन हङ्सकार ब्रह्मचर्यात्रिम की समाप्ति का गृहस्भाग्रम के द्वारम्भ का हङ्सकार है वरन्तु स्नान तथा विवाह के बीच लम्बी अवधि पायी जा सकती है । इसी कारण से आषस्तम्ब की धारणा है कि समावर्तन के बाद स्नातक विवाह के पूर्व तक ब्रह्मचारी की तरह ही आचरण करें³ ।

- | | | |
|----|----------|-----------|
| 1. | - अ०५०३० | 1/11/30/1 |
| 2. | - बही | 1/11/30/2 |
| 3. | - बही | 1/2/8/1 |

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में समावर्तन विधि का वर्णन नहीं प्राप्त होता है, अपितु आषस्तम्ब गृह्यसूत्र¹ में प्राप्त होता है किन्तु आषस्तम्ब धर्मसूत्र में स्नातकों के लिए विहित नियमों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है जो कि निम्नवत् है:- स्नातक गाँव में सामान्यतः शूर्व की ओर से अथवा उत्तर की ओर प्रवेश स्वं निष्क्रमण करे²। प्रातःकाल तथा संध्या के समय ग्राम से बाहर बैठकर मौन होकर [सन्ध्योवासन] करें³। मनु स्वं गौतम ने भी प्रातः स्नान साप्तं स्नातक के लिये सन्ध्योवासन करने का उल्लेख किया है⁴।

1. आ०गृ०सू० पञ्चम पट्टा

2. शूर्वेण ग्रामान्निष्क्रमणप्रवेशनानि शीलबद्धत्तरेण वा ॥

-बही 1/11/30/7

3. सन्ध्योश्च बहिग्रामादासनं वास्थत्तरच ॥

-बही 1/11/30/8

4. मनु० सू० 2/101, गौतम 2/17

आषस्तम्ब धर्मजूत्र में अग्निहोत्री स्नातक के लिये गाँव से बाहर,

प्रात् एवं सौंध जाकर बैठना आवश्यक नहीं माना गया है क्योंकि जूत्रकार की दृष्टि में स्नातक व्याधा घर में अग्निहोत्र करना वा गाँव से बाहर जाकर बैठना इन दोनों विकल्पों में विरोध उत्पन्न है। ऐसी दृष्टि से वेद में आदिष्ट अग्निहोत्र कर्म ही प्रबल माना जायेगा क्योंकि स्था र्त्त नियम को श्रुति की अवेक्षा वरीयता नहीं दी जा सकती¹।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने स्नातकों के लिये तभी जूत्रकार के रंगीन बस्त्रों एवं स्वावल कृष्ण बर्ण, अधिक चमकीले, भद्रे स्वं गन्दे बस्त्रों का वर्जन किया है²। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आषस्तम्ब ने स्नातकों के लिये केवल इवेत बस्त्रों को ही बहनने की अनुमति दी थी। वही नियम याज्ञवल्क्य एवं मनु स्मृति में मिलता है³।

1. विद्वितिष्ठे श्रुतिलक्षणं ब्र्लीषः॥

आ०ध०स० 1/11/30/9

2. सर्वान्त्रागान्वाससि वर्जेत्। कृष्णां च स्वाभाविकम्। अनु द्वासि वासो वसीत।
अप्तुः च शक्तिविष्ये॥

-वही 1/11/30/10-13

3. याज्ञ० स्म० 1/131, मनु 4/35

आषस्तम्ब ने मलमूत्र त्याग के सम्बन्ध में भी नियम दिये हैं।

उनके अनुसार वृद्धों की छाया में मलमूत्र का त्याग न करें, सिर को ढंकर ही तथा पृथ्वी पर कुछ इतृण आदि रख कर ही मूत्र और मल का त्याग करें, जूते बहनकर, जोते गधे खेत में, मार्ग के ऊपर, जल में, अग्नि, जल, ब्राह्मण, गौ, देव, कृतिमा की ओर मुख करके मल मूत्र का त्याग न करें तथा उत्थर के टुकड़े, मिट्ठी के टेले हे, वृद्धों तथा बनस्पतियों के तोड़े गधे हरे पत्तों से शरीर में लगे मलमूत्र को न छोड़ें¹। अतिरु आषस्तम्ब ने व्यवस्था दी है कि दक्षिण निवास स्थान से दूर दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में जाकर मल मूत्र का त्याग करें। एवं दक्षिण की ओर मुख करके मल त्याग तथा उत्थर की ओर मुख करके मूत्र त्याग करें²। मनु स्तं या०स्म० मे उक्त मलमूत्र त्याग सम्बन्धी नियम कुछ अन्तर के साथ आषस्तम्ब धर्मसूत्र सदृश ही ब्राप्त होते हैं³।

१. शिरस्तु ब्रावृत्य मूत्रुरीषे कुर्वाति भूम्यां तिक्तिंचदन्तर्धायि। छायायां मूत्रुरोष्योः कर्म बर्षयितु। स्वाँ तु छायामबमेहेत्। न लोकान्मूत्रुरीषे कुर्वाति। कृष्टे। इथि। अप्सु च। तथा इठेबनमैयुनयोः कर्माऽप्सु बर्षयितु। अग्निमादित्यमणो ब्राह्मण गा देवताश्चाऽभिमुखो सूत्रपूर्वाद्योः कर्म बर्षयितु। अस्माहां लोष्ट्याद्वार्णोऽधि-बनस्पतीनृधर्वानाच्छिथ मूत्रुरीष्योः शुन्धने बर्षयेत्।

-आ०स्म० १/११/३०*१५-२४

२.

-बही १/११/३१/१-२

३. मनु०स्म० ४/४५-५०, या०स्म० १/१३१-१३७

आषस्तम्ब ने अष्टविंशति होने पर ब्राह्मण, गौ, मूज्यवस्तु, के सर्वे
स्त्रं देव अभिधान का निषेध किया है तथा देवताओं स्त्रं राजा के विषय में नि-
न्दापरक बचन, गौ, यज्ञ की दक्षिणाएँ एवं कन्दा के दोषों के कर्म का निषेध
किया है। स्त्रं यदि गौ कलता को सा रही है या बछड़े को दूध पिला रही हो
तो आषस्तम्ब ने किसी विशेष निमित्त के अभाव में स्वामी से कहने का निषेध
किया है²,

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने स्नातक से अषेषा की है कि जो
व्यक्ति भद्र हो उसे भद्र न कहे अपितु शुण्य और ब्रशस्त कह कर उसका उल्लेख करें
तथा जो गाय दूध न दे रही हो उसे धेनुम्यव्य कहे, अधेनु न कहें³ तथा
किन सम्भों के बीच छूला लटकाया गया हो उन दोनों के
बीच से न जाये एवं सभा में यह न कहे कि "यह व्यक्ति मेरा शत्रु है" यदि ऐसा

1. देवताभिधार्त चाऽनुवतः। पर्व चोभयोर्देवतान्तः राजस्व। ब्राह्मणस्व गोरीति
पदोवस्वर्णं वर्जित्। हस्ते चाऽकारणात्। गोर्देविणानां कुमार्याश्च परी-
वादा-वर्जित्॥

- आ०४०३०० 1/11/31/4-8

2. -बही 1/11/31/9-10, गौ०९/२४

3. -बही 1/11/31/15-17, गौ०९/५२

कहता है कि वह व्यक्ति मेरा शत्रु है तो वह दुोह करने बाले शत्रु को वैदा कर देता है¹। एवं स्नातक को इन्द्रधनुष देखने पर उसके विषय में दूसरे व्यक्ति से नहीं कहना चाहिए। इस सम्बन्ध में गौतम धर्मशूल में आया है कि यदि इन्द्रधनु कहना हो तो मणिधनु कहें²। आपस्तम्ब ने स्नातक के लिये अब पक्षी एकत्र हो तो उनकी सत्या की गणना करने, उगते हुए तथा अस्त होते सूर्य का दर्शन करने का निषेध किया है तथा अमावस्या की रात्रि में ज्ञात्मसंबंधम् एवं ब्रह्मचर्य तथा देवार्चन छारा ब्रह्मतन्त्रूर्बक रक्षा करने को कहा है क्योंकि उस रात्रि सूर्य और चन्द्रमा एक साथ निवाह करते हैं इन किसी कुटित्सत अर्थात् वृषांश्च मार्ग से ग्राम में ब्रवेश न करे यदि किसी कारण से ब्रवेश करे तो 'नमोस्त्राव बास्तोष्टत्ये' मन्त्र का अव करें³। किसी ब्राह्मण को उच्छिष्ट अन्न न दे यदि दे तो, दाँतो को

1. -आ०ध०३०० १/११/३१/१८, गौ ९/२३
2. - बही १/११/३१/१९-२१, मनु ४/३७
3. -बही १/११/३१/२४

खरोचकर उनके मल को उस उच्छिष्ट अन्न में रखकर दे। तथा क्रोध आदि उन दोषों से दूर रहे जो योग की सिद्धि में बाधक होते हैं²।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने अन्य धर्मज्ञों के मत का उल्लेख करते हुए स्नातक के गुरु के समीप माला आदि बहन कर जाने के अनुमति दी है³ वरन्तु वहाँ तक आषस्तम्ब का मत है यह मत आषस्तम्ब को मान्य नहीं है क्योंकि उन्होंने एक सूत्र⁴ में स्वष्ट रूप से आवार्य केवामने माला चन्दन आदि लगाकर जाने का निषेध किया है। उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब धर्मसूत्र में स्नातक के ऐसे आसन वर बैठने का विषये गुरु के आसन की अषेषा अधिक पाये जाने तथा जिस वर गुरु बैठते हैं, का निषेध प्राप्त होता है⁵। अचितु ऐसे

1. -आठ०सू० १/११/३१/२५-२७, मनु ४/८०

2. -बही १/११/३१/२७, मनु ४/६३

3. स्नातस्यु काले यथानिध्यमिदृतमादृतोऽभ्येतो वा न प्रतिसंहरेदित्येके।।

-बही १/२/८/७

4. मात्वालिप्तमुख उपलिप्तकेशमशुरक्तोऽभ्यक्तो वेष्ठित्युषवेष्ठिकी काञ्चुक्युषानही वादुकी ॥

- बही १/२/८/२-३

5. तथा बहुगादे । सर्वतः तिष्ठत । शश्यासने चाऽऽचरिते नाविशेत् ॥

-बही १/२/८/९-११

आसन पर बैठे जो सभी ओर से कृष्णी पर लगा हो¹ ।

इस बुकार आषस्तम्ब ने स्नातकों के लिए आवरण सम्बन्धी नियमों स्नातक धर्म एवं ब्रतों की विस्तृत विवेकना की है ।

1. गृह विवाह - बैदिक धारणा के अनुसार 'गर्भवन्द' इगृहस्थ बीवना² के लिए पत्नी का होना अवशिष्ट है²। शतषथ ब्राह्मण के अनुसार पत्नी अर्धाइ.गनी है । अतः जब तक व्यक्ति विवाह नहीं करता, तब तक वह अष्टूर्ण रहता है³ तथा इन्दू समाच में कोई धार्मिक कृत्य स्त्री के किना दूरा नहीं होता⁴।

आषस्तम्ब के इस कथन⁵ से कि यदि पत्नी धर्मों में अध्या रखने वाली तथा पुत्र उत्पन्न करने में सक्षम हो तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए

1. श०ब० 10/45/34, 5/3/21

2. श०ब० 5/2/1/10

3. मनु० सृ० 9/28

4. धर्मकासम्बन्धे दारे नात्यां कुर्बीत ॥

-आ०ध०सू० 2/5/11/12

5. मनु० सृ० 9/28

से ध्वनित होता है कि आषस्तम्ब की दृष्टि में विवाह के उद्देश्य है कि -

पत्नी वृति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा सन्तानोत्पत्ति व्यारा वृति की नरक से रक्षा करती है । मनु¹ का भी मानना है कि विवाह का उद्देश्य सन्तान ब्राह्मण शास्त्रोक्त धर्मों का पालन है ।

अतः उक्त से स्पष्ट है कि पृथिवीदिन की लोक यात्रा के लिए स्त्री अनिवार्य, अविमाज्य आवश्यकता है² । इसी कारण धर्मसूत्रकारों ने विवाह को ब्राह्मण, ब्रह्मिण्य, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लिये आवश्यक माना है ।

विवाह के ब्रकार :- आषस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह के केवल 6 ब्रकारों- ब्रह्म, उल्लेख
आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस का ही ब्राह्म होता है, ब्राह्मत्य एवं
पैशाच का नामोल्लेख नहीं है जब तिक लगभग सभी धर्मशास्त्रकारों ने आठ ब्रकार
के विवाह बताये है³ । आषस्तम्ब व्यारा पैशाच विवाह का उल्लेख न करने का

1. क्योंकि धर्म के पालन के लिये वृति पत्नी का सम्बन्ध होता है ।

-आ०ध०स० 2/6/3/11

2. मौ० 4/3/13, आश्वा गृ० सू० 1/6 बौ०ध०स० 1/11 कौटिल्य 3/2,
मनु 3/40 याज० 1/59 नारद 38/39

3. महाभारत 13/44, मनु० 3/25, शंख, 4/2 ब्राह्मदेवस्तम्बाऽर्थः

कारण सम्भवतः पैशाच विवाह का धर्मशास्त्र ग्रन्थोंमें अत्यन्त निन्दनीय और गर्दित माना जाना है¹। उहाँ तक ब्राह्मवत्यं न्यूनतर ब्रुकार का ब्रुहन है ब्राह्म विवाह ब्रुणाली और ब्राह्मवत्यं विवाह ब्रुणाली में कोई विशेष अन्तर न था दोनों ही विवाह ब्रुकारों में पिता वेदज्ञ ऋबर को अपने यद्यां आमन्त्रित करके कन्या को दान करता था। यही कारण है जिससे आषस्तम्ब ने ब्राह्मवत्यं विवाह ब्रुणाली का उल्लेख नहीं किया।

आषस्तम्ब² के अनुसार ब्राह्मविवाह में पिता अपनी कन्या को ब्रजा की उत्कृष्टि तथा धर्म कर्म एक साथ करने इच्छित एवं बत्ती॥ के प्रयोगन क्र से वर के कुल, चरित्र, धर्म में आस्था, विद्या, स्वास्थ्य के विषय में बानकारी ब्राप्त करके, अपनी इच्छित के अनुसार कन्या को आभूषणों से अलंकृत कर कन्या ब्रुदान करे।

आर्द्धः:- इस विवाह में वधु का पिता अपने जाग्राता से धार्मिक यज्ञों के लिये माय तथा वेल ब्राप्त करता था³। आषस्तम्ब ने इस उष्णहार को वधु के मूल्य के रूप में नहीं स्वीकारा है, इससे यह भासित होता है कि ब्रायः सभी माता पिता

1. - आ०ध०सू० 2/5/11/17, मनु 3/27,
या० 1/58
2. - बह०ध०सू० 2/5/11/18, मनु 3/29,
या० 1/59
3. डा० अ० शंकर प्रिया - ब्राचीन भा०का सा०इ० ३० 333

अबना औवा— शृंगियों से करना चाहते थे क्योंकि लोगों का विचार था कि शृंगि से उत्तमन संतान प्रजावान होती है। कलत कन्या का विता विवाह के ग्रन्ति इच्छुक शृंगि से एक गाय बैल का जोड़ा लेता था ताकि यह प्रमाणित हो जाय कि अब शृंगि विवाह के लिये उत्सुक है। अतः वर से प्राप्त वह उपहार कन्या का मूल्य नहीं बर्त्तक भेट होता था¹।

दैव :- अबनी कन्या को विवाहित करने के लिए विता एक यज्ञ का आयोजन करता था। जो व्यक्ति उस यज्ञ को विधिधूर्वक सम्बन्ध कर लेता था, उसी से उस कन्या का विवाह किया जाता था। इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कथन है कि इस विवाह में विता कन्या को सेषे शृंतिवज्र को प्रदान करे जो त्रौत यज्ञ करा रहा हो²।

गान्धर्व :- आपस्तम्ब के अनुसार यब कन्या और वर वरस्तर काम के वशीभूत होकर विवाह करते हैं तो वह गान्धर्व औवा कहलाता है³। वस्तुतः यह

1. दैवे यज्ञतन्त्र शृंतिवज्रे प्रतिषादयेत्।।

-आ०ध०सू० 2/5/11/19

2. आ०ध०सू० 2/5/11/20, बौ०ध०सू० 1/11/6, गौ०ध०सू० 1/4/8

3. शृंगवेद 10/27/12- 1/12/23/11

**विवाह हिन्दू समाज में अत्यन्त प्राचीन काल से विधमान है वैदिक साहित्य में
इसका विवरण मिलता है।**

आसुर :- आषस्तम्ब ने जब बर कन्या के लिए अपनी शक्ति के अनुसार धन
प्रदान कर विवाह करे तो उसको आसुर विवाह माना है। इस प्रकार आर्ष
और आसुर विवाह में अन्तर यह था कि आर्ष विवाह में वरम्भरा के अनुसार
गाय बैल का छोड़ा भेट स्वरूप वर वश व्यारा कन्या वश को बदान किया
जाता था किन्तु आसुर विवाह में कन्या वश को कन्या का मूल्य धन के समान में
चुकाया जाता था।

राक्षस :- शक्ति या बल प्रयोग व्यारा सुध्द और संघर्ष के माध्यम से किसी
कन्या का अहरण करके विवाह करना राक्षस विवाह था। इसमें कूरता के
साथ कट और बल शूर्वक कन्या का अहरण किया जाता था इसीलिये इसे
राक्षस विवाह कहा जाता था। आषस्तम्ब के अनुसार कन्या वश वाले को
परास्त करके यदि वर कन्या का अहरण करे तो वह राक्षस विवाह कहलाता
है।

1. शक्तिविषयेण द्रव्याणि दत्त्वाऽऽवहेरन् स आसुरः॥

- आ०ध०३० 2/5/१२/।

2. दुहितृपतः द्रोधियत्वाऽऽवहेरन् स राक्षसः॥

यथोऽपि आषस्तम्ब ने इस प्रकार 6 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया है वरन्तु उनकी दृष्टि में ब्राह्म, आर्ष और दैव ही मान्य विवाह पृणाली भी इन्हीं तीनों को ही उन्होंने प्रशंसनीय माना है तथा इनमें भी दैव विवाह से आर्ष और आर्ष से ब्रह्म विवाह को उत्तम कहा है¹। लेखा विवाह की उत्तमता पर जोर दिया है क्योंकि उनका मानना है ऐसा विवाह होगा, उसी प्रकार की सन्तान होगी अर्पात् यदि विवाह अत्युत्तम थंग का होगा यथा ब्राह्म होगा तो सन्तान सच्चरित्र होगी तथा विवाह निर्दित होगा यथा राक्षस, गान्धर्व आसुर इनमें से किसी पृणाली व्यारा होगा तो सन्तान निर्दित चरित्र की होगी²। इसी स्वर में मनु ने भी कहा है³।

१. तेष्ठो त्रय आथा : पृश्नस्ता : शूर्वः शूर्वः त्रेयान् ॥

- आ०ध०सू० 2/5/12/3

२. यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता पृथा भविति ॥

बली 2/5/12/4

३. मनु० स्म० 3/41-42

वर के चुनाव के लिए निर्धारित गुण

हिन्दू व्यवस्थाकारणे ने वर के गुणों को विस्तृत वर्णा की है । ।

इस सम्बन्ध में आवस्तम्ब का कहना है कि वर को अच्छा कुल, सद चरित्र, शुभ गुण, ज्ञान एवं सुन्दर स्वास्थ्य का होना चाहिए²। जहाँ तक कन्या के गुणों का प्रश्न है आवस्तम्ब धर्मसूत्र में कोई उल्लेख नपात नहीं होता वरन्तु आवस्तम्ब गृह्यसूत्र के अनुसार "जो कन्या वर के वरणार्थ आने वर सोती है, रोती है या घर से निकल जाती है, जो कन्या दूसरे वर की वाग्दत्ता हो, व्रयत्न मूर्खक रक्षित हो, योता इविष्मदृष्टि या भीले नेत्रों वाली ॥ शम्भा इबेल की तरह चलने वाली या शरीर वाली ॥, शम्भा इसीकी कान्तिवाली, नीले रोओं वाली या कुम्भा ॥ हो, हुके हुए शरीर वाली हो, विकट जाँघों वाली, गजे सिर वाली, मेटक की तरह त्वचा वाली, गांड़ों रक इदूसरे कुल में उत्थन ॥ राता इअधिक भोग विलास में रमणा करने वाली ॥, बछड़ों और खेत की रुखाली करती हो, अनेक सर्खियों और मित्रों वाली हो, चिसकी छोटी बहन अधिक सुन्दर हो,

१. नारद स्मृ० ५/३१, मनु० ९/२०३

२. २/५/११/७, ग्रा०गृ०सू० १/३/२०

जिसकी अवस्था वर से बहुत समीप हो, तथा जिन कन्याओं का नाम नक्षत्र, नदी या वृक्ष का नाम हो तथा जिन कन्याओं के नाम में अन्त्य वर्ण से पूर्व रेक या लकार हो तो ऐसी कन्याओं का वरण नहीं करना चाहिए।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सगोत्र एवं सविण्ड कन्या के साथ विवाह निषेध का उल्लेख प्राप्त होता है² एवं आपस्तम्ब ने माता और पिता के योनिसम्बन्ध वाली स्त्रियों यथा माता की बहन, पिता की बहन तथा उनकी पुत्रियों के साथ मैथुन को पातकीय क्रियाओं में गिना है इससे स्पष्ट है कि आपस्तम्ब मामा या बुआ की लड़की से विवाह का निषेध करते हैं³। वौधायन धर्मसूत्र⁴ के अनुसार दक्षिण में पाच प्रकार की विलक्षण रीतियाँ पायी जाती हैं जिन्हें लोगों के साथ बैठकर खाना, अपनी पत्नी के साथ बैठकर खाना, उच्छट भोजन करना, मामा तथा फूफी की लड़की

1. आ०ग०स० 1/3/10-13

2. सगोत्राय दुहितरं न प्रवच्छेत् । मातुश्च योनिसम्बन्धेभ्य ॥

-आ०ध०स० 2/5/11/15-16

3. वही 1/7/21/8

4. बौ०ध०स० 1/19/26

से विवाह करना । इससे स्पष्ट है कि बौधायन से पहले से दक्षिण में माझा तथा मूर्खी श्रिता की बहिनों की लड़की से विवाह होता था, जिसे बौधायन एवं आषस्तम्ब निन्ध मानते थे ।

ऋग्वेद ॥१०/१२॥ निरुक्त ६/१७० ब्रा० ।/७/१० के अवलोकन से विदित होता है कि द्राचीन काल में लड़ीयों का क्र्य विक्र्य होता था परन्तु आषस्तम्ब ने कन्या क्र्य की मर्त्सना की है । इस विषय में आषस्तम्ब धर्मसूत्र का कथन अवलोकनीय है— पुत्र को दण्ड देने या दान लेने का अभ्यास उसे बेचने और छरीदने का नियम विहित नहीं है, विवाह में वेद व्यारा आज्ञावित जो भेट कन्या के विता को दी जाती है इथा १०० गाये एवं एक रथ कन्या के विता को दिये जाने चाहिए और वह भेट विवाहित ओडे की है, वह कन्या के विता की अभिलाषा मात्र है । ऐसे विवाहों में क्र्य शब्द का केवल लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है क्योंकि धर्म के बालन के लिए ही वित गत्ती का सम्बन्ध होता है ।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने बड़े भाई से मूर्ख विवाह तथा बड़ी

।० दानं क्र्यधर्मश्चाऽप्यस्य न विष्टते । विवाहे दुहितृमते दातं काम्यं धर्मर्थं
श्रूयते तस्माददुहितृमतेऽप्तिर्थं शङ्खं देशं तन्मधुयाकुर्यादिति तस्यां
क्र्यशब्दस्संस्तुष्टि मात्रं धर्माद्धि सम्बन्धः ॥ ।

बहन के अविवाहित रहते छोटी बहन से विवाह का निषेध किया है। उनके अनुसार यदि छोटा भाई बड़े भाई के मूर्ख विवाह कर ले तथा बड़ा भाई छोटे भाई के विवाह के पश्चात् विवाह करता है तथा जो बड़ी बहन के रहते छोटी बहन से तथा जो छोटी बहन का विवाह हो जाने के उपरान्त बड़ी बहन से विवाह करता है वह शाशी है¹।

अतः इस द्रुकार आषस्तम्ब ने विवाह में प्रतिबन्धों का विस्तृ वर्णन किया है।

कुरुष एवं स्त्री की विवाह अवस्था के बारे में स्पष्ट रूप से धर्म-सूत्र में कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। आषस्तम्ब धर्म सूत्र में जात होता है कि वेदाध्ययन के उपरान्त कुरुष विवाह करता था, यथार्थ धर्मसूत्र में वेदाध्ययन की अवधि ब्रह्मचारी होने के पश्चात् 12, 24, 36 या 48 वर्ष मानी गयी है। आषस्तम्ब ने बारह की अवधि आचार्य कुल में निवास की न्यूनतम मानी है²। साँ उपनयन की अवस्था प्राप्ति, विश्व एवं केश के लिए ब्रह्मः आठवें वर्ष, आहस्त्रो वर्ष तथा बारहवें वर्ष में मानी है इतः इस आधार पर यह

1. अभिनिक्ताभ्युदितकुनिष्ठावदाग्रदिधिषुदिधिषुपतिवर्याहितवरीष्टवित्तवरीष्टविनन्धरीष्टानेहु चोत्तरोत्तरीस्मन्नशुचिकरनिवेषो गरीयान् गरीयएन॥

निष्कर्ष असगत न होगा कि ब्राह्मण, शक्त्रिय स्वं वैश्य के लिए क्रमशः 20 वर्ष, 23 वर्ष, 24 वर्ष की अवस्था, विवाह के लिए एक सामान्य अवस्था थी ।

कन्या आरे के विवाह की अवस्था का दृश्य है, आषस्तम्ब गृह्यसूत्र के मत से विवाहित व्यक्तियों को विवाह के उपरान्त तीन रातों तक संभोग से दूर रहना चाहिए तथा आषस्तम्ब ने विवाहोषरान्त चतुर्थी कर्म का उल्लेख किया है जो घशचात्कालीन गर्भाधान का यौतक है¹ । उष्टुक्त विवेचन से स्वाहा है कि कन्या का विवाह युवती होने पर ही किया जाता था, नहीं तो संभोग किस द्रुकार सम्भव हो सकता था जैसा कि चतुर्थीकर्म से द्रुकट होता है ।

विवाह विधि स्वं विवाह में होने वाले धार्मिक कृत्यों का वर्णन धर्मसूत्र में द्राप्त नहीं होता है । सम्भवतः इसका कारण यह है कि आषस्तम्ब गृह्यसूत्र में उक्त का विवरण वर्णन किया गया है² ।

1. आ० ग० स० 8/8-12

2. आ० ग० स० द्वितीय छट्ठा

समाज में स्त्रियों की स्थिति:- धर्मशास्त्र युग में नारी की समाज में स्थिति अत्यन्त विविच्चित्र थी। एक तरफ उसे सर्वशक्तिमान, विद्या, शील, ममता, यश और सम्पन्नित्त की प्रतीक समझा गया वहीं दूसरी तरफ उसको हेय दृष्टि से देखा गया उसको सभी मामलों में आश्रित एवं भरतन्त्र माना गया¹। धर्मसूत्रों में षटि का अनुसरण करना ही स्त्री का धर्म माना गया है वह भरतन्त्र थी। आषस्तम्ब धर्मसूत्र में गृह्यकर्म में और धार्मिक क्रियाओं में गृहिणी की हैसियत से, वह गौर-वधूर्ण एवं भरतन्त्रों से छठता है, किन्तु उसके इस रूप के विषय में कोई उल्लेखनीय विशेषता नहीं है। जहाँ तक धारिवारिक या सामाजिक जीवन में नारी के स्थान का ब्रह्मन है उसके जीवन का लक्ष्य है ब्रुत्र या सम्मान की ब्राह्मिष्ठि।

षटि सन्तान के लिए स्त्री की षटित्रता अनिवार्य है और इसका सम्बन्ध कुल की शुद्धिता, वैवाहिक सम्बन्ध की धर्मसम्मतता और आचरण की प्रेष्ठता से है। सन्तान के जीवन विकास में माता का ब्रभाव और योगदान सबसे अधिक होता है और इसी कारण धर्मसूत्र नारी की षटित्रता घर बहुत गौरव देते हैं। आषस्तम्ब धर्मसूत्र ने स्वष्टिः कहा है कि वैवाहिक षटित्रता सभी ब्रकार से ब्रेयस्कर है और उसका लोक घरलोक में अधिक फल मिलता है। गृहस्थ के लिए, धर्म

1. गौ०ध०सू० ८/१, बौ०ध०सू० २/२/५०-५२

की रक्षा के लिए तथा जीवन एवं समाज के सन्तुलन के लिए विवाह एक ब्रेष्ट संस्था है, अतः धर्मसूत्रविवाह के प्रकार, योग्यता और वैधता पर विस्तार से विचार करता है। आषस्तम्ब धर्मसूत्र में भी वर्त्ती की योग्यता, उसके भिन्न प्रबर के होने, मात्रु एवं बितुष्क से रक्त सम्बन्ध से दूर होने का विचार करके विवाह के भिन्न भेदों पर धृष्टिवात किया है और ब्रह्म, आर्ष और देव को प्रशस्त माना है¹।

आषस्तम्ब ने विवाह की वीक्रता पर जिस कारण अधिक विचार किया है वह स्वच्छता यही है कि जैसा विवाह होता है, वैसा ही पुत्र होता है²।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र की दृष्टि में स्त्री और बुलबु के सम्बन्धों का मुख्य ब्रेकरक धर्म होना चाहिए। इसी धर्म की छाया में नारी को धर्मसूत्र ने यथोचित गौरव दिया है, परिवार और समाज में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। आचार्य की वर्त्ती आचार्य के समान शूद्ध मानी गयी है³।

1. तेषां त्रय आद्याः प्रशस्ताः शूर्वः शूर्व. ब्रेदान्।।

-आठ०स० 2/5/11/3

2. यथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता पृजा भवीता।।

-वही 2/5/11/4

3. अन्यत्रोषसह. महणादुच्छिष्टा शनाच्चाऽऽवार्य क्षाचार्यदारे वृत्तिः।।

-वही 1/2/7/27

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र का कथन है कि विवाहोप-
रान्त पर्ति एवं वत्नी धार्मिक कृत्य साप्त करते हैं, बुण्यकल में समान भाग पाते
हैं धन सम्पत्ति में समान भाग रखते हैं तथा वत्नी पर्ति की अनुधारिति में
अवसर घड़ने वर भेट आदि दे सकती है¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि आप-
स्तम्ब ने पर्ति-वत्नी को धार्मिक कृत्यों में समान माना है। किन्तु आपस्तम्ब
धर्मसूत्र ने व्यावहारिक स्त्रीं कानूनी बातों में यह समानता नहीं मानी। आप-
स्तम्ब धर्मसूत्र ने सामान्य स्त्री से कहा है कि बुत्राभाव में आसन्न सविष्ठ उत्तरा-
धिकारी होता है² किन्तु इसने वत्नी को स्पष्ट स्त्री से उत्तराधिकारी घोषित
नहीं किया है, यद्यपि पुत्री को एक सम्भव उत्तराधिकारी घोषित किया है³।

परन्तु आपस्तम्ब ने अपने कुछ शूर्ववर्ती लेखकों का मत दिया है कि
आभूषण तथा अबने वन्धु वान्धवों से ब्राह्मण धन वत्नी का होता है⁴। किन्तु यह
स्पष्ट नहीं है कि इसे वह स्वीकार करते हैं कि नहीं।

1. जायोषत्योर्न विभागो विद्यते । वाणिग्रहणादि सहत्रं कर्मसु । तथा बुण्य
फ्लेषु द्रव्यवरिग्रहेषु च ॥
- आ०ध०सू० 2/6/13/16-18
2. बुत्राभावे यः ब्रत्यासन्नः सविष्ठः ॥
- वही 2/6/14/2
3. दुहिता वा ॥
- वही 2/6/14/4
4. अलङ्कारो भायर्याः ज्ञातिभ्रं चेत्येके ।
- वही 2/6/14/9

उक्त के अतिरिक्त स्त्रियों को शिष्मा का अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि वे उषनयन के लिए अयोग्य थीं। इतना ही नहीं वेदाध्ययन तथा वैदिक मन्त्रों के साथ संस्कार सम्पादन के सारे अधिकारों से बंचित थीं।

धर्मसूत्रों से नारी पर सर्वाधिक दृष्टिक्षणात् यौव विषयक नैतिकता के सन्दर्भ में किया गया। आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी इससे अछूता नहीं है। हमारे धर्मसूत्र में कहा गया है कि ब्रह्मचारी को किसी स्त्री पर दृष्टिक्षणात् नहीं करना चाहिए यहाँ तक कि यदि गुरुमत्त्वी भी युवती हो तो उसका चरण नहीं छूना चाहिए।

इस त्रुकार हम देखते हैं कि स्त्री सम्बन्ध विषयक नैतिकता का विचाराधिक्य स्त्री की प्रतिष्ठा को धक्का दहुंचाता है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में यदि कुछ बातों में स्त्रियों भारी असमर्पताओं सबं अयोग्यताओं के वशीभूत मानी जाती थीं, तो कुछ विषयों में युस्त्रियों की अषेष्ठा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थीं। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्यागी जा सकती थी। मार्ग में उन्हें बहले आगे निकल जाने का अधिकार ब्राह्मण था। परित यहीं

१. यानस्य ऋषारामिनिहितस्या तुरस्य स्त्रियां इति सर्वेऽतिव्यः॥

कन्या वृत्तित नहीं मानी जाती थीं, किन्तु वृत्तित का पुत्र वृत्तित माना जाता था¹। इतना ही नहीं आषस्तम्ब धर्मसूत्र का कथन है कि यदि माता वृत्तित है तो भी पुत्र को उसकी सेवा सदैव करनी चाहिए²।

उक्त के अतिरिक्त स्त्रियों की जो अवस्था हो, उन्हें वृत्ति की अवस्था के अनुसार आदर मिलता था³ इतना ही नहीं वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति सभी वर्णों की स्त्रियाँ कर से मुक्त थीं⁴। परिवार की सम्बन्धित पर घट्टी को समान अधिकार प्राप्त था⁵। आषस्तम्ब ने स्त्रियों के ज्ञान को विद्या की अन्तिम सीमा माना है⁶।

1. त्पाऽषि दोषवान् पुत्र एवै॥

-आठ०सू० 2/6/13/4

2. माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्मण्यारम्ते तस्यां शुश्रूषा नित्याषतितायामषि॥

-वही 1/10/28/9

3. वृत्तिवयसः स्त्रिय ॥

-वही 1/4/14/18

4. अकरः त्रोत्रिय । सर्ववर्णार्नां च स्त्रिय ॥

-वही 2/10/26/10-11

5. कुटुम्बनौ धनस्येशाते ॥

-वही 2/11/29/3

6ए सानिष्ठा या विद्या स्त्रीषु शूद्रेषु च ॥

-वही 2/11/29/11

शिक्षा

समाज में शिक्षा के महत्व को कोई भी व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता समाज का उत्थान, विकास एवं वृत्तन शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर आधारित रहता है। सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक प्रगति शिक्षा की समुचित व्यवस्था के अभाव में सम्भव नहीं है। इसी कारण से भारतीय मनीषियों ने शिक्षा की व्यापकता एवं उच्चोग्गता को ध्यान में रखकर उसे महत्व द्वान् दिया है। वैदिक धारणा के अनुसार ज्ञान के ब्दारा मानव का व्यक्तित्व दिव्य हो जाता है तथा ज्ञान सम्बन्ध होने पर वह देखता बन जाता है¹। स्वाध्याय और प्रबोचन करने से मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है। वह स्वतंत्र बन जाता है, नित्य उसे धन प्राप्त होता है। वह सुख से सोता है, अपना परम प्रियकर्त्त्व सक है। उसे इन्द्रियों पर संयम होता है। उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है। उसे यश मिलता है। वह लोक को अन्युदय की ओर लगा देता है वह ज्ञान के ब्दारा ब्राह्मण का समाज के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसे पूरा करता है। समाज अपनी आदर भावना से दान से और सुरक्षा से उसे सन्तुष्ट करता है। ऐसे विद्ययों का अध्ययन करने वाले लोग देखताएँ को सन्तुष्ट करते हैं और प्रसन्न होकर देखता उनकी सभी कामनाएँ पूरी कर देते हैं²।

1. शतक 3/7/3/10, 2/2/2/6 तैत्तिरीय प्रांहिता 1/7/3/11

2. शतक 11/5/7/7/1-5

शिक्षा शब्द का व्योत्तरीत्तक अर्थ लेने पर उपर्युक्त कथन स्वयंसेव स्वष्ट हो जाता है। शिक्षा अभ्यास, विशेष शक्ति और इच्छा विशेष तथा सहन शक्ति की इच्छा ३सुख, दुःख, प्रिय, अप्रिय आदि के इन्द्रात्मक भावों में सहन शक्ति दिखाना अर्थात् इनको गम्भीरता वूर्वक समझना आदि के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त शिक्षा शब्द अनुशासन के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस प्रसंग में अनुशासन के कुनः दो भाग थे, पहला बौधिक अथवा मानसिक अनुशासन और दूसरा शारीरिक अनुशासन। इस प्रकार शिक्षा की घटाकाघ्ठा के लिये दोनों ही स्वरूप अवैधित है। आषस्तम्ब ने इन्हीं दोनों अर्थों को लेकर शिक्षा के विषय में विवेचन किया है।

शिक्षा का प्रारम्भ ब्रह्मचर्याक्रिय से माना जाता है, जो उच्नयन संस्कार के उपरान्त होता है। प्राचीन काल में आचार्यों की धारणा भी की विद्यार्थी को वृष्णिस्त द्वारा तक अवना नहीं का लिया जाता, तब तक सभी चीन विद्यि से उसे शिक्षा नहीं दी जा सकती। इस धारणा के अनुसार उच्नयन संस्कार में आचार्य उस विद्यार्थी को एक नया जन्म देता है और विद्यार्थी

।३ भौवादिकाभ्यासकर्षणः शिक्षतेभावे, सौवादिकाच्छमि कर्मणः शक्तोत्ते, देवादिकान्मध्यार्थकर्षणः शक्यतेऽच शिक्षा शब्दोभ्यास विशेष शक्तिइच्छा विशेषं मर्षणोच्छाविशेषं च स्वार्थ समर्पयीति।। शिक्षा शब्देद निष्पाच्य कुषो निश्चिप्यन्ते। संस्कृत वर्तजाकर "शिक्षक" 1940

आचार्य का श्रुत्र हो जाता है¹। यही भावना आषस्तम्ब धर्मसूत्र में भी वायी जाती है कि आचार्य उपनीत बालक को विद्या से उत्थन्न करता है²।

उपनयन के पश्चात् ब्रह्मचारी बालक आचार्य कुल में निवास करता था³। आषस्तम्ब का कथन है कि विद्या ग्रहण करने की अभिलाषा रखने वाले को दूसरे के समीप निवास नहीं करना चाहिए⁴। इससे स्पष्ट होता है कि आचार्य के साथ गुरुकुल में निवास करके ही छात्र विद्या ग्रहण करते थे, अन्यस्त से विद्यार्थी की व्यवस्था न थी। जहाँ तक आचार्य कुल में निवास अवधि का प्रश्न इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब ने अनेक विकल्प रखे हैं- यथा 48 वर्ष तक, छह वर्ष तक, चौबीस वर्ष तक, अथवा बारह वर्ष तक⁵। उन्होंने स्पष्टस्त्र से बारह

1. अर्घवेद 11/7/3

2. आ०ष० सू० 1/1/1/16

3. उपेतस्याऽचार्यकुले ब्रह्मचारिवास ॥

-आ०ष०सू० 1/1/2/22

4. न ब्रह्मचारिणो विद्यार्थस्य वरोपवासोऽस्ति ॥

-वही 1/1/2/27

5. अष्टावत्पारिशब्दर्थाणि । वादूनम् । अर्थन् । त्रिभिर्वा ॥

-वही 1/1/2/12-15

वर्ष की अवधि आचार्यकुल में निवास की न्यूनतम अवधि मानी है¹।

उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि तत्समय शिक्षण स्थान आवासीय प्रकृति के थे । छात्र उपनयन संस्कार के इश्चात् गृह त्यागकर गुरु के सानिध्य में आता था तथा वहीं रहकर विभिन्न विषयों की शिक्षा ग्रहण करता था ।

आचार्य की योग्यता एवं कर्त्तव्य - आचार्य की योग्यता के सम्बन्ध में आषस्तम्ब का कथन है कि छात्र को ऐसे आचार्य के बास उपनयन संस्कार एवं वेदाध्ययन हेतु जाना चाहिए जिसका जन्म वेदविद्याध्ययन की अविच्छिन्न वरमहरा वाले कुल में हुआ हो तभा जो स्वयं वेदों के अर्थज्ञान से युक्त हो, समाहित हो और धर्म के मार्ग से भ्रष्ट न हो² ।

यद्यपि स्मृतियों में कहा गया है कि केवल ब्राह्मण ही आचार्य हो सकता है परन्तु आषस्तम्ब ने आषत्काल में जब ब्राह्मण आचार्य न मिले तब ऋग्रथ या कैश्य को आचार्य बनाने की अनुमति दी है³।

1. व्यादशावराध्यम् ॥

-आ०८०८० 1/1/16

2. अष्टावत्त्वार्हिंशब्दर्णिणा वादूनम् ॥

- वही 1/1/12-13

3. आषादि ब्राह्मणोन राष्ट्र्ये कैश्ये वाऽध्ययनम् ॥

- वही 2/2/4/26

अब यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या शुद्ध को आचार्य बनाया जा सकता है ? इस सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आषस्तम्ब जहाँ जंगल में शव अपवा-चाणडाल दिख जाने पर तथा उग्र निषादादि वाह्य जातियों के ग्राम के अन्दर आ जाने पर वैदिक अध्ययन को बन्द करने का आदेश देते हैं वहाँ शुद्ध की शिक्षक के रूप में कल्पना व्यर्थ है परन्तु इतना सब कुछ होते हुए भी आष-स्तम्ब धर्मसूत्र कहता है कि जो विद्या स्त्रियों और शुद्धों की होती है वही विद्या की अन्तिम सीमा है । उसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही सभी विद्याओं का ज्ञान पूरा होता है तथा स्त्रियों और शुद्धों की विद्यायें अर्थवेद के ज्ञान का परिशिष्ट अंश होती हैं¹ । इतना ही नहीं अन्य स्थल पर आषस्तम्ब ने अन्य आचार्य के मत का उल्लेख करते हुए कहा है कि कुछ धर्मज्ञों का मत है कि जिन अवशिष्ट नियमों का विधान नहीं किया गया है उन कर्मों का ज्ञान स्त्रियों से तथा सभी वर्ण के बुरों से प्राप्त करना चाहिए² । इससे यह भासित होता है कि

१. सा निष्ठा या विद्या स्त्रीशु शुद्धेशु च । आर्पणस्य वेदस्य शेष इत्युपादिशनित ॥

- आ०८०८० 2/11/29/11-12

२. स्त्रीम्यस्सर्ववर्णाम्यश्च धर्मशेषान्धतीयादित्येक इत्येके ॥

- वही 2/11/29/16

आषस्तम्ब शूद्र से शिक्षा ग्रहण की अनुमति देते हैं वरन्तु एक स्पत वर आषस्तम्ब ने स्वच्छ रूप से लिखा है कि शूद्र वर्ण को छोड़कर शेष के लिए उच्चन्यान वेद का अध्ययन, अग्म का आधान है¹। अतएव जहाँ शूद्र वेद का अध्ययन नहीं कर सकता अध्यावन कार्य कैसे सम्भव है ? वस्तुत आषस्तम्ब शिक्षा के दो भाग मानते थे वही वह साहित्यक शिक्षा जिसके अन्दर वैदिक वाई.मय का ग्रहण होता है जो केवल छिद्रबाटियों तक सीमित थी जिसे शूद्र ग्रहण नहीं कर सकता था तथा जिसका अध्यावन कार्य शूद्र के लिए वर्जित था और दूसरे ग्रन्तकार की वह शिक्षा थी, जिसको शिल्प सम्बन्धी शिक्षा कह सकते हैं जिसका अध्ययन-अध्यावन शूद्र एवं स्त्रियों के लिए विरहित था।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में आचार्य को निर्देश दिया गया कि वह शिष्य को बुत्रवत् मानते हुए उससे कुछ भी न छिपायें। छात्र के अध्ययन के लिये वह मार्ग ब्रशस्त करे अध्यावन में वह उदासीनता न दर्शित करे, अबने वरम्बरागति पांडित्य और ज्ञान से वह शिष्य को लाभान्वित करे²।

1. अशूद्राणामदुष्टकर्मणामुषायनं वेदाध्ययनमग्न्याधेयं कलवन्ति च कर्मणि॥

- आ०ध००२० 1/1/1/6

2. - वही 1/2/8/24-27

इसके साथ- साथ आचार्य में अनुशासन सत्याचरण, सत्यभाषण

तथा छात्र के प्रति धैर्य होना अत्यावश्यक है । इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब का
कथन है कि गृहस्थ होते हुए भी आचार्य ऐसा जीवन विताये कि शिष्यों के
मन में किसी ब्रुकार का विकार उत्पन्न न हो उसका रहन सहन गरिमामय हो ।
वर्षा और शरद ऋतुओं में वह स्त्री के साथ मैथुन कर्म से विरत रहे, लेटकर अध्या-
पन कार्य न करे एवं उस शय्या पर बैठकर अध्यापन न करे जिस पर रात्रि में
बत्ती के साथ शयन करता हो इसके अतिरिक्त वह माला आदि से सजाकर या
लेण आदि करके अबने शरीर को ब्रुदर्जित न करे । जल में सिर के साथ सम्बूर्ण
शरीर को डुबाकर स्नान न करे, सूर्य अस्त के बश्वात् स्नान करे । ब्रुदर्जनों के
समीक्षा अथवा ब्रुदर्जनों से युक्त देश में न जावे, सभाओं में तथा भीड़ के स्थानों
पर न जावे, यदि लोगों के समूह में बहुच गया हो तो उसकी ब्रुदर्जिणा करके
वहाँ से ब्रुस्थान करे, नगर में ब्रुवेश का वर्जन करे² । गदहे से उन्हें जाने वाले यान
पर न चढे, विष्म स्थानों में रुग्न पर आरोहण तथा रथ से अवरोहण का
वर्जन करे । नदी को तैर कर घार न करे, संशय उत्पन्न करने वाली नांव पर

1.

-आ०ध०सू० 1/11/32/1-8

2.

- वही 1/11/32/18-21

न चढें, बिना कारण धास काटने देजा फोड़ने, धूकने का वर्जन करें।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने आचार्य के लिए अर्धरात्रि के षट्चात् शयन का निषेध किया। अधितु उसे अध्ययन स्वं अध्यापन कार्य करने का निर्देश दिया है औरन्तु रात्रि के तृतीय ब्रह्म में अध्ययन अध्यापन तथा शयन का वर्जन किया है। यदि अध्यावक शयन करना चाहे तो किसी उभे आदि का सहारा लेकर बैठे- बैठे शयन करे और यदि अध्ययन करना तृतीय ब्रह्म में चाहे तो मन में ही अध्ययन करें²।

आषस्तम्ब ने आचार्य के कर्तव्यों के उल्लेख में आचार्य से अपेक्षा की है कि वह किसी ऐसे प्रश्न का जिसका उत्तर निर्धारण कठिन है सीधे निर्णय के साथ उत्तर न दे इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब ने उद्घृत किया है³ कि जो व्यक्ति गलत निर्णय देता है ॥उसका मूर्खताधूर्ण निर्णय ॥ उसके मूर्खज्ञों को, भावी समृद्धि, सन्तान, वश और घर को हानि बहुचाता है। मृत्यु ने रोते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया था "धर्म ब्रह्मलाद न कुमालनाय"।

1. आ०ध०स० 1/11/32/25-28

2. -वही 1/11/32/14-17

3. मूर्खं तूल ब्रह्मिति दुर्विवक्तुः प्रजा वशनायतनं हिनस्ति।

धर्मब्रह्मलाद न कुमालनाय ददन् ह मृत्युव्युवाच प्रश्नम्॥।

-वही 1/11/32/29

"धर्मघृहलाद न कुमालनाय" इस आख्याचन का जो सन्दर्भ आप-स्तम्ब ने उक्त घट में किया है उसको हरदत्त ने निम्नवत् क्याख्यायित किया है कि किसी ऋषि के धर्मघृहलाद और कुमालन दो शिष्य थे वे दोनों एक दिन बंगल से ईधन के दो गढ़ठर लाये और विना देखे असावधानीवश गुरु के घर में छेक दिये । उनमें से एक गढ़ठर से गुरु के छोटे बालक को चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गयी । तत्पश्चात् गुरु ने उन दोनों शिष्यों से शूँछा कि किसने इसे मारा है दोनों ने उत्तर दिया कि मैंने नहीं, मैंने नहीं । तदनन्तर किसको वर्तित समझ कर वरित्याग करना चाहिए तथा दोषहीन समझ कर किस शिष्य को रखना चाहिए ऐसा निर्णय करने में असर्प ऋषि ने मृत्यु को बुलाकर घूँठा कि "इन दोनों में किसने इसे मारा है धर्मसंकट में बड़कर रोते हुए मृत्यु ने कहा "धर्मघृहलाद, न कुमालनाय" । हे धर्मघृहलाद दोष कुमालन का नहीं है इनका है ।

इस प्रकार आपस्तम्ब ने आचार्य को निर्देशित किया है कि आचार्य किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर जिसका निर्धारण कठिन है तत्काल सीधे

निर्णय के साथ उत्तर न दे अपितु उसके सभी पक्षों पर धूर्णा विचार कर निर्णय दें।

उक्त आचार्य के कर्तव्य विवेचन से स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब ने आचार्य के अनुशासनमय जीवन की स्वरेखा प्रस्तुत की है और इस बात पर जोर दिया है कि आचार्य आचारनिष्ठ हो तभी आषस्तम्ब धर्मसूत्र¹ का कथन है कि "विद्यार्थी आचार्य से अबने कर्तव्य आचारांशु एकत्र करता है, इसीलिए वह आचार्य कहलाता है" अतएव आचार्य तभी आचार ग्रहण कर सकता था, जब वह स्वयं आचारनिष्ठ हो। यही कारण है कि आषस्तम्ब ने सर्वाधिक बल आचार्य के आचारनिष्ठ होने पर दिया है।

शिष्य के कर्तव्य और आचार:- भारतीय शिक्षण व्यवस्था में विद्यार्थी जीवन तषोमय माना गया है लोगों की धारणा है कि तष के व्यारात ही मन्त्र्य की वित्तवृद्धित्तथा ज्ञान की ओर प्रवृत्त हो सकती है। विद्याव्राचित के मार्ग में सांसारिक बन्धन, भोग विलास अथवा मनोरंजन को वाधक भोग विलास अथवा मनोरंजन को वाधक माना गया है। इसी कारण धर्मसूत्रों में विद्यार्थी के तषोमय जीवन की स्वरेखा स्पष्ट की गयी थी क्योंकि अध्ययन एक तष है, अतः

१. यस्माध्दमनाक्षिप्ति स आचार्यः॥

इसके लिये वातावरण की अनुकूलता मानसिक शान्ति और एकाग्रता, विविताता, आवरण के नियमों का पालन एवं ब्रह्मचर्य अत्यावश्यक है। इसीलिए आषस्तम्ब ने छात्र को अमाशील, लज्जाशील अपने कार्तव्यालन में तत्वर, इन्द्रियों को अनुचित विषयों से नियन्त्रित रखने वाला उत्साहसम्बन्ध एवं धैर्य से युक्त होने का उद्देश दिया है।

आषस्तम्ब ने शिष्य के मुख्यतः तीन गुकार के कर्म बताये हैं- गुरु को ग्रुसन्न रखने वाले, कल्याण प्राप्ति के कर्म तथा वेद का विश्वामूर्तक अभ्यास²। इसीलिए शिष्यों का गुरुओं के ग्रुसन्नवहार के सम्बन्ध में आषस्तम्ब ने अनेक नियम बनाये जिससे शिष्य गुरु को ग्रुसन्न कर ज्ञान की प्राप्ति कर सकें।

अतएव उन्होंने अनुचित बातों को छोड़कर गुरु के सभी आदेशों का पालन करने की शिष्य से अपेक्षा की है³। उनके अनुसार शिष्यों को गुरु का

1. मृदुः। शान्तः। दान्तः। हलीमान्। दृढ्यृतिः। अग्लांस्तुः। अक्रोधनः॥
- आ०५०८० 1/1/3/17-23

2. मुरसादनायानि कर्मणि स्वस्त्ययनमध्ययनसंवृत्ति रिति॥
- वही 1/2/5/४

3. आचार्याधीनस्यादन्यत्र वत्नोयेम्यः॥
- वही 1/1/2/19

हितकारी होना चाहिए और उनको किसी बात के विषयीत नहीं बोलना
चाहिए¹। अचितु गुह के समीक्ष आराध्य देव के दृष्टि भावना जैसी श्रद्धा के
साथ जाने का निर्देश दिया है²,

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने शिष्यों को उन स्थलों पर जहाँ
गुह ब्रायः आते जाते हैं वहाँ अबने सुख का कोई कार्य करने का वर्णन किया तथा
निर्देश दिखा कि शिष्य रात्रि को गुह के चरणों को धोकर तथा उनके शरीर का
मर्दन करके गुह के शयन करने के बश्चात् उनकी आज्ञा प्राप्त कर ही शयन करें
और गुह की ओर अबने दैरों को न बसारें। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब का
कथन है कि शिष्य गुह के समीक्ष बैठकर गुह की आज्ञा प्राप्त किये बिना बात
न करे तथा यदि गुह इ सडे होकर कुछ कह रहे हों तो उडे होकर उत्तर दें यदि
वल रहे हों तो उनके बीछे चले। शिष्य के गुह के समीक्ष जूता बहन कर, सिर को बैष्ठित करके
अथवा हाथ में कोई औजार लेकर न जाय किन्तु यदि छात्र किसी कार्य को कर
रहा है अथवा यात्रा में है तो उक्त अवस्थाओं में भी गुह के पास जाने की
अनुमति आषस्तम्ब ने दी है³।

1. हितकारी गुरोरङ्गतिलोमयन् वाचा ॥

-आ०ध०सू० 1/1/2/20

2. देवमिवाचार्यमुदासीता विक्ष्यन्नविमना वाच्म शुश्रुषाणो स्य॥

- वही 1/2/6/13

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने शिष्य को गुरु के समीप एक टाँग के ऊर दूसरी टाँग रखकर बैठने का निषेध किया है तथा यदि वायु शिष्य की ओर से गुरु की ओर बह रही हो तो दिशा बदलने का तथा बैठते समय किसी वस्तु के सहारे अथवा हाथों को पृष्ठवी पर टिकाकर बैठने का निषेध किया है।

आषस्तम्ब के अनुसार आचार्य के अनी ओर न देखने पर भी शिष्य आचार्य की ओर मुख करके न तो बहुत निकट अथवा न बहुत दूर बैठे अधिक जितनी दूरी पर बैठने से आचार्य का दोनों बाहुओं से स्पर्श कर सके उतनी दूरी पर बैठे परन्तु आषस्तम्ब ने शिष्य के जिस ओर से वायु बह रही है उस ओर बैठने का निषेध किया है¹। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने गुरु के बैठने पर शिष्य के लेटने का भी निषेध किया है²।

आषस्तम्ब की दृष्टि में यदि एक दी शिष्य अध्ययन करने वाला है तो वह गुरु की दाहिनी ओर बैठे परन्तु अनेक शिष्य लो तो वे सुविधानुसार विधर स्थान प्राप्त कर सके वहाँ बैठ सकते हैं। इसी संदर्भ में आषस्तम्ब का मत है कि यदि जिस स्थल पर गुरु को आसन है देकर सम्मानित नहीं किया गया हो तो वहाँ^{शिष्य} स्थान भी न बैठे³।

1.

-आ०ध०सू० 1/2/6/12-17

2.

- वही 1/2/6/18

3.

-वही 1/2/6/19-23

इसी संदर्भ में आषस्तम्ब ने शिष्य से अपेक्षा की है कि यदि गुरु को किसी काम को करना चाहते हैं जिसे शिष्य स्वयं कर सकता है तो उस कार्य को शिष्य को स्वयं करना चाहिए इतना ही नहीं शिष्य किसी भी समय गुरु के व्दारा कही भेजने पर तत्काल जाने के लिए तत्पर रहे। शिष्य यात्रा में गुरु के किसी वाहन पर चढ़ने के बश्चात् ही चढ़े तथा सभा में द्रवेश, निकष इषाटा, कट इवीरणानिर्मित शय्या इ स्वस्तर इषलालशय्या आदि पर गुरु के आदेश देने पर ही अपना स्थान ग्रहण करे।

सूत्रकार के अनुसार शिष्य तब तक कुछ न कहे जब तक गुरु कुछ अभिभाषण न करें परन्तु उनके मत में यदि शिष्य गुरु से किसी प्रिय समाचार का कथन करना चाहता है तो वह गुरु के अभिभाषण के बिना भी कह सकता है¹। आषस्तम्ब धर्मसूत्र में शिष्य को गुरु को अंगुली से छूने, कान में धीमे स्वर में कछ कहने, मुख की ओर मुख करके हँसने, ऊचे स्वर में गुरु को सबोधित करने, गुरु का नाम लेने, आदेश देने का निषेध किया है परन्तु आषात्ति के समय उक्त विबन्धों से मुक्ति द्रवान की है²।

१०. अष्ट०सू० १/२/८/८-१४,

१/२/६/२४-२८,

१/२/७/२५

२०. व्युष्टोदव्युष्टाव्यभिहासोदामन्त्रणनामधेयग्रहण द्रेष्णानीति गुरोर्क्षयेत्।
आषष्य जाष्येत्॥

सूत्रकार के अनुसार शिष्य गुरु के उठने, बैठने, चलने और मुस्कराने के वशचात् ही उठे, बैठे, चलेओं और मुस्कराये। इसके अतिरिक्त गुरु के सभी अपने मूल का त्याग, अपने वायु का त्याग, ऊँची आवाज में बोलना, हँसना, धूकना, दाँतों का साफ करना, भौंहें टेढ़ी करना, ताली बजाना और अंगुलियों का चटखाना, आषस्तम्ब की दृष्टि में शिष्य के लिए वर्ज्य है। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने शिष्य के लिए गुरु के किसी वाक्य के सुणठन, अपने अपने के दोष कथन, आक्रोश अभिव्यक्ति, विद्या की अन्य विद्या से तुलना करके उसके हीन बताने का भी निषेध किया है तथा शिष्य से अपेक्षा की है कि वह आसन, भौंजन तथा वस्त्र में गुरु से न्यूनता रखे²।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अत्यधिक विस्तृत रूप से छात्र के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। सम्भवतः इसका कारण यह है कि आषस्तम्ब की दृष्टि में छात्र उक्त कर्तव्यों का अपने जीवन में पालन करते हुए सम्यक रूप से ज्ञानार्थन कर सकता है।

१०. सन्निहिते मूत्रमुरीवातकर्मचैर्भावासाटोवनदन्तः अृह. उण-
मुक्तेणातालनांनष्ठायानीति ॥

-आ०ध०सू० 2/2/5/9

२०. आसने झयने भझ्ये भौंज्ये वाससि वा सन्निहिते निहीनतरवृत्तिः स्यात् ॥
- वही 2/2/5/5

गुरु शिष्य सम्बन्ध :- आषस्तम्ब धर्म सूत्र से ज्ञात होता है कि गुरु-शिष्य में भावनात्मक सम्बन्ध थे । आचार्य छात्र के साथ शुत्रवत्^१ व्यवहार करता था तथा किसी विद्या को ठिकाये बिना शिष्य को विद्यार्जन करता था^२ । इतना ही नहीं आषस्तम्ब ने गुरु स्वं शिष्यों के मध्य सम्बन्धों के विषय में एक व्यावहारिकता का परिचय दिया है तथा कहा है कि यदि गुरु जान बूझ कर अध्यात्माद से किसी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके विषय में शिष्य गुरु के एकान्त में ध्यान दिला सकता है और शिष्य गुरु के उन आदेशों का बालन करने के लिए बाध्य नहीं है जिनसे शिष्य का वत्त होता है^२ । यथोऽपि आषस्तम्ब ने एक स्पति वर गुरु के श्रुति आराध्य देव की भक्ति के समान भवितभाव रखने का उल्लेख किया है किन्तु उक्त से स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब गुरु के श्रुति अन्धमिकता शुद्धरूप की अनुमति नहीं देते हैं । अपितु विवेकशूर्ण द्वारा से गुरु के आदेशों के बालन वर बल देते हैं ।

१. शुत्रमिवैनमनुकाह. अन् सर्वधर्मेष्वनवच्छादयमानः सुयुक्तो विद्या ग्राह्येत् ॥

-आ०४०४०० १/२/८/२५

२. श्रमादादाचार्यस्य शुद्धिदूर्वा वा नियमातिक्रमं रहसि बोध्येत् । आचार्याधीन-स्स्यादन्यत्र वत्तनोयेत्यः ॥ -वही १/१/४/२५ एवं १/१/२/१९

विधिक दृष्टया गुरु शिष्य के मध्य सम्बन्धों के सन्दर्भ में आषस्तम्ब का मानना है कि सिष्टण का अभाव होने पर दाय का अधिकारी आचार्य होता है, आचार्य के न होने पर उसका शिष्य उस दाय को ग्रहण कर सकता है तथा मृत व्यक्ति के नाम से इधर्मिक कार्यों में उस धन का सदुपयोग कर सकता है आवा स्वयं उस धन को ग्रहण कर सकता है¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब ने गुरु शिष्य के बारबारिक सम्बन्धों को वैधानिकता दी है।

उक्त के अतिरिक्त आचार्य का शिष्य के आरपिता सदृश पूर्ण अधिकार का उल्लेख आषस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त होता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि आषस्तम्ब की दृष्टि में गुरु और शिष्य का सम्बन्ध आदर्श जीवन के प्रमुख लक्ष्य की सिध्द की ओर उन्मुख है, यह केवल जीविका या आवैद्यारिकता का सम्बन्ध नहीं है।

आचार्य की आय :- प्राचीनकाल में शिक्षा के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं था, शिष्यों व्यारा भिक्षाटन में लाया गया अन्न तथा दान-दीक्षणा में प्राप्त अन ही आचार्य की आय थी। आचार्य शिष्य से धन की मांग नहीं करता था

1. तदभाव आचार्य आचार्याभिवेदन्तेवासी हृत्वा तदर्थेषु धर्मकृत्येषु वोषयोजयेत्॥

अपितु विद्यार्थियों को निःशुल्क ज्ञानार्बन कराता था । यदीष शिष्य विद्या के अन्त में गुरु को दक्षिणा देता था किन्तु दक्षिणा देना गुरु को प्रसन्न मात्र करना था, वह शिक्षणा शुल्क नहीं था क्योंकि वह शिष्य की इच्छा पर आधारित था ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में भी विद्या की समाप्ति पर गुरु दक्षिणा देने का उल्लेख मिलता है । सूत्रकार का कथन है कि शिष्य को अपनी शक्ति के अनुसार तथा धर्मानुकूल विधि से अर्पित कर, विद्या के अन्त में गुरु दक्षिणा देनी चाहिए । इस दी गयी दक्षिणा के संदर्भ में आषस्तम्ब का विवार है कि, शिष्य गुरु को दी गयी दक्षिणा का - स्मरण न करें तथा घमण्ड न करें ।

उक्त से स्वष्ट होता है कि आषस्तम्ब के समय भी आचार्यों की आय का साधन दक्षिणा मात्र भी ।

विद्यार्थी के ब्रुकार :- सूत्रकाल में ब्रायः दो ब्रुकार के विद्यार्थियों का उल्लेख प्राप्त होता है, एक वे विद्यार्थी, जो कुछ वर्षों तक गुरु के आश्रम में रह कर शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा समाप्ति पर समावर्तन संस्कार के पश्चात् गुरु को दक्षिणा के स्थान में कुछ ब्रुदान कर घर लौटते थे । आषस्तम्ब धर्मसूत्र से

१०. कृत्वा विद्यां यावतीं शक्तुयात् वेददक्षिणामाहरेऽर्द्धमतो यापाश्चक्षित ।
दत्त्वा च नाऽनुकर्येत् । कृत्या च नाऽनुस्मरेत् ॥

उनकी तीन ब्रेणियाँ प्राप्त होती हैं - १। १ विद्याक्रत स्नातक २। १ विद्या स्नातक ३। क्रत स्नातक¹ ।

दूसरे शुकार के ऐसे विद्यार्थी थे जो आग्नम आचार्य के आश्रम में रह कर विद्याध्ययन करते थे उनको अन्तेवासी कहा जाता था । आपस्तम्ब ने इस शुकार के विद्यार्थियों की अत्यधिक शृङ्खला की है तथा कहा है कि ऐसे विद्यार्थी ब्रह्माचर्याश्रम में ही उन सभी बुण्यक्षत्र प्रदान करने वाले कर्मों को कर लेते हैं जो गृहस्थाश्रम में किये जाते हैं²,

अनुशासनहीन छात्र के प्रति आचार्य का व्यवहार:- कभी आचार्य को अनुशासनहीन शिष्य प्राप्त हो जाते थे जो उनके निर्देशों और शिक्षा को समुचित रूप से नहीं प्रहणा करते थे । इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब का निर्देश है कि शब्दों व्याराध अवराध करने पर शिष्य की भर्त्सना करना चाहिए और अवराध की गुस्ता के अनुसार निम्न दण्ड में से कोई या कई दिये जा सकते हैं, घमकाना, भोजन न देना, शीतल जल में स्नान कराना, सभी न आने देना³।

- | | | |
|----|---|-------------|
| 1. | -आ०४०८० | 1/11/30/1-3 |
| 2. | -वही | 1/1/4/29 |
| 3. | अवराधेनु कैनं सततमुषालभेत् । अभित्रास उष्वास उदकोषस्वर्णमंदर्शनमिति दण्डा यथामात्रानिवृत्तेः॥ | |
| | - | वही |
| | | 1/2/8/29-30 |

उक्त से स्वष्ट होता है कि आषस्तम्ब ने छात्रों को दण्ड देने की व्यवस्था की है किन्तु कठोर दण्ड के वे समर्थक नहीं हैं। अधिकृत उनका दण्ड विधान मनोवैज्ञानिकता वर आधारित था, विद्यार्थी के लिए इस प्रकार का कठोर दण्ड विधान नहीं था जिससे वह अन्य विद्यार्थियों के लिए उदाहरण बन जाय वरन् यह दण्ड विधान उस विद्यार्थी के सुधार को दृष्टि में रखकर ही किया गया था।

अनध्याय श्वेदाध्ययन की बन्दी¹:- ब्रह्मचर्यविष्टा का मुख्य लक्ष्य अध्ययन था। अध्ययन एक तष्ठ माना गया है¹ अतएव इसके लिए वातावरण की अनुकूलता, मानसिक शान्ति और स्काग्रता, उचित स्थान और प्रवित्रता का होना अत्यावश्यक है इसीलिए आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अनध्याय प्रकरण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। आषस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार अनध्याय के नियम वैदिक मन्त्रों के विद्याग्रहण के लिए ही है यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों में वैद के मन्त्रों के प्रयोग में अनध्याय लागू नहीं होता²।

१. तष्ठ. स्वाध्याय इति ब्राह्मणम् ॥

-आ०४०४० 1/4/12/1

२० विदां प्रत्ययनध्यायः श्रूयते न कर्मयोगे मन्त्राणाम् ॥

- वही 1/4/12/9

उक्त से स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब धर्मसूत्र में विर्णत अनध्याय प्रकरण केवल वेदाध्ययन से ही सम्बन्धित है। यज्ञ एवं अन्य धार्मिक कृत्यों से यदि केदों के मत्रों का प्रयोग किया जाता है तो अनध्याय लागू नहीं होता।

अनध्याय का वर्णन करते हुए सूत्रकार का कथन है कि चौराहों, इमशान में अध्ययन वर्ज्य है किन्तु यदि चौराहा गोवर से लिपा है तथा यदि इमशान के स्थान पर ग्राम बना हो अभवा इमशान को जोतकर खेत बना दिया गया हो तो वहाँ अध्ययन की अनुमति है।

आषस्तम्ब ने कुछ तात्कालिक अनध्यायों की चर्चा की है ये घोड़े समय के लिये माने गये हैं। यथा शूदों तथा शूदा स्त्री उसे देख रही है अभवा नीच वर्ण के के बुद्ध के साथ यौन सम्बन्ध रखने वाली स्त्री एक दूसरे को देख रही है गाँव में शव बड़ा है, जिस गाँव में चण्डाल रहता है, या बाल्य जाति के व्यक्ति गाँव में आ गये हैं, या महान बुद्ध गाँव में आया हुआ है, विषुत चमकने पर, मेघगर्जन होने

१०. निगमष्वध्ययनं वर्ज्येत्। आनहड्हेन वा शूदीत्वप्पेनोष्ठलित्वे धीयीत।

इमशाने सर्वतः शम्याष्ट्रसात्। ग्रामेणाऽध्यवसिते क्षेत्रेण वा नाडनध्यायः।
ज्ञायमाने तु तीस्मन्नेव देशे ना धीयीत ॥

पर¹, कुत्तों के भोकने, गदहों के रेकने, भैङ्घा के बोलने, सियार, उल्लू के शब्दों को सुनने तथा वादन यन्त्रों के शब्द सुनाधी छड़े पर रोना, गीत तथा सामग्रान के शब्दों के श्रवण, वमन, दुर्गन्ध होने पर, यदि वायु तेज बह रही है, वर्षा होने पर तथा जब गौए अवस्थ्य कर दी गयी हो या वध के योग्य का जब वध किया जा रहा तब तक आषस्तम्ब ने विद्यार्थी के छारा अध्ययन का निषेध किया है²।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने कुछ ऐसे अवसरों की भी चर्चा की है जब तिक एक दिन, 24 घण्टे, एक मास छ. मास या साल पर तक अनध्याय चल सकता है।

आषस्तम्ब के अनुसार वेदाध्ययन के विराम के समय, गुरु की मृत्यु पर अष्टका पर तथा उषाकर्म के समय एवं निकट सम्बन्धियों की मृत्यु पर तीन दिन का अनध्याय होता है।³

1. -आ०ध०४०१२/१/२९/९-२४, १/३/१०/९/१०

2. -वही १/३/१०/२०-२९, १/३/११/८,
१/३/११/२७

3. वैरमणे गुरुष्वष्टाक्य औषाकरण इति ऋहा:। तथा सम्बन्धेषु जातिषु॥

- वही १/३/१०/२-३

माता भिषता तथा आचार्य की मृत्यु पर 12 दिनों के अनध्याय का उल्लेख सूत्रकार ने किया है¹। परन्तु सूत्र 1/3/10/10 में आषस्तम्ब ने अन्य आचार्य के मत का उल्लेख किया जिसमें आचार्य की मृत्यु पर केवल तीन दिन का अनध्याय माना गया है एवं आषस्तम्ब ने श्रोत्रिय की मृत्यु का समाचार उसकी मृत्यु के एक वर्ष के भीतर सुनने पर एक दिन और एक रात का अनध्याय माना है । सूत्रकार ने उक्त संदर्भ में अन्य धर्मशास्त्रकारों का मत का भी उल्लेख किया है जिन्होंने श्रोत्रिय के सहाध्यायी होने पर ही उसकी मृत्यु का समाचार एक वर्ष के भीतर सुनने पर एक दिन और एक रात्रि के अनध्याय का नियम कहा है²।

कुछ अनाध्याय कालों को आकालिक कहा जाता है आकालिक अनध्याय 60 घटिकाओं का अर्थात् पूरे 24 घण्टे का होता है । आषस्तम्ब ने विषुत, मेघ गर्जन, वर्षा और सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण के समय, भूकम्प आने, आँधी चलने पर, उल्कापात होने पर आकालिक अनध्याय माना है ।

इसके अतिरिक्त उषाकर्म के उपरान्त एक मास तक रात्रि के ब्रह्म ब्रह्म में वेदाध्ययन का निषेध था³ एवं अमावस्या पर दो दिन और दो

1० मातौरि चित्यर्चार्य इति व्यादशाहा : ॥

-आ०४०४०४० 1/3/10/4

2० श्रोत्रियसंख्याया मणीरसंवत्सरायामेकाम् । उत्तमामेस्मित्येके ॥

रात अध्ययन का निषेध किया है एवं षष्ठीमास की षुर्णिर्णिमा तथा जिन मासों में चातुर्मास्य यज्ञ किये जाते हैं अर्थात् फाल्गुन, आषाढ़ और कार्तिक की षुर्णिर्णिमा हें अनध्याय का उल्लेख प्राप्त होने के अतिरिक्त श्रावण की षुर्णिर्णिमा को वेदाध्ययन का उचार्कर्म करके एक मास तक ब्रदोष काल में अध्ययन का निषेध किया है एवं आषाढ़ महीने में और वसन्त के उत्सव के समय अनुवाक के अध्ययन का तथा ब्रदोष में छन्द के किसी नये अंश के अध्ययन का निषेध आषस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त होता है।

इस प्रकार आषस्तम्ब धर्मसूत्र में विस्तृत रूप से अनध्याय का वर्णन किया गया है। कुछ अवसर वैदिक इंद्र अनावश्यक से लगते हैं वरन्तु कुछ के कारण तो तर्कसंगत एवं समझे जाने योग्य सिद्धहस्तों वर आधारित है। वैदिक अध्ययन षुर्णितः स्मृति- वरम्भरा वर आधारित था अतएव वैदिक मन्त्रों के अध्ययन के लिए चित्त का एकाग्र होना अत्यावश्यक है क्योंकि मन की चक्षता मन्त्रों के झुण्ड रूप से कण्ठस्थ में वाधक हो सकती है इसी कारण मन को बैंचल कर देने वाले अवसरों में वेदाध्ययन के अनध्याय की चर्चा की गयी है।

1. ज्ञातोधर्मसूत्र 1/3/9/28, 1/3/10/1, 15, 1/3/9/1-2,
1/3/11/32

भोजन- वान

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में भोजन सम्बन्धी नियमों एवं धृतिबन्धों के विषय में विस्तृत विवेचन द्रष्टुत किया गया है ।

भोजन विधि .- आषस्तम्ब के अनुसार शूर्व की ओर मुख करके अन्न का भक्षण किया जाय वरन्तु माता के जीवित रहते दीक्षणामुख होकर भोजन किया जा सकता है¹। भोजन करने का स्पत लिपा मुता एवं स्वच्छ होना अत्याक्षयक है²। भोजन बकरे के चर्म पर बैठकर करना अत्युत्तम माना है । सूत्रकार ने नौका, लकड़ी के मन्च पर भोजन करने का निषेध किया है³। भोजन वात्र तांबे का और उसका मध्य भाग सोने से अलंकृत होना आषस्तम्ब ने आक्षयक माना है किन्तु वे विकल्प से मिटटी के ऐसे वात्र जिसमें वहते भोजन न वका हो, यदि वका हो तो गर्म कर लिया गया हो, भोजन की अनुमति देते हैं । इसके अतिरिक्त लकड़ी के ऐसे वात्र में जो भी तर से भलीभांति उरादा गया हो भोजन वात्र के स्त्र में द्रव्युक्त किया जा सकता था⁴ एवं आषस्तम्ब ने भोजन से शूर्व और भोजनोवरात दो बार

1. श्राह.मुखोड्नानि भुञ्जीत्तो च्वरेददशिणामुखः ॥

आ०ध०सू० १/११/३१/१, २/८/१९/१-२

2. कृतभूमौ तु भुञ्जीत ॥

-आ०ध०सू० १/५/१७/८

आचमन करने का निर्देश दिया है¹। इतना ही नहीं भोजन करते समय जनेऊ
इयज्ञोष्वीत्² अथवा उषवस्त्र धारण करना गृहस्थ के लिए आवश्यक था तथा
उत्तरीय वस्त्र को बाये कन्धे के ऊपर तथा दाहिनी भुजा के नीचे लघेट कर भोजन
किया जाता था²,

आषस्तम्ब ने भोजन करते समय मुख से किसी ब्रकार के शब्द तथा
दाहिना हाथ हिलाने का निषेध किया है³ तथा निर्देश दिया है कि - जितना
ग्रास एक बार में खाया जा सके उतने अन्न का बिछड़ बनावे, उसमें से खोड़ा भी
अन्न भूमिक पर गिरने नहीं देना चाहिए तथा उस सम्पूर्ण ग्रास को अंगूठे को मुख
में डालते हुए एक बार में ही निगलना चाहिए⁴।

आषस्तम्ब के मतानुसार गृहस्थ को केवल दो बार भोजन करना

१०. भोद्धयमाणस्तु त्रयतोऽपि विद्वाचामेधिदः परिभूजेतसकृद्वस्पृशेत्॥

-आ०ध०स० १/५/१६/९, २/८/१९/८

२०. नित्यमुत्तरं वासः कार्यम्। अपि वा सूत्रमेवोष्वीतार्थे॥

-वही २/२/४/२२-२३

३. न च मुखशब्दं कुर्यात् । षाणि च नाऽवधून्यात्॥

-वही २/८/१९/६-७

४. यावदुग्राह्मं सन्नयन्नस्कन्दयन्नाऽष्विहीताऽष्विहीत वा कृत्स्तं ग्राह्मं ग्रसति
सहाइ.गुष्ठम्॥

-वही २/८/१९/५

चाहिए। इतना ही नहीं भोजन के लिये जाने वाले ग्रास के सम्बन्ध में आषस्तम्ब की धारणा है कि सन्यासी 8 ग्रास, वानप्रस्थी 16 ग्रास गृहस्थ 32 ग्रास गृहण करे किन्तु ब्रह्मचारी जितना चाहे उतना ग्रास खा सकता है¹ इरन्तु आषस्तम्ब ने 2/4/9/12 सूत्र में गृहस्थ को व्याप्त भोजन की अनुमति दी है जिसके बाहर अपना कार्य ठीक से कर सके।

आषस्तम्ब ने रोटियों, फल मूल आदि को दांतों से टुकड़े करने का निषेध किया है अधिकृत हाथ से तोड़ कर या काट कर भक्षण की अनुमति दी है²

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में वहले अतिथियों को भोजन कराने तत्त्वज्ञात् बालकों, वृद्धों, रोगियों, स्त्रियों तथा गर्भवती स्त्रियों को भोजन का उल्लेख नहीं होता है³। भोजन के लिए निमंत्रण एक दिन वहले दिया जाता था दूसरे दिन शुनः निमंत्रण देने का उल्लेख नहीं होता है, उसी दिन जब भोजन ग्राह्य होता था तो उससे छूर्व शुनः निमंत्रण दिया जाता था। आषस्तम्ब ने

1. आ०४०४०४० 2/4/9/13

2. वही 1/5/16/17

3. अतिथीनेवाऽग्ने भोजयेत्। बालान्वृद्धान्त्रोगसम्बन्धान्स्त्रीश्चान्तर्वर्त्तनीः॥

विना आग्रह के भोजन ग्रहण का निषेध किया है तथा जन्म चरित्र एवं विद्या के कारण अयोग्य व्यक्तियों, इवेत कुष्ठ के रोगी, गंभे सिर वाले, परस्त्रीगमन करने वाले, शक्तिपूर्ण व्यक्ति कर्म करने वाले ब्राह्मण के पुत्र तथा ऐसे ब्राह्मण का ब्राह्मणी से उत्तमन् पुत्र जो पहले शुद्धा पत्नी से विवाह करके शुद्ध बन गया है के साथ एक शक्ति में बैठकर भोजन करने का निषेध किया है¹। एव उन्होंने शक्तिवावन जो अपनी उपस्थिति से शक्ति में बैठने वालों को शक्तिपूर्ण करते हैं के साथ भोजन करने की सलाह दी है उनकी दृष्टिकोण में 'मधुवाता ऋतायते' आदि तीन-तीन बार मधु शब्द से युक्त वेद की तीन ऋचाओं का अध्ययन करने वाला तीन बार सुवर्ण शब्द से युक्त वेद के ऋश का ज्ञान रखने वाला, तीन बार वाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला इअश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेघ, शृृतमेघ, चार यज्ञों पर उपयोग में आने वाले मन्त्रों का ज्ञान रखने वाला, पांच अग्नियों को प्रज्वलित रखने वाला, ज्येष्ठ साम का ज्ञाता, दैनिक अध्यवसाय करने वाला, अह.गो सहित सम्पूर्ण वेद का अध्ययन करने में समर्प ब्राह्मण तीन विद्याओं के ज्ञात का पुत्र तथा श्रोत्रिय शक्तिवावन है। अतएव इनके साथ शक्ति में बैठकर भोजन करना चाहिए²।

इसके अतिरिक्त आषस्त्रव ने किसी के जूठे भोजन के भ्रष्टण अपवा

१. नाननियोग्नूर्वमिमति हारीतः। अनर्दिद्धर्वा समानवृद्ध. कतो। शिवत्रिशशिविष्टः
परतत्वगाम्यायुधीयपुत्रशूद्धोत्तम्नो ब्राह्मण्यामित्यते त्राध्दे भुजानाः
शक्तिवृद्धाः भवन्ति॥

किसी को जूठा भोजन देने का निषेध किया है परन्तु माता-पिता बड़े भाई एवं
गुरु के जूठे खाने की अनुमति दी है किन्तु इस प्रकार की अनुमति उसी अवस्था में
^{आचार्य} प्राप्त थी जब तक माता पिता, बड़े भाई गुरु का धर्म के विवरीत न हो यदि
उनका आचरण धर्म के विवरीत हो तो जूठा खाने का निषेध किया है¹।

जहाँ तक किसी व्यक्ति को जूठा खाना देने का सम्बन्ध है आष-
स्तम्ब ने केवल अपने आंत्रिक शूद्र के अतिरिक्त किसी अन्य को अपना जूठा भोजन
देने का निषेध किया है²।

मांस भक्षण :- धर्मसूत्रों के काल में मांस भक्षण एक आम बात थी । आषस्तम्ब
[१२/३/७/५] धर्मसूत्र के अनुसार अतिथि को मांस देने से व्यादशाह यज्ञ करने का
फल मिलता है ।

आषस्तम्ब ने मांस भक्षण के सम्बन्ध में निम्न नियम दिये हैं—एक
खुर वाले वशुओं का, डेंट का, गवय ग्राम्य सूकर, शरम स्व गाय का मांस अभोज्य
है एक खुर वाले वशु की ब्रेणी में झक्क आता है तथा गवय से तात्पर्य गो के

-
1. मातिज्जठं राजन्यस्य । पितुर्ज्येष्ठस्य च भ्रातुर्हिच्छष्टं भोक्तप्यम्।
धर्मविवितपत्तावभोज्यम्॥ -आ०ध०म० १/१३/१, १/१४/११, १२
 2. नाऽब्रात्मणायोच्छष्टं प्रयच्छेत् । यदि प्रयच्छेददन्तान् स्कुप्त्वा
तस्मन्नवधाय प्रयच्छेत् ॥

सदृश पशु अर्पति नीलगाय इस श्रेणी के अन्तर्गत है ।

आषस्तम्ब ने वाजसनेयक के मत का उल्लेख करते हुए बैलों के मांस को षष्ठिक भाना है तथा गाय एवं बैल के मांस को भक्ष्य बताया है¹।

यहाँ आषस्तम्ब व्यारा दो परस्पर विरोध मत प्रस्तुत किया गया है । आषस्तम्ब [१५/१७/२९] में गौ के मांस को अभोज्य मानते हैं वहीं अगले सूत्र में [१५/१७/३०] में धेनु एवं अनडुह के मांस को भक्ष्य कहते हैं । यहाँ यह विवारणीय है कि, आषस्तम्ब ने अन्य धर्मसूत्रकारों की भाँति धेनु के वध पर शूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाया अपितु । १९/२६/। सूत्र में अकारण धेनु तथा अनडुह के वध का निषेध किया है इस ब्रुकार हम देखते हैं कि आषस्तम्ब ने धेनु तथा अनडुह के वध का निषेध नहीं किया, अपितु पहले अबने शूर्वकर्ता धर्मसूत्रकारों [गौ० धर्म०४० २/८/३०] से प्रभावित होकर गौ मांस भक्षण का निषेध किया बाद में उन्होंने अबने समय से प्रचलित मान्यता ओं के कारण अनुमति दी है । उन्होंने अबक स्थलों पर स्थाट स्थ से गौ मांस भक्षण की अनुमति दी है यथा गौ का मांस एक वर्ष तक सन्तुष्ट देता है²।

१. एक्सुरोष्ट्रगवयग्रामसूकरशरभगवाम ।

धेन्वनहृहोर्भक्ष्यम् । मेध्यमानहृहमिति वाजसनेयकम् ।

-आ०४०४० १५/१७/२९, १५/१७/३०-३१

२. सिंवत्सरं गव्येन षष्ठीर्ष्टिः ॥

-वही

२/७/१६/२५

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने चाँच नस्त्र वाले पशुओं इनर, वानर, विल्ली^१ के भक्षण का निषेध किया है वरन्तु गोधा, कछुआ, श्वारिवट, शत्रुक, उङ्गा, शश, पूतिखब के भक्षण की अनुमति दी है^२। गौतम २/८/२७^३ से भी आषस्तम्ब के मत का समर्थन प्राप्त होता है वरन्तु पूतिखब का उल्लेख नहीं किया है। हरदत्त ३/५/१७/३७^४ की व्याख्या में पूतिखब को हिमालय में बाया जाने वाला उरगोश सदृश जानवर बतलाया गया है।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने हिंसा के लिए प्रयुक्त तलवार या चाकू से काटे गये मांस का भक्षण वर्जित माना है^५।

वृक्षियों की तीन श्रेणियों का उल्लेख आषस्तम्ब ने किया है।

१॥ विकिरजो वैरों से सुरच कर कीच्छे को छाते है ॥।

२॥ प्रतुद जो वक्षी चाँच से अन्न हत्यादि को छकर खाते है ॥।

३॥ क्रव्य शव का भक्षण करने वाले वक्षी ॥।

१. वन्ननाना गोधाकच्छवारिवद्यक्षद्. गश्शूर्णत्त्वं र्द्ध् ॥।

-आ०४०८०८० १/५/१७/३७

२. हिंसार्थाऽसिना मांस छिन्नमभोज्यम् ॥।

-वही १/५/१६/१६

जहाँ तक ग्रुप्पम श्रेणी का सम्बन्ध है जिसमे मयूरादि की गणना होती है, मुर्गा को छोड़कर विकिर बछी को भोज्य बताया है¹।

ग्रुप्पुद श्रेणी के वच्छियों में प्लव को छोड़कर अन्य वच्छियों को भोज्य माना गया है ।

क्रृत्य श्रेणी के सभी वच्छियों यथा गिध्द, चील आदि अभक्ष्य थे²।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने हस्मास चक्रवाक, वाज, कुञ्ज, क्रौञ्च एवं मरु या घीड़ियाल³ वर्जित है तथा सर्व की भाँति सिर वाली एवं मकर वर्जित है वरन्तु शंतबलि नामक मछली भोज्य है ।

1. कुक्कुटो विकिराणाम् ॥

-आ०ध०सू० 1/5/17/32

2. प्लवः ग्रुप्पुदाम् । क्रृत्यादः ॥

-वही 1/5/17/33-34

3. हस्मासचक्रवाकसुषष्टार्शिच । कुञ्चक्रौञ्च वार्धृष्णासलक्ष्मणावर्जम् ॥

-वही 1/5/17/25-36

4. आ०ध०सू० 1/5/17/38-39, 2/17/17/2

दुग्ध व्रयोग.- दुग्ध के विषय में आपस्तम्ब ने बहुत से नियम बनाये हैं। उनके अनुसार भेड़ ऊटनी, हिरण्णी, सन्धनी, गाय भैंस आदि, एक बार में कई बच्चे देने वाली एक खुर वाली मादा शु का दूध अपेय है¹।

ब्रो० काणो के अनुसार सन्धनी के तीन अर्थ हैं ॥१॥ जो गाय गर्भवती होना चाहती है ॥२॥ वह गाय जो दिन में केवल एक बार दूध देती है ॥३॥ वह गाय जो दूसरे बछडे के लाने पर दूध देती है²। व्यास्याकार हरदत्त ने सन्धनी का अर्थ गर्भिणी होते हुए दूध देने वाली अथवा एक समय दूध देनी वाली किया है³।

आपस्तम्ब ने गाय भैंस अथवा बछरी⁴ का दूध व्याने के दस दिन तक अपेय कहा है⁴।

१. तथैतकं षयः। उष्ट्रोब्मीरेमृगीश्चीरसन्धनीश्चीरथमसूक्ष्मीराणीति॥

-आ०ध०सू० ।/5/17/22-23

२. ब्रो० काणो- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग । ष० 424

३. आ०ध०सू० ।/5/17/23 पर हरदत्त की टिप्पणी

४. धेनोश्चाऽनिर्दशायाः॥

-आ०ध०सू० ।/5/17/24

गौतम ने भी [2/8/22-26] अर्नदशा सन्धिनी स्वं विवत्सा गौ के दुर्घ का निषेध किया है ।

शाकभाजी का प्रयोग - अति ब्राह्मीन काल से कुछ शाक भाजियाँ वर्जित अठहरायी गयी है आवस्तम्ब के मत से वे सभी शाक जिनसे मदिरा निकाली जाती है कल ज इलाल लहसुन, बलाण्डु इप्पाच, परारीका इकाता लहसुन तथा वे शाक भाजियाँ जिन्हे भद्र लोग नहीं डाते हैं, भोजन के प्रयोग में नहीं लानी चाहिए इसी ब्राकार क्याकु इकवक, कुकुरमुत्ता भी नहीं खाना चाहिए¹।

वर्जित वक्व वदार्थः - आवस्तम्ब के अनुसार रात्मार बनाकर रखा हुआ भोजन न खाये न बीये एवं खट्टा बने हुए भोजन को ग्रहण न करे वरन्तु काणित ईच्छ का रस-सिरका वृषुक्तण्डुल ईच्छडा करम्ब, भरज भुना हुआ यव सक्तु, शाक, मांस, पिठट, कीर तथा श्वीर विकारादूध से निर्मित वदार्थ दही आदि औषधि, बन-स्वति कल और मूल के विषय में उक्त नियम नहीं होता है । अर्थात् इन्हे खाने के काम में लाया जा सकता है²।

1. तथा कीलालौषधीनां च । करज्जवलण्डलरारीकाः । यच्चाऽन्यत् परिचक्षते ॥

- अठ०४०४० 1/5/17/25-27

2. कृतान्नं वर्युषितमखायापेयानाथम् । शुक्तं च । काणितवृषुक्तण्डलकरम्ब
भरजसकुशाक्मांसपिठट्टीरविकारौषधिवनस्वतिमूलफलवर्जम् ॥

- वही 1/5/17/17-19

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने उन वस्तुओं का निषेध किया है जो दूसरी वस्तु के साथ मिलाये विना ही खट्टी हो गई हैं¹। इस प्रकार दही और दही से निर्मित पदार्थ भक्ष्य है क्योंकि ये दूध के विकार हैं इसी प्रकार खट्टे पदार्थ जो मुख्य मूल व फलों के सन्धान से बनते हैं भक्ष्य हैं ।

त्योज्य भोजनः- आषस्तम्ब ने किसी व्यक्ति के कुल में यदि कोई मर गया है और अशौच का समय छह दिन का है तो उसके घर भोजन का निषेध किया है । इसी प्रकार ऐसे घर में जहाँ सूतिका स्त्री सूतिका गृह से न निकली हो जिस घर में शव हो, भोजन अभोज्य कहा है²।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने जिस अन्न में केश, कीड़ा, चूहे का मल अथवा उसके अंग का टुकड़ा अथवा अन्य अवित्र वस्तुये छड़ी हो अथवा अवित्र वस्तुएः, शुद्ध व्यारा स्वर्ण होने पर इस प्रकार का भोजन अभोज्य बताया है³ एवं वैर से हुआ गया, पहने हुए वस्त्र के छोर से स्वृष्ट कुत्ते अथवा अवात्र व्यारा

1. शुक्रं चा वरयोगम् ॥

-बस्तिध०सू० 1/5/17/20

2. यस्य कुले प्रियेत न तत्राऽनिर्देशे भोक्तव्यम् । तथाऽनुत्पत्तायां सूतकायाम् ।
अन्तः शवे च ॥

- वही 1/5/16/18-20

3. ब्रातोध०सू० 1/5/16/22-27, मनु० 4/207, यात्रा० 1/167

हुआ गया, वस्त्र के आंचल में बाधकर लाया गया अमोज्य है¹।

आषस्तम्ब के अनुसार यदि भोजन करते समय शूद्र भोजन करने वाले व्यक्ति को छू ले तो वह व्यक्ति भोजन न करे एवं जहाँ तिरस्कार करके अन्न दिया गया हो वहाँ भोजन न करे तथा मनुष्यों द्वारा अथवा अष्टवित्र व्राणि-यों द्वारा निकट से व्यूही गये तथा बाजार से उरीद कर अथवा अप्ता हुआ प्राप्त भोजन को उन्ना नहीं चाहिए² एवं बहुत से व्यक्तियों के समूह से प्राप्त अथवा चारों ओर पुकार कर दिया गया एवं शिल्षकला से तथा शस्त्र से जीविका इक्षत्रिय के अतिरिक्त चलाने वाला, मकान एवं भूमि किराये पर देने वाले, वैद्यजो औषध से जीविका चलाता है⁴, नषुंसक, ड्याज लेने वाले का, राजा के संदेश वाहक का, बिना विधि सन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति का, अग्नि का परित्याग करने वाले व्यक्ति का, स्वाध्याय न करने वाले ब्राह्मण तथा जिस ब्राह्मण की शुद्धा बत्ती जीवित हो, अथवा मदबान से मत्त, बागल, अथवे बुत्र से वेद का अध्ययन करने वाला, बृणी को शृणा लेने के लिए रोक कर बैठने वाले व्यक्तियों का भोजन अमोज्य होता है³।

1. आ०ध०सू० 1/5/16/28-31 मनु० 4/208

2. आ०ध०सू० 1/5/16/33, 1/5/17/1, 4, 5 एवं 1/5×17/14, मनु० 4/212, या० 1/167

3. आ०ध०सू० 1/6/18/16-33 एवं 1/6/19/1, गा०ध०सू० 15/18 एवं 17/17-18, मनु० 4/205-220, या० 1/160-165

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने हुराण में इलोक को उद्धृत किया है जिसके अनुसार चिकित्सक, बहेलिया, वीड़डा ड करने वाला, जाल से मृग इत्यादि को पकड़ने वाला कुटास्ता स्त्री और नपुसक का अन्न अभोज्य है।

समावर्तन के बाद ब्राह्मण श्रीत्रिय, वैश्य सूर्य शुद्ध के यहाँ भोजन नहीं कर सकता था। यदि ब्राह्मण इस कृत्य को करता है तो उसको ब्रायश्चत्त करना पड़ता था, यदि ब्राह्मण द्वारा ब्रायश्चत्त नहीं किया जाता था तो उस ब्राह्मण द्वारा दिया गया भोजन अभोज्य होता था इरन्तु यदि वह ब्रायश्चत्त कर ले तो उसके घर भोजन की अनुमति आपस्तम्ब ने दी है।

निहित भोजन स्वं भोज्यान्.— आपस्तम्ब ने शुद्ध को छोड़कर अपने धर्म में वर्तमान सभी तीन वर्णों^{का} अन्न भोज्य माना है³। इससे यह स्वष्ट होता है कि यदि विद्वज अपने वर्णगत धर्मों में प्रस्थित है तभी उनका भोजन ग्राह्य था, यदि

1. चिकित्सकस्य मृगयौशशत्यकृतस्य पाशिनः॥

—आ०ध०८०८० 1/6/19/14

2. एवमाषदि वृत्तिमुक्तवा सुभिष्ठेऽनाषदि वृत्तिमाह त्र्याणां वर्णानां श्रीत्रिपुर्मूलीनां समावृत्तेन न भोक्तव्यम्।

ब्रृकृत्या ब्राह्मणस्य भोक्तव्यमकारणादभोज्यम्। यत्राऽब्रायश्चत्तं कर्म सेवते ब्रायश्चत्तवीति। चरितनिर्वेषस्य भोक्तव्यम्॥

—वही 1/6/18/9-12

3. सर्ववर्णानां स्वधर्मे वर्तमानानां भोक्तव्यं शुद्धवर्जित्येके॥।।

—वही 1/6/18/13

विद्व अष्टने वर्णगत धर्मों से भिन्न कर्म करते हैं तो उनका भोजन त्याज्य था ।

जहाँ तक शुद्ध के द्वारा दिये गये भोजन को ग्रहण करने का सम्बन्ध है आषस्तम्ब ने इसकी अनुमति उसी अवस्था में दी है जब वह धर्म के लिये आश्रित हो, तथा विद्व आषीत्त के समय ही शुद्ध से अन्न ग्रहण करें एवं सोने या अग्नि से स्वर्ण कराकर भोजन ही किया जाय और भोजन में विद्व क्षेत्र रुचि न ले और अपनी यथोचित जीवनवृत्ति प्राप्त कर लेने पर शुद्ध द्वारा ब्रदत्त अन्न त्याग दे¹ ।

इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति भोजन के लिए प्रार्थना करता था उसी का भोजन भोज्य होता था एवं कौत्स रुचि के मत के आधार पर आषस्तम्ब ने सभी शुण्य आचरण वाले व्यक्तियों का अन्न भोज्य कहा है² । इससे यह ध्वनित होता है कि यदि शुण्य आचरण वाला व्यक्ति भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करता है तब भी उसका अन्न भोज्य होता है ।

आषस्तम्ब ने वाष्प्यायिण के मत का उल्लेख करते हुए प्रत्येक दानशील व्यक्ति के अन्न को भोज्य कहा है³ । यहाँ पर यह शुश्न उठना स्वा-

1. तस्याऽपिधर्मोवनतस्य ॥ न सुभिद्वः स्युः ॥ स्वयमप्ववृत्तो सुवर्ण दत्ता षशं वा भुज्जीत । नाऽत्यन्तमन्ववस्येत् ॥

-आ०४०४० १/६/१८/१४, १/६/१८/५-७

2. य ईप्सेदिति कण्वः ॥ शुण्य इति कौत्स ॥

- वही १/६/१९/३-४

3. यः कश्चिददधादिति वाष्प्यायिणः ॥

-वही १/६/१९/५

भाविक है क्या दानशील व्यक्ति को गुणी न हो तो भी उसके द्वारा प्रदत्त भोजन भोज्य है । इस सम्बन्ध में विचारणीय ब्रह्म यह है आषस्तम्ब ने वर्णित धर्म में स्थित व्यक्ति के भोजन को ही ग्राह्य कहा है, यदि दानशील व्यक्ति अबने वर्णित धर्म में निष्ठ नहीं है तो भी उसका भोजन अग्राह्य है ।

भोजन बनाने एवं बरोसने वाले.- बाचकों एवं बरोसने वालों के विषय में आषस्तम्ब ने अनेक नियम दिये हैं । आषस्तम्ब के अनुसार विद्य स्नान से धृवित्र होकर भोजन बना सकते हैं एवं भोजन बनाने वाले का मुख जब तक अन्न की तरफ हो तब तक वह न बोले एवं उसके लिए खाँसना एवं धूकना भी वर्ज्य था । यदि वह भोजन बनाते समय शरीर के किसी अंग को अभ्वा वस्त्र को छू ले तो वह जल का स्वर्ण करके अबने को धृवित्र करने के पश्चात् ही पुनः अन्न का स्वर्ण करे ।

यद्यपि आषस्तम्ब ने इहु को अन्य वर्णों के व्यक्तियों के लिये भोजन बनाने की अनुमति दी है उर्तु उस पर अनेक वृप्तिबन्ध थे यथा वह भोजन केवल आर्यजनों की देखरेख में ही बना सकता था तथा व्रतिदिन वह अपने केशों, दाढ़ी, शरीर के बालों तथा नाखूनों को काटे, विकल्प से व्रत्येक ब्रह्म की अष्टमी

१. आर्याः वृयता वैश्वदेवेऽन्नसंस्कर्तारः स्युः । भाषा कासं श्वधुमित्यभ्युष्ठोऽन्नं वर्ज्येत् वेशानहम् वास्त्रचाऽऽत्मयाऽष्ट उष्टस्वृशेत् ।

तिथि या वर्षों पर केश, दाढ़ी, नाखूनों को कटवाने की बात कही है तथा
इत्येक दिन शुद्ध को अबने सभी वस्त्रों के साथ स्नान करना अत्यावश्यक था ।

इस इकार उक्त प्रतिबन्धों के साथ शुद्ध का भोजन भोज्य था । यदि शुद्ध उक्त प्रति-
बन्धों के साथ भोजन तैयार करता था तो गृहस्थ अन्न को अग्नि तथा जल
छिड़ककर देवताओं को अर्धित किये जाने योग्य बना सकता था ।

मध्यान्.— ऋग्वेद ने सोम एवं सुरा में अन्तर बताया है । सोम मदमत्त करने
वाला येय घदार्थ था और इसका प्रयोग केवल देवगण एवं दुरोहित लोग कर सकते
थे, किन्तु सुरा का प्रयोग अन्य कोई भी कर सकता था ।

सोम के सम्बन्ध में आषस्तम्ब धर्मसूत्र मौन है किन्तु उसने सभी
इकार की मादक वस्तुओं को अपेय कहा है² । जहाँ तक सुरा का सम्बन्ध है आष-
स्तम्ब ने सुरा का धान एक महाधातुक माना है³ तथा प्रायोदिवत्त के सभ में
सुराधान करने वाले को अग्नि पर सौलायी गई सुरा धान का विधान किया है⁴ ।

1. आर्याधिष्ठिता वा शुद्धासंस्कर्तारः स्युः । तेषां स एवाऽऽध्यमनकल्पः ।
अधिकमहरहः केशमश्रुलोमनुवाषनम् । उदकोषस्वर्णं च सह वाससा ।
अथ वाऽष्टमीष्वेव वर्षसु वा वर्षरेत् । वरेष्मन्ने संस्कृतमनावीधित्याऽदीदमः
प्रोक्षेत्तदेवविवित्याच्छ्रुते ॥

-आ०ध०सू० 2/2/3/4-9

2. सर्व मध्यमेयम् ॥ आषस्तम्ब धर्मसूत्र 1/5/17/21

3. आषस्तम्ब धर्मसूत्र 1/7/21/8

4. सुराधो निनस्वर्णा सुरांषिकेत् ॥ आषस्तम्ब धर्मसूत्र 1/9/25/3

पचम अध्याय
धार्मिक स्थिति

ऋग्वेदीय आश्रम व्यवस्था हिन्दू संस्कृति का मुख्य स्तम्भ है ।

आश्रमों की कल्पना हमारे ऋग्वेदों ने ब्राह्मण, जीवन को नियमित, संबंधित एवं आध्यात्मिक बनाने के लिए की है। इस व्यवस्था के बोहे समाज की उदात्त भावना छिपी थी । सबको कार्य करने का सभ्य निर्धारित था ताकि समाज में असंगति, असन्तोष, अनुशासनहीनता एवं असद आचरण का जन्म न हो सके।

आश्रम व्यवस्था पर आवस्तम्ब धर्मसूत्र में वर्णित जोर दिया गया है । आश्रमों की व्यवस्था संस्कारों की आधारभूमि पर की गई है। आवस्तम्ब² का कथन है कि जिस श्रुकार उत्तम और अच्छी श्रुकार जोते हुए खेत में बौधों और बनस्पतियों के बोज अनेक श्रुकार के बल उत्पन्न करते हैं, उसी श्रुकार गर्भधान आदि संस्कारों से मुक्त व्यक्ति भी बल का भागी होता है ।

इसी वृष्टभूमि पर आवस्तम्ब धर्मसूत्र³ में चार आश्रमों का निम्न क्रम में उल्लेख प्राप्त होता है ॥१॥गृहिस्त्व्य ॥२॥आचार्यकुल में निवास॥३॥नै॥४॥र्थात् सन्धासर ॥५॥ बानश्रुस्ता ।

1. आश्रामन्त्तेषु अेषो र्धिनः शुरुवा इत्वाश्रमः ।

2. वर्योषीधि बनस्पतीनां बीजस्त्र श्वेतर्कर्म विशेषे फलविरवृद्धिद रेवम् ॥

इस ब्राह्मण आश्वस्तम्ब व्यारा गृहस्थाश्रम का उल्लेख सर्वधृष्टम् किया गया है। सम्भवत् गृहस्थ धर्म की महत्ता के कारण ही गृहस्थाश्रम का धृष्टम् उल्लेख किया है। आश्वस्तम्ब के अनुसार त्रिपीठिद्या के पारगत विव्वानों के ब्रत में ब्रेद ही परम षुष्माण् है। इसीलिये ब्रेद में ब्राह्मि, बन, बशु, यज्ञ, ब्रह्म ज्ञात तथा वन्त्मी के साथ जिन क्रमाँ, यज्ञादि का विधान है उन्हें ही करना पाहिए। इसके अतिरिक्त ब्रेद में सन्तति धर्म को दी अवृत्तत्व कदा है । ।

बस्तुतः गृहस्थ धर्म की वहत्ता के कारण ही आश्वस्तम्ब ने गांहस्थ धर्म का सर्वधृष्टम् उल्लेख किया है। मनु का भी कथन है कि जिस ब्राह्मण-ब्राह्मण का आश्रय ब्राप्त र रम्भो जीव जीते हैं, उसी ब्राह्मण गृहस्थ का आश्रय ब्राप्त कर रम्भी आश्रम चलते हैं²। तथा इत्येक आश्रम का अनुसरण जनुकृत्य से होना चाहिए सर्वधृष्टम् ब्रह्मचर्य गृहस्थ और गृहस्थ के उपरान्त बान्धुस्थ और अन्त में सन्धारण। ऐसा नहीं है कि कोई एक या अधिक आश्रम को छोड़कर किसी अन्य को अपना ले या सन्धारणी हो जाने पर गृहस्थ हो जाय³।

1. आप्यस्व ब्रजातिमवृत्तमाम्नाय आह-ब्रजामनु ब्रजायसे तदु ते शत्यादिमृतान्विति ॥

- आठ०सू० २/९/२४/।

2. यथाबादु समाधिव्य वर्तन्ते सर्व जन्तवः। तथा गृहस्थादित्व वर्तन्ते सर्व आश्रमा ॥

- मनु ३/७७

3. मनु सू० ४/१, ६/१, ६/३३-३७, ६/८७-८८

वरन्तु आषस्तम्ब धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि व्यक्ति को कृत से गारो आश्रमों में निवास करना अनिवार्य नहीं था । अचितु आषस्तम्ब की धारणा थी कि कोई व्यक्ति जिस आश्रम में रहना चाहे उसमें रह सकता था वरन्तु ब्रह्मवर्याश्रम में निवास सबके लिए अनिवार्य था¹ । अतएव ब्रह्मवर्य के बाद कोई सौधे वरिभ्राजक हो सकता था अपना गान्ध्रस्थ आश्रम में निवास कर सकता था² ।

ब्रह्मवर्य - ब्रह्मवर्याश्रम उषनयन संस्कार से आरम्भ होता है । उषनयन का मुख्य उपोजन विधाग्रहण है । ऐतर्य ब्रह्मवर्याश्रम का मुख्य लक्ष्य अध्ययन है ।

ब्रह्मवारिष्ठों के व्रकार - आषस्तम्ब धर्मसूत्र में ब्रह्मवारिष्ठों के दो व्रकार के विभाजन दिखलाई छढ़ते हैं । एप्ट नैष्ठिक ब्रह्मवारी और विद्वतीय उषकुबण्डा ।

नैष्ठिक ब्रह्मवारी जो बनवर्षान्ते से गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करता था । तथा व्रोद्ध व्राप्ति की साधना में तत्त्वर रहता था तथा वह आजीवन ब्रह्मवर्य ब्रत को धारण करता था । उसके लिए अन्य आश्रमों में व्रीचष्ट होने

1. सर्वेषामुषनवन्दभूति लमान आवार्यकुलेवास ॥

सर्वेषामनूत्सर्गो विधावा ॥

-अठ०ध०सू० 2/9/21/3-4

2. आठ०सू० 2/9/21/8, 19

की आवश्यकता नहीं रहती थी । आजस्तम्ब ने नैछठक ब्रह्मचारी की अत्यधिक श्रद्धा की है एवं उनका विचार है कि जो ब्रह्मचारी अबने मन को आचार्य के कुल में ही लगाता है वह उन सभी शुण्यकलबाले कर्मों को कर लेता है जो गृहस्थाश्रम में किये जाते हैं । ।

उषकुर्बाणि की कोटि में आने वाला ब्रह्मचारी भी गुरु के समीक्षा रहकर विद्याध्ययन करता है वरन्तु वह कुछ काल रुक्षाप्त होने पर गुरु के द्वारा आदिष्ट छोने पर गृहस्थाश्रम में श्रविष्ट होता था उषकुर्बाणि कोटि बाले ब्रह्मचारी स्नातकों की तीन श्रेणियों का उल्लेख आजस्तम्ब ने किया है - ॥ ४३ ॥ विद्याग्रत स्नातक² ॥ २ ॥ ग्रत स्नातक³ ॥ ३ ॥ विद्याग्रत स्नातक⁴ ।

१. सब एवं श्रिणीहितात्मा ब्रह्मचार्यत्रैबास्य र्बाणि कर्बाणि ध्लवन्त्य-
बाप्तानि भवन्ति बान्यवि गृहमेपे ॥

- आ०ध०सू० । । । । । । । । ।

2. आ०ध०सू० । । । । । । । । ।
3. वही । । । । । । । । ।
4. वही । । । । । । । । ।

आषस्तम्ब ने सेसे उष्मकुर्बाणा विद्यार्थियों के लिए अन्तेश्वासी शब्द ग्रा भी छैयोग किया है । जो आचार्य कुल में निवास जरते थे उन्होंने विद्यार्थियों के लिए आचार्यकुल में निवास अन्ताज्ञयक माना है² । यद्यपि आषस्तम्ब आचार्य कुल ने निवास की न्यूनतम अवधि 12 वर्ष मानते हैं वरन्तु उन्होंने विकल्प से अछतातिस वर्ष, छत्तीस वर्ष या चौबीस वर्ष तक ब्रह्मचारी के आचार्य कुल में निवास की अवधि का उल्लेख किया है³ ।

ब्रह्मचारियों की बेशभूषा - आषस्तम्ब ने ब्रह्मचारी की बेशभूषा का विवरण से बर्णन किया है । तत्समय ब्रह्मचारी की बेशभूषा में बस्त्र, दण्ड एवं बेतला थी ।

ब्रह्मचारी दो बस्त्र धारण करता था जिनमे एक अधोभाग के लिए इबास्त्र और दूसरा ऊपरी छाया के लिए इउत्तरीय है । आषस्तम्ब के अनुसार

1. आ०४०३० 1/2/8/27

2. उबेलस्याऽङ्गचार्यकुले ब्रह्मचारिवास ॥

- आ०४०३० 1/1/2/11

3. अष्टाचत्वारिंशब्दबाणि । षादनम् । अर्थे । त्रिभिर्बा । व्यादशावराध्यम् ॥

- आ०४०३० 1/1/2/12-16

ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं बैश्य ब्रह्मचारी के लिए वास्तु क्रमर बटुआ के सूत का सत के सूत का एवं मृगचर्म का होना चाहिए¹। तथा ब्राह्मण ना बस्तु लाल रग, अत्रिय का मजीठ रग ना तथा बैश्य का हल्दी के रग का रोना चाहिए²।

उत्तरीय पे रण ने आवस्तम्ब ने केबल वर्धारण की अनुश्रृति दी है³। उनके अनुसार ब्राह्मण व्यारा धारण किया जाने वाला वर्ष दीरण का हो अधृता गाले रंग की मृगी का⁴। क्षत्रिय व्यारा धारण पिया जाने वाला वर्ष स्तम्भ धैष्टोत्राते⁵ का हो तथा बैश्य व्यारा बकरे का वर्धारण किया जाय⁵। इसके अतिरिक्त बिकल्प से उभी बछोर्दे के दिए भेड़ का वर्ष या भेड़ की ऊन से निर्धित करबल आवस्तम्ब ने स्वोकार किया है⁶।

१. वास.। शार्णीष्वैमाजिनानि॥

- आ०५०८०० । । । । । । । । ।

२. कामाम वैके बस्त्रवुषदिशन्ति। माञ्जिज्ञठ राजन्यस। हारिद्र बैश्यस्य॥

- आ०५०८००० । । । । । । । । ।

३. औजन्त्वेबोत्तरं धारयेत् ॥

- बही । । । । । । । ।

४. हारिणामैष वा कृष्ण ब्राह्मणस्य ॥

- बही । । । । । । । ।

५. ऋष्वंराजन्यस्य। बस्त्राजिन बैश्यस्य ॥

- बही । । । । । । । ।

६. आविकं सार्वविष्णुन् । करबलश्च ॥

- बही । । । । । । । ।

इसे अंगेतरिकन आवस्तम्ब ने ओँशा की है कि जो ब्रह्मचारी ब्रह्मशीक्षित की वृद्धि नाहता है वह ऐसे अजिन् आर्द्ध ही धारणा करे, क्षत्रिय जो शीक्षित की वृद्धि नाहने लाला नस्त्रों को ही धारणा करे । तथा दोनों की वृद्धि नाहने लाले- अजिन् इस नस्त्र दोनों जो धारणा करे । ।

जहा तक मेहुला वा त्रुत्तु है आवस्तम्ब ने ब्राह्मण श्री मेहुला मूज जी तथा नान गुण जाली बतायी ह तथा वे गुण दाहिनी ओर को बढ़े होने प्राहिए तथा क्षत्रिय की मेहुला धनुष की ढोरी की तथा बैरय की मेहुला ऊ का धागा होनी चाहिए² । विकल्प से आवस्तम्ब ने क्षत्रियों के लिए अष्टसू के खण्ड से युक्त मूज की तथा बैरयों के इतर जुरों की रस्सी या लम्बाल इसन्हें की छाल से बटी गई रस्सी की मेहुला के रूप में धारणा करने की अनुमति दी है³ ।

ब्रह्मचारी के बदारा युक्त दण्ड बर्दा के अनुसार विभिन्न बृक्षों की लकड़ी से निश्चित होता था । आवस्तम्ब ने ब्रह्मण के लिए जलाश का क्षत्रिय के लिए न्यग्रोध बृक्ष की नींवे की ओर निकलने वाली शाखा का तथा बैरयक

1. आ०ध०सू० 1/1/3/9

2. मौज़जी मेहुला त्रिबूद ब्राह्मणस्य शक्तिवस्त्रे दक्षिणावृन्तानाम् ॥

ज्या राजन्मस्त्र । आवीसूत्र बैरयस्य ॥

-बही 1/1/2/33-34, 36

3. मौज़जी बाड्योत्रिशा ॥ बही 1/1/2/35

ब्रह्मवारी के लिये बदर या उदुम्बर की लकड़ी के दण्ड का प्रयोग दिया है।

इसने अपेक्षित आपस्तम्भ के अनुसार कुछ आचार्य जिना चर्ज के निर्देश १

ब्रह्मवारा का दण्ड यज्ञोप वृक्ष को लकड़ों का बिहित परते हैं ।

बूत्रजार ने दिखार्थियों के शिर के केशों के चिह्नों में इस है कि सभी केशों को जटा बाधकर धारण करे । अबा शिखा को रो जटा बनाकर धारण करे एवं रोब केशों को मुड़ा डाले² ।

ब्रह्मवारी का जीवन - ब्रह्मवारा ता जोग्न अत्यन्त अवधिस्थित संप्रतिक्रिया और नियमबद्ध था । अतएव या स्तम्भ ने ब्रह्मवारों के इतिहितिन को दिनधर्ष को निर्धारित करने देतु अनेक नियम बिहित किये हैं यथा ब्रह्मवारी को आचार्य के सोने से पहले उठना चाहिए तथा आचार्य के सोने के बाद सोना चाहिए³ जगने बाद इतिहित धर्ष कर्मों में ब्रह्मवारी गुरु को सहायता करे⁴ । सांविकाल

1. यालाशो दण्डो ब्राह्मणास्य नैयग्रोधस्कन्धजोऽबा ड.ग्रो राजनगस्य बादर ओदुम्बरो बा बैश्वस्य बाक्षों दण्ड इत्पवर्णसंबोगेनैक उष्टुदिशन्ति ॥

-आ०४०५० ।/।२/३८

2. जीटल ॥ शिखाजटो बा बाष्पेदितरान् ॥

-बही ।/।२/३१-३२

3. अप च शूलोत्पात्री जघन्यसेशी तमाहुर्न स्वप्रितीति ॥

-बही ।/।४/२८

4. गाराहृष्टराजार्जु गोषाक्षेऽप्तिष्ठिते र्त्यागि ॥

और तात नान सून आरा उसे किसे क्ते मे जल दाने¹ । श्रद्धिरिन बन हे
ईधन लाकर आवार्य के घर मे नीरो रहे² एवं अग्नि जलाकर उसमे वारो और जे
भूमि लाक करके मृदगूङ वे उक्त विविध भाष्य तात समिधो का आधान करे³।
परन्तु आवस्तम्ब ने इस सम्बन्ध मे उन्य जातारों मे जन का उल्लेख पिया है
जिनका वक्त है तिक अग्नि की पूजा केवन सायकाल करे⁴ ।

उक्त के अतिरि,- धात्र को , मिद्धामात्र लेकर ब्रात और साथ
मिद्धाटन करना अनिवार्य था⁵ । रस सम्बन्ध मे आवस्तम्ब ने अनेक नियम दिये

1. साध्य ब्रातस्त्रकुम्भमाहरेत् ॥

-आठ०३०० १/१४/१३

2. -बही १/१४/३२

3. अग्निमिध्वा वरिसमूह्य समिध आदध्यात्सामृत्युपोषदेश् ॥

-बही १/१४/१६

4. साध्यवाऽग्निमूजेत्येके ॥

-बही १/१४/१७

5. सर्व लाभमाहरन् गुरवे साध्य ब्रातरमत्रेण मिद्धाचर्य तरेदिभ्वाषोट्य-

त्राऽन्तरात्रेभ्वोऽभिशस्ताच्य ॥

- बही १/१३/२५

तथा ब्राह्मण इन्द्रारा मिथा पागते तरा भवति वा इगोग रत्ने वरे
 अर्पाद् "भवति मिथा देहि"। श्लोक- "माति" शब्द ता पद्धति त्या वेरा अन्त
 मे "भवति" शब्द का इगोग वरे अर्पाद् श्लोका इहैं कैरण मिथा मांगते रथय इन्द्रश
 "मिथा भवति देहि" तथा "मेहि मिथा भवति" का इगोग जरे। मिथा तोकर
 गुरु के स्थीर रसुवर उन्हें निवेदन जरे तथा उनके नदारा आदेश दाने वर नोजन
 करे²। यदि गुरु को बाहर गो है तो उनके तुल के सदस्य "पत्नो या दुत्र"।
 वो निवेदन करे किन्तु यदि गुरु अबने बरिशार के सदस्यों ने साथ अनुकूल गये
 हो तो आवस्ताम्ब वा निर्देश है कि बट दूरे श्लोकियों को अर्पित करे और उनके
 आदेशानुसार ग्रहण करे³।

१. भवत्पूर्वया ब्राह्मणो मिथेत ॥ भवन्वध्यया राजन्य ॥ भवन्वन्यया वैष्ण ॥

-AT060600 1/1/3/28-30

२. तत्समादृत्योऽनिधायाऽचार्ष्य वृक्षात् ॥ तेन इदिष्ट भुञ्जोत ॥

-बही 1/1/3/31-32

३. विकृबासे गुरोरावार्यकुलाच ॥ तैर्विकृबासेऽन्येऽयोऽस्मि श्रोत्रियेभ्य ॥

-बही 1/1/3/33-34

पूत्रकार के अनुसार ब्रह्मवारी अष्टमात्रों प्राप्तातो आदि एवं अभिशस्त्रों को छोड़कर किसा हे भा भिद्धा ग्रहण व लक्षण था इष्टके अटिरिक्त ब्रह्मवारो उत्तरा ही ग्रहण हे जितना वह मोजन वर सके । पूत्रकार के अनुसार भिद्धा लेबल आर्ता के लिए, दीक्षणा, विवाह, यज्ञ, वाता चापा चिना के भरण वोधण की इच्छा निश्चित ही व्यागनी चाहीहए । भौतिक तुउ की लिख्या ले भिद्धा नहो व्यागनी याहिए² ।

ब्रह्मवारी ने धर्म - ब्रह्मवारीस्था का मुख्य लक्ष्य अध्ययन था। अध्ययन एक तष्ठ है, इष्टके लिए वातावरण की उन्नकूलता व्यानिक शान्ति और एकाग्रता, उन्नित स्थान का होना अत्यानशयक है इसीलिए अष्टमस्तम्ब ने ब्रह्मवारी के लिए आवरण के नियमों के वात्स वर अत्यधिक जोर दिया है व्योगिक उनका व्यानना है कि नियमों का उल्लङ्घन करने से आजकल वृद्धि नहीं उत्पन्न हो रहे हैं³ ।

१. न चोर्छुष्ट कुर्वति ॥

-ग्र0५०३०३० १/१/३/३७

२. इन्द्रियानीत्यर्थस्तु तु भिक्षणमनिवित्तम् ॥

-बही २/५/१०/३

३. तस्मादुष्मोऽवरेषु न जाग्न्ते नियमातिक्रमात् ॥

-बही १/२/५/४

आषस्तम्ब के अनुसार ब्रह्मचारी ध्याशाल हो, नृत्य न देखें, इन्द्रियों को जनुकित विषयों से निष्पत्रित रखें, अबने कर्त्तव्य बालन में तत्कर रहे, लज्जाशील हो, धैर्य वा आत्मसंबन्ध से बुर्रत हो, उत्साह सम्बन्धन हो, किसी वर भी क्रोध न करे दूसरे के अभ्युदय वर जलने बाला = हो, स्त्रियों से उतनी ही बात करे जितना प्रभोजन हो, घृतादि को सभा में वा उत्सव आदि की भी ह भाड़ में न जाओ! ।
 सूत्रकार के अनुसार ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन के काम भावना अत्यधिक बाधक होता है तथा वह उसे अबने मुम्प्य कर्त्तव्य से प्रेरित करती है इसी कारण आषस्तम्ब ने ब्रह्मचारों के मनोविकारों वर निष्प्रणाले रखने हेतु अनेक कर्मोंको ब्रह्मचारी के लिए वर्जित कर दिया यस्ता- यटष्ठा वदार्थ, नमकीन वस्तु मधु और वास का भक्षण, दिन में शवन, हुगीन्धत द्रव्यों का सेवन, वैपुन सुख, सुग-ग्निधत लेकरों व्यारा सुन्दरता बढ़ाने की इच्छा सुख के निलंबे अगों का धोना,

। । अनृत्तदशीर्ष । सभा समाजाऽवाऽगन्ता । अजनवादशीलः । रहशीलः ।
 गुरोस्दाचारेष्वकर्त्ता स्वैरकर्मणा । स्त्रीभिर्बिद्धसम्भाषी ।
 मृदु । शान्त । दान्त । हीनान् । दृष्ट्यौति ।
 अर्गस्तुः । अक्रोधनः । अनस्तुः ।

शरीर को शोभा बढ़ाने के अवर ध्यान देते हुए स्नान इत्यादि¹। इसके अंति-
प्रिकृत आषस्सम्ब का वृथा है कि हूधने के लिए फिसी बृक्ष या बनस्पति को बहतों
या कूल न लोहे, पूरा, छाता रथ आदि का उपयोग न करे, स्मृत न बरे, यदि
दर्भातिरेव से स्मृत करे तो हाथ तुह को ढक्कर करे, किंच स्त्री को मुख से न
हूधे, बन से स्त्री की ब्राह्मण का काशना न करे, बिना कारण किंची स्त्री का
स्वर्ग न करे²।

१. तथा शारत्कणामधुमाहानि । अदिवास्नाषी । अग्न्यसेची । वैथन न
वरेत् । उत्तरन्नश्लाघ । अठ गानि न ब्रक्षात्योत । ब्रक्षात्वीत
त्वशुचिलिप्तार्णि गुरोरहन्दर्शे । नाप्तु श्लाघमानः स्नानादिदि
स्नानाददण्डबत् प्लवेत् ॥

- अठ०४०२० १/१२/२३-३०

२. न ब्रेते न मा विस्त्रम् । ओष्ठीधनस्तीनामाच्छ नोष्ठीजघेत् ।
उषानहौ छर्वं बानीश्चित बर्जेत् । न स्मयेत् । बीद स्मयेता विगृहम्
स्मयेतीत हि ब्राह्मणम् । नोष्ठीजघेत् विस्त्रं मुखेन । न हृदयेन
ब्रार्घेत् ।
नाकारणादुपस्थृते ॥

- बही १/२/७/३-१०

आपस्तम्ब ने गुरु को प्रसन्न करने वाले कर्म, कल्याण की प्राप्ति के कर्म तथा वेद का परिश्रम पूर्वक अङ्गयास ब्रह्मचारी के मुख्य कर्म माने हैं तथा इन कर्मों के अतिरिक्त दूसरे कर्म ब्रह्मचारी के लिये निषिद्ध किये हैं। ।

इस प्रकार आपस्तम्ब ने ब्रह्मकर्य के नियमों को विस्तृत उल्लेख किया है ज्याँकि उनकी दृष्टि में नियम के पालन में सचि रखने वाला, तपस्वी, सरल तथा श्वेतावान् ब्रह्मचारी सिद्ध प्राप्त करता है²। इसके अतिरिक्त नियमों का पालन करते हुए ब्रह्मचारी वेद के अक्षिरक्त जो कुछ भी गुरु शिक्षण ग्रहण करता है उसका फल वेद के अध्ययन के फल के समान होता है तथा संकल्प करके जो कुछ भी वह मन से सोचता है, शब्दों में अभिव्यक्त करता है, चक्षु से देखता है वह भी वैसा ही हो जाता है³।

१. गुरुसादनीयानि कर्माणि स्वस्त्ययनमध्ययनसवृत्ति रिति। अतोऽन्यानि निर्वर्तन्ते ब्रह्मचारिण कर्माणि॥

-आ०४०८० १/२/५/९-१०

२. स्वाध्यायधृग्धमस्तुचस्तपस्वूर्जुर्दुर्स्थदयति ब्रह्मचारी ॥

-वही १/२/५/१।

३. यत्क्वच समाहितोऽब्रह्म प्याचार्यादुपयुह के ब्रह्मदेव तस्मन् फल भवति। अथो यत्क्वच च मनसा वाचा चक्षुषा वा सह.कल्पयन् ध्यायत्याहाऽभिविषयति वा तथैव तदभवतीत्युपदिशन्ति॥

-वही १/२/५/७-८

बही बैदि ब्रह्मवारी, ब्रह्मचर्च के नियमों का उल्लङ्घन करते विधा-
ध्ययन करता है तो उसके और उसके पुत्रों से भी षष्ठि ब्राह्मण वेद का ज्ञान दूर हो
जाता है तथा वह नरक ब्राह्मण फरता है और उसके आगु रुद्ध हो जाता है।

इस ब्रकार शास्त्रमें धर्म सूत्र में ब्रह्मवारी के धर्म, कर्त्तव्य एवं जीवन का विषय
विवेक ब्रह्मस्तुत विद्या गया है क्योंकि ब्रह्मचर्च आश्रम हो बान्धवीय गुणों विकास
की आधारशिला है।

गृहस्थाश्रम - भारतीय समाज में गृहस्थ आश्रम का अत्यधिक बान रहा। आप-
स्तम्ब ने आश्रमों के बर्णन में सर्वधृतम् गृहस्थ आश्रम को ही चर्चा की है²। आप-
स्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार "तीन ब्रकार की विधाओं के ज्ञाता आवार्डों का ज्ञत
है किं वेद ही वरम् ब्रह्माण है, इस कारण वेदों में ब्रीहि, यज्ञ, यज्ञवल्यु, आज्ञा,
दुर्गम्य, खण्डर का उपयोग करते हुए, पत्नी के साथ मन्त्रों का उच्च वा वन्द
स्वर से बाठ कर जिन कर्मों के करने का विधान है उन्हें करना चाहिए और
इस कारण उनके विवरीत आवरण का निर्देश करने वाले नियमों को वेद ज
ब्रह्माण नहीं बानते हैं³। गृहस्थाश्रम के महत्व के विषय में आपस्तम्ब ने कहा

1. तदौत्क्रमे विधाकर्म नि स्त्रवृत्ति ब्रह्म सहावत्वादेतस्मात् । कर्त्तव्यमनादुष्यं
व ॥

है कि गृहस्थ और स्तनान को अकृत बताकर बेद ने कहा है, "हे मरणाधर्मा
मनुष्यों, तुम अपनी सन्तान में इन उत्कृष्ट होते हो, अत सन्तान ही
नुम्हारे जिसे अमरन्ब है।" । पिता हो पुत्र के रक्ष में उत्कृष्ट रोता ह, दोनों
में सारुष्य होता है यह भी साक्षान्तर देखा जाता है । बस्तुत वित्ता ब्रजाष्ठीत
का रूप होता है² । उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने गृहस्थाश्रम की प्रशस्ता में
ब्रजाष्ठीत के दूसरे बयन का उल्लेख करते हुए कहा है कि जो तोनो बेदों का
अध्ययन, ब्रह्मवर्ध, सन्तानोत्प्रोत्त, पृथ्वा, तद्, एव तथा दान इन क्रमों को
करता है वह मेरे साथ निबाल करता ह । जो इनके विवरोत कर्ता है वह
धूल में विल जाता है³ ।

1. अभाष्यस्थ ब्रजातिमनुत्पाम्नाव आह- ब्रजामनु ब्रजायसे तदु ते

मत्प्रियमृतीश्चिति ॥

-आ०८०३०० 2/9/24/1

2. अपाऽपि स एवाऽय विस्त बृथक्षेणोऽलम्बते दृश्यते चा चिप
सारुष्यं देहत्वमेवाऽन्वत् ॥

- वही 2/9/24/2

3. मुनस्तर्गे ब्रीजार्था भवन्तीति भीविष्वत्सु राणे ॥

- वही 2/9/24/6

ये उद्दरण इस बात के प्रमाण हैं कि आपस्मान की दृष्टि में
गृहस्थ आश्रम अन्यथा अहतवृष्टि था तथा इसी कारण आश्रमों के वर्जन में
इसका उल्लेख आपस्मान ने सर्वाधम किया है।

गृहस्थाश्रम के कर्म - आपस्मान के अनुसार अग्निहोत्र, अतिथि घृजा तथा अन्य
जो कुछ भी उचित कर्तव्य हैं वे गृहस्थाश्रम में करने होते हैं। ।

अग्निहोत्र के दो अर्थ अधिकारी हैं - १। अग्नि के लिए होत्र
करना इग्ने होत्रिति द्विविनामि ॥ १२४ स्वर्गकाना के लिए किया जाना
बाला एक कृत्वा इग्निहोत्र जुहोति स्वर्गकाम , दीर्घ सत्र ह वा एक उष्मान्ति ॥

अन्याधान के बहात् जब अग्नि विधिवत् स्थापित कर दी जाती
है तब नित्यकर्म के रूप में अग्निहोत्र करना गृहस्थ का वरमान कर्तव्य माना
जाता है।

उक्त के अतिरिक्त गृहस्थाश्रम का एक प्रधान कर्तव्य अतिपि सत्कार
है। इसका उल्लेख सभी धर्म और गृहसूत्रों में है।

१. अग्निहोत्रमतिक्षमो वच्चान्वदेवं शुक्तम् ॥

आश्वस्तम्ब धर्मसूत्र में अतिथि हत्कार का विषद् वर्णन प्रकाश गया है। आश्वस्तम्ब के अनुसार अतिथि वही है जो अपने धर्म से निरत रहे वाले गृहस्थ के यहाँ के बल धर्म के व्राप्तवेजन ने आज्ञा है¹। तथा ऐसे व्यक्ति का सत्कार करने से उष्ट्रद्वारों की शान्ति होती है तथा स्वर्ग का कल प्राप्त होता है²। एवं जो व्यक्ति अतिथि को एक रात्रि अपने घर में ठहराता है वह दृढ़बी के सुखों को प्राप्त करता है, जो दूसरी रात्रि ठहराता है वह अन्तरिक्ष लोकों को जीतता है, तो सरी रात्रि ठहराने वाला स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करता है और चौथी रात्रि ठहराने वाला असौम आनन्द का लोक जीत लेता है एवं अनेक रात्रियों तक अतिथि को ठहराने से असौम सुख की प्राप्ति होती है ऐसा कहा गया है³।

१. स्वधर्मयुक्ते कुकुमि बनवभ्वा गच्छति पर्वदुरस्कारो नाऽन्वद्वावेजन. सोऽतिथि-
भवति ॥

- आ०ध०२०० 2/3/6/5

२. तस्य पूजारा॑ शान्ति॒. स्वगृह॑ ॥

- वही 2/3/6/6

३. एकरात्रं वेदातिथीन्वासदेत्वा॑ बौल्लोकानभिज्ञति विद्तीवयत्स्तरिक्षया॑-
स्त्रृतीवया॑ दिव्याश्चतुर्भवा॑ वरावतो लोकानभिर्मिताभिर्मिताल्लो-
कानभिज्ञतीति विजावते ॥

- वही 2/3/7/16

आष्टस्तम्ब ने अतिथि सत्कार के निम्न में यह निर्देश किया है कि अतिथि के आने पर उठकर उसनी अगवानी करनी चाहिए, उसकी अवस्था के अनुसार उसका आदर करे, उससे मिले और उसके लिए आसन ले आओ¹। आष्टस्तम्ब ने अन्य आवाषों के ब्रतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि सम्भव हो तो अतिथि का आसन अनेक बाधों बाला होवे²। एब अतिथि के बैरों को दो शूद्र धोवे। कुछ आवाषों का ब्रत है कि अतिथि के लिए मिठाई के बात्र में जल लाना चाहिए³। किन्तु जिस अतिथि का स्वार्वत्तन न हुआ हो उस अतिथि के लिए स्वर्ण जल न लाओ⁴। अन्तिम इस प्रकार के असम्बाबृत्त अतिथि के आने पर अन्य अतिथियों की अवैध्या अधिक समय तक उसके साथ स्वाध्याय की आवृत्ति करे⁵। अतिथि को रहने के लिए स्थान दें, शश्या, वटाई, तकिया, चादर,

1. तमैभिनुऽो म्यागम्य वथाववस्त्रमत्वं तस्वासनमाहारवेत् ॥

- आ०ध०३० 2/3/6/7

2. शक्तिवक्ते ना बहुदद्वासनं भवतीत्येके ॥

- बही 2/3/6/8

3. - बही 2/3/6/9-11

4. - बही 2/3/6/12

5. - बही 2/3/6/13

अ जन आदि अन्य आवश्यक बस्तुएँ ब्रह्मान् करें¹ । अतिथि के साथ सौहार्द वूर्बक सभाषण करे, दूध या अन्य चेष्टा वदाधों से उसे हन्तुष्ट करे, खाय वदार्थ से तृप्ति करे और कम से कम जल ही ब्रह्मान् करें² । ब्रदि सभी के भोजन कर लेने के बाद अतिथि आवे तो रसोई बनाने वाले को बुलाकर अतिथि का भोजन बनाने के लिए जौ या चाचल ब्रह्मान् करें³ । ब्रदि ओँ थि के आने पर भोजन तैयार हो तो स्वयं भोजन का अंश वह कहते हुए निकाले कि वह अंश अधिक है⁴ । आवस्तम्ब ने गृहस्थों के लिए अतिथि सत्कार नित्य किंबा जाने वाला ब्राजाश्वत्य बत्त कहा है⁵ । अतिथियों के उद्दर की अीम आहवनोऽप्त अीम है, बीचत्र गृह्य

1. आवस्य दयादुर्वैरङ्गयात्रुष्टस्तरणात्मधानं सावस्तरणात्मय जन वेति ॥

- आठ०४०३० 2/3/6/15

2. सान्त्वैषत्वा तर्षेदुर्सैर्भक्षैरदीन रवराधर्षेनेति ॥

- बही 2/3/6/14

3. - बही 2/3/6/16

4. - बही 2/3/6/18-19

5. स एव ब्रजाश्वत्य कुटौम्बनो बत्ते नित्यत्वत् ॥

- बही 2/3/7/1

अमिन गार्हणत्व अमिन है, जिस अमिन पर भोजन बकाया जाता है वह इविणामिन है^१ एवं अतिथि को दिया गया दूध से पुक्त अन्न अमिनष्टोम का कल उत्पन्न उत्पन्न करता है, घृतमिश्रित भोजन उत्पन्न का कल प्रदान करता है। पथु से मुक्त भोजन अतिरात्र पत्ता का कल देता है। पाँस से मुक्त भोजन व्यादशाह पत्ता का कल देता है अन्न और जल अनेक सन्तानों तथा दीर्घ जोन को प्रदान करता है^२ ए जो प्रात व्यान्त हृष्टा साधकाल भोजन देता है वह अतिथि सत्पार स्वो प्रायादत्य यज्ञ में तान सम्बन्ध लेता है^३ कथा जो जाने के लिए उठे हुए अतिथि के शोषे उठता है वह उद्देश्यीया दृष्टि से पृतीक है^४। पथुर नार्चा ही इष्ट का पृतीक है^५। अतिथि के बीचे चलना विष्णुकृष्ण है,^६ अतिथि को घटुपा पर लौटना दी भानो इस यज्ञ का अन्तिम अभ्युप स्नान है^७।

1. योऽक्तिभीनाममिन स आदबनायो य कुट्टबे स गार्हणत्यो यस्मिन्नच्यते
सोऽन्वाहार्यक्तव्य ॥

-AT040400 2/3/7/2

- | | | |
|----|-------|----------|
| 2. | - बही | 2/3/7/4 |
| 3. | - बही | 2/3/7/6 |
| 4. | - बही | 2/3/7/7 |
| 5. | - बही | 2/3/7/8 |
| 6. | - बही | 2/3/7/9 |
| 7. | - बही | 2/3/7/10 |

यूत्रकार आदर्शम् का अतिथि रोता के सर्वे ने भूत है कि यदि
 ऐसी अभिमतोत्रों के इहा अनिष्टि आवे तो — सारा दर्शनी अवानों — रे, जार
 दरे हे नात्य दुष्टे तरों नितारु पिया ? फ़िर हे ग्रात्म, पर या र, ग्रात्म
 दृच्छ तोहर ऐसा जरार दन दूध रह आदि इशान तरे¹ । यदि अनिधि अंगा-
 होत्र रोत के सामानी उपस्थित हो तो अभिमहोत्र रोत रहने दे रखते उसे
 अभिम के उत्तर में बठाका रह जार जा ते— ब्राता चला दी हो ऐसा दुर्ग तरा-
 न गर्वा है, हे ब्रात्य वैसा दी दो जेसों दुम्हारी इच्छा है, हे ब्रात्य, वैसा
 हा दो जेसा दुम्हारे प्रिय है, हे ब्रात्य, एह यूर्णति दुम्हारी इच्छा के अनुरम
 दोबे² । यदि अतिथि उस समय आवे जब अभिमाँ रख तो दी गई हो किन्तु
 उनमें हबन न पिला गया रो, तो अभिमहोत्री सब्यं अतिथि की अवानी करे
 और कहे, हे ब्रात्य, मुझे आज्ञा दीजिये मैं हबन करना चाहता हूँ, तब अतिथि
 की आज्ञा ब्राप्त कर हवन करे । यदि वह बिना आज्ञा लिए हबन करता है
 तो दोष होता है एक ब्राह्मण ग्रन्थ का बचन है³ ।

१. आहिताभिम वेदातिथिरमणागच्छेत्स्वप्यमेनम्युदेत्व द्वूषात्-ब्रात्य ब्रात्य
 बात्त्वीरति, ब्रात्योदकानिति, ब्रात्य तर्षीस्त्वनिति ॥

—AT040400 2/3/7/13

2.

—बही 2/3/7/14

3.

—बही 2/3/7/15

रूपनार ग अथव ट नि जीतिहो तो भैजन तराने दे । आद ती
गोजन ते । क्षारेकि तो उन्ने जीतिहि हे । ते नोजन रसना र छ जने उच के
अन्न तो, सृष्टि तो, रसनान तो, गुणो और अप्पलो का मध्यां रसना ॥
ए स्तम्भन ने दृहस्थ हे अंशा की देंकि धर थे रखे दुइ दूध जाँदि रस एदाप्तो
तो समाच्छ न दे दीर्घु जीतिहि के उने को लभावना करके रेसी नस्तुओं तो
धर थे रखे³ और यदि रबा गुच्छ बख्बान उनाये तो वह भी जीतिहि के तिए रखे
फेबत जाने खाने के द्विष्ट स्टार्ट ब्रानों का निरापि न करे⁴ ।

आदस्तम्भ ने लम्बूणि डेंड के अधेना जीतिहि तो गौ दीर्घजा च्या
मधुर्क का अधिकारी ब्राना है⁵ । नधुर्क के सबध में आदस्तम्भ का अथव
मधुर्क मधुसिंश्रित दीध का हो अथवा बध से युक्त दूध का हो यदि किन्हीं
कारपाओं से दूध या दीध का अभाव हो तो जल का भी मधुर्क दिया जा

१. शेषभोज्यतितीनि स्वात् ॥

- अ०ध०स०० २/४/८/२

2. ऊर्जुर्णिट त्रुजां वशीन टाकूर्तीश्रिति गृहाणामशनाति यह गूर्जीतिप्रेरशनाति ॥
- बही 2/3/7/3
3. न रसान् गृहे भुजीता नब्रोष्मतिपिभ्व ॥
- बही 2/4/8/3
4. - बही 2/4/8/4
5. - बही 2/4/8/6

सक्ता है।

अतिथि सत्कार के प्रसग में आपस्तम्ब का कथन है कि यदि गृहस्थ के पास अतिथि सत्कार हेतु भोजन उपलब्ध न हो तो अतिथि को आसन, पादप्रक्षालनगार्दि के योग्य जल, शेयन आसन के योग्य तृण आदि देकर अतिथि का सत्कार करना चाहिए²। ब्राह्मण के यहा कोई शुद्ध अतिथि के रूप में आये तो स्से आये हुए शुद्ध को कोई कार्य करने के लिए सौंपना चाहिए, अतिथि शुद्ध उस कार्य को करलें तो उसे भोजन प्रदान करे अथवा उस ब्राह्मण के दास राजकुल से अन्न माग कर ले आवे और उसके द्वारा उस अभ्यागत शुद्ध का अतिथि के योग्य सत्कार करें³।

1. दीधमधुसंसृष्टं मधुपर्कं पयो वा मधुसंसृष्टम् । अभावं उदकम् ॥

- आ०८०८० 2/4/8/8-9

2. अभावे भूमिस्तदं तृणानि कल्याणी बागित्येतानि वै सतोऽगारे न
श्रीयन्ते कदाचनेति ॥

- वही 2/2/4/14

3. शूद्रमध्यागतं कर्मण नियुज्ज्यात् । अथाऽस्मै ददात् । दासा वा
राजकुलादाहृत्याऽतिथिवच्छुद्धं पूजपेय ॥

-वही 2/2/4/19-21

इस सम्बन्ध में आवस्तम्ब गृहस्थ तथा उसकी पत्नी से अधेशा को है किंगित्रों, सम्बन्धियों एवं नौकरों को खिलाकर ही स्वयं खाने तथा अतिधिष्ठिरों आदि को खिलाने के लिए नौकरों के भोजन में कटौती नहीं करना चाहिए । ।

जीतिधि सत्कार के इसमें सूत्रकार कहता है कि यदि अतिधि अतिथ्यकर्ता का बिव्देशी है, तो उसे भोजन नहीं कराना चाहिए अबा जो व्यक्ति अतिधि से इश्वरता रखता हो अबा जो दोष छढ़ता है वा अतिधि वर किसी वास वा अपराध की आशंका करता है, तो ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि जो व्यक्ति ऐसे आतिथ्यकर्ता का भोजन करता है वह प्रान्ते उस आतिथ्यकर्ता के वासों का भेदण करता है²।

1. ये नित्या भावितका स्तेषामनुष्टरोधेन सीजिभागो विहित ॥

- आ०ध००२० 2/4/9/10

2. विव्दभीन्वद्वतो वा नान्नश्वनोग्राददोषेण वा शीर्षात्प्रानस्त्र
शीर्षात्प्रितस्त्र वा । पाप्तात् हि त तस्य भक्षयतीति विज्ञावते ॥

- बही 2/3/6/19-20

“हमें अतिरिक्त आवस्तम्ब धर्मशूल का अध्यन है फिर अतिथि के लौटने समय आप्नीकर्ता को अचिन्ति तथा सबारी तक जाना चाहिए, यदि सबारी न हो तो वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ अतिथि लौटने को कह दें, किन्तु यदि अतिथि लौटने को न कहे तो गाड़ी को साथा तक जाना चाहिए।”

इस शकार हम देखते हैं कि आवस्तम्ब ने अतिथि सत्कार के विषय में विस्तृत प्रबोधन प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत अतिथि सत्कार के बीड़े छारे शास्त्रकारों की उदात्त भाष्णा छिपी है, दया के ब्दारा ब्रानब सभाज का सम्बद्धन करने की यह भारतीय धर्मशरा है। यात्रियों को सब यतियों को इह भारतीय धर्मशरा से वर्षाप्त आतिथ्य मिलता आ रहा है।

ब्रह्मवज्ञ गृहस्थाश्रम का एक दैनिक कर्म है। शतक्य ब्राह्मण में वेद संबंधिक साहित्य के स्वाध्याय को ब्रह्मवज्ञ कहा गया है²। इनु कहते हैं— “अध्यात्मं ब्रह्मवज्ञ³। शंखस्मृति कहती है— “स्वाध्यायो ब्रह्मवज्ञश्च”आवस्तम्ब

1. यानबन्तवा यानात् । बाब्नाऽनुजानीबाहितर ।

अष्टतीभाषां सोम्नो निर्वत्त ॥

- आ०४०३० 2/4/9/2-4

2. श०ब्द० 11/5/6/3-8

3. श० स० 3/70

ने भा स्वाध्याव को ब्रह्मण माना है¹ । आवस्तम्ब ने "ब्राह्मण" को तब माना है² । तभा कहा है कि वो हुडे होकर या बठकर स्वाध्याय किया जाय वह तब ही होता है³ एव आवस्तम्ब धर्मसूत्र ने ब्राह्मण का उद्दधारण देने हस नित्य स्वाध्याय को तब माना है । आवस्तम्ब का वर्थन है कि "ब्राजस्नेयि ब्राह्मण ने यहा गता है स्वाध्याव एक ब्रुकार का दैनिक यज्ञ है, जिसमें ब्रह्म ही यज्ञ का साधन है, जिस ब्रुकार दर्शकूर्णप्राप्ति आदि में बुरोडाश साधन होता है जो ऐंगर्गजन होती है, जो बिधुत की वशक होती है, जब ब्रजमात होता है तो वही सब ला स्वाध्याव यज्ञ का बषटकार शब्द है⁴ ।

बैशब्देब कर्म भी गृहस्थाश्रम के धर्मों का एक अनिवार्य अग है । बैशब्देब का अर्थ है देवताओं को वक्तव्यान्त देना । बैशब्देब में सभी देवताओं के लिए भोजन वकाया जाता है । अत बैशब्देब के अन्तर्गत देवबज्ञ, भूतबज्ञ एव ब्रित्तबज्ञ तीनों आ जाते हैं । आवस्तम्ब धर्मसूत्र के नृत से तीन उच्च बणर्मों के आर्यजन

1. आ०ध०३०० 1/4/13/1

2. तब स्वाध्याव इति ब्राह्मणम् ॥

-आ०ध०३०० 1/4/12/1

3. तत्र श्रूते स यदि तिष्ठन्नासीन शानो वा स्वाध्यावस्थीते तब एव तत्तत्प्रते ततो ही स्वाध्याव इति ॥

— आ०ध०३०० 1/4/12/2

4. — आ०ध०३०० 1/4/12/3

षट्क्रत्र होम्य बैश्वदेवर्ण में गृहस्थ के लिए अन्न बकावे, भोजन ब्नाने ना के का
मुख जब तक अन्न को ओर हो, तब तक बट न तोले न खासे और न धूके। तथा
बैश्वदेव बौल को रहोई को अग्नि में डाले अथवा षट्क्रत्र गृहण अग्नि में अर्पित
करे इत्येक नाराणामीय उष्णिनिवद देव पृथ्वी पर अन्ये स्नाना स्रोताय स्वाहा,
पिन्नरेत्रेम्यो देवेम्य स्नाना, श्रवाय भौमाय स्वाहा, धूबीक्षतये स्वाहा, अच्युत-
क्षितये स्नाना, मन्त्रो व्यारा इत्येक मन्त्र वर अबने हाथ से हबन करे²।

आषस्तम्ब के ब्रत से क्षार एवं लबणा का हबन नहीं किया जाता है तथा चिं-
गडे हुए अन्न के साथ चिंगले हुए भोजन का हबन नहा किया जाता है³। पर्दि
हबन न करने वो गृह अन्न का हबन करना ही बड़े तो अग्नि के उत्तरी भाग
से गरम भस्त्र लेकर उही वे अन्न को होम करे⁴। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब
के अनुसार जिस बालक का उष्णनदन सस्कार नहीं हुआ है वह तथा स्त्री अन्न
का अग्नि में हबन न करे⁵। आषस्तम्ब के ब्रत से बैश्वदेव कर्म की समाप्ति

1. आर्द्ध ब्रह्मता बैश्वदेवेऽन्नसस्कर्तार स्तु । भाषा काल छब्बुत्यभिमुखो -
अन्न बर्तवेत् ॥

-आ०ध०३०० 2/2/3/1-2

2. -बही 2/2/3/16

3. न क्षार लबणाहोमो चिंथते । त्याऽवरान्तस्तुष्टस्य च ॥

-बही 2/6/15/14-15

4. अहौचिष्यस्य होम उदीचीनमुष्णा भस्त्राऽवोध्य तस्मैऽगुह्यान्तदघृतमहुत
बाध्नौ भवति ॥

-बही 2/6/15/16

5. ना स्त्री बुह्यात् । नाऽनुषेतः ॥

-बही 2/6/15/17-18

पर जो भी अन्न की यात्रा करने हुए आवे उन्हें कुछ अश ब्रह्मान ले, कुत्तों और वाणियों के भी उत्तम्यान होने पर उन्हें भोजन अश ब्रह्मान करे। एव आषस्तम्ब ने बैश्वदेव मन्त्र सीखने वाले गृहस्थ को बारह दिन भूमि पर शभन करने, मैथुन न करने, मसालेदार तथा नमकीन भोजन के त्वाग का निर्देश दिया है²। आषस्तम्ब का कथन है कि बैश्वदेव कर्य सर्वा का सुख तथा श्रवण समृद्ध ब्रह्मान करता है³।

बौलहरण के विषय में भी आषस्तम्ब धर्मसूत्र में नियमोल्लेख ब्राप्त होता है। बौलहरण में जीवों को बौल दी जाती है इसे भूतवज्र की सज्जा भी दी जाती है। भूतवज्र में बौल जग्मन में न देकर यृथियी पर दी जाती है। इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब का कथन है कि ब्रह्मेक बौल के लिए अलग-अलग स्थान हाथ से साक कर, हाथ को नीचे किए हुए जल छिड़ककर बौलों को रखे और उसके बाद भी उसके चारों ओर जल छिड़के⁴। बौलों को अर्पित करने से पहले

1. सर्वा-बैश्वदेवे भागिनः कुर्बाता शब्दपट्टातेभ्यः ॥

-आठ०४०५० 2/4/9/5

2. तेषां मन्त्राणामुष्योगे व्यादशाहस्रधशश्वरा ब्रह्मवर्जा शारसवणार्वज्ञं च ॥
—बही 2/2/3/13

3. गृह्णोऽधिनो बद्धनीयं तस्य होमा बलवश्च स्वर्गासुष्ठुप्रसुक्ताः ॥
—बही 2/2/3/12

4. बलीनङ्गं तस्य तस्य देशे लंस्कारो हस्तेन वरिमृज्या बोड्य न्युष्य
ब्रह्मात्वार्देवन् ॥

- बही 2/2/3/15

तथा उसके बाद मेरी महत्व की तरह ही चारों ओर जल हिलके । इसी
 शुकार अलग— अलग अर्धित को जाने वाली बीलियों के एक साथ एक ही स्थान
 पर अर्धित करने पर केवल एक ही बार अन्त मेरी जल का विरहेन किया जाता
 है² एवं अमीन के बीछे सातों और छाठबे मन्त्रों से दो बीलियाँ रखो जाय
 दूसरी बील को बहती बील के उत्तर मेरी अर्धित को जाती जाब³ । यहाँ यह
 ध्यातव्य है कि श्रृंग छ बीलिया अमीन मेरी अर्धित को जाती है तथा देवजन
 बील खलाती है । जहाँ तक सातबीं धर्मविस्वाहा⁴ एवं आठबीं अधर्मविस्वाहा⁵
 स्वादे⁶ बील का श्रृंग है ये तथा उसके बाद की बीलिया भूमि पर अर्धित की
 जाती है । उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब का मत है कि नवे मन्त्र से "अदभ—
 शुभ स्वाहे" जल के लिए दो जाने वाली बील उस वात्र के निकट अर्धित
 की जाब जिस वात्र गृहण कर्म के लिए जल रखा जाता है⁷ । दशवें तथा
 एकारहबे मन्त्रों से और अधिवनस्त्रीतम् । स्वाहा, रक्षोदेवजनम् स्वाहा⁸

1. उम्बत वौरवेवनं ऋग्मा शुरस्तात् ॥

—AT040200 2/2/3/17

2. एवं बकीनां देशे देशे सम्बेताना सकृत्सकृदन्ते वौरवेवनम् ॥

—बही 2/2/3/18

3. अवरेणाऽमीन सप्तमौष्ट्रांवाशुदगणार्गम् ॥

—बही 2/2/3/20

4. ऊर्ध्वानस्त्रीन्धौ नवमेन ॥

— बही 2/2/3/21

घर के पृथ्वी बोंदे दो बैलगा अर्पित की जाय जिनमें दूसरी इन घटनी से पूर्व को
जोर रखा जाय¹। उक्त के ३तीरिक्षत आःस्तम्भ के अनुसार नार मन्त्रों से
इगुडाम्य स्वाहा, अवसानेभ्या स्वाहा, अवसानयतिभ्य स्वाहा, नर्जभूतेभ्य
स्वाहा। घर के उत्तर धूर्ब भाग में बौलिया अर्पित की जाती है, जिनमें दूसरी
बौलि अपने से पूर्वबर्ती बौलि के धूर्ब में रखी जाती है। शमशा के निकट एक बौलि
"काशाय स्वाहा" मन्त्र से अर्पित की जाय। "अन्तीरक्षाय स्वाहा" मन्त्र से
देहरी के ऊपर एक बौलि दो जाय। उसके आगे के हृष्टदेवति जगति यच्य वेष्टतीत
नाम्नो भागो यत्ताम्ने स्वाहा²। मन्त्र से एक बौलि व्यार के किंवाह के बाल
अर्पित की जाय। आगे के दस मन्त्रों ("धृपिष्वै स्वाहा, अन्तीरक्षाय स्वाहा,
दिवे स्वाहा, सूर्यविस्वाहा, चन्द्रमसे स्वाहा, नक्षत्रेभ्य स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा,
ब्रह्मस्तत्त्वे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा") से घर के ब्रह्मसदन नामक स्थान पर बौलियाँ
अर्पित करें, जिनमें इत्येक बौलि अपने से बहते की बौलि के धूर्ब रखी जाय² तथा

1. प्रधेऽगारस्य दशैकादशाभ्या श्रागवर्गम् ॥

-आधोहू 2/2/3/22

2. उत्तरधूर्ब देशेऽगारस्योत्तरैश्चतुर्भिः। शब्दादेशे काशैलिङ्गेन ।

देहल्बाबन्तीरक्षैलिङ्गेन । उत्तरेणाऽविधान्वान् । उत्तरैब्रह्मसदने ॥

दीक्षणा को और "स्वधा वितृ-व" मन्त्र से ब्राह्मीनाबोतो होकर अर्पाद् यज्ञोब्ज-
बीत को दाहिने फन्धे के ऊपर से त्या बाढ़े जल के नाचे से धारण और त्या दाहि-
हिनी ल्पेली को ऊपर को और उठाए हुए बील अर्पित की जाय। वितृबील के
उत्तर में इनमो स्थाय बशुतये स्वाहा मन्त्र से, रुद्र के लिए उसी विधि से बील
अर्पित को जाय, जिस विधि से दूसरे देवों के लिए की जाय इकाका तात्त्वर्य यह
है कि ब्राह्मन बोना न होने और न ता दाहिने हाथ से ल्पेली को उत्तान
करे और इन बीलियों के लिए आरम्भ तथा अन्न का जल से वरिष्ठेवन का कर्म
अलग-अलग करे एव रात्रि को अन्तम मन्त्र का बाठ करते हुर आकाश में भूतों
के लिए बील कें। ।

इस इकार आवस्तम्ब धर्मसूत्र से बीलहरण का विस्तृत उल्लेख ब्राह्म
होता है। अनु स्मृति में भी बील बैशबदेव यज्ञ का बर्णन विलता है²।

इस इकार में आवस्तम्ब का कथन है कि बीलहरण के बाद भोजन से
कुछ अंश भिन्नको देना बाहिस त्या गृहस्वामी त्या गृहस्वामिनी से भोजन
की बाचना करने वाले को लौटाना नहीं बाहिस अपितु उसे कुछ न कुछ भोजन

। १. दीक्षणातः वितृलिङ्गेन ब्राह्मीनाबीत्वबाधीनकाणिः कुर्वति । रौद्र उत्तरी
यज्ञा देवताभ्यः । तवोनर्नामा वरिष्ठेवतः धर्मभेदात् । नक्तमेवोत्तमेन बैदावस्त् ॥

अबहृत देना चाहिए । ।

इस इकार आवस्तम्ब ने बीलपैशबदेल यज्ञ का विस्तृत वर्णन किया है एवं उनकी दूरीन्ज में बीलपैशबदेल यज्ञ गृहस्थ के लिए स्वर्ग तथा समृद्धि का हेतु है² ।

उक्त के अतिरिक्त गृहस्थाश्रम के द्रुत का भी धर्मसूत्र में विस्तार से वियार किया गया है । आवस्तम्ब के अनुसार वाणिग्रह्य के बाद वैति और षत्नी दोनों गृहस्थाश्रम के कर्मों का सम्बादन करे, केवल दो लम्बों में भोजन करें, तृप्तिर्पत्तन्त अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, वर्षों पर वैति और षत्नी दोनों ही उषबाल रखे । केवल एक बार दिन में भोजन करना भी उषबाल आवस्तम्ब ने बाना हे तथा एक बार भोजन करके उषबाल करने पर वैति और षत्नी को आत्मौप्ल भोजन की तथा जो अन्न छिप हो उसका इस दिन भोजन करने की अनुशीति दी है तथा उस रात्रि को दोनों को भूमि पर शवन करने एवं मैथुन कर्म को न करने का निर्देश दिया है । तथा अषेषा की है कि दूसरे दिन

*

1. अः व देवम् । काले स्वामिनावन्नार्थिः न व्रत्वा वशीवाताम् ॥

-AT0ध0हू० 2/2/4/10 एल 13

2. व एतानव्यग्रो व्योषदेशं कुस्ते नित्यः स्वर्गी. मुच्छित्व ॥

स्थातोषाक तैयार करना चाहिए। आषस्तम्ब धर्मशूल में स्थातोषाक को विधि का वर्णन नहीं दिया गया है। अतिरिक्त आषस्तम्ब गृहस्थूल में इसके निर्माण को विधि, स्थातोषाक के देवता, पर्ण स्थातोषाक वा विस्तृत कवर्णन इत्यस्त दोता है²। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब के अनुसार धर्म में जो जल के बात्र हों वे कभी खाली न रहें, दिन में गृहस्थ मैथुन न करें, शत्रुजाल में शास्त्र के नियम के अनुसार दृत्तनी के साथ मैथुन कर्म में प्रवृत्त होने, मैथुन के सबय स्त्रोबास ही धारणा करें, केवल मैथुन के समय ही वैत-पत्नी साथ एक शश्प्रा घर लोने उसके बाद में अलग हो जाय, उसके बाद दोनों ही स्नान करे अच्छा जहा कहों बोर्ड या रज लग गया हो उसे भिट्ठी या जल से स्वच्छ करके बे आवश्यन करें और अपने शरीरों पर जल दें³।

उक्त विवेकन से यह स्पष्ट है कि गृहस्थ के लिए जो नियम और कर्तव्य आषस्तम्ब ने निर्दिष्ट किए ने निश्चय ही गृहस्थ से त्याग और आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक झुके थे। यद्यपि उन्होंने गृहस्थ के लिए भौतिक

1. पाणिंगहणादैष गृहमेविनोद्रवतम् । कालमोर्भोजनम् । अतुर्विषयाऽनास्त । वर्वसु दोम्बोरवबास । अैषवस्तमेव कालान्तरे भोजनम् । त्रौप्तिशयाऽनस्य । गच्छेन्द्रो त्रिपुङ्ग स्वात्तदेति स्मन्नहीन भुवि ज्ञाताम् । अथेच शबोयाताम् । मैथुनवर्जन च । इबो भूते स्थातोषाकः ॥

- आ०५०६०३० २४/१/१-१०

2. आ०५०३०३० तृतीय चट्टल, सप्तम खण्ड

और शासारेक सुन्हो तो हा तर हिंगा किर मा भौंका हुजों का हुलता ने
त्रापीका हुउ, तता - तता - तदि , र हिंग और हिंग ।

बानहस्थाभ्यम् - बानहस्थ दोने का गाव वर्षात्मकों दो रुक्मा ते गावा है
(१५) - ऐ लाल रात्र जालने उत्तरान्त १२६ ता गृहस्थ रणे तु ह वर्ष व्य-
प्तेन कर दें २ उत्तरान्त चानहस्थ दो लक्ता है । ननु १६, २५ ते अनुसार जब
गृहस्थ अष्टने गरोर एवं दुर्विराम हेवे, उसके गाव इल जाएं और जब उसके दुक्तों के
बुत्र हो जा - तो उसे ज्ञ जो रात लेनी चाहिए । जहा तक बानहस्थम् धर्मसूत्र
जा गृहन है उनके अनुसार चानहस्थाभ्यम् मे एवं चानीकृत प्रवेश कर लालता है जो
ब्रह्मवारी के नियमों ना बालन नरना हो । इससे यदि हाठ दोता है तिक
बानहस्थ ब्रह्मचर्याधिष्ठ वे गाव दो ग्रहण किया जा सकता है तिकन्तु आस्तम्ब
ने २/९/२२/६ मे ज्ञ य आधारों के बतों का उल्लेख किया है तिक बानहस्थ के
तिए अन्य आश्रमों के कर्मों को क्रमानुसार नरना चाहिए^२ ।

१. अनस्व ब्रह्मचर्यबान् प्रभजति ॥

-आ०५०६० २/९/२१/१९

२. अथ बानहस्थस्वेबाऽनुकूल्यमेक उष्णदिशान्ति ॥

- बही २/९/२२/६

गान्धीजी के नियम - आस्तम० ने गान्धीजी के लिए नियम नियमों वा प्रब्लेम लिया है - जब एक अधिकारी जलते हुए, घर में न रहे, १००% हुड़ का भोग न करें, फिल्सो शरण न रहे, भौंन रहे, उच्च प्रीनिक लभात्ताय के समय छोड़ें। ।

बन ने प्राप्य इन्द्रियार्थ या बल्कर्ता बस्त्र हाँ धारण जरे, कूलों, झलों, बन्तों और तिनकों आदि से नारिया निर्बाहि करते हुए भ्रमणा करे, फिर स्वयं गिरे हुए कलों बत्तों आदि का हाँ भ्रमण करके रहें। तब कुछ दिन तक केवल जल खीकर जीवन धारणा करे, फिर कुछ समय तक केवल बायु का सेवन करके रहें और फिर केवल आकाश का ही सेवन करे। इनमें से इत्येक उत्तरवर्ती घटाघों का सेवन करके जीवका निर्बाहि करने का अधिकाधिक बुण्डकल होता है।

१. तस्योवदिशन्त्वेकामीमरीनिकेतस्यादशमाऽशरणो त्रुनि स्वाध्याय
स्वोत्सुजमानो वाचम् ॥

-आ०४०३० २/९/२१/२०

२. तस्याऽरण्डकाच्छादनं विवृहतम्। ततो मूले कले षण्ठौस्तुष्णौरीति वर्तवंशवरेत्।
अन्तत इन्द्रियानि। ततोऽप्यो वायुमाकाशमित्वमिन्हवेत्। तेषामुत्तर उत्तर-
संबोगः कलतो विशिष्ट ॥

उक्त के अतिरिक्त आश्वस्त्रम् बे बत हे बान्धस्य गाँव से बाहर बन
मे एक घर बनाकर बहाँ गला, पुत्र, पुत्रियों तथा औम् के साथ निवास करे अथवा
अकेले ही रहे । खेते मे गिरे हुए अन्न बानकर छोड़ने जानन तो गण करे, जिसो
भी ब्रूकार का दान न ग्रहण करे स्तान करने के बाद इबन लरे एव स्तान बिना
बग के शनै जल मे बृंदेश कर और जल को हाथ से छोटे बिना सूर्य भी ओर मुड़
करके छोटे स्तान करे । इच्छाओं के अनुसार गृहस्थ को वारिष्ठ कि भोजन
पकाने तथा खाने के बातों तथा काटने के औजार, करता हैंसिया तथा काच
नाम के हथियारों मे ब्रूत्येक के जोडे बनाये तथा इन बातों और औजारों के
जोडों मे से एक लेकर दूसरे को अपनी बत्ती को देकर बन को प्रस्थान करे ।
उसके बाद बन की बस्तुओं से ही रोग कर्म करे, अबना जी बन निर्बहि करे,
अतिथियों का संकार करे तथा शरार का आच्छादन करे एवं जिन कर्मों के लिए
बुरोडाश का विधान किया गया है उन कर्मों मे बुरोडाश के स्थान वर वर का
ब्रूषोग करे । सभी मन्त्रों का तथा दैनिक स्वाध्याय का बाठ इस ब्रूकार करे कि
वह दूसरों को न मुनाई बडे एवं बन के निवासियों को अपने मन्त्रों का बाठ न
मुनाके एवं केवल औम् की रक्षा के लिए ही एक गृह बनावे, सब छुले हुए स्थान
मे ही रहें, इब्दा और आसन वर भी कसी ब्रूकार का आच्छादन न होवे तथा नवा
अन्न ब्राह्म करने वर मुराने संचित अन्न का भौरत्याग करे ।

उत्तर के अनिवार्यत आश्वस्तम्ब के अनुसार यदि - अनुस्थ और जीधक कठोर नियम का शास्त्र करना चाहे तो उन्न का संयान न हो अपितु इत्तिदिन साम तथा ब्रात काल केवल अपने मिथ्यावा में खाने भर का भोजन सक्ति करे ।

इस ब्राकार हस्त देखते हैं कि बान इस्पात्यम् में व्यक्ति कठोर व्यवस्थाओं और नियमबद्ध कर्तव्यों व्यारा अपने विरत्र और व्यक्तित्व को तथा तथा वह अपने वारिवारिक और भावनात्मक सम्बन्ध को छिप्पने कर एकात और निर्बन्धता का जो बन लातीत करता था तथा वह अपने तब शील श्रमाशील, दानशील आचरणाशील और हत्यशील लभिक्तत्व का निर्णय करता था जो उसके निवृत्तिमूलक व्यक्तित्व को उत्कीर्षत करते हुए उसे भोक्ता के पार्ग की ओर अ-ग्रहारित करता था । आश्वस्तम्ब का बुराण से ४ इतोक² को उद्घृत करते हुए बास्तुस्थ को ब्रश्ना की है तथा कहा है कि ऐसे व्यक्ति की इच्छावे उनके संकल्प से ही सिध्द हो जाती है जैसे नष्ट कराने, बुत्रोत्पीति का अपोघ आशीर्वाद, किसी भी ब्रकार की वस्तु का दान, दूर तक देखने की

1. भूमांसं बा नियमित्तिन्नन्वहमेव वात्रेणा सात्प्रातर्थ्याहरेत ॥

-आ०५०३० 2/9/23/।

2. अष्टाशीतिसहस्रार्णि वे ब्रजां नेत्रिर इष्टम् । उत्तरेणाऽर्थमण ।

वन्ध्यात् तेऽनुतत्वं हि कल्पते ॥

दृष्टि ठ, जन के समान भेग के विवरण तरने के शक्तिवाला इसों द्वारा जी
दूसरी इच्छाओं की लिखित¹ ।

संवाद - आषस्तम्ब के अनुसार ब्रह्मार्थियों का बान तरने वाला
बाँह ही सन्यास ग्रहण कर सकता है² । आषस्तम्ब ने सन्यासियों के प्रिय
निम्न निषेधों का विधान किया है तिक वे जिना अँग के रहे अर्थात् जले शोना-
माँ, गृह्यार्थि एव लौकिक अँग उभोजन कराने के लिये³ नहीं जलानी
चाहिए, बुखों तथा शरण का वरित्ताग करे, भौन रहे केवल दैनिक उधयबसामा
के समय बोले, ग्राम में केवल इतने ही उन्न की भिक्षा बांगे जितने से उसकी जी-
विका वल सके तथा इस सत्तार की अप्त्ता वरलोक की विवरता तिक वे जिना चारों
ओर घृता रहे⁴ । तथा सन्यासी दूसरों के ब्वारा केके गदे बस्त्रों को छहने⁴ ।

1. अपाऽपीष सठ कल्पीसिधयो भवन्ति । यथा वर्ष इजा दान दूरेदर्शं अनोजबता
य च्याऽन्वदेव वृक्षम् ॥

- अ०४०५०० - 2/9/23/6-7

2. अतएव ब्रह्मवर्धन इन्द्रजीति ॥

- बही 2/9/21/8

3. अनीमरीनकेतस्यादश्वर्दिशरणो बुनि. स्वाध्याय एवोत्तुष्मानो बाय
ग्रामे ब्राणवृत्ति इति लभा निहोऽनुकृत्यरेत् ॥

- बही 2/9/21/10

4. तस्य बुक्तमाच्छादनं विहितम् ॥

- बही 2/9/21/11

आवस्तम्ब ने अन्य धर्मों के बन ता उल्लेख करने दृष्ट रूप है कि सभी बस्त्रों
का परिचाग वर न मन दोकर घूमे। यथा आवस्तम्ब का मानना है कि
हत्या और अहत्या का सुख जारी हुए का, जेदों का तथा इस नोक और बरतोक
का परिचाग वरने सन्यासी तो यारे ही वह वरमात्मा का विन्दन करें।
स्वोकिं आत्मा का जान द्राप्त करने वर के शोक्ष इवरम कल्याणं इत्याप्त
करना है³। इस इवार रूप देखते हैं कि सन्यासी का जो जन अत्यन्त तमस्वा
और कठोरता का था। परम उददेश्य शोक्ष की इतीप्त के लिए वह समस्त
भौतिक और सांसारिक बदाधों के इति अनासन दोकर बनोनिबेश शूर्वक
साधनारत रहता था।

१. सर्वत शरिष्ठोक्षमेके ॥

-आ०ध०श० 2/9/21/12

२. सत्बानृते हुउदु न्डे बेदानिम लोकमनु च शरित्वज्याऽत्मानम्-
पि-बच्छेत् ॥

- बही 2/9/21/13

३. बुधे क्षेत्राषणाम् ॥

- बही 2/9/21/14

उक्तबिंबन से स्पष्ट है कि अन्यत्रस्या व्यक्तिके गति और
व्यक्तिन्द्रि के उत्पान वा रहस्यवृद्धि आधार था। इत्यम् ले तेजर अन्त तक
मनष्य का स्मृण वो न इसी के गतिश्च से समग्रा और गीर्जीना प्राप्त
करा था।

श्राद्ध ।

"श्राद्ध" शब्द चाहा से निष्पत्ति होना है जिसे अन्दर निर्बास, मरीचित और आदर से नहीं निष्पत्ति है । इसमें "श्राद्ध" वह प्रिया है, जो चिरचार अच्छा आदर से कारा रखती है । ससृत एवं गुप्तिष्ठ से श्राद्ध शब्द इन् और या धारुओं से निष्पत्ति है । इससे इस बात का होता निष्पत्ता है कि दूष स्वयं अपना निर्बास से धारण हो । उन श्राद्ध अज्ञे शुर्वजों की सूक्ष्मियों वे दी गई अध्याजलि, शितरों तो दिवा या भोजन और मृत व्यक्ति का एकत्र श्रीकृतमोज है । इसको शितृपञ्च कहा जाता है । श्राद्ध से नीन कर्म अनिवार्यरूपेण करने होते हैं - टोक, ब्रात्यण भोजन और शिष्ठान ।

श्राद्ध की उत्थापित संस्कृणोत्ता - श्राद्ध की उत्थापित के सम्बन्ध में आम स्तम्भ ना बन है कि ब्राचीन काल में देवता और भनुष्य इसी संसार में एक साथ निवास करते थे कालान्तर में उस सहबास को अभीष्ट न समझते हुए देवताओं ने श्रौत, स्मार्त और गृह्य कर्मों का अपावृत् अनुष्ठान किया, जिसका वरिष्ठान वह हुआ कि वे स्वर्ग को बले गए और भनुष्य देवताओं के समान उन श्रौत, स्मार्त और गृह्य कर्मों को अपावृत् सम्बन्ध न करने के कारण इसी संसार में रह गए । इस प्रकार की कर्मों की सामर्थ्य को देखकर आज भी जो भनुष्य उन कर्मों को देवताओं के समान अपावृत् सम्बन्ध करते हैं वे देवताओं और ब्रह्मा के

अप सर्वी मे अनन्द , आप करते हैं । देवताजो का अवेष्टा औन गुहाओं को
बैबस्तु गु ने "श्राध्द" नाम से श्रीमि- रेति दाते थे ता यद्देर इजातों के
किं शेषर के निर फ गा¹ ।

आस्तम्ब दे अनुष्ठार श्राध्द श्रुत्येक व्राच त्रे करना चाहिए² तथा
श्राध्द ता कोई लृष्ट रात्रि जो न करें³ । व्राच मे भी वूर्बन्ध और अधरक्ष मे
ले अधरवश्च को तथा इन उपरचना के दिनों मे भी आश्राम्द को आस्तम्ब ने
श्राध्द कर्म के लिए ब्रेष्ट बाना है⁴ । इहके अतीरका आस्तम्ब के अनुष्ठार व्राच
दे दूसरे श्लोके अन्तिम दिन उधिक श्रेष्ठस्कर है । त्यानिवास के ऊपर वग मे फ़िक-
ली भी दिन को अर्पित किया गया श्राध्द शितरों को सन्तुष्ट करता है और

1. सह देवनुष्ट्वा अस्त्वेत्तोके शुरा बम्ब । अ देवा कर्मभीर्दिं जमुरहो वन्त
मनुष्या । तेषा मे तथा कर्मण्यारभन्ते सह देवैर्द्वयणा वाऽमुम्बन् लोके
मवन्ति । अपैतन्वनुः श्राधशब्दं कर्म श्रोबाच । श्रुजानिश्रेष्ठसाच च ॥

-आ०ध०३०० 2/7/16/1

2. शारीर शारीर कार्यम् ॥

- बही 2/7/16/3

3. न च नक्तं श्राध्मं कुर्वीत ॥

- बही 2/7/17/23

4. अधरण्डस्याऽधराहण . श्रेष्ठान् ॥

- बही 2/7/16/5

जरने चाहे तो का फिरौलड़ ज्ञानी ग्रामीण होती है। आदि अमर कवि ने प्रथम दिन भी श्राध्य किए - जाएं तो श्राविकार्त्ता की रक्षान् श्राव उक्तिया होगी, अदि दूहरे दिन भी श्राव किए जाना है तो उत्तर श्राव होते हैं, औदि तीसरे दिन श्राध्यकर्म प्रिया जाना है तो जो दुक्त्र रक्षान् होते हैं बोले बोला-धयन के घुल वा राजन् भरने चाहे ग्रहणेह युक्त होते हैं, औपरे दिन श्राध्य कर्म भरने चाहे छोटे वशुओं से लम्बन्न होते हैं, पाँचवे दिन श्राध्यकर्म भरने जाले को दुक्त्र ही रक्षान् होते हैं वह अनेक दुक्त्रों का विज्ञा होता है तथा उक्तियाँ बनकर नहीं भरता, इठे दिन श्राध्य भरने चाहे श्राव देशाल्प करने वाले तथा उभारी होते हैं, सातवें दिन श्राध्य कर्म भरने से कृष्ण ने बृद्धि होती है, आठवें दिन श्राध्य कर्म भरने से लक्ष्मीधि होती है, नवें दिन श्राध्य कर्म भरने से लक्ष्मीधि होती है, नवें दिन श्राध्य करने से एक खुर नाले वशुओं यथा घोटे आदि भी बृद्धि होती है, दसवें दिन श्राध्य करने से वाराधार में उन्नति होती है, चारारदवें दिन श्राध्य करने से लोहे और त्रिवृक्ष की सम्बोधित बढ़ती है, बारहवें दिन श्राध्य करने वाला अनेक वशुओं का स्वास्थ्य होता है, तेरहवें दिन श्राध्य करने से अनेक दुक्त्र तथा अनेक वित्र विलते हैं। श्राध्यकर्त्ता के दुक्त्र सुन्दर होते हैं, किन्तु उसके दुक्त्र अल्पायु में ही भर जाते हैं तथा बौद्धवें दिन श्राध्य करने वर बुध्द में सकलता विलती एवं बन्दूहवें दिन श्राध्य करने वर बुध्द में सकलता विलती

१. तथाऽवरावक्षस्य वशन्वान्वहानि । सर्वेषेवाऽवरवशस्वाऽहस्तु विष्वाणो
वित्तुन् श्रीणाति । कर्तुस्तु कालाभिनिवात्कलाव्योग ॥

है। जारस्मब के अनुदार आज १५ अक्टूबर के दिन दो भोजन कराने के लिए इतारणों गे नियन्त्रण नेता T-5 जो वेदन तो कथा बिकाह सम्बन्ध, रक्ष-सम्बन्ध, प्रभाव और उपरीत सम्बन्ध आ पुर फ़िल्म सम्बन्ध के मध्यस्थित न हो²। एवं दूसरे शास्त्रीय बिकाह, रक्ष, सम्बन्ध, बिकाह सम्बन्ध के सम्बन्ध में ग्रामों-तो स्त्राराणों वे गुणों का अभाव हो तो गुणान् सहोदर भाई को भी भोजन निरापा या राता है। जारस्मब इस नियम के सही र भाई के साथ हो साथ दूसरे सम्बन्धी और अन्नेभासी भी भोजन कराने जाने भोज्य होते हैं। जारस्मब ने भोजन कराने वारे से सम्बन्ध त्याक्षितों वे भोजन न कराये जाने के सम्बन्ध में

1. वृथमे हनि क्रियनाणे स्त्रीप्राप्तवत्ये जायते। विवामे स्तेना। तृनीमे प्रह्लवर्यौस्तन। चतुर्थे शुद्धशुग्रान् ब्रह्ममेषु ग्रासो बद्धवत्तामे न वा नष्टत्य श्रीगते। षष्ठेऽध्वशीतोऽध्वशीलस्य। सप्तो चर्चे रातिष्ठ। अष्टमे शुचिष्ठ। नवम एकरुहा। दशमे व्यवहारे रातिष्ठ। एकादशे कृष्णायस त्रिवृसीसम्। व्यादरो शुग्रान् ब्रह्मवेदे बहुत्रो बहुविक्रो दर्शनीयावत्यो युवत्तारिणास्तु भवन्ति। चतुर्देश आयुधे रातिष्ठ। एकादशे शुचिष्ठ ॥

-जा०ध०३०० 2/7/16/7-21

2. ग्राम इस-नमना सूचितो भोजयेद्ब्राह्मणान् ब्रह्मवेदो षोडिगोत्रमन्त्रा-न्तेजासासम्बन्धान् ॥

-बही 2/7/17/4

3. गुणहान्यां हु वरेषां समुदेत सोदरोऽपि भोजीवितव्य। एतेनाऽन्तेबा-सिनो व्याख्याता ॥

यह वर्णन इच्छित किया है कि उसी वज्र में भोजन कराने वाले से सम्बन्ध व्यक्तियों को वो भोजन कराया जाता है वह भोजन विशायों को ही गिरता है। वह अन्न न को दिक्षितरों के पास पहुँचता है और न देवताओं के पास। वह भोजन तुष्टियक्त है किंतु होकर हसी लोक ने उसी प्रकार भटकता है पिछे प्रकार घड़े के डो पाने पर गौ गोशाले के भीकर ही ढूँढ़ी ढुँई कूती है अर्थात् वाहर नहीं या पाती है¹ तथा सम्बन्धियों को दिया गया भोजन तथा दान हसी लोक ने एक कुल ते दूसरे कुल में जाकर नष्ट होता है²।

आषस्तम्य ने निमिन्त्रित ब्राह्मणों ने से उन ब्राह्मणों को जो अवस्था की दृष्टि से कृपद तथा निर्धन और भोजन करने के इच्छुक हों उन्हें भोजन के लिए बुलाने के लिए कहा है। यदि निमिन्त्रित लोगों ने लभी के गुण समान हों³।

१. सम्भोजनी ताम विशावभिष्ठा नैवा चित्तू गच्छति नोऽथ देवान् ।
इहैव सा वरीत शीणादुण्या शालान्तरे गौरिन नष्टवत्सा ॥

-आ०४०३० 2/7/17/8

२. इहैव सम्भुजतीति दीक्षिणा कुलात्कुर्ति बिनशतीति ॥

-बही 2/7/17/9

३. तुल्यगुणोऽु बदोबृद्धः श्रेष्ठान्द्रव्यकृशवेष्टन् ॥

-बही 2/7/17/10

इस तिन बहते भोजन के लिए ब्राह्मणों तो निष्पन्न्रणा हेने के प्रयारु, दूसरे दिन दुबारा निष्पन्न्रणा दिया जाता है। उसके अलावा उस दिन भोजन तेजार हो जाने र भोजन के रथा जायरा निष्पन्न्रणा दिया जाता था।

शास्त्र ने हीम अनिर्गार्भसोण फिया जाता है हीम ब्राह्मणों को भोजन कराने से ठाक बहते फिया जाता है। हीम के सम्बन्ध में आवस्तम्ब का वर्णन है एक हीम के समय "उद्धुपताम्बौ च क्रियताम्" मन्त्र से ब्राह्मणों को अभिमन्त्रित फिया जाता है वन्त्र का अर्थ है कि इस सिद्ध अन्न से अश निकालने की तथा अग्नि में रखन करने की आवश्यकता ब्राह्मण अनुष्टुति इकान रे तत्परात् ब्राह्मण "काश्चुदिक्ष्यतां काममन्तौ च क्रियताम्" अर्थात् उनी हच्छा से अन्न को निकाल कर उसका हबन करो इस प्रकार की अनुष्टुति देते हैं। तदनन्तर अन्न को अलग निकाल कर रखन फिया जाता है²। तत्परात् ब्राह्मणों को भोजन वराषा जाता था। आवस्तम्ब धर्म सूत्र में ऐसे ब्राह्मणों की सूचियाँ हैं जो वैकित वानन एवं वैकितदूषक कहे जाते हैं। जो ब्राह्मण अहनी उष्टुप्तीस्थौति से वैकित में बैठने वालों को वैकित करते हैं, उन्हे वैकितवानन कहा

1. बूर्णेयुर्निबेदनम् । अष्टरेद्युर्धिर्दीर्घम् । तृतीयवामन्त्रप्रथम् ॥

जाता है और जो अक्षित दूषित नहीं है उन्हें अक्षतदूषक रुदा लाता है ।
 स्तम्भने अक्षतषान् ब्राह्मण उन्हें माना है जो नोन प्रथुष जानते हैं, तीन
 क्रिहुर्जा रहे रहे हैं, जिन्होंने अस्त्रे वीक्षा दे दो ॥ १. १. ३ ॥ जो नामो न
 रह गये ॥ यह दो हैं, ऐसे ही ज्येष्ठ साम बढ़ा है, जो अग्नि अग्नियों को ब्रज्ज-
 लित रुदा है जो बेद के द अग्ने को जानते हैं, जो अग्ने सहित सम्पूर्ण बेद का
 अध्याध्यन करने में समर्थ ब्राह्मण का शुत्र है, जो तीन विद्वाओं के लाता का शुत्र
 तथा जो श्रोत्रिय है । ।

आषस्तम्ब की दृष्टि में इबेत कुश्ठ के रोगी खल्काट, व्याभिचारी,
 आयुधजीवी ब्राह्मण का शुत्र से ब्राह्मण का ब्राह्मणी से उत्कर्ण शुत्र, जो
 घटले शुद्ध बत्ती से बिकाह करके शूद्र जन गणा है, अक्षतदूषक है² ।

१. विश्वुस्त्रशुष्णा अस्त्रणा अनिकेतश वत्सेव । व्यामर्ज्येऽउत्तामिको वेदाध्या-
 प्रभूवानशुत्र श्रोत्रिय हत्येते श्राद्धे भुजाना । एह, अक्षतषाना भवन्ति ॥

AT04060 2/7/17/22

२. इबत्रौशशीवौघट भरतलगाम्यायुधीयशुत्रशूद्धोत्कर्णो ब्राह्मणा-
 श्रित्येते श्राद्धे भुजाना अक्षतदूषणा भवन्ति ॥

-बही 2/7/17/21

आषस्तम्ब के अनुराग शास्त्र ने "र्धित हो जाना बाली उस्तुएँ हैं
निति, माझ, व्राई, जौ, जल, बूल और छत" । उक्त के अतिरिक्त प्रियदर्शने एवं
थोड़े से युक्त अन्न चितुणाओं/र्धित किए पाना थी । शूत्रकार के अनुराग यह
दीर्घकाल तक लंतुष्ट प्रदान करने बाला है । इसी बिकार किंवदि धर्म धूर्धक उच्च-
र्धित धन प्रोत्येक व्यक्ति को दान में दिया जाता है तो वह दीर्घकाल तक सतुष्टिष्ठ
देने जाता है ।

आषस्तम्ब ने गऊ भांस इन भैंस के माल को भी प्रियतरों को अर्धित
करने का उत्तेष्ठ किया है जो क्रमशः एक वर्ष तक एवं उससे भी अधिक समय तक
संतुष्ट दायक है । उक्त गऊ भाल एवं भैंस भांस के अतिरिक्त आषस्तम्ब अन्य
जातू तथा जगती वशुओं का माल प्रियतरों को अर्धित करने की अनुमति देते हैं
तथा इसे अत्यधिक सतुष्ट दायक मानते हैं² ।

1. तत्र द्रव्याणि तिलभाषा ब्रीहिष्वा आषो शूलफ्लानि च ॥

-आ०८०३०३० 2/7/16/22

2. स्नेहबीति त्वेबाऽन्ने तीव्रतरा चितुणां ब्रीतिष्वधीवालं च कालम् ।
तथा धर्महृतेन द्रव्येण तीर्थे ब्रूतिष्वन्नेन । संबत्सरं गव्येन प्रीतिः ।
भूखांसमतो व्राहिष्वेण । इतेन ग्राम्यारण्यानां वशुनां भांसं देधं
व्याख्यातम् ॥

- बही 2/7/16/23-27

जा। स्तम्ब धर्मसूत्र में वार्षिक श्राद्ध के साथ साथ नित्य श्राद्ध विधि
ना भी नहीं आप्त होता है। सूत्रकार आषस्तम्ब ने नित्य श्राद्ध विधि का
रूपनि इसे हुए कहा है कि गांव से बाहर जिसी विवित स्थान पर व्यक्त
विवित होकर श्राद्ध के प्रयोग से अन्न खाए। नित्य श्राद्ध में नौ द्रव्य ग्रहण
किए जाते हैं उन्हाँ रे अन्न तैयार किया जाय और उन्होंना त्रात्रों ने अन्न खाया
जाय। भोजन करने के बहात उन त्रात्रों को उत्तम गुणों से पुक्त भोजने करने
बाले ब्राह्मणों को दे देना वाहिए तथा उस अन्न ना जो उश त्रात्रों में शेष बचा
हो उसे किसी ऐसे ब्राह्मण को न चिलावे जो गुप्तों में उन ब्राह्मणों से हीन
हो। इस प्रकार उष्णुक विधि से आषस्तम्ब ने एक बर्ष तक श्रृंतिदिन श्राद्ध
करने का उल्लेख किया है। इनमें अतिव श्राद्ध लाल रग की बलि के साथ करने
का विधान किया। इल वार्षिक श्राद्ध के बहात आषस्तम्ब के अनुसार श्राद्ध
प्रत्येक व्रात में किया जाय अन्वा चिल्कुल न किया जाय।

उक्त कथित वार्षिक श्राद्ध के सम्बन्ध में आषस्तम्ब का विचार है कि
इसमें चिकनार्द्युक्त भोजन देना वाहिए। वद्यीष धी तथा व्रात से ब्रुक्त भोजन
सर्वोत्तम है तथाहि इन वस्तुओं का अभाव हो तो तैल और शाक भोजन में
दिवा जाय। इसके अतिरिक्त सूत्रकार प्रत्येक वार्षिक श्राद्ध पर एक द्रौणा तिल
जिल उपाय से सम्भव हो सके उस उपायसे खर्ज करने का निर्देश करते हैं। वार्षि-
क श्राद्ध में ही श्रृंतिदिन किये जाने वाले श्राद्ध के समान ब्राह्मण को भोजन

आषस्तम्ब के अनुसार सूर्योदय जारीने वाला श्राद्धकर्त्ता उत्तराण

में तिष्ठ नक्षत्र होने पर श्रुति वश में कम से कम एक दिन और एक रात उच्चास करके स्थालक्षण वाक फ़क़हों और दराराज लुबेर के न लिए उपर्युक्त करे, वृत्त विला कर रहे अन्न से एक ग्राहण को भोजन दरादे और उष्टिर्युध बाते मन्त्र का घाठ करा कर सूर्योदय की शुभाशाम करावे। आषस्तम्ब ने इस विधान को अगले तिष्ठ नक्षत्र के आने तक श्रुतिदिन करने का उल्लेख किया है इब दूसरे तिष्ठ दिन को दूसरे शास्त्र में तीन ब्राह्मणों को भोजन कराने का उल्लेख किया है। इस प्रकार उच्चरोक्त कर्म एक छंथ तक किया जाता है और इत्येक शास्त्र में एक एक ब्राह्मण की संख्या बढ़ावो जाती है। इस श्राद्ध के संदर्भ में आषस्तम्ब ने आगे कहा है कि उच्चास केवल श्रुति दिन ही किया जाना। उन बस्तुओं के भोजन का श्राद्धकर्त्ता बरहेज करे जिनमें तेज होता है इनसे तक़दीर आदि श्रम के ऊपर वा भूले के ऊपर न बले। श्राद्धकर्त्ता एक बैर से दूसरे बैर को न धोने और एक बैर के ऊपर दूसरा बैर न रखे दोनों बैरों को न हिलावे, एक झुंटने के ऊपर दूसरी जंघा को न स्थापित करे, नखों से नखों अपर्युक्तें को

। १. एवंहरह्यावरस्मात्तिष्ठात् । व्वौ विद्तीषे । त्रीस्तुतीषे । एव
लंबत्सरम्भुच्चमेन ।

न रगडे। विना कारण के अगुलियों से आताज न करे, उन कर्मों को न करे
जिनमा निषेध किया गया है, धर्म के अनुसार द्रव्य का उपार्जन तज्ज्ञ में सत्त्वन
होते ।

योग्य वासिनियों या बस्तुओं के ऊपर धन व्याप करे एवं किसी अयो-
ग्य न्यूनत को नोई बस्तु न है, जिससे उसे भय न हो । तथा अपि देकर तथा
प्रिय बयन से अनध्यों से मिक्ता रहे । उन सुन्दरों का भोग करे जो धर्म के वदारा
निषिद्ध नहीं है । आवस्तम्ब का अन्तव्य है कि यदि उक्त जायरणों का
प्रालन करते हुए व्यर्थ तथा श्राध्द करेगा तो वह दोनों लोकों को प्राप्त करता
है² ।

इस प्रकार आवस्तम्ब धर्मसूत्र में श्राध्द का विवस्तुत एवं सारांभित
विवेचन ब्रह्मस्तुत किया गया है ।

१. आदित एवोपबाल । आत्ततेजसां भोजनं बर्जेत् । भस्तुषाधिष्ठानम् ।

पदा पदास्य ब्रह्मालनशीधिष्ठान च बर्जेत् । ड्रेड.खोर्सेन त वाद्यो ।

गानुनि वाऽत्त्वाधान जड घाया । नखैश्च नखबादन ॥

-आष्टध०सू० 2/8/20/9-15

२. योक्ता च धर्मसुक्लेषु द्रव्यपरिग्रहेषु च । ब्रह्मादीविता च तीर्थे । अन्ता
चा तीर्थे जतो न भय इत्यात् । संग्रहीता च ब्रह्मान् । गोक्ता च धर्मीन्-
ब्रह्मीषिद्धान् भोगान् । सब्रुभौ लोकान्वीभवति ॥

श्रावणिकृत्ति ।

धर्मसूत्रों में निर्दिष्ट और उत्तीकृष्ट लार्यों को करने हे नवा
डिन् द्रुयों को ज्ञा बे न करने से उत्थन्न होने ताने वापों हे बाहित का
‘तत्त्वाद्विज्ञ हेतु , प्राणिकृत ता विधान दिग्गा गया हे ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अपार घर दारों को मुख्यत निम्न गागों
मे विभक्त दिला जा एकता है ऐजनमे धौर्ण होने घर श्रावणिकृत्ति ता विधान
दिग्गा गया था-

१। १३ वतनीय ऋषि- सुवर्ण की ओरो , ब्राह्मण को दत्या, बुर्ध का
बध, बेदाध्ययन का त्याग, र्भ को दत्या, ब्राता और विता के योनिस्तम्बन्ध
बाती स्त्रियों तथा उनकी द्वित्रियों के साथ मैथुन, सुराषान तथा उन लोगों के
साथ संयोग जिनसे संबोग करना निषिद्ध है² ।

1. निश्चयत्व तत्सो तुष्ठानं श्रावणिकृत्तम् - हरदल इगौतम 22/। १
2. स्तेणभाविशस्तादं बुर्धबधो ब्रह्मोज्ञ गर्भशातन बातु वितुरीरति
योनिसरबन्धे सहायत्ये स्त्रोगमनं सुराषानश्चयोग- संयोग.॥

४२५ अशुचिकर कर्म- उच्च वर्ण की स्त्रियों का शूद्रों के साथ यात्रा सम्बन्ध निर्धिष्ट भास वा लक्षण, आर्यों का अपवाहन स्त्रियों से मैत्रि ।

४३६ प्रकार्ण- ब्रह्मर्या का भग, पशुबध, समय बात जाने पर भी उपनयन सस्कार न देना ।

अभिशस्त श्रायशिवन्त - आषस्तम्ब के अनुसार ब्राह्मण शुरुष को हत्या करने वाला, आत्रेयी स्त्री का वध करने वाला शुरुषों का अपवा इन दोनों बणों के सोमयात्रा में दोषित शुरुष का वध करने वाला तथा जो अना या दूसरे वा जीवन लेता है अभिशस्त होता है ।

जहा तक आत्रेयी का लक्षण हे अनु² के अनुसार जन्म से लेकर सब सस्कारों से पन्त्रष्ठूर्वक सस्कृत अपवा गर्भिणी स्त्रो आत्रेयी स्त्री है । हरतन्त ने बिसिष्ठ को उदघृत करते हुए उत्साता स्त्री को आत्रेयी कहा तथा उछ अन्यों के घर का उल्लेख करते हुए अत्रिगोत्र में उत्कृष्ण स्त्री को आत्रेयी कहा है³ ।

१. षूर्वयोर्बण्योर्बेदाध्यायं हत्वा सवनगतं बाऽभिशस्त । ब्राह्मणात्रै च ।
गर्भं च तस्याऽविज्ञातश् । आत्रेयीं च दिस्त्रियम् ॥

-AT060200 1/9/24/6-9

2. अनु० सू० 11/87

3. आषस्तम्ब धर्मसूत्र 1/9/24/9 वर्णवृत्त की टिप्पणी

आपस्तम्ब ने अभिशस्त व्यक्ति के लिए प्रायशिचत्त का विधान करत हुए उसे आदेशित किया है कि बन में वह एक कुटी बनाकर, बाणी को रोक कर, छण्डे के ऊर मनुष्य की छोपड़ी रख कर तथा शरीर का नाम से घुटने तक का भाग सन के वस्त्र के चौथाई भाग से आचारित कर रहे तथा ग्राम में प्रवेश करते समय गाड़ी इत्यादि की दोनों लीं को के बीच के भाग से, घटिया किस्म की धातु के पात्र का उर्पर लेकर प्रविष्ट हो एवं दूसरे व्यक्ति को देख कर मार्ग छोड़कर हट जाय । तथा मुझ अभिशस्त को कौन भिक्षा देगा ऐसी प्रकार लगाते हुए सात घरों में भिक्षाटन करे एवं जो कुछ प्राप्त हो उसी से जीविका का निर्वाह करे यदि उसे कुछ भी प्राप्त न हो तो उपवास करे¹ एवं जब गाये गाव से निकलती है और प्रवेश करती वह भिक्षार्थ ग्राम में दुबारा प्रवेश कर सकता है । इस प्रकार प्रायशिचत्त करते हुए वह बारह वर्ष तक प्रायशिचत्त करे तत्पश्चात् शास्त्रोक्त शिष्टाचार को करे जिसके द्वारा वह पुनः सज्जनों के समाज में प्रवेश योग्य हो जाय² अथवा बारह वर्ष तक उपर्युक्त प्रायशिचत्त

1. अरण्ये कुटि कृत्वा वास्यतः शवशिरध्वजोऽर्धशाणोपङ्गमधोनाभ्युपरिजान्वाच्छाय । तस्य पन्था अन्तरा वर्तमनी । दृष्टवा च न्यमुत्क्रामेत् । खण्डेन तोहितकेन शरावेण ग्रामे प्रीतिष्ठेत् । को भिशस्ताया भिक्षामिति सप्ता गारं चरेत् । सा वृत्तिः । अलब्ध्वोपवास ॥

-आ०४०८० १/९/२४/११-१७

करने के बाद घोरों के पार्ग में कुटों जनाते और घोरों वे ब्राह्मणों का अनुत्त
गायों को छुड़ाने का प्रयत्न रना रहे, तान चार परास्त होने र अथवा उन
पार लिख्य बाने पर वह धार से मुक्त होता है। अथवा इसमें जा अनुव स्थान
करो पर तात दूर होता है² ।

उक्त के अन्तर्भृत आपस्तम्ब ने अभिशास्त्र के भागि हा प्रायशिच्छत्त
मुख, वेद त्रिद्वान तथा सोमयज्ञ का जनितम कर्म लगा प्प कर लेने परहे
धोत्रिय का नध करने ताते व्यक्ति के हेतु विवित विषय है वरन्तु उसके लिए
यह प्रायशिच्छत्त जोकन भर करने की तात आत है जोकि आपस्तम्ब के अनुसार
ऐसे गृह्य करने - तले की मुक्ति उस संसार में नहीं हो सकती अनितु मृत्यु के
बाद ही उसकी मुक्ति सम्भव है³ ।

१. वाज्जप्य वा कुटिं कृत्वा ब्राह्मणगव्यो वीजगीष्माणो बसेत्त्र
प्रतिराधदोऽवीजित्य वा मुक्त ॥

-AT060200 1/9/24/21

२. आशब्देधिकं वाऽब्रूप्यवेत्य चुचाते ॥

- बही 1/9/24/22

३. - बही 1/9/24/24-26

दूसरे स्थल पर आपस्तम्भ ने उल्लेख किया है कि ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति को होड़कर यदि किसी अन्य वर्ण के व्यक्ति के नदारा ब्राह्मण की हत्या का जाता है तो ऐसा व्यक्ति पृथ्वे वे जाकर दोनों पक्षों के बीच खड़ा जायेगा अब वहाँ सेनियोर घटि उरना चढ़ करे तो वह मरने पर पाप से शुद्ध हो आएगा अब वहाँ ने शरार से रोग, नवाया, मास निकलवाएँ और अग्नि से हड्डन कराये और स्वयं जो अग्नि में शोक दे¹।

उक्त से स्पष्ट है कि आपस्तम्भ ने ग्रहमहत्या के प्रसंग में दो प्रकार के प्रायशिक्ति का विधान किया है। प्रथम प्रायशिक्ति ब्राह्मण नदारा ब्राह्मण की हत्या परने पर तथा दूसरा प्रकार अन्य वर्ण के व्यक्ति द्वारा नदारा ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति पर हत्या के लिए विविध विधियाँ हैं।

गुरुतत्त्वग्रन्थान्तर - आपस्तम्भ ने गुरुतत्त्वग्रन्थ के लिए प्रायशिक्ति का विधान किया है उन्होंने 'तत्त्व' का लाक्षणिक अर्थ बत्ती से लिया है अतएव इस आधीर पर उन्होंने गुरु बत्ती ग्रन्थ के बाबू के लिए मृत्युदण्ड जो विधान

1. प्रथम वर्ण विरहाप्य पृथ्वे वर्ण हत्वा सङ् ग्राम गत्वा वर्तिष्ठेत तत्रैनं हन्यु । अष्टि बा लोमादिन त्वयं प्रात्सन्निति हाबर्यि त्वाऽन्तिं श्रीविशेष ॥

मिला है क्या उन्हें जुसार मृत्यु के उत्तरान्त हो गुरुद्वारा गमन एवं पाष दूर होता है¹। ऋषिचित्त के सम्बन्ध में आश्वस्त्रम् व का कथन है कि पेसा पाष ने दारा अण्डों व सहित जननेन्द्रिय को ताटकर भानी अच्छालि में रखकर किना रहे दक्षिण दिशा तो तब तक वलता जाय वह तक प्रेरकर मृत्यु नहीं प्राप्त कर लेता² और वा जलतो हुई स्वा प्रतिभा पा आतिष्ठग्न करले जो बन तो समाप्त करे³ किन्तु आश्वस्त्रम् ने हारोत के मत का उल्लेख करते हुए इस ऋषिचित्त ना निषेध किया है।

१. एतेनैव तिर्णेनोन्तमादुच्नासच्चरेन्ना साऽस्मित्त्वोऽे
गृत्याकीर्त्तीर्बद्धे कल्प तु निर्दिष्यते ॥

-३०५०८० १/१०/२८/१८

२. गुरुनागामी सञ्चिष्णां शिर्ण षिरबास्याऽन्जलावा
धाय दक्षिणां दिशमनावृत्तिं लृजेत् ॥

- बही १/९/२५/१

३. गुरुत्वागामी तु सुविरां सूर्यं श्रीब्रह्मोभयत
आदीपाऽभिर्ददेवात्मानम् ॥

- बही १/९/२८/१५

सुरापान ता प्रायशिवन्त - भाषस्तम्ब ने सभों पादक जस्तुओं नो अपेय¹ घो-
षित किया है तथा इसे पत्नोय कर्म माना है² तथा प्रायशिच्छत हेतु अमि न पर
छौलार्थी गई सुरा पीने ता विधान दिया है³ ।

स्तेन ता प्रायशिच्छत - भाषस्तम्ब ने कौत्स, हारीन जाणव तथा मुष्करसादी
के मत का उल्लेख बरते हुए किसो वी ग्रन्थामें दूसरे लो सम्बन्धित को प्राप्त
करने वा लोभ करने वाले व्यक्ति जो स्तेन बताया है⁴ इव ऐसे व्यक्ति के
प्रायशिच्छत के लिए 4 बार के प्रायशिच्छतों ता विधान दिया है- । [स्तेन
आने वेश लिखेरे हुए कधे पर मूसल रखकर राजा के पास जाये और उससे अपना
कर्म बतावे । राजा उस मूसल से स्तेन के ऊर ब्रह्मार करे, उससे यदि उसका बध
हो जाय तो स्तेन के दाघ से मुक्ति हो जाती है⁵ । 2। अथवा स्वयं को अमि में
झोंक दे या कठोर तथा बार-बार आवरण करे⁶ । 3। अथवा भोजन में

- | | | |
|--|----------|------------|
| 1. | -आ०ध०३०० | 1/5/17/21 |
| 2. | - बही | 1/7/21/8 |
| 3. सुरापोडनिस्पर्शा सुरा विवेत् ॥ | -बही | 1/9/25/3 |
| 4. | -बही | 1/10/28/1 |
| 5. स्तेन द्रुकाणकिशोरोऽसे मुसलमाधाय राजानं गत्वा कर्माद्वच्छीता।
तेनैन हन्यादूधे मोक्षा ॥ | -बही | 1/9/25/4 |
| 6. | -बही | 1/9/25/6-7 |

प्रतिदिन ह्रास लेते हुए अपना जीवन समाप्त कर दे । १४६ अपला एक उच्च तरंग
निरन्तर हृष्ट्र त्रै करे ।

शुद्ध प्रायशिचत्त - शुद्ध प्रायशिचत्त के लेख आपस्तम्ब ने 10 गांगे तथा
इस देवता के लाभ लेने का विधान लिया है^३ किन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने यह
स्वाष्ट नहीं किया है किंतु गांगे विस्को दो जायेगीं सम्भवन ये गांगे ब्राह्मणों
में ही दी जाती होंगीं क्योंकि आपस्तम्ब धर्मसूत्र में केवल ब्राह्मण को ही दा-
न ग्रहण ना अधिकार था।

शुद्ध वधवत् प्रायशिचत्त - आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार जौजा, गिर्गिट, मोर,
वृग्गाक, हस, भास, वेढ़, नेबला, गन्धपूषिणा इछून्दर, कुत्ता तथा दूध
देने वाली गांगे जा बैत को अकारण मारने पर शुद्ध के बध के समान प्रायशिचत्त
करने का विधान है^४। इस प्रकार के विधान दो देखकर दोषतार के

1. भक्ताष्वयेन बड़त्वानं समाप्नुयात् ।

-AT060200 1/9/25/8

2. कृष्णसबत्सर बा वरेत् ।

-बही 1/9/25/9

3. दश शुद्धे । शूषभेदप्रात्राधिक सर्वत्र प्रायशिचत्तार्थः ॥

-बही 1/9/24/3-4

4. -बही 1/9/25/14

निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि १। या जो यह गोचा जा सकता है कि वर्मशास्त्रकार ने शूद्र के जोवने से इन आपेक्षियों के जनन के दुल्य स्वोकार किया है अपना १२५ यह गोचा जा सकता है कि आषस्तम्ब ने तुच्छ से तुच्छ गोच जन्म के प्राणों से भा च्चना महत्व दिया है कि उनको मारने पर वहो प्राप्तिश्चत्त अभीष्ट होता है जो प्राप्तिश्चत्त हुल्म मनुष्णगोनि में अबस्थित शूद्र को मारने पर च्चना परता है ।

उपर्युक्त शूद्राधबत् प्राप्तिश्चत्तों के अन्तर्गत आषस्तम्ब ने उन जानवरों के निए इंजनमें अस्थिया नहीं होती है ४ शूद्र के बद के प्राप्तिश्चत्त के बराबर प्राप्तिश्चत्त का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त जिन दुरुष्णों को हत्या करने पर हत्या करने वाला अभिशस्त हो जाता है, उन न्यौरत्तों के शरीर का एक भूग काटने पर यदि उनका प्राण संकटाधन्न नहीं हाता तो आषस्तम्ब शूद्र सूत्र में शूद्राधबत् प्राप्तिश्चत्त का भी विधान आषस्तम्ब ने किया है² ।

अबकीणी का प्राप्तिश्चत्त - स्त्री समर्पक करने वाला ब्रह्मचर्यकी

ब्रह्मचारी अबकीणी कहताता है³ । सेवे ब्रह्मचर्य को भूग करने वाले ब्रह्मचारी के लिए आषस्तम्ब ने आक्यञ्ज की विधि से गर्दभ की बील देने का

1.

-आठ०शूद्रो

1/9/26/2

2. पेढ़वाभिशस्त्य तेषामेकाह.ग छित्वाऽप्तिश्चत्तिहसायाम् ॥

-बही

1/9/26/6

निपान चिया है तथा जादेशित चिया है फि, जस गर्भम् की बलि ना हच्छन करने
ने अजिंश्वट माँग को शुद्ध पुरुष तो भक्षण लाले । यदि उत्तराणी ग्रहमधारो
उक्त नियम तो नियमण लाला है तो एवं एवं तत् युक्त्वाद् गुरु तो सेवा
करे और केवल, चिन्तित के स्वाध्याय ते समय जावार्ग, जावार्ग मत्तो से केवल
प्रियो आच्छयाम् कार्य तो नियेदन लरते समय और मिष्ठाचरण के समय ही
बोले¹ । अथवा नाम और मन्त्र के लिए "कामो ऋषीत्" मन्त्रस्कार्जात् करते
हुए इब्न करे अथवा नाम और मन्त्र के मन्त्र का केवल जष करे² ।

उक्त के अतिरिक्त अथस्तम्ब ने उक्त सभो प्रायशिक्ततो के लिए
विणित प्रायशिक्तन्त के अतिरिक्त निम्न प्रायशिक्तत करना अत्याब्यक्तम् तना
है । उनका कथन है एक पबो वर तिल का भक्षण करके अथवा उषबास करके,
दूसरे दिन स्नान करे, प्राणायाम करके गायत्री मन्त्र का एक हजार बार जब
अथवा एवा प्राणायाम फिरे ही गायत्री मन्त्र का एक हजार बार जब करे³ ।

1. गर्भेनाऽबकीणी निर्वृति षाक्यत्वेन यजेत् । तस्य शुद्ध . प्राइनोयात् ।

मिष्याधात् प्रायशिक्ततम् । रबत्सरमाचार्यहिते बर्तमानो बाचं बछेत्स्वा-
ध्याय एबोत्सृजमानो बाचमायार्थ आयार्थदारे बा मिष्ठावर्य च ॥ ।

-ग्र0ध0सू0 1/9/26/8-11

2. काममन्त्रया बा हुहुवात्कामोऽकार्णीन्मन्त्रुर का वीर्दिति । जबेव्दा ॥ ।

-बही 1/9/26/13-14

3. वर्षीण बा तिलम्ब उषोदय बा इबोभूत उदकमुखसूर्य सामित्री
प्राणायामशस्त्रहस्त्रकृत्व आवर्तयेदप्राणायामशो बा ॥ ।

-बही 1/9/26/15

अथवा श्रावण महीने को बौद्धिमासी को तिल वा भक्षण करके या उषबास करके दूसरे दिन किसी बड़ी नदी में स्नान करे और एक सहस्र यात्रिक बृश की समिधा ऐं गायत्री मन्त्र का जप करते हुए अग्नि पर रखे अथवा एक सहस्र बार गायत्री मन्त्र जा जप तरे¹।

अभक्षयभक्षण श्रावणश्चिवत्त.— अभक्षयभक्षण करने पर आपस्तम्ब ने श्रावणश्चिवत्त यी व्यवस्था को है उनका मत है ये - १। हे निरिष्ठद भोजन का भक्षण करने वाला तब तक उषबास करे जब तक बेट मल रहित नहीं हो जाता । उनकी दृष्टि में बेट मलरहित सामान्यत लात रात्रियों में होता है । अतएव निरिष्ठद भोजन का भक्षण करने पर सात दिन तक उषबास का उन्होंने निर्धारि या है² । १२४ अथवा हेमन्त जौ- शिशिर ऋतुओं में श्रावण और साथ ठण्डे जल से स्नान करे³ । १३५ अथवा बारह दिन का कृच्छ्रवत्त करे⁴ ।

१. श्रावण्यां बा बौद्धिमास्यां तिलभक्ष - घोञ्य बा इबो भूते माहानदमुद कमुषस्कृष्य साँबि या समित्सहस्रमादध्याज्ज्वेधदा ॥

-आ०४०४० १/९/२७/१

२. अभोज्य धुक्तवा नैष्वुरीष्यम्* तत्सप्तरावणाऽवाप्ते ॥

-बही १/९/२७/३-४

३. हेमन्तशिशिरयोर्बौभयोस्सन्ध्योर्बौद्धकमुषस्कृशेत् ॥

-बही १/९/२७/५

४. कृच्छ्रवदादशरात्रं बा चरेत् ॥

-बही १/९/२७/६

परित्यागिक का प्राप्तिवत्त - जिसका उच्चनगन सम्भार न हुआ हो, अर्थात्
जिन्हे पापक्री न उष्टुदेश न आगा गया हो और इस प्रत्यार जो नामी हैं तथा
आर्च समाज से जहिष्कृत हैं उन्हे परित्यागिकों की जातें दी गई हैं। आवस्तम्ब
धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण धर्मिण एवं वैश्य के लिए उम से 16वें, 22वें तथा 24वें
बये तक उच्चनयन सम्भार ही अवधि रहता है, फिन्तु इन सोमाओं के उपरान्त
उच्चनयन न करने पर वे सामिक्री उष्टुदेश के अयोग्य हो जाते हैं और उन्हे नेदा-
ध्ययन लगाना निविध था एवं उनके पश्चो में जाना एवं उनसे सामाजिक सम्बन्ध
स्थापित करना बर्ज था¹ ।

आवस्तम्ब परित्यागिक के लिए प्राप्तिवत्त का विधान करते
हुए लिखते हैं कि "उच्चनयन की अवधि बोत जोन बर दो मास, तोन बेदो का
अध्ययन करने बालो को तरह ब्रह्मर्थ का ब्रत धारण करने पर उच्चनयन करके
प्रतिदिन तोन बार बर्ध भर स्नान करते हुए बेद का अध्ययन किया जा सकता
है² । इसके अतिरिक्त आवस्तम्ब धर्मसूत्र का कहना है कि यदि जिसके विता

1. तेषामभ्यागमनं शोऽनं विवाहमिति व बर्जयेत ॥

-अ T0४०४० 1/1/1/33

2. अतिक्रान्ते सामिक्रा शृत त्रैविद्यकं ब्रह्मर्थं वरेत्। अपोषनगनम् ।

ततस्सबल्त्तरमुदकोऽस्वर्णनम् ।+ अपाऽध्याप्य ॥

और पितामह जा उपनान न चित्रा गया तो तो ऐसे वार्ति 'ब्रह्महण' हो गते हैं तथा इनके साथ आमायिक सम्बन्ध भीजन, चिनाह आदि नहों जूना दार्शनिक तु गढ़ि वे गाहे तो उन्होंना ग्रापरिचत्त तो सज्जा है रे दों नास नोन जेहो ता ग्रध्यगत रने नातों नो तरह ब्रह्मवर्ष जा ग्रह धारण जग्ने के बाद उपनान फरेक ग्रतिपिन नोन बार लर्ष भर स्नान जरते हुए वेद जा आमायन कर माते हैं। आगे आमस्तम्ब ने लिखा है कि जितने छुब्बज अनुषेत हो उनमें ब्रह्मेक के लिए एक एक वर्ष जोड़ कर उतने वर्ष तक ब्रह्मवर्ष ब्रह्म का द्राघि उन्नत करे¹ कथा ब्रह्मिदिन पञ्चमवित्र के पदनित यच्च दूरक आदि सात ब्रह्मान मन्त्रों व्यारा सामधवित्र तथा जीड़ गरस आदि ले मन्त्रों से ऊँजलि से जल तेकर सिर पर सिङ्घवन करे²।

उत्त के अस्त्री रित आमस्तम्ब ने उन व्यक्तियों को जिनकी चार शीर्षियों में इर्षात् प्रशितामह, पितामह, पिता और रघु का³ उष्णमन होने का स्मरण नहीं है उन्हें शमशान कहा है इससे यह ध्वनित होता है कि आमस्तम्ब की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति वीत हैं। जिस ब्रह्मार शमशान के समीक्ष बेदाध्ययन ऋषि नहीं किया जा सकता उसी ब्रह्मार ऐसे उक्त वीत लोगों के समीक्ष बेदाध्ययन नहीं किया जाता था। आमस्तम्ब ने ऐसे लोगों के लिए भी

प्राणशिवत ता विद्यान फिल्हा है। प्राणशिवत का विधान अर्थते हुए सूत्रज्ञार का कथन है कि यदि ऐसे अविकृत चाहे तो उनका प्राणशिवत सम्भव है। प्रायर्हित इसलिए ऐसे व्यक्ति वारह वर्ष ता तीन तेजों के अध्ययेताम् प्रह्लदारी के ग्रन्त का शान्त करने, उन्नान करने आदि मन्त्रों से स्नान करने के बाद गृहस्थ के निमामों से उण्ठिछट किये जा सकते हैं। गरन्त इन हे रम्पूण्ड के द्वारा शिक्षा न दो जाग न त्वचात् गृह्यमन्त्रों का अध्ययन रमाप्त होने पर जान उन्नान गृह्यमन्त्रितङ्गम के बम्बन्ज में किया गया था, उस प्रकार फिल्हा जाय¹।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वृत्तिसामिन्त्रीक, विविहित प्रार्हित विधत्त को करने पुनः उभयनयन के गोप्य किसी भी अबस्था में दो सकता है।

अन्य प्रायशिवत - आषस्तम्ब ने अनार्य आचरण के दोषों, दूषरों पर दोष लगाने बाते, निषिद्ध आचरण का अनुसरण करने वाले, बर्जित नस्तु का भक्षण करने वाले, योनि के अतिरिक्त अन्धक्रम इअस्वाभाविक बीर्य स्खलन करने वाले, दोषुकृत जान बूझकर अप्तवा अनजान ही अभिवारिक कर्म करने वाले, स्नान करके तथा अौष्ठलड्य और बस्त्रण के मन्त्रों का भाठ करने पर शुद्ध होते हैं²।

1.

-आ०ध०३०

1/1/2/5-10

2.

-बही

1/9/26/7

उक्त के अतिरिक्त शूद्रा हो समोग करने वाले, ब्राह्मण पर धन देने
वाले, मादृ द्रुब का दान करने वाले, सबको ब्राह्मण का तरह बन्दना करने
वाले ३ लिए आपस्तम्भ ने प्राप्तिरित्त स्वरब घास धर लेन्डर अनो बीठ तथाने
का विधान किया है। व्या आपस्तम्भ वर्मून्न जहता है फिर यदि कोई ब्राह्मण
जनी जानोन्तका के लिए एकरात्रि शूद्र को सेवा करता है तो ब्राह्मण उस
जन और उन्हें वर्तुर्ध समय में स्नान जर तोन बर्दो में उस व्याप को दूर कर
पाजा है २।

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
बच्ठ अध्याय
दार्शनिक विचार
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

षष्ठ अध्याय

आपस्तम्ब धर्मसूत्र तथा सभी धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विवार, विधि, निषेध, नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना है। धर्मसूत्र नाम से ही सर्वपृथम धर्म की पुरुषानता बोधित होती है। भारतीय मनी-विद्यों ने मानव जीवन की नियोजना के अन्तर्गत पुरुषार्थ चतुष्टय के रूप में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार तत्त्वों को स्वीकार किया है। मानव जीवन का परम लक्ष्य मोक्ष है और भौतिक जीवन के लक्ष्य के रूप में काम को स्वीकार किया गया है। अर्थात् पुरुषार्थों की अवधारणा के मूल में भौतिक जीवन के लक्ष्य को काम के स्वरूप में मानते हुए उसके साधन के रूप में अर्थ को स्वीकार किया गया है और मानव जीवन के परम लक्ष्य जिसको अध्यात्म जगत् मोक्ष के रूप में स्वीकार करता है, की प्राप्ति में सहायक मार्ग के रूप में धर्म को मान्यता दी गई है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र का मूल प्रतिपाद्य धर्म है। आपस्तम्ब ने अपने धर्मसूत्र का प्रारम्भ जिस सूत्र से किया है उसमें धर्म को ग्रन्थ का मूल प्रतिष्ठाय माना¹ है। ग्रन्थकार के द्वारा अनुमन्य धर्म की परिरिधि संकीर्ण नहीं है अपितु धर्मशास्त्र के समस्त व्याख्याकारों को अपने धर्म के अन्तर्गत अधिगृहीत करते हुए

उन्हें प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है।

आपस्तम्ब ने वर्णाश्रम व्यवस्था को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। वर्णाश्रम व्यवस्था को वैदिक दर्शन के अन्तर्गत मूल आधार माना गया है। ग्रन्थकार ने आश्रम व्यवस्था के विश्लेषण के सन्दर्भ में चारों आश्रमों का विस्तृत उल्लेख किया है। आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास के स्वरूप के सन्दर्भ में शोध प्रबन्ध में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। आश्रमों के पारस्परिक क्रम के विषय में भी आपस्तम्ब के मत की समीक्षा की गयी है। संन्यास आश्रम का निस्मण करते हुए आपस्तम्ब ने उसी तर्फ का उल्लेख किया है कि व्यक्ति में जगत् के प्रति उदासीनता और आत्मतत्त्व के प्रति जिज्ञासा का प्रावल्य हो उठता है। ग्रन्थकार की यह अवधारणा वेदान्त दर्शन के अनुसर है। अतः यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि आपस्तम्ब धर्म सूत्र की आध्यात्मिक अवधारणा वेदान्त दर्शन के पर्याप्त निकट है।

ग्रन्थ के अन्तर्गत अनेक स्थलों पर स्वर्ग का उल्लेख आया है। स्वर्ग के ब्राह्म के रूप में ओंकार का उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं कि ओंकार स्वर्ग का ब्राह्म है अतः वेद का अध्ययन इस ओंकार शब्द से आरम्भ करना चाहिए²। स्वर्ग की मान्यता सम्बन्धी अवधारणाएँ पूर्वभीमासा दर्शन के अन्तर्गत पर्याप्त दृढ़ता से ग्रहण की गयी है। स्वर्ग कामों यजेत्। अर्थात् स्वर्ग की प्राप्ति की कामना से यज्ञादि करना चाहिए।

ग्रन्थकार को भी स्वर्ग की धारणा अभिष्रेत है अतः वेदान्त दर्शन के साथ ही साथ पूर्वमीमांसा का वह सिद्धान्त भी सूत्रकार को मान्य है जिसके अन्तर्गत यज्ञादि के व्यारा स्वर्ग प्राप्त किया जा सकता है । स्वर्ग का कथन सूत्रकार ने अनेक स्थलों¹ पर किया है, जिससे इस धारणा को पर्याप्त बल मिलता है कि पूर्व मीमांसा दर्शन के अन्तर्गत अनुमन्य यज्ञादि कर्मकाण्डों के कल स्वरूप प्राप्त होने वाले स्वर्ग को उसी रूप में स्वीकार किया है ।

आषस्तम्ब ने बुनर्जन्म के सिद्धान्त को भी स्वीकार किया है । सूत्रकार का कथन है कि बुनर्जन्म के बुण्यक्ल के शेष होने से कुछ लोग बुनर्जन्म लेने पर अबने वेद के ज्ञान के व्यारा ऋषियों के समान होते हैं² । इसी सन्दर्भ में आषस्तम्ब का कथन है कि इवेतकेतु ने बहुत अल्प अवस्था में चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था क्योंकि पूर्वजन्म के सरकारों के कारण अगले जन्म में पर्याप्त क्ल दृष्टिगत होते हैं³ ।

1. आ०ध०सू० १/२/५/१५, २/२/४/९, २/३/७/५, २/८/१८/४, २/९/२४/५

2. श्रुतर्षयस्तु भवन्ति केचित्कर्मक्लशेषणा बुनस्सम्भवे ॥

-आ०ध०सू० १/२/५/५

3. यथा इवेतकेतुः ॥

-वही १/२/५/६

कहने का तात्पर्य यह कि पुर्वजन्म का सिद्धान्त जो भारतीय दर्शन के मूल तत्त्वों में से एक है उसको भी आपस्तम्ब स्वीकार करते हैं। यदि यह प्रश्न है कि पुर्वजन्म को दर्शन का मूल तत्त्व कैसे कहा जा सकता है⁹ तो इसका उत्तर भारतीय दर्शन की वह अवधारणा है जिसके अन्तर्गत आत्मतत्त्व ही परम सत्य एवं त्रिकालावाधित स्वीकार किया गया है जिसमें माया, अविद्या आदि दो-बाँहों के कारण दुःख और जन्मजन्मान्तर की परिकल्पना की गई है। ग्रन्थकार ने आपस्तम्ब धर्मसूत्र में ही इन समस्त तथ्यों का निरूपण किया है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अन्य आध्यात्मिक तथ्यों का निरूपण अध्यात्म पटल के अन्तर्गत किया गया है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य बाह्य जगत् के विषयों से पराइ. मुख करके नित्य सत्य आत्मतत्त्व में इन्द्रियों या चित्त को लगाना है।

आत्मतत्त्व का स्वरूप- आपस्तम्ब ने इस विषय में उपनिषदों को प्रमाण माना है। सूत्रकार का सुस्पष्ट कथन है कि आत्मतत्त्व के विषय में उपनिषदों को अनुमन्य जो भी सिद्धान्त है, वही स्वीकार्य है²। इसी कारण अध्यात्म पटल के बडे ही सीमित सिद्धान्तों से युक्त किया व्याख्यात जब सूत्रकार यह स्पष्ट श्वीकार कर लेते हैं कि आत्मतत्त्व के विषय में आत्मज्ञान की प्राप्ति के महत्त्व के

1. अध्यात्मकान् योगाननुतिष्ठेन्यायसंहिताननेश्वरिकान्॥

-AT0ध०सू० 1/8/22/1

2. तत्राऽत्मलाभीयाऽच्छलोकानुदाहीरष्यामः॥

-वही

1/8/22/3

विषय में वही सिधान्त प्रतिपादित किये जायेंगे, जो उपनिषदों को स्वीकार्य है।

अतएव आचार विचार एवं कर्मकाण्ड के इस ग्रन्थ में आत्मतत्त्व का विशेष विवेचन नहीं किया गया है परन्तु किसी को यह सन्देह न उत्पन्न हो कि आपस्तम्ब के अध्यात्म सम्बन्धी कोई विचार ही न थे तथा अध्यात्म जगत् के सिधान्तों को उन्होंने अंगीकार नहीं किया है इसीलिए उन्होंने अपने ग्रन्थ में अध्यात्म पठ्ठ के अन्तर्गत कुछ मुख्य सिधान्तों का विवेचन करके अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया है ।

आत्मा के स्वरूप का विवेचन करते हुए सूत्रकार ने उल्लेख किया है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, क्षमतानाल के बिसतन्तु से भी सूक्ष्म है, सम्पूर्ण विश्व को अपने में समाविष्ट किए हुए स्थित है । पृथकी से अधिक ज्ञारी है और नित्य है, सत्य है । वह परमात्मा उत्पन्न होने वाले इस संसार के स्वरूप से भिन्न है¹ । इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि आत्मा एवं परमात्मा में सूत्रकार को कोई भेद अभिप्रेत नहीं है क्योंकि एक ही अर्थ में दोनों पद प्रद्वाक्त हैं और यही सिधान्त उपनिषदों को भी अभिप्रेत है । यदि इस सन्दर्भ में कोई मतभेद होता तो सूत्रकार निश्चय ही यहां उसका स्पष्ट उल्लेख करते । बल्कि विना भिन्नार्थक प्रयोग के एक

1. निषुणोऽणीयान् बिसोणार्या यस्सर्वमावृत्य तिष्ठति । वर्षीयांश्च पृथिव्या ध्रुवः सर्वमारभ्य तिष्ठति । स इन्द्रियैर्जगतोऽस्य ज्ञानादन्योऽनन्यस्य यज्ञात्पर-मेष्ठो विभाजः । तस्मात्कायाः पृभवन्ति सर्वे स मूलं शाश्वतिकं स नित्यः ॥

ही अर्थ में दोनों पदों का प्रयोग हुआ है। यही सिध्दान्त उपनिषदों को भी अभिप्रेत है। शंकराचार्य को भी यही सिध्दान्त अभिप्रेत है, आचार्य शंकर की विवरण नामक व्याख्या अध्यात्म पटल पर उपलब्ध है। जहाँ सुस्पष्टता कहते हैं कि आत्मा के ज्ञान के लाभ से बढ़कर कोई अन्य लाभ नहीं है¹।

इसी सिध्दान्त को आचार्य श.कर ने विस्तार से बृहदारण्यक उपनिषद के अन्तर्गत विचार्य बनाया है जहा जगत की पुत्रवित्तादि समस्त वस्तुओं को अनित्य एवं मृत्या घोषित करके आत्मज्ञान को ही सर्वोत्कृष्ट लाभ बताया है² और यह आत्मज्ञान कुछ और नहीं अपितु अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान मात्र है। छान्दोग्य उपनिषद में भी आत्मतत्त्व के इसी स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसके अन्तर्गत नित्य निर्मल, एकरस, अब्दैत आत्मतत्त्व का स्वरूप बताया गया है, जो त्रिकाला वाचित है।

आपस्तम्ब ने इवेतकेतु को अपने ग्रन्थ में ग्रहण करके और उनकी मान्यता को स्वीकार करके यह सुस्पष्ट संकेत कर दिया है कि छान्दोग्योपनिषद में वर्णित अध्यात्म का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

1. आत्मलाभाद् आत्मनः परस्य स्वस्मपुतिपत्तेःन परं लाभान्तरं विद्यते॥

-AT080820 1/8/22/2 पर श.करभाष्य

2. तदेतत् प्रेय. पुत्राद्॥

आत्मतत्त्व की व्यापकता - सूत्रकार के मतानुसार आत्मतत्त्व बुधिद सभी गुहा में शयन करता है¹ ।

सूत्रकार के अनुसार आत्मा सभी प्राणियों में नित्य अर्थात् अनश्वर शाश्वत रूप में विथमान है, अमर है, धूव अर्थात् विकाररहित है, ज्ञानस्वरूप है, अंगहीन तथा शब्द और स्पर्श गुण से परे है। सूक्ष्म शरीर से भी विर्णाति है। अत्यन्त शृङ्खल है वही सम्पूर्ण विश्व है, परम लक्ष्य है। शरीर के भीतर उसी प्रकार से अवस्थित है जिस प्रकार सत्र यज्ञ में विष्वुवत नाम का दिन मध्य में होता है। आत्मा उसी प्रकार सभी लोगों द्वारा प्राप्य है जैसे अनेक मार्कों से युक्त नगर में सभी लोग आते हैं²।

इस प्रकार सूत्रकार ने आत्मतत्त्व की नित्यता एवं पवित्रता को व्याख्यायित किया तथा उसकी सर्व व्यापकता पर विशेष बल दिया है। ब्रह्मदारण्यक उपनिषद्³ का भी कथन है "इदं सर्व यदयमात्मे"।

आत्मतत्त्व के लक्षण - आत्मतत्त्व के लक्षण पर प्रकाश डालते हुए सूत्रकार ने उपनिषदों में वर्णित आत्मा के लक्षण को उसी रूप में ग्रहणा कर लिया है। ब्रह्मसूत्र में भी आत्मतत्त्व के उन्ही लक्षणों का कथन है जिसे सूत्रकार स्वीकार करते हैं ।

१. कविरेतदनुतिष्ठेदगुदाशयम्॥

- आ०४०४०१८/२२/५

२. सर्वभूतेषु यो नित्यो विष्वश्रिवदमृतो धूव। अनह. गोडशब्दोऽशरीरोऽस्पर्शश्च-
महाऽच्छुचि॥

- वही १८/२२/७

३. वृ०३० ४/५/७

सूत्रकार का कथन है कि आत्मा सृष्टि का मूल कारण है नित्य है विकार रहित है और उसी परमात्मा से ही शरीर उत्पन्न होते हैं।

इसी लक्षण को उपनिषदों में आत्मा के तटस्थ लक्षण के रूप में अनेकधा उद्घृत किया गया है²।

अतः इस सन्दर्भ में इस तथ्य का स्वष्टितः उल्लेख किया जा सकता है कि उपनिषदों में अनुमन्य आत्मतत्त्व या ब्रह्म तत्त्व के जिन दो लक्षणों का उल्लेख मिलता है उन्हीं का अध्यरश समर्पण सूत्रकार भी करते हैं। ये दोनों लक्षण स्वस्थ लक्षण एवं तटस्थ लक्षण के रूप में कहे गये हैं। सूत्रकार के व्यारा उद्घृत आत्मतत्त्व का स्वरूप लक्षण हम उसे मानते हैं, जिन सूत्रों में आत्मा को ज्ञानस्थ, नित्य, अमर इत्यादि वदनों से वोधित किया गया है और तटस्थ लक्षण उपर्युक्त कथन के व्यारा लिखे जा चुके हैं जिसमें आत्मतत्त्व से ही समग्र शरीरों की उत्पत्ति का कथन हुआ है।

1. आ०ध०सू० 1/8/23/2

2. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ॥

आत्मतत्त्व के ज्ञान का महत्त्व - सूत्रकार ने आत्मा के ज्ञान के महत्त्व का मुक्तकण्ठ से गुणगान किया है। आपस्तम्ब का मत है कि जो व्यक्त शरीर में विद्यमान और चक्ष प्राण में अवस्थित उस अचल आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वह अमर हो जाता है। अन्यत्र आत्मज्ञान के महत्त्व का उल्लेख करते हुए सूत्रका का कथन है कि जो व्यक्त आत्मा का सतत चिन्तन करता है, सर्वत्र और सभी अवस्थाओं में उसके अनुकूल आचरण करता है तथा संशयरहित होकर सृष्टिसूक्ष्म आत्मा का दर्शन करता है, वह परलोक में समस्त दुःखों से मुक्त होकर निरन्तर सुख का अनुभव करता है²।

स्वर्ग एवं मोक्ष की अवधारणा - इसी सन्दर्भ में सूत्रकार का कथन है कि जो सभी प्राणियों को अपनी आत्मा में तथा आत्मा का दर्शन समग्र सृष्टि में करता है व ब्राह्मण अर्प्ति ब्रह्मविद् स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित और देवीप्यमान होता है³।

१. पू प्राणिन् सर्व एव गुहाशयस्य हन्यमानस्य विकल्मषस्य चल चलनिकेतं ये नुतिष्ठन्ति ते मृता ॥

- अङ्गोधोसू० । ८/२२/४

२. तं यो नुतिष्ठेत्सर्वत्र प्राध्व चा स्य सदा चरेत्। दुर्दर्श निपुणं युक्तो य पश्येत्स मोदेत विष्टप्ये ॥

- वही । ८/२२/८

३. आत्मन् पश्यन् सर्वभूतानि न मुह्येऽच्यन्त्यपन्कविः। आत्मानं चैव सर्वत्र य पश्यत्स वै ब्रह्मा वाकृपृष्ठे विराजाति ॥

- वही । ८/२३/१

सूत्रकार के उक्त कथन से यह शंका उठनी स्वाभाविक है कि 'क्या आत्मा का दर्शन करने से जिस अमरता का उल्लेख पूर्व में सूत्रकार ने किया है और सर्वत्र आत्मदर्शन करने से ब्रह्मविद स्वर्ग लोक में देवीप्यमान होता है, इस प्रकृत कथन से अमरता और स्वर्गलोक की अवधारणा के विषय में सूत्रकार को क्या कोई ऐसा अभिप्रेत है ?

समीक्षा .-

इस सन्दर्भ में यही कानना उचित होगा कि जब सूत्रकार ने आत्मा के विषय में उन्हीं समग्र मान्यताओं को स्वीकार किया है जो उपनिषदों में वर्णित हैं तो स्वर्गलोक का उल्लेख और अमरता की स्थिति के उल्लेख में किसी भी तरह का अभ्यास इन दोनों पदों व्यारा उल्लिखित अवस्था के विषय में सशय करना उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि सूत्रकार इस तथ्य से भलीभांति अवबुध्द है कि स्वर्ग लोक की स्थिति का जो कथन क्षुतियों में पर्याप्त रूप से पाया जाता है, वह पुण्यकर्म जन्म है और पुण्यकर्म के प्रभाव पर्यन्त ही स्वर्गलोक की कल्पना की जा सकती है। इसमें यह हेतु है कि जब स्वर्ग पुण्यकर्म के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली स्थिति है चाहे वे पुण्यकर्म स्वर्ग की कामना से किये गये यज्ञों से उत्पन्न हुए हो अथवा तप दण्डादि कर्मों के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुये हो तो जब तक इनके प्रभाव की सत्ता रहेगी तभी तक स्वर्ग लोक की भी स्थिति सम्भव है, क्योंकि यह कार्यकारण अथवा जन्यजनकत्व की परम्परा लोक में भी देखने को मिलती है।

गीता में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि षुण्यकर्मों के जीण होने पर जीव स्वर्गलोक से पुनः मृत्युलोक में प्रविहित हो जाता है। समस्त उधनिषदों में अमरता की स्थिति को आत्मस्वरूप का बोध कहा गया है। इसे ही अपर्गी, अमृततत्त्व तथा मोक्ष कहा गया है और इस स्थिति की धरिकत्वना नित्य, आत्मतत्त्व के ज्ञान के धरिणामस्वरूप की गयी है।

अतः अमरता में नित्य आत्मतत्त्व का ज्ञान हेतु है क्लस्वरूप अमरता त्रिकाला वाधित एवं नित्य अवस्था का वाचक है और स्वर्गलोक अनित्य-कर्म जन्य है। दोनों में भेद स्पष्ट है।

परन्तु सूत्रकार के व्दारा किये गये वर्णन में स्वर्गलोक के सुख का कथन तथा अमरता की स्थिति का कथन एक ही अर्थ से हुआ है और वह अर्थ मोक्ष या मुक्ति है। इस अवस्था को भारतीय दर्शन के अन्तर्गत अनेक घटों से अभिहित किया गया है— स्फूर्त्य योग एवं जैन दार्शनिक सम्प्रदाय में इसको कैवल्य कहा गया है।

वैशेषिक में इस अवस्था को अर्थार्ग के नाम से समझा जाता है ।

वेदान्त में इस अवस्था को मोक्ष या मुक्ति के रूप में अनेकाः कहा गया है । बौद्ध दर्शन इस अवस्था को निर्वाण के नाम से अभिहित किया है । संक्षेप में ये समस्त पद चाहे जिस सम्बुद्धाय के ब्दारा अधिग्रहीत किये गये हैं अन्ततः । इन सभी पदों का मन्तव्य एक ऐसी अवस्था से है, जिसको प्राप्त कर लेने पर व्यक्ति या साधक बुन् । इस जागरितिक दुःख से रहित हो जाता है । इसी स्थिति को सूत्रकार स्वीकार करते हैं और अपने ग्रन्थ में इसी का उल्लेख करते हैं । अतः यहाँ स्वर्गलोक या अमृततत्त्व की स्थिति में भ्रम करना कथमपि न्यायसंगत नहीं है । प्रमाण के रूप में सूत्रकार के इस कथन को उद्घृत किया जा सकता है- जहाँ वह कहते हैं कि प्राणियों को जलाने वाले अर्थात्- समस्त प्राणियों को दुःखी करने वाले काम क्रौधादि दोषों को नष्ट करके षण्ठित अर्थात् ब्रह्मविद् भ्रेम को प्राप्त करता है², यहाँ स्वष्ट है कि भ्रेम आत्मबोध के ब्दारा प्राप्त नित्य अवस्था है । हरदत्त ने भ्रेम शब्द का सुस्वष्ट अर्थ मोक्ष किया है³ जो समस्त दुःखमय रहित अवस्था है ।

१. आत्मन् षश्यन् सर्वमूतानि न मुह्येच्चन्तयन्कवि ।आत्मानं चैव सर्वत्र य
षश्यत्स वै ब्रह्मा नाक्षृष्टे विराजति ॥

-आ०४०४० । ८/२३/१

२. दोषाणां तु निर्धातो योगमूल इह जीविते ।निर्दृत्य भतदाहीयान् भ्रेम
गच्छन्ति । ४०४०५० : ॥

-वही । ८/२३/३

३. भ्रेमं अर्थं मोक्षम् अभ्यं वै जनक प्राप्तो सीति बृहदरुदण्डकम् ॥

सूत्र । ८/२३/३ पर हरदत्त की टिप्पणी

मोक्ष का स्वरूपः- मोक्ष के स्वरूप का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने अबना यह अभिमत व्यक्त किया है कि जो व्यक्ति निरन्तर आत्मा का चिन्तन करता है सदैव सभी अवस्थाओं में आत्ममय विचार रखता है और तर्क वितर्कों के ब्दारा सुनिश्चित रूप से, आत्मतत्त्व के स्वरूप के विषय में निर्भान्त होकर अर्पात् आत्मतत्त्व के स्वरूप के विषय में उसे किसी भी तरह की शंका नहीं उठती, उसकी सभी जिज्ञासायें समाप्त हो जाती हैं या आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। ऐसी सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करके साथक वर मलोक में सभी दुःखों से मुक्त होकर निरन्तर सुख का अनुभव करता है¹। श्रुतियों से उद्घृत इस कारिका में सूत्रकार का मोक्ष के विषय में यही सुस्पष्ट मत प्राप्त होता है।

आचार्य शह०कर ने अपने भाष्य में इस कथन को और भी सुस्पष्ट करते हुए उक्त कारिका की प्रतिष्ठित व्याख्या की है जिसके अन्तर्गत उन्होंने अपना मत व्यक्त किया है कि अविद्या के कारण जीववध्द होता है, इस संसार को ही सब कुछ मानकर उसमें आचरण करता है और आत्मतत्त्व के यथार्थ ज्ञान या अनुभव से अभिज्ञ रहता है किन्तु आत्मतत्त्व के विषय में जिज्ञासा होने वर चिन्तन

करते- करते इस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मतत्त्व का दर्शन करने में सक्षम हो जाता है ।

अन्तत अध्यात्म शास्त्र के सततचिन्तन् से समग्र उठने वाले सभी तर्कों का समाधान करके में ही आत्मतत्त्व हूँ ऐसा अनुभव करके आनन्दित होता है और यह आनन्द सार्वकालिक होता है ।

मोक्ष की स्थिति का वर्णन करते हुए सूत्रकार का यही मत है कि आत्मतत्त्व का ज्ञान ही मोक्ष है, यह आत्मतत्त्व का ज्ञान किस स्वरूप का है इस विषय में स्पष्ट करते हुए सूत्रकार का मत है कि निरन्तर आत्मतत्त्व का विचन्तन करता हुआ विव्वान् अर्थात् आत्मज्ञानी आत्मतत्त्व में समग्र ब्राह्मण को देखता हुआ कभी मोहित नहीं होता अर्थात् उसे आत्मज्ञान हो जाने पर भून कभी किसी भी ब्रूकार का सन्देह नहीं होता । कहने का तात्पर्य यह है कि सदैव आत्मानुभव होना ही अथवा जीव और आत्मतत्त्व का एकाकार हो जाना ही मोक्ष का स्वरूप है । इसका भाष्य करते हुए शंह.कराचार्य ने इसी कथन को और अधिक स्पष्ट करते हुए कहा है कि आत्मा में एकत्व दर्शन हो जाने पर भून अज्ञान उत्थन नहीं होता² क्रुतियों को उद्घृत करते हुए इस तथ्य की और भी पुष्टि की है³ । वृहदारण्यक उषनिषद् में भी मोक्ष के स्वरूप का कथन करते हुए, अविद्या

1. अहमात्मेति, समोदेत स्वं दृष्टवा हृष्मानन्द लक्षणं ब्राह्मनुयात् ॥

-आ०ध०स० 1/8/22/8 पर शाह.करमाघ

2. न ह्यात्मैकत्वदर्शिनो मोहावतार ॥

-वही 1/8/23/1 पर शाह.कर भाष्य

विनाश को ही मोक्ष कहा है स्वं जिस अवस्था को प्राप्त होकर पुनः इस जन्म और मृत्यु के बन्धन से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सूत्रकार ने उपनिषदों में वर्णित मोक्ष के स्वरूप को ही अंगीकार किया है । इस सन्दर्भ में सूत्रकार ने अपना कोई नया विचार प्रस्तुत नहीं किया है, न ही उसके स्वरूप में किसी तरह की विप्रतिपत्ति नहीं की । शाह०कर भाष्य के अनुशीलन से इस प्रकार हम और भी पुष्ट कर सकते हैं कि यदि सूत्रकार को आत्मा के स्वरूप में अथवा मोक्ष के स्वरूप में कुछ अन्य अभिप्रेत होता तो शाह०कराचार्य की तीक्ष्ण तर्क शक्ति व्याख्यात् किया ही विदीर्ण किया गया होता किन्तु उपनिषद भाष्यों की ही भाँति अबैतमत की प्रतिष्ठापना करते हुए आचार्य ने सूत्रकार के अभिमत को भलीभाँति व्याख्यात् किया है ।

मोक्ष प्राप्ति के उपाय:- आत्मतत्त्व के ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति के लिए सूत्रकार ने आध्यात्मिक योग का उल्लेख किया है । अध्यात्म षट्ल को प्रारम्भ करते हुए सर्वप्रथम सूत्रकार ने इसी आध्यात्मिक योग का उपदेश किया है, जिसके द्वारा मुमुक्षु इन्द्रियों की विषयों के प्रति आसीक्त अथवा विषयों के प्रति इन्द्रियों की उन्मुखता को घरावर्तित करके आत्मतत्त्व में एकनिष्ठ करता है । इस उल्लेख में

आध्यात्मिक योग का क्या स्वरूप होना चाहिए ? उसके अनुषालन की पद्धति क्या है ? कौन- कौन से इसके अंग हैं ? क्या षात्‌जलि योग आपस्तम्ब के आध्यात्मिक योग से अभिन्न है अथवा भगवान् कृष्ण द्वारा उषदिष्ट गीता का योग है या गीता में कहे गये योग के विभिन्न स्वरूपों कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग में से कोई एक है ? इस तरह के अनेक प्रश्न उठाये जा सकते हैं। सूत्रकार का सूत्र शैली में वर्णन उक्त आशङ्काओं का उत्प्रेरक है।

आध्यात्मिक योग के सन्दर्भ में उक्त जितनी भी शंकायें हैं उनका उत्तर शद्.कराचार्य के मत के आधार पर दिया जा सकता है- शद्.कर के अनुसार वाह्य जगत् से इन्द्रियों को पराह.मुख करके तथा क्रोध, मोह इत्यादि दोषों से रहित होकर अर्थात् चित्त के वाह्य निमित्ततों के प्रति अनपेक्ष हो जाना एवं आत्मतत्त्व के विषय में सर्वथा इकारहित होना ही आध्यात्मिक योग है।

अतः शद्.कराचार्य को ही इस विषय में प्रमाण मानना चाहिए। षात्‌जलि योग के विषय में उठायी गयी शद्.का का निराकरण तो कालक्रम के आधार पर ही हो जाता है क्योंकि सूत्रकार आपस्तम्ब, षात्‌जलि से पर्याप्त घूर्वता है। अतः यह मान लेना कि सूत्रकार का प्रभाव पत जलि पर भले ही पड़ गया हो, षात्‌जलि योगशास्त्र का प्रभाव उक्त आध्यात्मिक योग पर पड़े का प्रश्न ही नहीं उठता।

इस प्रकार आध्यात्मिक योग के स्वरूप के विषय में सूत्रकार का

यह कथन कि चित्त की वाह्य विषयों के प्रति होने वाली प्रवृत्ति को शून्य करके आत्मा के प्रति सतत चिन्तन ही आध्यात्मिक योग है, तर्कसंगत एवं समीचीन है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि चित्त को वाह्य विषयों से किस प्रकार पराहृष्ट किया जाय। इसके उपाय के स्वरूप में सूत्रकार का कथन है कि क्रोधहीनता, हर्ष का अभाव, रोष न करना, लोभ का न होना, मोह का अभाव, दम्भ रहित होना, द्रोह न करना, सत्यसम्भाषण, आहार विहार में स्थिर, प्राणि मात्र के प्रति प्रेत, आत्म-चिन्तन के प्रति मन को समाहित करना, विश्वआत्मा प्राप्ति में सहायक है। क्योंकि इन समग्र दोषों में प्रवृत्ति होकर जीव निरन्तर सासारिक कर्मों में विवेक-रहित होकर प्रवृत्ति होता रहता है। अनेक उचित अनुचित कामनाओं को करके उसकी प्राप्ति हेतु विवेकरहित आचरणकर्ता है। फलत् कामनाओं की प्राप्ति में हर्षार्थितरेक अप्राप्ति में दुष्टार्थितरेक जन्म सभी प्रवृत्तियाँ होती रहती हैं।

परिणामस्वरूप जीव इसी अज्ञान में सतत निरत रहते हुए जन्म और मृत्यु के महादुःख में भटकता रहता है।

इस प्रकार आध्यात्मिक योग के स्वरूप पर विचार करते हुए और उसकी प्राप्ति के मार्ग में आने वाली वाधाओं का उल्लेख करते हुए सूत्रकार ने

जो अपना अभिमत व्यक्त किया है। उससे यही सुस्पष्ट है कि केदान्त के अन्तर्गत आत्मतत्त्व के चिन्तन एवं आत्मदर्शन के प्रति हो उपदेश हुआ है उसी स्वरूप को इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। उपनिषदों में भी आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन का उल्लेख आया है¹।

इसी सन्दर्भ में उक्त इन्द्रिय सम्बन्धी दोषों को नष्ट करने का भी कथन किया गया है।

आध्यात्मिक योग के साधन - आध्यात्मिक योग के प्राप्ति के लिए किये जाने वाले कर्मों का पर्याप्त उल्लेख सूत्रकार ने सन्यासी के लिए उषदिष्ट कर्त्तव्यों के अन्तर्गत किया है। जिसका उल्लेख मैने शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत उसी प्रकरण में विस्तार से किया है।

आध्यात्मिक योग का मुख्य लक्ष्य ज्ञान प्राप्ति करना है क्योंकि ज्ञान से ही मानव जीवन के परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती है²।

1. आत्मावाऽरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्याशितव्यश्चेति॥

-२००२ 2/4/5

2. बुधे श्वसाप्णाम्॥

-आ०८०८० 2/9/21/14

अतएव अब यहाँ प्रश्न उठता है कि किन कर्त्तव्यों के व्यारा उक्त ज्ञान की प्राप्ति होगी इस सम्बन्ध में सूत्रकार का कथन है कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए- सत्य और असत्य का, सुख और दुःख का, वेदों का तथा लोक और परलोक का परित्याग करके व्यक्ति परमात्मा का ही चिन्तन करे¹।

ज्ञान प्राप्ति के लिए सूत्रकार ने शम दम इत्यादि का उल्लेख किया है। इन्द्रियों को वश में करके क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि सभी दोषों का परित्याग करके जितेन्द्रिय होकर परम साधक के रूप में सन्यासी होकर आत्म चिन्तन करना चाहिए। आत्म तत्त्व का श्रवण, मनन, निदिध्यासन करते-करते अन्ततः आत्मतत्त्व के वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है।

कहने का तात्पर्य यह कि शम दम यक नियमादि के व्यारा साधक गीता में कहे हुए स्थितप्रज्ञ की अवस्थाबाला होकर सदैव आत्म चिन्तन करता है तो ज्ञान की वह पराकाष्ठा उसे प्राप्त हो जाती है जिसमें पहुंच कर पृनः अज्ञान की मायाजाल में नहीं फ़सता है। फलतः आत्मतत्त्व का अपरोक्ष अनुभव

1. सत्यानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममु च परित्यज्या त्मानमन्वच्छेत्॥

हो उठता है। शंकराचार्य ने अपने विचारों में मोक्ष के जिन साधनों को स्वीकार किये हैं उनका मूल सूत्रकार के ग्रन्थ से उपलब्ध है। यह मूल और विशेष कोई सिद्धान्त नहीं है अपितु उपनिषदों में वर्णित सिद्धान्तों पर आधारित ही है।

अतः एवं संक्षेप में दार्शनिक चिन्तन के इस अध्यात्म के अन्तर्गत सूत्रकार ने जिन विचारों को प्रस्तुत किया है उसका निष्कर्ष हम यही मानते हैं कि दार्शनिक विचार पूर्णतया उपनिषदों से प्रभावित है। सूत्रकार का अपना पूर्पक कोई सिद्धान्त विकसित होकर प्रकाश में नहीं आ सका है। दूसरे शब्दों में ग्रन्थ के अन्तर्गत उपनिषदों से भिन्न कोई अन्य मान्यता का उल्लेख नहीं हुआ है।

सप्तम अध्याय

राजनीतिक एवं आर्थिक विचार

अति प्राचीन काल से ही धर्मशास्त्र के अन्तर्गत राजधर्म की चर्चा होती रही है क्योंकि संस्कृत साहित्य में धर्म शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में नहीं किया गया है। धर्म शब्द "धृ" धातु से निर्मित है। धृ धातु का अर्थ धारणा करना है। अतएव किसी भी वस्तु की धारणा करने की शक्ति को धर्म कहा जायेगा। धारणा शक्ति का अभिप्राय वस्तु के उस गुण से है जो वस्तु को अपने स्वरूप में स्थिर रखती है, जिसके न रहने पर वस्तु अपने स्वरूप से छुत हो जाती है। यह ज्ञातव्य है कि मनुष्य बनाये रखने वाले गुण मानव धर्म कहे जायेंगे, तथा मनुष्यों में जो व्यक्ति किसी विशेष प्रकार के उत्तरदायित्व से युक्त होगा उसका सामान्य धर्म भी उस साधारण से भिन्न होगा। धर्मसूत्र राजा और राज्य को उसके इसी धर्म के स्वरूप में चित्रित करती है तथा उसके इसी धर्म को निरूपित करने के लिये इन धर्मसूत्रों में राजधर्म शब्द का प्रयोग किया है। राजा तथा उसके धर्म से सम्बन्धित नियमों को राजधर्म की संज्ञा ब्रह्मण करके वर्णित करने का यही एक मात्र अभिप्राय है। इसलिये धर्मसूत्र धर्मवृद्धान होते हुए भी राज धर्म के सिद्धान्तों का विस्तार के साथ उल्लेख करते हैं। परन्तु भिन्न-भिन्न दृष्टि-निष्ठेष के अंतर के कारण इन धर्मसूत्रों में किसी में अधिक विस्तार तथा किसी में संकेत मात्र ही मिलता है। जहाँ तक आषस्तम्ब धर्मसूत्र का षड्इन है, उसमें राजधर्म विषयक बातों का उल्लेख संभिष्ट ढंग से किया गया है।

धर्मगुण्ठ मनुष्य का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति बतलाते हैं। इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ तथा काम ये तीन साधन माने गये हैं। इन तीनों का अवना अलग महत्व होते हुए भी अन्योन्याश्रित स्वरूप है तथा मनुष्य के अन्य आनुर्भविक प्रयत्न चाहे वे इन तीनों में से किसी एक साधन के अपर आधारित हों अपवा इन तीनों पर ही आधारित हों उसके अंतिम लक्ष्य की विष्णु में सहायक कहे जा सकते हैं। मनुष्यों के इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम राज्य है। अतः राज्य भी कुर्वित्रि प्रमोद्धृ की प्राप्ति के लिए एक आकर्षक और महत्वपूर्ण साधन है। इस महत्व को दृष्टि में रख कर ही धर्मसूत्रों ने उसके विभिन्न अंगों के कर्तव्यों पर प्रकाश डाला है।

राज्य के सबसे महत्वपूर्ण तत्त्व ॥१॥ स्वामी ॥२॥ शासन व्यवस्था ॥३॥ निश्चित भूमि सबं जनसंख्या माने गये। आषस्तम्ब को भी ये चारों तत्त्व विदित थे ।

राजा:- सूत्र युग मे राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था का ही पता चलता है।

१. वेमकृद्वाजा यस्य विष्ण्ये ग्रामे रण्ये वा तस्करभ्यं न विघ्नते ॥

-आ०ध०सू० 2/10/25/15

गुरुनमात्यांश्च नातिषीवेत् ॥

-वही 2/००/25/10

राजा वंश परम्परानुसार होता था । और राजषद वशानुगत था । सम्भवतः,

राजा के किसी प्रकार के निवाचन से सूत्र लेखक अनीभज्ज थे । आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी इस सम्बन्ध में मौन है । उसमें केवल राजा के गुण, कर्तव्य और शक्ति के बारे में ही बता चलता है ।

ऋग्वेद में राजा को देव माना गया है¹। यजुर्वेद में राजा को दिव सूरुः कहा गया है तथा साथ ही इसमें अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनके द्वारा राजा राज्य² की दैवी उत्पत्ति के सिधान्त की स्थापना की गई है²। इसी प्रकार का उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में भी प्राप्त होता है । तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार इन्द्र प्रजापति के द्वारा ही देवताओं के अधिष्ठित कराये गये³। मनुस्मृति, महाभारत, कौटिल्य अर्धशास्त्र में भी राजा की दैवी उत्पत्ति सिधान्त का प्रसिद्धादन किया गया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत के ब्राचीन साहित्य में राजा के दैवी उत्पत्ति के सिधान्तों का प्रसिद्धादन किया गया था ।

1. श० 4/1/2

2. यज० 21/9, 28/10, 30/10, 24/10

3. त० ब्रा० 10/2

जहाँ तक आषस्तम्ब धर्मसूत्र का प्रश्न है वह राजा की दैवी ।

उत्थीत्त के सम्बन्ध में मूक है किन्तु आषस्तम्ब का यह कहना कि देवताओं तथा राजा के विषय में कोई निन्दाप्रक वचन न कहे¹ से यह स्वरूप होता है कि आषस्तम्ब राजा के दैवी स्वस्त्र और दैवतुल्यता को स्वीकार करते हैं । यही बात दूसरे द्वा से गौतम ॥11/32॥ एवं मनु० 7/4-5 , मत्स्य०३० 226/9-12 में भी कही गयी है ।

सामान्य रूप से ध्रावीन भारत का राजतन्त्र वशानुक्रम घर आधारित था तथा ज्येष्ठ षुत्र को ही गद्दी मिलती थी । शतष्ठ ब्राह्मण ॥12/9/3/। एवं ३॥ ने दस धीरियों तक चले आते हुए राजत्व का उल्लेख किया है । ऋग्वेद ॥1/5/6, 3/50/3॥ ने इन्द्र के ज्यैष्ट्य घद की ओर संकेत किया है । आषस्तम्ब ने ज्येष्ठ षुत्र के महत्व का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है । इस आधार पर यह निष्कर्ष निकालना असंगत नहीं होगा कि आषस्तम्ब भी ज्येष्ठ षुत्र के राज्यारोहण के पक्षधर थे ।

। परुर्व चोभ्योर्देवतानां राज्यच ॥

प्राचीन भारत के राजनीतिक ग्रन्थों में राजा के गुणों
तथा उनमें अधिकृत योग्यता की विशेष प्रश्न दिया गया है। ब्राह्मण ग्रन्थों में
इस विषय में व्याप्त सामग्री उपलब्ध होती है। महाभारत में भी अनेक स्थलों
पर राजा के अभीष्ट गुणों का उल्लेख मिलता है। शान्तिसूर्व ५७०५ ने राजा
के 36 गुणों की सूचना दी है यथा- उसे प्रस्तुव वचन नहीं बोलना चाहिए, उसे
धर्मनिष्ठ होना चाहिए, दुष्टता से दूर होना चाहिए, हठी न हो, प्रिय वचन
बोले आदि, कामन्दक ५१/२१-२२५, मानसोत्तास ५२/१/२-७५, अग्निषुराण
५२३९/२-५१ ने भी गुणों का वर्णन किया है। जहाँ तक आषस्तम्ब का प्रश्न
है वे इस सम्बन्ध में भौन हैं।

सभी ग्रन्थकारों ने स्वीकार किया है कि राजा का प्रधान
कर्तव्य है ब्रजा रक्षण। गौतम¹ का कहना है कि राजा का विशिष्ट उत्तर-
दायित्व है सबको सुरक्षा प्रदान करना, वर्णाश्रिम को सुरक्षित रखना, उचित दंड
प्रदान करना। आषस्तम्ब धर्मसूत्र² ने भी राजा को ब्रजा रक्षार्थ युध्द करने के

1. गोधोसू० १०/७-८, ११/९-१०

2. ब्राह्मणस्वान्यविजिग्निमाणो राजा यो हन्यते तमाहुरात्मयूषो
यज्ञोऽनन्तदक्षिण इति। एतेऽन्ये शूरा व्याख्याताः ब्रयोजने युध्यमाना-
स्तनुत्यजः॥

लिये ब्रैरित किया है इवं आपस्तम्ब ने अपेक्षा की है कि उक्त कर्तव्य के अति-
रिक्त राजा को चाहिए कि वह अतिथियों विशेषकर वेदज्ञाताओं की सेवा
शुभुषा करें^१। अत्पथिक भोग वितास का जीवन व्यतीत न करें^२ पृजा की
सेवा में तत्पर रहे इवं पृजा की अभाव के कारण भूष, झीत, ताप आदि से रक्षा
करे अर्थात् पृजा की उन्नति इवं कल्याण में विशेष ध्यान दें^३।

उक्त के अतिरिक्त सूत्रकार ने राजा से अपेक्षा की है कि वह
पृजा को चोरों के भय से मुक्त करें^४।

१. तेषां यथागुणमावस्थाः शया ननषानं व विदेयम् ॥

-आधोसूत्र 2/10/25/9

२. गुरुमात्यांश्च नातिजीवेत् ॥

- वही 2/10/25/10

३. न चास्य विष्ये शुद्धा रोगेण हिमातषाभ्यां वा वसीदेदभावा-

दबुद्धिष्ठूर्व वा कथित्वत् ॥

- वही 2/10/25/11

४. क्षेमकृताजा यस्य विष्ये ग्रामेऽरण्ये वा तस्करभ्यां न विघ्नते ॥

- वही 2/10/25/15

ग्रामेषु नगरेषु चाऽऽर्याञ्छुचीन् सत्यशीलान् पृजागुप्तये निदध्यात् ॥

-वही 2/10/26/4

अतएव आषस्तम्ब व्यारा वीर्णत कर्त्तव्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजा को वेद का अध्ययन करने वाला, वृद्धसेवी, योग्य मन्त्रियों की नियुक्ति करने वाला, उचित दण्ड प्रदान करने वाला होना चाहिए¹। इतना ही नहीं आषस्तम्ब ने नैतिक नियमों की रक्षा तथा धर्म का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना राजा का परम कर्त्तव्य माना है। आषस्तम्ब के अनुसार राजा ऐसे शुद्ध को दण्ड दे जो युवती स्त्रियों पर दुर्भावनापूर्ण दृष्टि ढालता है एवं राजा को अधिकार दिया है कि वह व्यभिचार में वृवृत्त होने वाले शुद्ध की प्रजननेन्द्रिय को कटवा दे²।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने व्यभिचारी व्यारा दूषित की गयी कन्या का भरण घोषणा भी राजा का कर्त्तव्य माना है³।

1. आ०४०४०० 2/10/26/4, 2/5/10/7, 2/5/10/3

2. सन्निष्ठाते वृत्ते शिष्यनच्छेदनं सवृष्णास्य ॥

-आ०४०४०० 2/10/26/20

3. आ०४०४०० 2/10/26/24

आवस्तम्ब ने ऐसे राजा को कल्याणकारी माना है जिस राजा
के राज्य में ग्राम में अथवा बन में चोरों का भय नहीं होता ।

अमात्य १- राज्य के सात अंगों में दूसरा अमात्य है । आवस्तम्ब धर्मसूत्र^२ में अमात्य शब्द मन्त्री के अर्थ में प्रयुक्त हुआ । धर्मसूत्र का कथन है कि राजा को अपने गुरुओं एवं अमात्यों से बढ़ कर सुखदूर्वक नहीं जीना या रहना चाहिए^३ । अमात्य शब्द ऋग्वेद^४ में भी आया है किन्तु वहाँ यह विशेषण है जिसका अर्थ है "स्वयं हमारा" या "हमारे घर में रहने वाला" बौधायन धर्मसूत्र^५ । १२/७४ में अमात्य शब्द घर में कुसङ्ग सम्बन्धियों के पास के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है परन्तु

१. आ०४०सू० २/१०/२५/१५

२. "अमात्या मन्त्रणा" आ०४०सू० २/१०/२५/१० पर हरदत्त की टिप्पणी

३. गुरुमात्यर्थश्च नातिजीवेत् ।

-वही २/१०/२५/१०

४. श० ७/१५/३

आपस्तम्ब ने जो अमात्य शब्द मन्त्री के अर्थ में प्रयुक्त किया है वह वस्तुत सोक प्रचलित अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । अमरकोष १२५ में आया है कि अमात्य जो धी सचिव है मन्त्री कहलाता है । रामायण ४।/७।३५ में भी सुमन्त्र को अमात्य एवं सर्वश्रेष्ठ मन्त्री कहा गया है ।

आपस्तम्ब ने अमात्य का नामोल्लेख के अतिरिक्त उसके अधिकार एवं कार्तव्य के सम्बन्ध में कुछ उल्लेख नहीं किया है ।

मुरोहितः- आपस्तम्ब. धर्मसूत्र में मुरोहित के गुणों की तालिका उषस्तित की गयी है । मुरोहित का षड ऋग्वेद काल से अस्तित्व में था । वह राजा के आत्मा का अर्थ भाग समझा जाता था । महाभारत शांतिर्थ ४७४॥ का वर्णन मुरोहित की उपादेयता पर श्रुकाश डालते हुए कहता है कि जो राजा मुरोहित विहीन होता है वह अविवत्र के समान है । इसीलए राजा को चाहिएके धर्म को अच्छी तरह समझने वाले विव्दान् को नियुक्त करें । यदि वह अपनी उन्नति चाहता है, तो ऐसे निस्वार्थी और विव्दान् ब्राह्मण को जो भी भूमि वह विजय में द्वाप्त करता है, उसे सौष दे । अकेले राजा के लिये यह सम्भव नहीं कि वह अपनी शक्ति का धर्मानुकूल प्रयोग कर सके राज्ञिकित के निरपेक्ष भाव से प्रयुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि कोई निरवेद व्यक्ति राज्ञिकित

का मार्ग प्रदर्शन करें, इसीलिए निरपेक्ष पुरोहित राजा के प्रमुख सलाहकारों में आता है।

आषस्तम्ब ने पुरोहित को धर्म एवं अर्थ में पारंगत होना आवश्यक माना है¹। कामन्दक² के अनुसार पुरोहित को वेदों, इतिहास, धर्मशास्त्र का दण्डनीरि, ज्योतिष एवं भौविष्यवाणी शास्त्र तथा अर्पवेद में पाये जाने वाले शान्तिक संस्कारों में पारंगत होना चाहिए, उच्चकुल का होना चाहिए, शास्त्रों में विर्णित विद्याओं एवं शुभ कर्मों में प्रवीण स्वं तपः पूत हो।

आषस्तम्ब³ ने पुरोहित को नियम का अतिक्रमण करने वाले ब्राह्मणों के लिये प्रायश्चित्त व्यवस्था देने का अधिकार दिया है।

सभा-समिति:- आषस्तम्ब के समय तक षूर्वष्पित दो प्रकार की राज्य संस्थाये विद्यमान थीं- सभा और समिति⁴। इनको नरिष्ठा भी कहा जाता था। प्रतीत होता है कि सभा तो राजसभा या संसद के तुल्य थी और समिति वौर सदस्यों

1. राजा पुरोहितं धर्मर्थकुशलम् ॥

-आ०ध०सू० 2/5/10/15

2. का० नि० 4/32

3. आ०ध०सू० 2/5/10/16

4. सभा च या समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ सविदाने इअर्प 7/2/15
विद्व ते सभे नाम नरिष्ठा नाम वा अषि इअर्प 7/12/25

की लोकसभा भी जो राजकाज में राजा की सहायता करती थी ।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र में सभा, सभाभवन के लिये प्रयुक्त हुआ है¹ । दूसरे खेलने का भवन भी आषस्तम्ब धर्मसूत्र में "सभा" कहा गया है² तथा आषस्तम्ब ने छात्रों एवं स्नातकों का इन स्थलों पर व्रवेश वर्जित माना है³ । इससे यह स्पष्ट होता है कि आषस्तम्ब के समय में सभा का पूर्व स्वरूप वर्तमान नहीं रहा फँग उसकी कोई राजनीतिक उपयोगिता न रह गयी ।

1. दद्धिणोन वुरं सभा दद्धिणोदग्वदारा यपोभ्यं सन्दृश्येत बहिरन्तरं चेति ॥

-आ०ध०स० 2/10/25/5

समाया मध्येऽधिदेवनमुद्धत्या वोद्धया शान्तिनवेष्टुमान् वैमीत कान् यथार्थान् ।

आर्या : शुचव दूषीला दीवितारस्युः ॥

-वही 2/10/25/12-13

2. समाः समाकांश्चाऽगन्ता ॥

-वही 1/1/3/12

न्याय व्यवस्था.— प्राचीन काल से ही भारत में न्याय की प्रधानता रही है। समाज में काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि जो मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं उनके बशीभूत होकर, मनुष्य अपने धर्म का उल्लंघन कर अन्य व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं जिससे समाज में कलह तथा व्यवहार भावना की वृद्धि होती है। उसी कलह को रोकने के लिये प्राचीन काल में न्याय व्यवस्था का विधान किया गया था।

धर्मसूत्रकारों ने अपने आषको विधि-निर्माता गोप्ता, नहीं किया अपितु उन्होंने एवित्र ग्रंथों, आचारों, व्यक्तियों के कार्यों आदि पर आधारित धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की है। गौतम धर्मसूत्र में कहा गया है कि वेद तथा उन वेदों के ज्ञाताओं की स्मृति तथा उनके धर्मानुकूल आचरण धर्म का मूल है¹।

आषस्तम्ब धर्मसूत्र² में धर्म को जानने वाले वेद का मर्म समझने वाले व्यक्तियों का मत ही वेद का प्रमाण माना गया है। इससे यह छविट होता है कि धर्मसूत्रों में जो कुछ कहा गया है उसका आधार वेद ही है।

1. वेदो धर्ममूलम्। तदिददां च स्मृतिशीले॥

-गोधोसू० 1/1-2

2. धर्मज्ञसमयः प्रमाणम् ॥

-आ०धोसू० 1/1/1/2

इसी प्रकार धार्मिक ग्रन्थों, वरम्बरा तथा आचरणों भी न्याय के ग्रोत माने गये हैं। गौतम धर्मसूत्र के अनुसार राजा के व्यवहार के साधार हैं वेद धर्मशास्त्र, वेदांग, उष्वेद और बुराण वेदाद्वि के अनुकूल देश, जाति, कुल के धर्म प्रमाण हैं एवं अबने अबने वर्ग कृषक व्याषारी, गोषालक, महाजन और शित्यी भी प्रमाण होते हैं अतएव राजा को चाहिए कि उन वर्गों के अधिकार के अनुकूल नियमों को समझ कर धर्म की व्यवस्था करे।

आषस्तम्ब ने भी देश धर्म एवं कुल धर्म के आधार पर धर्म की व्याख्या का निर्देश दिया है²।

दण्ड व्यवस्था:-

अषराध की छ्रकृति के आधार पर दण्ड की व्यवस्था थी। निष्पक्ष न्याय करना एवं अषराधी को दण्ड देना राजा का कार्य था³। यदि राजा कि-सी अषराधी को दण्ड नहीं देता तो आषस्तम्ब के अनुसार वह घाष उसी को मिलता था⁴।

- | | |
|------------|-------------------------------|
| 1. गोध०सू० | 11/19-21 |
| 2. आ०ध०सू० | 2/6/15/1 |
| 3. वही | 2/10/26/4, 1/5/10/7, 1/5/11/3 |
| 4. वही | 2/11/28/14 |

कायाधिक्य के कारण राजा अन्य निणार्थिकों को नियुक्ति कर सकता था ।

इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब का कथन है कि अर्थी श्रुत्यर्थी के विवाद में विद्या से सम्बन्न, कुलीन, वृद्ध, वृद्धिमान तथा धर्मपाल में सावधान पुरुष निणार्थिक होवें।

न्यायालय के सम्भवतः उस युग में भी असत्य वक्तव्य देने वालों की कमी नहीं रही होगी। यही कारण है कि जिन लोगों की सत्यवादिता के सम्बन्ध में समाज को सन्देह नहीं होता था, उन्हीं को साक्षी बने के योग्य माना जाता था । साक्षी किस वृकार के हो इसका उल्लेख आषस्तम्ब ने नहीं किया है । साक्षी किस वृकार के होने चाहिए इस सम्बन्ध में साधारण नियम इस वृकार मिलते हैं कि— वे गृहस्थ हो, शुत्रवान् हो, कुल परम्परा से वहाँ के वासी हो धनी हो चरित्रवान् हो² एवं कौटिल्य ३/।। कात्यायन ३४४ ने व्यवस्था दी है कि सामान्यतः साक्षी को वश के वर्ण या जाति का होना चाहिए, स्त्रियों के विवाद में स्त्रियों को ही साक्ष्य देना चाहिए अन्त्यजों के विवाद में अन्त्यजों को साक्ष्य देना चाहिए ।

१. विवादे विद्याभिजनसम्बन्ना वृद्धा मेधाविनो धर्मविविनिवातिनः॥

-आ०४०५०

२५।।२९।५

२. मनु० सृ० ८/६।-६३, गौ०४०५० १३/२

गौतम १९/२१ का कथन है कि ऐतिहरों, व्याषारियों, चर्वाहों, महाजनों, शिल्पकारों के बर्गों के सदस्यों के बीच विवादों में उसी वृद्धि वाले सदस्य होते हैं एवं वे ही मध्यस्थता का कार्य कर सकते हैं।

कुछ कोटियों के व्यक्ति साक्षी बनने के योग्य नहीं माने जाते थे - अर्थ से सम्बन्धित लोग मित्र, साथी, जिसने पहले छूठी गवाही दी हो बाबी, दास, छिड़ान्वेषी, अधार्मिक, अल्पवयस्क, शराबी, पागल, असावधान व्यक्ति, दुःसित व्यक्ति, नपुंसक, अभिनेता, नारीस्तक, ब्रात्य, शूर्व शङ्कु, गुप्तचर, नर्तक, कीनाश, उषषातकी आदि।

उषर्युक्त से स्वष्टि है कि साक्षी के वक्तव्य देने के पहले उसकी योग्यता विचारणीय होती थी तथा साक्षी सभी वक्षों को स्वीकृत हो।

आषस्तम्ब के अनुसार इस प्रकार सबके ब्दारा स्वीकृत साक्षी को अपना वक्तव्य किसी विवित दिन ब्रात.काल, जलती हुई अग्नि के समवा, जल के

निकट राजा या न्यायाधीश की उपस्थिति में और सत्यासत्य का परिणाम सुन कर देना चाहता था¹।

साक्ष्य ग्रहण के उपरान्त मुख्य न्यायाधीश एवं सम्य लोग साक्षियों पर विचार विमर्श करते हैं। न्यायालय को इसका चता चलाना चाहता है कि किन साक्षियों पर विश्वास करना चाहिए और कौन से साक्षी कूट या क्षटी है। आपस्तम्ब ने निर्देश दिया है कि यदि साक्षी असत्य भाषण करे तो उसे दण्डित किया जाय तथा कहा है कि यदि साक्षी असत्य भाषण करता है तो उसे मृत्यु के बाद नरक प्राप्त होता है तथा सत्य भाषण करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं²। इतना होने पर भी आपस्तम्ब को विश्वास न था कि साक्षी सत्य बोलेगा ही अतएव उन्होंने

1. शुण्याहे प्रातरमाविधेऽषामन्ते राजवत्युभ्यतस्समाख्यायू सर्वानुमते
मुख्यस्सत्यं प्रशंसं ब्रूयात् ॥

-आ०ध०सू० 2/11/29/7

2. अनृते राजा दण्डं शुण्येत् । नरकश्चा त्राधिकः साम्वराये । सत्ये
स्वर्गस्सर्वमूलप्रशंसा च ॥

-बही 2/11/29/8-10

उन्होंने निर्णायिका को निर्देश दिया कि वे जो विषय सन्देहास्पद हो उन विषयों में अनुमान, दैव परीक्षण आदि साधनों से तथ्य का निर्धारण करें¹। एक अन्य स्थान पर आपस्तम्ब ने कहा है कि दिव्य प्रमाण से एव सांकेतिकों से प्रश्न करके राजा को दण्ड देना चाहिए²,

अब यहाँ प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि दिव्य किसे कहते हैं औ स्मृतिकारों के अनुसार दिव्य उसे कहते हैं जिसमें दैवी शक्तियों के ब्वारा सत्य का अन्वेषण किया जाय उदाहरणार्थ अग्नि में प्रवेश करने पर अग्नि यदि जलाती नहीं है तब अग्नि में प्रविष्ट होने वाले का कथन सत्य माना जाता है । दिव्य में दोनों पक्ष वादी तथा प्रतिवादी सम्मिलित रहते हैं, एक पक्ष दिव्य का आश्रय लेता है तथा दूसरा उसके निर्णाय को मानने का वचन देता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र 2/11/29/7 के आधार पर दो प्रकार के दिव्यों का उल्लेख प्राप्त होता है । यथा अग्नि का दिव्य एवं जल का दिव्य ।

1. सन्देहे लिङ् गतो देवेनेति विचित्य ॥

- अ०५०४०२० 2/11/29/6

2. सुविचित विचित्या दैवप्रश्नेभ्यो राजा दण्डाय प्रतिपथत ॥

-वही 2/5/11/3

याज्ञ० १२/१९५४, विष्णु धर्मसूत्र ५७/१४ एवं नारद ४/२५२

ने वाँच प्रकार के दिव्य कथा तुला, अग्नि, जल, विष सर्वं कोश एवं वृहस्पति तथा
षितामह ने नौ प्रकार के दिव्यों का उल्लेख किया है। प्रमुख दिव्यों का विवरणा निम्नवत् है :-

तुला का दिव्य.- तुला वरीक्षा में दण्ड के सिरों से रस्सी या श्रुंखला से बधे
हुए घलड़े लटकते थे एक तथा घलड़े वर शोध्य को बैठाकर उसे मिट्टी, ईटों तथा
प्रस्तर खण्डों से तोला जाता था। किर शोध्य को उतार दिया जाता था और
उसके व्यारा तुला की इन शब्दों में व्यार्थना की जाती थी - हे तुले तुम सत्य की
प्रतिष्ठा हो, देवता आँ ने इसीलिए तुम्हारी रचना की है। सत्य की घोषणा
करो। इस सन्देह से मुझे मुक्त करो माँ। यदि मैं वासी हूं तो मुझे नीचे ले
जाओ। यदि मैं शुद्ध हूं तो मुझे ऊपर ले जाओ। किर वह दूसरी बार घलड़े
वर रखा जाता था। एक ज्योतिषी वाँच घलों की गणना करता था। उसकी
दूसरी बार की तोल ले ली जाती है। यदि वह दूसरी बार घहली बार की
तुलना में कम ठहरता है तो उसे निरषराधी घोषित कर दिया जाता है। किन्तु
यदि वह ज्यों का त्यङ्गे अवा कुछ भारी ठहरता है तो, अवराधी माना जाता
है।

अग्नि का दिव्यः- अग्नि परीक्षा में अग्नि वस्त्रा वायु आदि के नाम पर । ६ अंगुल व्यास के ७ वृत्त गोबर से क्राकर उस पर कुश रख दिये जाते हैं और प्रत्येक में शोध्य को अधना बाँध रखना पड़ता था फिर अग्नि में १०८ बार धूत की आहुतियाँ दी जाती थीं । एक लोहार जाति का व्यक्ति आठ अंगुल लम्बा और ५० पल भारी लोहे को अग्नि में इतना तत्प करता था कि उससे चिनगारीयाँ निकलने लगे फिर न्यायाधीश सेत में अश्ववध की सात लंबाँ, चावल तथा दही को बाँधकर शोध्य के हाथों पर रख कर तप्ते लोहे के चमटे को रुक्ष देता था । उसे लेकर शोध्य वहले वृत्त से लेकर आठवें वृत्त तक मन्द गति से चलता था और नवें वृत्त वृत्त में उस लोहे को गिरा देता था । यदि शोध्य सेसा करने में कोई लिखिक वाहट नहीं करता तथा उसका हाथ अद्भुत रहता तो वह निरषराधी घोषित हो जाता था यदि लोहखण्ड आठवें वृत्त तक बहुचने से पूर्व ही गिर जाता या कहीं सन्देह उत्पन्न हो जाता था कि उसका हाथ जला कि नहीं तो उसकी पुनः परीक्षा होती थी ।

जल का दिव्य .- जल के दिव्य में न्यायाधीश एक तोरण कि, शोध्य के कान तक ऊंचा किसी जलाशय में छड़ा करता था । उस जलाशय में एक स्तम्भ-१५० हाथ गाढ़ कर किसी अभिभावत और सच्चरित्र व्यक्ति ऊँढ़ा कर दिया जाता था । न्यायाधीश वस्त्रा, धनुष और तीन बाणों की अर्चना चन्दन लेण आदि से

करता था । तब न्यायाधीश शोध्य को भी स्तम्भ के निकट उडे व्यक्ति के पास स्थित कर देता था। इसके उपरान्त धनुर्धर तोरण से लक्ष्य तक तीन बाण मेंकता था। जहाँ दूसरा बाण गिरता था, वहाँ एक व्यक्ति उसे लेकर बैठ जाता था। न्यायाधीश तीन बहर ताली बजाता था। तीसरी ताली के साथ ही शोध्य जल में उडे व्यक्ति की जाँध बकड़ कर डुबकी मारता था और न्यायाधीश के समीच उडा व्यक्ति तेजी से दूसरे बाण वाले व्यक्ति के पास दौड़ता था और उसके बहाँ घुंचते ही बाण वाला व्यक्ति न्यायाधीश के पास दौड़ आता था। वहाँ आने पर यदि शोध्य दिखाई नहीं देता था या केवल उसके सिर का ऊरी भाग मात्र दिखता था तो शोध्य निर्दोष सिध्द हो जाता था यदि कहीं वह उसके कान या नाक देख लेता था या उसे अन्यत्र बहतु हुए देखता था तो शोध्य अपराधी सिध्द हो जाता था।

विष्णु का दिव्य:- विष्णु के दिव्य में धूष आदि से महेश्वर की अर्चना कर उनके समझ रखे हुए विष्णु को शोध्य खाता था। यदि उस पर विष्णु का कोई अभाव नहीं पड़ता था तो उसे निर्दोष प्रमाणित किया जाता था।

कोष का दिव्य .- कोष के दिव्य में शोध्य के उग्र देवताओं ईयथा रुद्र, दुर्गा, आदित्य। की चन्दन शुष्क आदि से बूजा एवं उनकी मूर्ति को जल से

अभिषिक्त किया जाता था और अभिषिक्त जल को शोध्य को घिलाकर । ४

दिनों तक उसका परिणाम देखा जाता था कि उस पर कोई विषत्त बढ़ी की नहीं यदि उस पर कोई असाधारण विषत्त बढ़ती तो उसे अवराधी माना जाता था, अन्यथा वह निर्दोष ब्रमणित होता था।

तुण्डुल का दिव्य:- तण्डुल के दिव्य में शोध्य को सूर्य की मूर्ति के अभिषिक्त जल से धुला हुआ तण्डुल विद्या जाता था। उसे बीषल या मूर्ज की घृती पर धूकना बढ़ता है। यदि उसके धूक में रक्त पाया जाता था तो उसे अवराधी घोषित किया जाता था।

ब्रह्माष का दिव्य .- तत्त्व माष के दिव्य में सोलह अंगुल व्यास वाले तथा चार अंगुल गहरे ताम्र, लोहे या मिट्ठी के पात्र में धूत या तेल डाल कर उसे खौलाया जाता था फिर उसमें सोने का एक मासा तौल कर टुकड़ा डाल दिया जाता था। शोध्य को अगूठे स्वं तर्जनी तथा मध्यमा की सहायता से उसे निकालना होता था। यदि शोध्य की अंगुलियों में जलन नहीं होती थी तो शोध्य निर्दोष सिध्द हो जाता था।

तत्त्वमाष की एक दूसरी विधि में गाय के धी को तथाया जाता था और उसमें एक अंगूठी डाल कर धी से व्रार्घना की जाती थी हे धूत, आप

यज्ञो में विवित्रतम् वस्तु हैं। आष अमृत है। शोध्य यदि पाषी है तो उसे जलाइये, अन्यथा हिम की शीतलता प्रदर्शित कीजिये तब शोध्य अंगृठी को निकालता था यदि वह जल जाता था तो अवराधी अन्यथा निर्दोष सिध्द होता था।

काल का दिव्यः- काल के दिव्य में हल का काल इतना तपाया जाता था कि वह लाल हो जाता था फिर अवराधी को उसे अपनी जीभ से चाटना पड़ता था। जल जाने पर वह अवराधी और न जलने पर निर्दोष सिध्द होता था।

धर्म का दिव्यः- धर्म के दिव्य में धर्म और अर्थर्म के चित्र कृमशः इवेत सूचं कृष्ण वर्ण के भोजषत्र या वस्त्र छण्ड पर बनाये जाते थे उनको गोबर या मिट्टी के बिण्डो में रखा जाता था फिर उन बिण्डो को मिट्टी के नये वरतन में रखा जाता था तब शोध्य कहता था-॥"यदि मैं निरवराधी हूँ तो धर्म की मूर्ति या चित्र मेरे हाथों में आये"॥। वह उसमें से एक बिण्ड निकालता था। धर्माधर्म के अनुसार उसके दोषी होने या निर्दोष होने का प्रमाण माना जाता था।

दण्ड निर्णयः:- आषस्तम्ब के अनुसार राजा साक्षियों के आधार पर प्रश्न करके तथा शब्दप्रति दिलाकर अष्टराधि पर विचार करके दण्ड देता था¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि अष्टराधी को दण्ड देने का अधिकार केवल राजा को प्राप्त था। संदेह का लाभ हमेशा अष्टराधी को दिया जाता था यही कारण है कि आषस्तम्ब ने कहा है कि संदेह होने पर राजा दण्ड न दे²। धर्मसूत्र से यह भी भासित होता है कि तत्समय न्यायाधीश अष्टराधी को दण्ड देते समय अष्टराधी की शारीरिक स्थिति, अष्टराधि की प्रकृति, अष्टराधी के वर्ण एवं अष्टराधि की संख्या का ध्यान रखते थे³।

आषस्तम्ब ने अष्टराधी को शमा करने का भी उल्लेख किया है किन्तु मृत्यु दण्ड प्राप्त अष्टराधी को शमा नहीं किया जाता था। इतना ही नहीं आचार्य, ऋत्विज, स्नातक और राजा किसी अष्टराधी को जिसे मृत्यु दण्ड को छोड़ कर कोई अन्य दण्ड मिला हो शमा कर सकते थे⁴।

1. आषस्तम्ब 2/5/11/3

2. वही 2/5/11/2

3. वही 1/9/24/1-4, 2/10/27/11-13

4. आचार्य ऋत्विजस्नातको राजेति त्राणं स्युरन्यत्र वध्यात्॥

आषराधिक विधि .- आषस्तम्ब धर्मसूत्र में अषराध एव उनके लिए दिये जाने वाले दण्डों का विवरण निम्नवत् है ।

एक बलात्कार एव व्यभिचार:- समाज में बलात्कार एवं व्यभिचार को घटिणात अषराध माना गया है । अतएव इसके लिये मृत्यु, निष्कासन, सम्पत्ति का हरण अथवा जननेन्द्रिय को काटने का दण्ड दिया जाता था ।

आषस्तम्ब का कथन है कि यदि आमृषणाते आदि से अलंकृत युवक अनजान में ऐसे स्थान पर प्रवेश करता है जहाँ एक विवाहित स्त्री या विवाहित योग्य कन्या हो तो उसे ढाँट कर रोकना चाहिए । यदि वह ऐसा बुरी नियत से जान बूझकर करता है तो उसे दण्ड देना चाहिए¹ । इससे यह भास्त्रित होता है कि आषस्तम्ब की दृष्टि में आषराधिक मनाईस्थिति का होना दण्ड के लिए अत्यावश्यक है । अर्थात् कोई कार्य तब तक अषराध नहीं होता जब तक कि उस अषराधी व्यक्ति का आशय अषराध करना न रहा हो ।

आषस्तम्ब के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पर स्त्री से मैथुन करता है तो उसकी जननेन्द्रिय कटवा देनी चाहिए । किन्तु यदि उसने कुमारी कन्या

1. अबुधद्वूर्वमलह. कृतो युवा परदारमनुषविश्वन् कुमारीं वा वाचा बाध्यः ॥

के साथ मैथुन किया हो तो उसकी सम्बूर्ण सम्पत्ति का अपहरण कर उसे देश से निष्कासित कर देना चाहिए। उसके बाद ऐसी परस्त्री तथा कुमारी कन्या का मैथुन किये जाने से भल रक्षा तथा उनका भरण पोषण राजा का कर्तव्य है।

उबत के अतिरिक्त आपस्तम्ब का मत है कि यदि पृथम तीन उच्च वर्णों का बुरबु शुद्ध वर्ण की स्त्री से मैथुन करे तो उसे देश से निकाल देना चाहिए एवं यदि शुद्ध वर्ण का बुरबु पृथम तीन उच्च वर्णों की स्त्री से मैथुन करता है तो वह मृत्युदण्ड का भागी होता है।¹

इस सम्बन्ध में हरदत्त का मानना है कि यह दण्ड उस शुद्ध को दिया जाता है जो उच्चवर्ण की स्त्री का रक्षम बनाकर भेजा जाय और अक्सर वाकर उसके साथ मैथुन करे, अन्यथा परस्त्री संभोग के लिये जननेन्द्रियों के कटवा लेने का दण्ड पहले उल्लिखित है ही क्योंकि गौतम के अनुसार विद्याति स्त्री के साथ सम्भोग करने वार शुद्ध की जननेन्द्रिय कटवाकर उसकी सारी सम्पत्ति छीन ले। यदि वह शुद्ध उस विद्याति स्त्री का रक्षक हो तो बूर्वोक्त दण्डों के अस्तिरिक्त उसे वध का दण्ड भी दे²।

१. नाश्य आर्यशुद्धायाम्। वध्यशुद्ध आयाम्॥

-आ०ध०सू० 2/10/27/8-9

2. आ०ध०सू० 2/10/27/9 वर हरदत्त की टिप्पणी

आषस्तम्ब व्दारा ब्राह्मण के लिए वरस्त्री से मैथुन करने पर तीन वर्ष तक षट्ठित के लिए विहित प्रायशिचत्त के सदृश प्रायशिचत्त करने का उल्लेख किया है¹।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने गुरु पत्नी के साथ मैथुन करने वाले को अण्डकोष सहित जननेन्द्रिय को काटकर अपनी अंजलि में रखकर बिना रुके दीक्षणा दिशा को तब तक चलते रहने का निर्देश किया है जब तक वह गिर का मृत्यु को नहीं प्राप्त कर लेता²। उक्त प्रायशिचत्त के अतिरिक्त ऐसे अवराध करने वाले व्यक्ति के लिए जलती हुयी स्त्री प्रसिद्धि का आतिह.ग्न करके जीवन समाप्त करने का विधान किया है³।

१. सवर्णार्यामन्यष्टवर्धिणि सकृत्सन्निषाते षादः षततीत्युषदिशनित्॥

-आ०ध०सू० 2/10/27/1

२. गुरुत्वगामी सवृष्टां शिश्नं परिवास्याऽच्छलावा धाय दीक्षणाऽं दिशमनावृत्त व्रजेत्॥

-वही 1/9/25/1

३. ज्वलिता वा सूर्भि षीरच्छज्य समाप्त्यात्॥

-वही 1/9/25/2

४५। हत्या :- आषस्तम्ब के अनुसार शक्त्रिय की हत्या करने वाले अपराधी को अबना वाष दूर करने के लिए एक सहस्र गाये एवं एक बैल दान करना चाहिए उसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र का वध करने पर क्रमशः सौ गायों स्वर्ण एक बैल तथा दस गायों स्वर्ण एक बैल का दान करना चाहिए¹।

इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब ने शक्त्रिय एवं वैश्य वर्णों के वेदज्ञ विवदान्, ब्राह्मण आत्रेयी स्त्री के हत्यारे के लिये प्रायशिचत्त स्वस्म बन में एक कुटी बनाकर वाणी को रोकर, कुण्डे के ऊपर मनुष्य की छोड़डी रखकर तथा शरीर का नाभि से घुटने तक का भाग सन के वस्त्र रु के चौथाई भाग से आच्छादित कर रहने का एवं भिन्ना घर जीविका निर्वाह करने का विधान किया है²। आषस्तम्ब के अनुसार उक्त प्रायशिचत्त को वारह वर्ष तक करने के बाद यदि अपराधी चोरों के प्रार्थ में कुटी बनाकर रहता है और चोरों से ब्राह्मणों की अछूत गायों को छुड़ाने का प्रयत्न कर विजय बाने पर वह वाष से मुक्त हो

१०। शक्त्रियं हत्या गवां सहस्रं वैरयातनार्थं दथात् । शतं वैश्ये । दश शूदे ।
शुक्रमश्च त्राधिकः सर्वत्र प्रायशिचत्तर्थः॥

- आष्ट०३० 1/9/24/1-4

२०। अरण्ये कुटिं कृत्वा वाय्यतः शवीशिरध्वजो र्षशाणाऽष्टमधोनाभ्युषीर्जा-
न्वाच्छाय । सा वृत्तिः ॥

जाता है आपवा आश्वर्मेष का अवभूष्य स्नान करने पर पाष दूर होता है। घर्स्तु आषस्तम्ब ने गुरु वेदज्ञ तथा सोमयज्ञ का अन्तिम कर्म समाप्त कर लेने वाले श्रोत्रिय का वध करने वाले व्यक्ति के लिये उक्त प्रायशिष्ठत्त को आचरण अन्तमश्वास तक करने का विधान किया है क्योंकि उसकी मुक्ति मृत्यु से पूर्व सम्भव नहीं है²।

सूत्रकार के अनुसार शूद्र व्यारा किसी बुख की हत्या करने वर शूद्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति का अवहरण कर उसकी हत्या करने का निर्देश देते हैं तथा यदि ब्राह्मण इस आवाध को करते हैं तो उसके लिए विधान किया है कि उसकी आँखों को घट्टबन्ध आदि से इस प्रकार बन्द करा देना चाहिए कि वह जीवन भर देख न सके³।

मानहानि :- इस सम्बन्ध में आषस्तम्ब का कथन है कि यदि शूद्र, बृहत् तीन वर्णों के गुणवान् व्यक्ति की निन्दा करता है या उसको अषशब्द कहता है तो शूद्र की जीभ काट लेनी चाहिए⁴।

१. आजिष्पे वा कुटिं कृत्वा ब्राह्मणगव्यो षजिगीषमाणो वसेत्त्रः
ब्रृतिराधदो षजित्य वा मुक्तः। आश्वर्मेधिकं वा वभृप्मवेत्य मुच्यते॥

-आ०ध०सू० । / 9/24/21-22

२. गुरु हत्वा श्रोत्रियं वा कर्मसमाप्तमेतेनैव विधिनोत्तमादुच्छ्वासाच्चरेत्।
नास्या स्मल्लोके षुत्य षत्तिविष्टते। कल्मर्दं तु निर्हण्यते॥

-वही । / 9/24/24-26

३. आ०ध०सू० - 2/10/27/16-17

४. जिहवाच्छेदनं शूद्रस्याऽर्थं धार्मिकमाक्रोशतः।

चोरी :- आषस्तम्ब धर्मसूत्र मे चोरी के अवराध के लिये निम्न दण्ड की व्यवस्था की है। चोर अपने केश विखेरे हुए तथा कंधे पर मूसल रखकर राजा के घास जावे और उससे अपना कर्म बतावे। राजा उस मूसल से चोर के अपर प्रहार करे, उससे यदि उसका कथ हो जाय तो चोरी के घास से मुक्ति हो जाती है यदि राजा उसे छापा कर दे जो उसका पाप छापा करने वाले राजा को ही लग जाता है। इसके अतिरिक्त आषस्तम्ब का कथन है कि चोर स्वयं को अग्नि मे झोक दे अथवा भोजन मे इन्द्रियन ह्रास करते हुए अपना जीवन समाप्त कर दे।

क्षसल को नुकसान:- इस अवराध के सम्बन्ध मे आषस्तम्ब का कथन है कि गौशाले मे बंधे हुए पशु यदि तुड़ाकर या गौशाले से निकलकर किसी की क्षसल आदि ऊंठे ले तो उन पशुओं को धेरकर, क्षसल का स्वामी अथवा राजा के पुरुष कृष बना दे किन्तु पशुओं को अत्यधिक कष्ट नहीं देना चाहिए¹।

उक्त के अतिरिक्त आषस्तम्ब ने उन व्यक्तियों के वस्त्र के अवहरण का उल्लेख किया है जो व्यक्ति ईन्धन, जल, मूल, कूल, फल, धास, शाक आदि ^{जौ} जानवृज्ञ

1. हित्वा व्रजमादिनं कर्षयेत्पशुन् । नाऽतिषात्येत् ॥

नुक्खान बहुंचाता है।

वर्णगत नियमों का उल्लंघन.- वर्णगत नियमों एवं कर्त्तव्यों का उल्लंघन अवराध माना गया है और इस अवराध के लिए सूत्रकार ने दण्ड की व्यवस्था की है। आप-स्तम्भ का कथन है कि यदि शूद्र श्रध्म तीन वर्णों के बुख़रों के साथ वार्ताताथ में मार्ग में चलने में, शश्या, पर, बैठने के आसन पर तथा अन्य कर्मों में समानता का व्यवहार करे तो उऐ छण्डे से पीटने का दण्ड दिया जाना चाहिए।²

उक्त सन्दर्भ में आपस्तम्भ का मत है कि राजा इस प्रकार की व्यवस्था करे कि नियमों का उल्लंघन न हो यदि कोई व्यक्ति वर्णगत नियमों का उल्लंघन करता है तो राजा को चाहिए, कि वह उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को एकान्त में बंधन में रखे तथा जब तक वह अवराधी यह प्रतीज्ञा न करे कि मैं नियम का बालन करूँगा तथा निषिद्ध कर्मों से दूर रहूँगा तब तक उसे बन्धन में रखें। यदि वह अवराधी इस प्रकार की प्रतीज्ञा नहीं करता है तो उसे देश से निकाल देना चाहिए।³

1. आ०ध०स० 2/11/28/11-12

2. वाचि षष्ठि शश्यायामासन इति समोभवतो दण्डताळम्॥

-वही 2/11/28/15

3. नियमातिक्रमिणमन्त्रं वा रहसि बन्धयेत्। आसमाषत्ते;। असमाषत्तो नाश्यः॥

व्यावहारिक विधि -

व्यावहारिक विधि के अन्तर्गत आपस्तम्ब ने दाय भाग

एवं संविदा भग से सम्बन्धित विधि का निष्पाण किया है।

दाय भाग.--

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विक्तीय पटल में दाय भाग का

विवेचन किया गया है। दाय शब्द का अर्थ आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पैतृक सम्पत्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है¹। आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि पिता जीवन काल में ही पुत्रों में सम्पत्ति विभाजित करता था²। तथा सम्पत्ति का विभाजन शास्त्रोक्त विधि से किये गये विवाह से उत्पन्न पुत्रों के मध्य ही किया जा सकता था³। पुत्र न होने पर दाय का भाग सीषण्ड को प्राप्त होता था। इससे यह भासित होता है कि पुत्रहीन व्यक्ति की विधवा पत्नी सम्पत्ति की अधिकारिणी नहीं होती थी किन्तु आपस्तम्ब ने पुत्री को दाय का उत्तराधिकारिणी माना है⁴।

1. आ०ध०स० 2/6/2/11

2. वही 2/6/14/1

3. सवणार्पूर्वशास्त्रविहितायां यर्थु गच्छत् पुत्रास्तेषां कर्मभिस्सम्बन्धः।

दायेन वा यतिक्रमश्चोभयोः॥

-वही 2/6/13/1-2

4. पुत्राभावे य. प्रत्यासन्नः सीषण्ड। दुहिता वा ॥

-वही 2/6/14/2, 4

आपस्तम्ब के मतानुसार यदि सीपिण्ड का अभाव हो तो दाय का अधिकारी आचार्य होता है, आचार्य के भी न होने पर उसका शिष्य उस दाय को ग्रहण कर मृतव्यक्ति के नाम से धार्मिक कर्म में उस धन को लगावे अथवा स्वयं ही उस धन का उपयोग करे¹।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब का कथन है कि यदि दाय के अधिकारी सीपिण्ड और आचार्य आदि सब का अभाव होता है, तो सम्पत्ति राजा की हो जाती है²।

आपस्तम्ब ने अन्य आचार्यों के मत का उल्लेख किया है जिनके अनुसार सभी पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का उत्तराधिकारी होता है³। आपस्तम्ब कुछ देशों के नियम का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र को कुछ विशेष अंश प्राप्त होता था यथा रुद्रण, काले रंग के गाय बैल तथा पृत्वी से

1. तदभाव आचार्य आचार्यभावे न्तेवासी हृत्वा तदर्थेषु धर्मकृत्येषु वोपयोजयेत् ॥

-AT0ध0सू0 2/6/14/3

2. सर्वभावे राजा दायं हरेत् ॥

- वही 2/6/14/5

3. ज्येष्ठो दायाद इत्येके ॥

-वही 2/6/14/6

उत्पन्न काले रग के अनाज । इसी प्रकार रथ और काष्ठोपकरण पिता के अधिकार में ही रहते थे तथा आभूषण तथा अपने बन्धुबान्धवों से प्राप्त धन पत्नी का अँश होता था¹ ।

आपस्तम्ब को यह विचार मान्य नहीं है कि केवल ज्येष्ठ पुत्र ही दाय का अधिकारी हो । आपस्तम्ब ने वैवस्वत मनु के दाय विभाजन का उदाहरण देकर यही मत पुष्ट किया है कि उसने सभी पुत्रों में समान दाय भाग बांटा² ।

संविदा-भंग आपस्तम्ब धर्मसूत्र में संविदा भग के परिणामस्वरूप होने वाली हानि के लिये परितोष का उल्लेख प्राप्त होता है। सूत्रकार के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरे की भूमि कृषि कार्य हेतु लेकर उसमें कृषि कर्म नहीं करता, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि से फसल नहीं उत्पन्न होती तो यदि वह पुरुष धनी हो तो उससे सभावित फसल का मूल्य लेकर खेत के स्वामी को दिलाया जाय³ ।

1. देशविशेषे सुवर्णं कृष्णां गाव. कृष्णं भौमं ज्येष्ठस्य । रथःपितुः

परिभाण्डं च गृहे ॥

-आठ०सू० 2/6/14/7,8

2."मनु. पुत्रेऽयोदायंव्यभजः" वित्यविशेषेण श्रूयते ॥

-वही 2/6/14/12

3. षेषं परिगृह्योत्थानाभावात्पत्ताभावे यस्समृद्धस्स भावित तदपहार्य ॥

-वही 2/11/28/1

आपस्तम्ब के अनुसार यदि मजदूर अपना कार्य बीच में ही^० छोड़ दे तो उसे दण्ड स्वरूप प्रताडित करना चाहिए। आपस्तम्ब ने यही दण्ड उस चरवाहे के लिए भी कहा है जो बीच में ही कार्य छोड़ देता है । ।

उक्त के अतिरिक्त यदि चरवाहा बीच में ही कार्य छोड़ दे तो आपस्तम्ब ने दण्ड स्वरूप उससे दिये गये पशुओं को छीन कर दूसरे को देने का उल्लेख किया है। यदि पशुओं का रखवाला पशुओं को निगरानी करने के लिए लेकर उन्हें मर जाने दे या चोरों आदि से अपहृत हो जाने दे तो आपस्तम्ब ने दण्ड स्वरूप पशुओं का मूल्य स्वामी को देने का निर्देश किया है^२। इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब की दृष्टि में किसी कार्य को बीच में ही छोड़ देना अपराध है और सौक्ष्म भूमि के लिए उन्होंने परितोष की व्यवस्था की है।

1. अवशिनः कीनाशस्य कर्मन्यासे दण्डताङ्नम् । तथा पशुपस्य ॥

-आठ०सू० 2/11/28/2, 3

2. अवरोधनं चाऽस्य पशूनाम् । पशून्मारणे नाशने वा स्वामिभ्योऽवसृजेत् ॥

- वही 2/11/28/4, 7

आर्थिक विज्ञार

धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विद्धि, निषेध, नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना ही है। धर्मसूत्र नाम से ही सर्वप्रथम धर्म की प्रधानता बोधित होती है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र से भी इन्हीं आचार, विद्धि, नियमों का ही वर्णन प्राप्त होता है किन्तु इनके निस्पत्ता में आर्थिक तत्त्वों का भी यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त होता है, इन्हीं को सकलित करके तत्कालीन आर्थिक विवारों को प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है जो निम्नवत् है।

व्यवसायः— आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि व्यवसाय वर्ण आधारित था। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण विशेष के लिए विहित व्यवसाय से इतर व्यवसाय करते थे तो उनका सामाजिक वर्हिष्ठकार कर दिया जाता था। समाज में कृषि सूचना पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। साथ ही आपस्तम्ब धर्मसूत्र ३१/६/१८/१८५ में प्रयुक्त शिल्पजीव शब्द से स्पष्ट है कि तत्समय कला सूचना शिल्प लोगों का एक व्यवसाय था। साथ ही आपस्तम्ब धर्मसूत्र ३१/६/१८/२१५ से चिकित्सा व्यवसाय का भी उल्लेख प्राप्त होता है।

कृषि.— भारत भूमि कृषि के लिए उत्तम रही है। यहाँ की जलवायु कृषि की उन्नति से विशेष सुधा से साधक हुई है। यही कारण है कि यह देश कृषि प्रधान होकर रहा है। सूत्र युग में कृषि एक लोकप्रिय जीविकोपार्जन का साधन

था। यद्यपि कृषि कैश्य का साधारणता कर्म माना गया है फिर भी अन्य वर्ण के व्यक्तियों को भी कृषि कर्म की अनुमति थी। यद्यपि आपस्तम्ब ने कृषि पशुपालन तथा व्यापार को कैश्य का कर्म बताया है परन्तु उन्होंने ब्राह्मण को स्वयं उत्पादित मूँज, बल्व, घास, मूल और फल के विक्रय की अनुमति दी है इससे स्पष्ट होता है कि तत्समय अन्य वर्णों को भी कृषि कर्म की कुछ प्रतिबन्धों के साथ अनुमति थी।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में निम्न प्रकार के पौधों, वृथों सहं पुष्पों के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है।

१। १ बल्बज १/७/२१/१५ हरदत्त ने इसको तृण विशेष कहा है

२। १ करञ्ज १/५/१७/२६ हरदत्त के अनुसार यह रक्तलहसुन प्याज है

३। १ पलण्डु १/५/१७/२६ हरदत्त के अनुसार पलण्डु लहसुन है

४। १ परारीक १/५/१७/२६ शलजम

५। १ पिप्पली १/७/२०/१२

६। १ मरिच १/७/२०/१२

७। १ तिल १/२/७/१६/२२

८। १ मट्ट १/२/७/१६/२२

९। १ त्रीहि १/२/७/१६/२२

१०। १ यव १/२/७/१६/२२

॥११॥ मुञ्ज ॥१/१/२३,३५॥

॥१२॥ न्यग्रोध ॥१/१/२/३८॥

॥१३॥ पलाश ॥१/१/२/३८॥

॥१४॥ तमाल ॥१/१/२/३७॥

॥१५॥ तण्डुल ॥१/७/२०/१३॥

॥१६॥ शाणी ॥१/१/२/४०॥ शणस्य विकार शाणी - हरदत्त

॥१७॥ धौम् ॥७×२×२/४०॥ धुमा अतसी तस्या विकार धौमम् - हरदत्त

॥१८॥ तोकम् ॥१/७/२०/१२॥ तोकम् ईषदकुरितानि ब्रीह्यादीर्नि - हरदत्त

॥१९॥ ओदम्बुर ॥१/१/२/३८॥

॥२०॥ विभीतक ॥२/१०/२५/१२॥

भूमि व्यवस्था - आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विवेचन से तत्कालीन भूमि व्यवस्था का परिज्ञान होता है। धर्मसूत्र में भूमि को उत्पादन श्वेत्र के सम में माना गया है। गृह्य सूत्रों में¹ भूमि के दो प्रकार - उवर्द्धा एवं अनुपजाऊ भूमि का उल्लेख प्राप्त होता है परन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र में इस प्रकार का कोई उल्लेख दृष्टि-गोचर नहीं होता।

११ मुम्ज १/१/२३३,३५

१२ न्यग्रोध १/१/२/३८

१३ पलाशा १/१/२/३८

१४ तमाल १/१/२/३७

१५ तण्डुल १/७/२०/१३

१६ शाणी १/१/२/४० शणस्य विकार शाणी - हरदत्त

१७ धौम् ७×२×२/४० धुमा अतसी तस्या विकार धौम् - हरदत्त

१८ तोकम् १/७/२०/१२ तोकम् ईषदकुरितानि ब्रीह्यादीनि - हरदत्त

१९ ओदम्बुर १/१/२/३८

२० विभीतक २/१०/२५/१२

भूमि व्यवस्था .- आपस्तम्ब धर्मसूत्र के विवेचन से तत्कालीन भूमि व्यवस्था का परिज्ञान होता है । धर्मसूत्र में भूमि को उत्पादन क्षेत्र के स्म मे माना गया है । गृह्य सूत्रो में¹ भूमि के दो प्रकार - उवर्द्धा एवं अनुपजाऊ भूमि का उल्लेख प्राप्त होता है परन्तु आपस्तम्ब धर्मसूत्र मे इस प्रकार का कोई उल्लेख दृष्टि-गोचर नहीं होता ।

सूत्र साहित्य से स्पष्ट होता है कि भूमि पर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार होता है तथा उसे भूमि को दान देने, बेचने और पट्टे पर देने का अधिकार था। आपस्तम्ब भूमि को पट्टे पर देने के सम्बन्ध में भी वर्णन करने से नहीं चूके उन्होंने उल्लेख किया है कि यदि कोई व्यक्ति कृषि हेतु दूसरे का खेत लेकर उसमें खेती करने का न तो कोई यत्न करता है, उसके परिश्रम के अभाव में उस खेत से सभावित फसल नहीं प्राप्त होती तो वह पुरुष यदि धनी हो तो उससे सभावित फसल का मूल्य खेत के स्वामी को दिलाया जाय¹। इससे यह स्पष्ट होता है कि तत्समय भूमि कुछ निर्धारित शुल्क लेकर पट्टे पर दी जाती थी।

पशुपालन:- पशुपालन सूत्र युग में एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार पशुपालन वैश्य का प्रमुख कर्म है²। आपस्तम्ब धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्ति धन लेकर चरवाहे का कर्म करते थे। इस सम्बन्ध में आपस्तम्ब धर्मसूत्र ने निम्न नियम विहित किया है। यदि चरवाह बीच में काम छोड़ दे तो ऐसे चरवाहे को पीटना चाहिए अभाव उसे रक्षार्थ जो पशु दिये गये हों उनका अपहरण करके उन्हे दूसरे चरवाहे को दे देना चाहिये एवं यदि चरवाह

1. क्लें वरिगृह्योत्थानाभावात्प्लाभावे यस्समृद्धस्स भावि तदपहार्यः॥

-आ०४०४० 2/11/28/1

2. अत्रियवधैश्यस्य दण्ड्युधवर्ज कृषिगोरक्षयवर्णज्याऽधिकम्॥

-वही 2/5/10/8

पशुओं को मर जाने दे या चोरों आदि से अपहृत हो जाने दे तो वह उनका मूल्य स्वामी को दे ।

आय के साधनः:- राष्ट्र के सम्बर्धन हेतु आवश्यक होता था कि राजा अपने कोश में वृद्धि करे । उत्पादित वस्तुओं से कर प्राप्त करना आय का प्रमुख श्रौत था । धर्मशास्त्रों में भासि- भासि के करों का उल्लेख हुआ है । प्राय सभी सूत्रकारों ने कर प्राप्ति का उल्लेख अपने सूत्र ग्रन्थों से किया है । वौधायन ने उत्पादन का 1/6 भाग राज्य कोश के रूप में देने का आग्रह किया है² । इसी प्रकार वैसिष्ठ ने भी उत्पादन का 1/6 भाग राज्यकोश में करके के रूप में देने का आग्रह किया ।

सामान्यतः सभी उत्पादन वस्तुओं पर कर लगाया जाता था और सभी वर्ग के लोगों को उसका भुगतान करना पड़ता था, किन्तु कुछ लोग कर से मुक्त भी कर दिये जाते थे । आपस्तम्ब के अनुसार श्रोत्रिय, ब्राह्मण, स्त्रिया, बालक उस समय तक जब तक उनमें युवावस्था के चिन्ह प्रकट नहीं हो जाते तथा अध्ययनार्थ गुस्कुल में निवास करने वाले, धर्म के आचरण में संलग्न तपस्वी, शूद्र, नौकर, अन्धे, मूँगे, बहरे, रोगी तथा जिन लोगों के लिये धन ग्रहण करना शास्त्र

1. तथा पशुपत्य । अवरोधं च एव पशुनाम् । पशून्मारणो नाशने वा स्वामिभ्योऽवसृजेत् ॥

- अठ०सू० 2/11/28/3-4, 7

से निर्विध द है वे सन्यासी कर से मुक्त होते हैं।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि कर ग्रहण के लिए तीन उच्च वर्णों के व्यक्ति ही नियुक्त किये जाते थे । इनकी योग्यता के सम्बन्ध में आपस्तम्ब का कथा है कि ये ही परिवत्र आचरण वाले तथा सत्यवादी पुरुष हों²।

व्यापारः- सूत्रकाल में व्यापार निःसन्देह महत्त्वपूर्ण व्यवसाय था । धर्मसूत्रों में तीनों उच्च वर्णों के व्यक्तियों को कुछ प्रेषितबन्ध के साथ व्यापार की अनुमति दी गई है । आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार ब्राह्मण आपीत्त के समय उन वस्तुओं का व्यापज्ञ कर सकता है जिनका विक्रय करना विहित है । आपस्तम्ब के अनुसार मनुष्य रस, रंग, सुगन्धि, अन्न, चमड़ा, गौ, लाख, जल, हरा अन्न, सुरा की तरह के पदार्थ, पीपर, मीरच, अनाज, मौस, हथियार और अपने पुण्यफल का विक्रय, ब्राह्मण के लिये वर्ज्य है³ । उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने तिल और चावल का क्रय विक्रय ब्राह्मण के लिये विशेषस्थ से वर्जित किया है⁴ । इस सम्बन्ध

1. अकर. श्रोत्रिय । सर्ववर्णानां च स्त्रियः । कुमाराश्रव प्राक् व्यञ्जनेभ्य ।

ये च विद्यार्थी वसन्ति । तपस्विनश्रव ये धर्मपराः । शुद्धश्रव पादावनेकता ।

अनध्युक्तबिधिररोगाविष्टाश्रव । ये व्यर्था द्रव्यपरिग्रह है ॥ ।

हरदत्त का कथन है एक स्वां उगाये गये तिल और चावल के विक्रय में प्रतिष्ठेध का नियम नहीं है¹।

आपस्तम्ब ने जिन वस्तुओं को खरीदा न गया हो, जो स्वां उत्पादित है - मूँज, बल्वज घास मूल और फल एवं तृणों काठ का जिनसे काट छाट कर कोई उपयोगी वस्तु न बनायी गयी है विक्रय की अनुमति दी है²।

विनियमः- आपस्तम्ब धर्मसूत्र से वस्तु के विनियम सम्बन्धी नियमों का भी पता चलता है। आपस्तम्ब ने ब्राह्मणों के लिये जिन वस्तुओं का विक्रय वर्ज्य बताया था उनके विनियम का निषेध किया है परन्तु उन्होंने अन्न से अन्न का मनुष्यों से मनुष्यों का, रसों से रसों का, ग्रन्थों से ग्रन्थों का तथा विद्या से विद्या के विनियम की अनुमति दी है³।

१. स्वयमुत्पादितेषु नाड्यं प्रतिष्ठेध ॥

-आठ०सू० १/७/२०/१३ पर हरदत्त की टिप्पणी

२. अकृतपण्यैर्व्यवहरेत। मु जबल्बजैर्मूलफलै। तृणकाष्ठैरादिवकृतै ॥

-आठ०सू० १/७/२०*१६ रुप्त १/७/२१/१

३. अन्नेन चाडन्नस्य मनुष्याणां च मनुष्यै रसानां च रसैर्गनधानां च

गन्धैर्विष्वाया च विद्यानाम् ॥

-वही १/७/२०/१५

व्याज.- सूत्र ग्रन्थों में व्याज के लेन देन तथा उसके दर निर्धारण के सम्बन्ध में पर्याप्त विवेचन किया गया है। आपस्तम्ब धर्म १/६/८/१२ में वार्धुषिक शब्द का और १/९/२७/१० में वृद्धि शब्द का प्रयोग किया गया है। वौधायन धर्मसूत्र १/३/९३-९४ के अनुसार वार्धुषिक वह है जो सस्ते भाव से खरीदा हुआ अन्न देकर बदले में अधिक मूल्य वाला अन्न ग्रहण करता है।

रहन, बन्धक.- आपस्तम्ब धर्मसूत्र १/६/८/२० में आधि शब्द का प्रयोग हुआ है। आधि का तात्पर्य है चल सम्पत्ति के विषय में न्यास या अचल सम्पत्ति के विषय में बन्धक।

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र तत्कालीन आर्थिक विचारों को कुछ अर्थों में व्यक्त करता है।

अष्टम अध्याय

उपसंहार

उपसहार

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवेचित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विचारों एवं व्यक्त दार्शनिक तत्त्वों का समग्ररूप से निरूपण के पश्चात् सम्प्रति सिहावलोक्न के रूप में निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जा रहा है-

प्रारम्भ में अध्याय में सूत्र साहित्य पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि सूत्रकाल अध्ययन और चिन्तन की परम्परा का प्रतिनिधि है। भारतीय मनीषियों के लिए अपनी समृद्ध परम्परा, आचार, व्यवहार एवं कर्मकाण्ड से सम्बन्धित ज्ञान को सतत रखना एक समस्या थी, क्योंकि लेखन के अभाव में लुप्त होने की सम्भावना अधिक थी तथा वृहद् मन्त्रों को कण्ठस्थ रखना एवं शृंधता को बनाये रखना असम्भव था। फलतः इन कठिनाइयों के निराकरण हेतु सूत्र साहित्य की रचना की गई।

सूत्र साहित्य के सन्दर्भ में यह आलोचना करना कि इन रचनाओं में अनिवार्या अर्थ के विकास की कोई सम्भावनाये नहीं है, रचना की जटिलता इसकी सरलता को लुप्त कर देती है तथा ये अत्यधिक नीरस हैं तर्कसंगत नहीं है क्योंकि सूत्रों की इस विशिष्ट शैली के कारण ज्ञान निरन्तर अब तक अनुष्ठान करा जाता है।

कल्पसूत्रों के विवेचन से स्पष्ट है कि जहाँ श्रौतसूत्रों का स्वरूप कर्मकाण्डीय है वहाँ गृह्यसूत्रों में गृहस्थारम् में गृहस्थ के व्यक्तिगत जीवन के करणीय कर्तव्यों का विवेचन मुख्य रूप से हुआ है। साथ ही मासिक पर्वों पर किये जाने वाले कर्मों, वार्षिक कर्मों, आभिवारिक कर्मों का भी उल्लेख है। शुल्बसूत्रों में ज्यामिति का सम्पूर्ण विषय बोध रेखा, त्रिभुज, चतुर्भुज बृत्त, प्रमेय आदि का वर्णन उपलब्ध होता है।

धर्मसूत्रों की विवेचना से स्पष्ट होता है कि धर्मसूत्र, भारतीय धर्म के परिज्ञान के लिए अत्यावश्यक है। इतना ही नहीं धर्मसूत्र मनुष्य की प्रत्येक अवस्था, प्रत्येक स्थिति के आचरण का प्रतिपादन करता है। व्यक्ति के सामाजिक, पारिवारिक, वैयीकृतिक और पारिलौकिक सभी पक्षों पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूप से विवार करता है। व्यक्ति के लिए कर्तव्यों की दिशा देता है, जीवन के लक्ष्यों को प्रदर्शित करता है।

कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शार्हि से सम्बद्ध आषस्तम्ब धर्मसूत्र भी तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन को प्रतिबिम्बित करता है जिसका काल 600 ई० पू० से 300 ई० पू० के मध्य माना गया है। आषस्तम्ब के नाम से श्रौत तथा गृह्य सूत्र भी उपलब्ध होते हैं परन्तु पाश्चात्य लेखकों का मत है कि आषस्तम्ब धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र, श्रौतसूत्र के रखिता पृथक-पृथक आचार्य है। पाश्चात्यके

ये मत स्वीकार्य एवं विश्वसनीय नहीं है क्योंकि धर्मसूत्र, गृह्यसूत्र तथा शौलसूत्रों के आन्तरिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण कल्पसूत्र के रचयिता आपस्तम्ब ही हैं।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र तथा सभी धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विचार, विधि, निषेध, नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना है। धर्मसूत्र नाम से ही सर्वप्रथम धर्म की प्रधानता बोधित होती है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र भी आरम्भ में सामयाचारिक धर्मों को मुख्य प्रतिपाद्य विषय बताता है। धर्म के ज्ञाताओं की सहमति से व्यवस्थापित दैनिक आचार को सामयाचारिक धर्म कहा जाता है।

धर्म के सम्बन्ध में आपस्तम्ब का विचार अधिक आधुनिक और व्यावहारिक है। उन्होंने धर्म का मूल प्रमाण वेद को ही माना है, तथापि उसके साथ ही धर्मज्ञों की सविदा या सहमति द्वारा की गयी आचारव्यवस्था को मुख्य स्थान से प्रमाण माना है परन्तु आचार के सम्बन्ध में आपस्तम्ब ने सदैव विवेक से काम लेने की सलाह दी है क्योंकि महान् पुरुषों में भी कई दुर्बलताएँ होती हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आपस्तम्ब की दृष्टि में वेद, स्मृति का अधानुकरण मात्र धर्म नहीं अपितु स्वविवेक का आश्रय लेकर उसके पश्च एवं विपक्ष

पर सम्यक्समेण विचार कर आचरण क्या धर्म है ? इतना ही नहीं उन्होंने धर्म का आड़बर करने वालों से सतर्क और सावधान किया है । उनका वर्णन है कि "दुष्टों शठों, नास्तिक, वेदज्ञानहीन वर्गिक्तयों के बचनों से कुपित नहीं होना चाहिए और उनके धोखे में नहीं पड़ना चाहिए ।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब का मत है कि सदाचारी व्यक्ति जो आचरण करता है वह विश्वात्मा को प्राप्त करता है । वस्तुत आपस्तम्ब ने प्रत्येक प्रसंग में आचरण की शृंखला पर जोर दिया है जैसा कि आश्रम व्यवस्था के वर्णन सबं वर्णों के कर्तव्यों के प्रसंग में स्पष्ट किया जा चुका है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र में धर्म का स्वरूप कोरा आदर्शवादी नहीं है बल्कि नैतिकता, सदाचारिता, ज्ञानता और बौद्धिकता का समन्वय है ।

प्राचीन भारतीय धर्म, संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर वर्णव्यवस्था इतनी अधिक छायी हुई है कि जीवन के प्राय सभी विषयों पर वर्ण के आधार पर ही विचार किया गया है । छोटे-छोटे कर्मों में भी वर्ण-व्यवस्था के आधार पर पर्याप्त स्थापित किया गया है, जिसका कोई औचित्य

नहीं दिखायी पड़ता है। उदाहरण के लिए यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण; ऋत्रिय, वैश्य को आयु, दण्ड, आदि के अलावा भिक्षाचरण के लिए स्नबोधन का भी अलग-अलग निष्ठम बताया गया है। और प्रायश्चित्त, अपराध और दण्ड, मृत्यु या जन्म-विषयक अशौच भी वर्णानुसार निर्धारित किया गया है। वर्ण का विचार नैतिक भावना के ऊपर भी हावी होता दिखाई पड़ता है। भोजन और संभाषण के शिष्टाचार आदि से भी वर्ण के विचार को प्राप्तिकर्ता दी गयी है। वर्ण-व्यवस्था की इस कठोरता के बावजूद प्राणारक्षा और जीविका निर्वाह के लिए इसके उल्लङ्घन की भी अनुमति दी गयी है, किन्तु इस बात की चेतावनी दी गयी है कि दूसरे वर्ण के कर्म करते हुए भी उस वर्ण के निर्दिष्ट आचरण न अपनाये जायें। धर्मसूत्रों के काल में वर्णव्यवस्था पूर्णावस्था पर थी। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में तो समाधानिक धर्म की व्याख्या की प्रतिज्ञा कर पहला विवेच्य विषय वर्ण ही है।

आपस्तम्ब ने वर्ण का आधार जन्म को माना है। इससे स्पष्ट होता है कि आपस्तम्ब युग में जाति व्यवस्था सुदृढ़ हो गयी थी तथा गुण कर्मों के अनुसार वरण किये जाने वाला वर्ण क्रमशः जन्मना जारीत के रूप में परिणात हो गया था। इसी चिन्तन पर ब्राह्मण, ऋत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों परं अधिकारों का वर्णन आपस्तम्ब धर्मसूत्र में प्राप्त होता है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र के छिकेवन से स्पष्ट होता है कि समाज में ब्राह्मण को सर्वप्रमुख स्थान प्राप्त था तथा अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। इतना सब होते हुए भी आपस्तम्ब की दृष्टि में उक्त विशेषाधिकार केवल योग्य ब्राह्मण के लिये ही है क्योंकि उनका कथन है कि "जो ब्राह्मण वेदाध्ययन से सम्पन्न न हो उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित न किया जाय"।

धर्मसूत्रों का अवलोकन करते समय वर्णव्यवस्था के सम्बन्ध में सबसे अधिक चिन्ताजनक बिन्दु शूद्रों के प्रति उसका अन्याय और भर्त्सना से भरा हुआ दृष्टिकोण है/यद्यपि आपस्तम्ब धर्मसूत्र में शूद्रवर्ण की निम्न स्थिति का भान होता है तथापि आपस्तम्ब की दृष्टि में शूद्र उतना धृणित न था जितना की परवर्ती युग में होता गया। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक स्थलों पर शूद्र के प्रति उदारता एवं मानवता के दर्शन होते हैं। आपस्तम्ब ने शूद्र का अन्न भोज्य बताया है यदि वह धार्मिक हो। इतना ही नहीं शूद्रों की विद्या को अर्धवेद के ज्ञान का परिशिष्ट अंश माना है तथा कहा है कि इसका ज्ञान प्राप्त करने पर ही सभी विद्याओं का ज्ञान पूरा होता है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में नारी की समाज में स्थिति अत्यन्त विचित्र थी एक तरफ उसे सर्वशक्तिमान, विद्या, शील, ममता, यश और सम्पर्कित का प्रतीक समझा गया वही दूसरी तरफ उसको हेय दृष्टि से देखा गया उसको अनेक मामलों

में आश्रित एवं परतन्त्र माना गया है। इतना सब होते हुए भी कुछ विषयों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकार एवं स्वत्व रखती थी। स्त्रियों की हत्या नहीं की जा सकती थी और न वे व्यभिचार में पकड़े जाने पर त्याज्य थीं। मार्ग में उन्हें पहले आगे निकल जाने का अधिकार प्राप्त था। वे वेदज्ञ ब्राह्मणों की भाँति कर से मुक्त थी। परिवार की सम्पत्ति पर पत्नी को समान अधिकार प्राप्त था तथा स्त्रियों के ज्ञान को विद्या की अन्तिम सीमा माना गया है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में स्वतन्त्र रूप से केवल उपनयन, समावर्त्तन एवं विवाह संस्कारों का ही उल्लेख किया गया है। आपस्तम्ब ने उपनयन संस्कार के लिए आयु, काल इत्यादि में वर्ण के आधार पर भिन्नता स्पष्ट की है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह संस्कार का विवेक विस्तृत स्वं सार-गर्भित किया गया है। आपस्तम्ब की दृष्टि में विवाह का उद्देश्य है कि पत्नी, पति को धार्मिक कृत्यों के योग्य बनाती है तथा सन्तानोद्धरित व्यारा पति की नरक से रक्षा करती है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह के छ भेदों का ही उल्लेख किया गया है, जब कि सामान्यतः आठ भेद धर्मसूत्रों में वर्णित हैं। ये छ भेद हैं- ब्राह्म, आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर और राक्षस। प्राजापत्य तथा पैशाचीविवा-

के विषय में यह धर्मसूत्र मौन है । इसका कारण सम्भवत् पैशाच विवाह का धर्मशास्त्र ग्रन्थों में अत्यन्त निन्दनीय माना जाना है । जहाँ तक प्राजापत्य विवाह प्रकार का प्रश्न है ब्राह्म विवाह पुणाली और प्राजापत्य विवाह पुणाली में कोई विशेष अन्तर न था । यही कारण है जिससे आपस्तम्ब ने प्राजापत्य विवाह पुणाली का उल्लेख नहीं किया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में विवाह की परिव्रता पर जिस कारण से अत्यधिक जोर दिया गया है वह स्पष्ट है कि ऐसा विवाह होता है, जैसा ही पुत्र होता है- "पथायुक्तो विवाहस्तथा युक्ता प्रजा भवति" 2/4/12/4 । आपस्तम्ब धर्मसूत्र में एक पत्नीत्व की प्रवृत्ति को प्रमुखता प्राप्त हुई है - "धर्मपूजा-सम्पन्ने दारे नाऽन्यां कुर्वीत" 2/3/11/12

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में नियोग को हेय ठहराया गया है जब तिक गौतम, बौद्धायन १२/२/१७/६२ और वसिष्ठ नियोग को प्रशंस्त मानते हैं ।

समाज के उत्थान, विकास एवं पतन शिक्षा की व्यवस्था के ऊपर आधारित रहता है । सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा वैज्ञानिक प्रगति शिक्षा की समुचित व्यवस्था अभाव में सम्भव नहीं । इसी कारण भारतीय मनीषों ने शिक्षा की व्यापकता स्वरूप उपयोगिता को ध्यान में रखकर उसे महत्त्व प्रदान किया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भी शिष्या के प्रत्येक आयाम पर सम्यक्स्मेण विचार किया गया है ।

अध्ययन एक तप है अत इसके लिए वातावरण की अनुकूलता, मानसिक शान्ति एकाग्रता, पवित्रता तथा आचरण के नियमों का पालन अत्यावश्यक है इसीलिए धर्मसूत्र में विद्वार्थी के तपोभय जोवन की रमरेखा स्पष्ट की गयी है ।

आचार्य के लिए भी उसका आचरण प्रधान होता है । अतएव आपस्तम्ब ने आचार्य के लिए अनेक नियमों की व्यवस्था की है । आचार्य के धर्मभृष्ट होने पर आपस्तम्ब ने उसके त्याग का विधान किया है । इसके अतिरिक्त आपस्तम्ब ने शिष्य को बिवेक से कार्य करने की सलाह दी है तथा इस प्रसंग में निर्देश दिया है यदि गुरु की आज्ञा का पालन करने से पतनीय कर्म का दोष होता है तो उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए ।

आपस्तम्ब ने शिष्य के प्रति गुरु के कर्तव्य को महत्त्वपूर्ण माना है उनका कथन है कि गुरुशिष्य को पुत्रवत् माने, हृदय से उसकी उन्नति की कामना करे और ईमानदारी के साथ विद्या प्रदान करे । गुरु शिष्य का किसी प्रकार से शोषण न करे । गुरु जब शिष्य को विद्या प्रदान करने में प्रमाद करता

है तो वह गुरु नहीं रह जाना और शिष्य को चाहिए ऐसे गुरु का त्याग कर दे।

वस्तुतः आपस्तम्ब धर्मसूत्र में गुरु शिष्य सम्बन्ध जो वन के प्रमुख लक्ष्य की स्थिति की ओर उन्मुख है। यह केवल जीविका या औपचारिकता का सम्बन्ध नहीं है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में भोजन सम्बन्धी नियमों एवं प्रतिबन्धों के विषय में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है। धर्मसूत्र में भोजन की शुद्धता पर पर्याप्त जोर दिया है। इस काल तक शूद्र छदारा स्थृष्ट भोजन अभोज्य माना जाने लगा। शिल्पियों, चिकित्सा एवं व्याज देकर जीविका निवाह करने वाले व्यक्तियों का अन्न भी अभोज्य था। आपस्तम्ब के अनुसार गाय तथा बैल का मास अद्यथा।

आश्रम व्यवस्था हिन्दू संस्कृति का मुख्य स्तम्भ है। आश्रमों की कल्पना हमारे ऋषियों ने मान, जीवन को नियमित, संयमित एवं आध्यात्मिक बनाने के लिए की है। आश्रम व्यवस्था पर आपस्तम्ब धर्मसूत्र में पर्याप्त जोर दिया गया है। आश्रमों की व्यवस्था संस्कारों की आधारभूमि पर की गई है। आपस्तम्ब का कथन है कि जिस प्रकार उत्तम और अच्छी प्रकार जोते हुए खेत

में पौधों और वनस्पतियों के बीज अनेक प्रकार के फल उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार ग्रन्थाधानादि संस्कारों से युक्त व्यक्ति भी फल का भागी होता है । इसी पृष्ठभूमि पर आपस्तम्ब धर्मसूत्र में चार आश्रमों का निम्नक्रम में उल्लेख प्राप्त होता है- गार्हस्थ्य, आचार्य कुल में निवास, मौन अर्थात् सन्धास, वानप्रस्थ ।

इस प्रकार आपस्तम्ब व्यारा गृहस्थाश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है । वस्तुत गृहस्थ आश्रम की महत्ता के कारण ही गृहस्थ आश्रम का प्रथमत उल्लेख किया गया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र से ज्ञात होता है कि व्यक्ति को क्रम से चारों आश्रमों में निवास करना अनिवार्य नहीं था अपितु आपस्तम्ब की धारणा थी कि कोई व्यक्ति जिस आश्रम में रहना चाहे उसमें रह सकता था परन्तु ब्रह्मचर्याश्रम में निवास सबके लिये अनिवार्य था ।

ब्रह्मचर्याश्रम उपनयन संस्कार से आरम्भ होता है । उपनयन का मुख्य प्रयोजन विद्यागृहण है एतदर्थं ब्रह्मचर्यावस्था का मुख्य लक्ष्य अध्ययन है । अध्ययन एक तप है अतएव इसके लिए उचित स्थान, एकाग्रता का होना अत्यावश्यक है इसी कारण से ब्रह्मचारी के जीवन को अत्यन्त व्यवस्थित, संयमित और नियम-बद्ध करने के लिये आपस्तम्ब ने अनेक नियम विहित किये हैं ।

गृहस्थाश्रम के वर्णन में आपस्तम्ब ने गृहस्थ के धर्मों एवं कर्त्तव्यों की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। इसी प्रसंग में अतिथि सत्कार को गृहस्थाश्रम का एक प्रधान कर्त्तव्य कहा है तथा अतिथि की पूजा को शान्ति और स्वर्ग की प्राप्ति का साधन माना है। अतिथि सत्कार के नियम में यह निर्देश किया गया है कि अतिथि के आने पर उठकर उसकी अगवानी करनी चाहिए और अवस्था के अनुसार उसका आदर करना चाहिए। वस्तुतः अतिथि सत्कार के पीछे हमारे शास्त्रकारों की उदात्त भावना छिपी है, दया के व्यारा महावस्माज का सम्बद्धन करने की यह भारतीय परम्परा है। इसी भारतीय परम्परा से यात्रियों को एवं यतियों को पर्याप्त आतिथ्य मिलता आ रहा है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सन्यास एवं वानप्रस्थ आश्रमों की भी विस्तृत वर्चा प्राप्त होती है। सन्यास आश्रम को महत्त्वपूर्ण माना गया है। वानप्रस्थ को केवल गृहस्थ और सन्यास आश्रमों के बीच की कड़ी कहा जा सकता है। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम के लिए ब्रह्मचर्याश्रम विशेष तैयारी का समय है उसी प्रकार सन्यास के लिए तैयारी और दीक्षा का समय है वानप्रस्थ। सन्यास नितान्त आध्यात्मिक उद्देश्य का आश्रम है। जिसका लक्ष्य है भौतिक जगत् के ऐन्द्रिक सुखों से विमुड़ होकर इन्द्रियों और मन को वश में करके अंतिम लक्ष्य ईमोक्ष ही प्राप्ति।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में सर्वत्र सदाचरणाओं पर जोर दिया गया है ।

पाप और प्रायश्चित्त की धारणा के पीछे भी आचार के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? जब तक व्यक्ति आचार का पालन करता है तब तक समाज में वह महत्त्वपूर्ण है, यदि वह आचार का उल्लंघन करता है तो उसे जीने का अधिकार नहीं, उसे पाप से तभी मुक्ति मिल सकता है जब वह प्रायश्चित्त करे, अर्थात् पाप यदि गम्भीर हो तो जीवन का अन्त कर दे, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समाज के अन्य लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । उसके अतिरिक्त प्रायश्चित्त का उद्देश्य पाप से विरक्ति उत्पन्न करना है । अर्थात् प्रायश्चित्त का भय दिखाकर पाप से दूर करने का उपाय किया जाय । परन्तु प्रायश्चित्त के विषय में सूत्रकार की धारणाये कुछ असंगतिपूर्ण हैं प्रायश्चित्त के अमर भी वर्ण का विचार हावी है । ब्राह्मण की हत्या करने वाला मृत्यु का भागी होता है । किन्तु शूद्र का वध करने वाला 10 गायें तथा एक बैल का दान करके मुक्त हो जाता है ।

धर्मसूत्रों का अनिवार्य विषय राजधर्म भी आपस्तम्ब का विवेच्य विषय रहा है । उन्होंने राजा के कर्तव्यों एवं अधिकारों की विस्तृत समीक्षा की है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र से लोकव्यवस्था जनताँत्रिक प्रतीत होती है ।

राजा निरंकुश नहीं है, अपितु वह धर्म के लिए ब्राह्मण पर या योग्य विधि-वेत्ताओं पर निर्भर है। न्याय-व्यवहार की व्यवस्था और प्रक्रिया तो बहुत ही जनतात्रिक है और दण्ड देने के प्रत्येक पहलू पर विचार किया गया है। न्याय हो अन्याय न हो यही दण्डव्यवहार का लक्ष्य बार-बार दुहराया गया लगता है। साक्षी के सत्यभाषण पर बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त आपस्तम्ब ने नैतिक नियमों की रक्षा तथा धर्म का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देना राजा का धर्म माना है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अपराध इवं उनके लिए दिये जाने वाले का दण्डों का सुविस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। उक्त के अतिरिक्त दायभाग का विवेचन भी आपस्तम्ब ने किया है। आपस्तम्ब के अनुसार, पिता अपने जीवन-काल में ही पुत्रों को समान दाय भाग दे देवे, परन्तु कलीव उन्मत्त और पतित पुत्र को दाय अश नहीं देना चाहिए। पुत्र के अभाव में संपिण्ड दाय का अधिकारी होता था अथवा पुत्राभाव में पुत्री दाय की अधिकारिणी होती थी। आपस्तम्ब ने वैवस्वत मनु के दाय विभाजन का उदाहरण देकर यही मत पुष्ट किया है कि उसने सभी पुत्रों में समान भाग बांटा है।

आपस्तम्ब धर्मसूत्रों का वर्ण्य विषय मूलतः आचार, विधि निषेध

नियम आदि का सम्यक् व्याख्यान करना ही है किन्तु इनके निष्प्रणा में आर्थिक तत्त्वों का भी यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त होता है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र से विदित होता है कि व्यवसाय वर्ण आधारित था । यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण विशेष के लिए विहित व्यवसाय से इतर व्यवसाय करते थे तो उनका सामाजिक विहिषकहर कर दिया जाता था । समाज में कृषि एवं पशुपालन मुख्य व्यवसाय था । आपस्तम्ब धर्मसूत्र काल में कृषि को प्रचुर महत्त्व प्राप्त था । कृषि कार्य हेतु पट्टे पर भूमि देने का उल्लेख प्राप्त होता है जिससे स्पष्ट होता है भूमि पर स्वामित्व एवं काश्तकारी सम बहुत कुछ स्थिर हो गया था । इसी प्रकार मजदूरों की या चरवाहों को दी गयी प्रताड़ना से यह निष्कर्ष निकलता है कि समाज में सामन्तवादी व्यवस्था का बीजारोपण हो गया था ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में अनेक दार्शानिक विचारों को यथा-आत्मतत्त्व का स्वरूप, आत्मतत्त्व की व्यापकता, आत्मतत्त्व के लक्षण, स्वर्ग एवं मोक्ष का स्वरूप इत्यादि को पृथम प्रश्न के आठवें पटल में अभिव्यक्त किया गया है ।

आपस्तम्ब धर्मसूत्र में जिन उक्त दार्शानिक विचारों को प्रस्तुत किया गया है वे पूर्णतया उपनिषदों से प्रभावित हैं । सूत्रकार का अपना कोई पृथक्

सिद्धान्त विकसित होकर प्रकाश में नहीं आ सका। दूसरे शब्दों में ग्रन्थ के अन्तर्गत उपनिषदों से भिन्न कोई अन्य मान्यता का उल्लेख नहीं हुआ है।

इस प्रकार उक्त के आलोक में यह कहना असगत नहीं होगा कि आपस्तम्ब धर्मसूत्र की उपादेयता वर्तमान युग में भी प्रासादिक है। यह भौतिकवादी दृष्टिकोण से संत्रस्त मानवता के लिए आत्मिक शान्ति और सुख का बोध कराने में समर्प है। इसके वर्णित नैतिक मूल्य बदलते परिवेश तथा बदलते हुई युगधारा में भी मनुष्य की अस्मता के अवबोध में समर्प है।

सहायक ग्रन्थ सूची

=====

- 1- अथर्ववेद संहिता - संषादक - श्रीषाद दामोदर सातवलेकर हिन्दी भाष्य 1950
- 2- आदर्श संस्कृत हिन्दी कोश- डा० राम स्वरम रसिकेश, चौखम्भा विद्याभवन वाराणसी ।
- 3- आपस्तम्ब श्रौतसूत्र- सुदृढ़ भाष्य संहिता चौखम्भा सुरभारती प्रकाशन वाराणसी 197।
- 4- आपस्तम्ब गृह्य सूत्र- श्री हरदत्त मिश्र पृणीत अनाकुला वृत्ति-श्री सुदर्शनाचार्य पृणीत तात्पर्य दर्शन व्याख्या संहित-चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी 197।
- 5- आपस्तम्ब धर्मसूत्र- श्री हरदत्त पृणीत उज्ज्वला वृत्ति संहिता चौखम्भा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1983
- 6- ऋग्वेद संहिता- समष्टिक पं० राम गोविन्द शुक्ल बनारस 1990
- 7- ऋग्वेद संहिता- रामगोविन्द त्रिवेदी कृत हिन्दी भाष्य चौखम्भा विद्या भवन वाराणसी
- 8- काशिका वृत्ति- सम्पादक- आर्येन्दु शर्मा चौखम्भा विद्या भवन ग्रन्थमाला बनारस 1988
- 9- कृत्य कल्पतर- गृहस्थ काण्डम्- लक्ष्मीधर भट्ट ओरिएण्टल इंस्टीट्यूट बड़ौदा
- 10- कृष्णायचुर्वदीय तैत्तिरीय संहिता- सायण भाष्य आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली

- 11- गौतम धर्मसूत्र- गोविन्द स्वामी पृष्ठीत विवरण सहित-चौखंभा संस्कृत संस्थान 1983
- 12- चतुर्वर्ग विन्तामणि- काशी संस्कृत ग्रन्थमाला नं 235 वाराणसी 1986
- 13- छान्दो-य ए उपनिषद्- गीताप्रेस गोरखपुर
- 14- धर्मशास्त्र का इतिहास भाग । से 5- डा० पी०बी०काणे अनुवादक-अर्जुन चौबे काश्यष हिन्दी समिति लखनऊ
- 15- धर्मकोश- लक्ष्मण शास्त्री जोशी- चौखंभा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1971
- 16- धर्मदूम- राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय- चौखंभा विश्व भारती वाराणसी 1989
- 17- निरुक्त- भगीरथ शास्त्री हिन्दी भाष्य दिल्ली 1963
- 18- पाणिनिकालीन भारतवर्ष - डा० वासुदेव शरण अग्रपाल मोती लाल बनारसीदास
- 19- प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति की एक झलक- नारायण प्रसाद बलूनी
- 20- प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास- डा०ज्यशंकर मिश्र-बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी 1980
- 21- षष्ठुति और स्मृतियों का अध्ययन- डा० लक्ष्मी दत्त ठाकुर, हिन्दी समिति लखनऊ 1965
- 22- बृहदारण्यक उपनिषद्- गीताप्रेस गोरखपुर
- 23- बोधायन श्रोत सूत्र- डा० गगानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय-इलाहाबाद
- 24- बोधायन धर्मसूत्र- गोविन्द स्वामी पृष्ठीत विवरण सहित, चौखंभा संस्कृत संस्थान वाराणसी 1971

- 25- बीस स्मृतियाँ- इभाग । एवं २४- सं० प्रिंडित श्रीराम शर्मा आचार्य; संस्कृति
संस्थान छाजा कुटुब बरेली १९६८
- 26- ब्रह्मसूत्र शाह करभाष्य, सत्यानन्दी दीपिका साहित-गोविन्द मठ टेढ़ी
नीम वाराणसी- सम्वत् २०४०
- 27- भारतीय दर्शन- आचार्य बलदेव उपाध्याय- श्रृंखलाभा ओरियन-टालिया
१९७९
- 28- मनुस्मृति- सार्वदेशिक प्रेस दीर्घागंज दिल्ली- सम्वत् २०१६
- 29- याज्ञवल्क्य स्मृति- मिताङ्करा टीका नाग पब्लिकेशन दिल्ली १९८५
- 30- वेदों का यथार्थस्वरूप- प० धर्मदेव विद्यावाचस्पति विद्या मार्तण्ड गुरुकांठिवी
विद्यालय १९६०
- 31- वेद रहस्य- श्री अरविन्द- अनुबादक आचार्य अध्यदेव विद्यालंकार १९६०
- 32- वैदिक साहित्य का इतिहास- आचार्य बलदेव उपाध्याय- १९७०
- 33- वासिष्ठ धर्मसूत्र- ए० ए० फ्यूरर ब्यूर्झ स्कूल सीरीज पूना १९३०
- 34- वैदिक साहित्य सं० संस्कृति- आचार्य बलदेव उपाध्याय, शाहदा मन्दिर,
वाराणसी १९६७
- 35- श्रीमद्भगवत् गीता- गीताप्रेस गोरखपुर
- 36- शतष्प ब्राह्मण- अच्युत गन्धाला कायर्लिय वाराणसी सं० १९९४
- 37- बहदर्शन रहस्य- प० रह. गनाध पाटक, बिहार राष्ट्र माषा परिषद्-
पटना १९५८
- 38- स्मृतीनां समुच्चय - आनन्दाश्रम १९०५

- 39- सर्वदर्शन समन्वय- डा० गोपाल शास्त्री- लाल बहादुर शास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्याधीठ दिल्ली
- 40- सामवेद सहिता- सं० पं० रामस्वरूप शर्मा हिन्दी भाष्य बनारस 1962
- 41- संस्कार पद्धति- भास्कर शास्त्री आनन्दश्रम 1924
- 42- संस्कार प्रकाश- चौडम्भा संस्कृत सीरीज वाराणसी 1971
- 43- संस्कृत साहित्य का इतिहास- बलदेव उपाध्याय, शारदा निकेतन रवीन्द्रपुरी दुर्गाकुण्ड, वाराणसी 1972
- 44- संस्कृत हिन्दी कोश- वामन शिवराम आच्टे, मोती लाल बनारसीदास, वाराणसी
- 45- संस्कृत भाषा एव साहित्य का इतिहास- ड०टी०जी०माईणकर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्
- 46- संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास-डा० कीपलदेव, विद्वेदी, साहित्य संस्थान, इलाहाबाद
- 47- इण्डिया ऑफ वैदिक कल्प सूत्राज- राम गोपाल, मोतीलाल बनारसीदास 198
- 48- सम ऑस्पेक्ट्स ऑफ इण्डियन हिस्ट्री एण्ड कल्पर 1974
- 49- हिस्ट्री ऑफ एन्शेयन्ट संस्कृत लिटरेचर, इलाहाबाद 1912
- 50- दि सेक्रेट बुक्स ऑफ दि ईस्ट भाग-2, मोतीलाल बनारसीदास 1986
- 51- धर्मसूत्राज- स्टडी इन देयर ओरीजन एण्ड डेवलपमेन्ट, सुरेश चन्द्र बनर्जी घन्थी बुस्तक कलकत्ता 1962